राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, बुधवार, दिनांक ७ मार्च, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक प्रातः ८ बज कर ३८ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १२

जनवरी १९५५ के पश्चात् सर्किल इन्सपेक्टर के पद से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये हुए व्यक्ति

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद किन किन सर्किल इन्स्पेक्टर्स को प्रोमोशन दिया जाकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया ?

(ख) ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनकी सीधी नियुक्ति डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्थान पर की गई है ?

(ग) जिन सर्किल इन्सपेक्टर्स को प्रोमोशन दिया जाकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया है उनके सीनियोरिटी लिस्ट में कौन २ से स्थान हैं ?

(घ) ऐसे कौन कौन सर्किल इन्स्पेक्टर हैं जो अधिक सीनियर होते हुए भी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं बनाये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)— (क) १ जनवरी, १९५५ के बाद १९ सर्किल इन्स्पेक्टरों को प्रोमोशन दिया जाकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया :

Page No.2

[श्री रामकिशोर व्यास]

१.	श्री सत्यप्रकाश त्यागी	बी ८३
२.	श्री कंवरलाल	बी ८४
३.	श्री भैरूंसिंह	बी ८६
४.	श्री अर्जुनसिंह	बी ८६
५.	श्री लक्ष्मीनारायण	बी ६४
६.	श्री श्यामसुन्दरलाल	बी ६५
७.	श्री सुल्तानसिंह	बी ६६
८.	श्री रामदेव	बी ६८
९.	श्री श्रीपाल जैन	बी ६६
१०.	श्री श्यामसिंह	बी १०२
११.	श्री दुलाहसिंह	बी १०३
१२.	श्री मानसिंह	बी १०५
१३.	श्री दीनदयाल	बी ११०
१४.	श्री धनसिंह	बी ११३
१५.	श्री लक्ष्मीलाल	बी ११८
१६.	श्री कुबेरदान	बी १२०
१७	श्री नारायणसिंह	बी १२२
१८	श्री कुशालसिंह	सी १३३
१९	श्री फतेहलाल	सी १४१

(ख) सीधी नियुक्ति वाले व्यक्ति ये हैं:—

(१) श्री मनमोहन कामथ
(२) श्री विजयसिंह जाट
(३) श्री झावरमल मेहरा
(४) श्री उमरावमल बोहरा
(५) श्री नारायणसिंह नरुका
(६) श्री गोपीलाल अचरज
(७) श्री गोविन्द प्रसाद नाग
(८) श्री पुरुषोत्तम जे० मुन्शी
(९) श्री किशनगोपाल धाबाई
(१०) श्री चन्द्रासिंह
(११) श्री मदनमोहन महर्षि
(१२) श्री रघुवंश कुमार गर्ग

[श्री रामकिशोर व्यास]

(१३) श्री विष्णुदत्त शर्मा
(१४) श्री सुमेरचन्द भंडारी
(१५) श्री मदनलाल पारीक
(१६) श्री रामसिंह
(१७) श्री जोधसिंह
(१८) श्री रामकुमार
(१९) श्री ओमप्रकाश
(२०) श्री रामेश्वर प्रसाद खूंटेटा
(२१) श्री चांदमल पालरीचा
(२२) श्री मुरारीलाल वैश्य गर्ग
(२३) श्री रामकिशन सरालिया
(२४) श्री हबीबुर रहमान

(ग) सीनियोरिटी इस प्रकार है:---

१.	श्री सत्यप्रकाश त्यागी	बी ८३
२.	श्री कंवरलाल	बी ८४
३.	श्री भैरूं सिंह	बी ८६
४.	श्री अर्जुनसिंह	बी ८९
५.	श्री लक्ष्मीनारायण	बी ९४
६.	श्री श्यामसुन्दरलाल	बी ९५
७.	श्री सुल्तानसिंह	बी ९६
८.	श्री रामदेव	बी ९८
९.	श्री श्रीपाल जैन	बी ९९
१०.	श्री श्यामसिंह	बी १०२
११.	श्री दुलहासिंह	बी १०३
१२.	श्री मानसिंह	बी १०५
१३.	श्री दीनदयाल	बी ११०
१४.	श्री धनसिंह	बी ११३
१५.	श्री लक्ष्मीलाल	बी ११८
१६.	श्री कुबेरदान	बी १२०
१७.	श्री नारायणसिंह	बी १२२
१८.	श्री कुशालसिंह	सी १३३
१९.	श्री फतेहलाल	सी १४१

[श्री रामकिशोर व्यास]

(घ) अधिक सीनियर होते हुए भी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं बनाये जाने वाले व्यक्ति ये हैं:—

१.	श्री बशीर अहमद	ए. ३
२.	श्री भंवरलाल	ए. ६
३.	श्री जहूर मोहम्मद	ए. १०
४.	श्री सुखसिंह	ए. ३०
५.	श्री मुरादखां	बी ३५
६.	श्री हीरालाल	बी ३७
७.	श्री पोकरदास	बी ४०
८.	श्री कानमल	बी ४३
९.	श्री मोहम्मद उगर	बी ४८
१०.	श्री बोगाराम	बी ५०
११.	श्री गुलाम मोहम्मद	बी ५२
१२.	श्री गोपालसिंह	बी ५३
१३.	श्री चमनसिंह	बी ५६
१४.	श्री कल्याणसिंह	बी ६०
१५.	श्री गुमानसिंह	बी ६१
१६.	श्री दलेलसिंह	बी ६३
१७.	श्री सुरेन्द्रपालसिंह	बी ६६
१८.	श्री अलीमुस्तफा	बी ७१
१९.	श्री भंवरसिंह	बी ७२
२०.	श्री भोपालसिंह	बी ७३
२१.	श्री लक्ष्मीकान्त	बी ७४
२२.	श्री दीनाराम	बी ७५
२३.	श्री हिन्दसिंह	बी ७६
२४.	श्री बलवन्तसिंह	बी ७७
२५.	श्री उसमान अली	बी ८०
२६.	श्री रामदास	बी ८१
२७.	श्री अमरसिंह	बी ८२
२८.	श्री चिम्मनसिंह	बी ८५
२९.	श्री गोपालसिंह	बी ८७
३०.	श्री ब्रजभूषण	बी ८८
३१.	श्री अब्दुल वहीद	बी ९२

Page No.5

[श्री रामकिशोर व्यास]

३२. श्री लखूसिंह	बी ९३
३३. श्री गनेशीलाल	बी ९७
३४. श्री बृजमोहन	बी १००
३५. श्री शिवरतन	बी १०१

श्री चांदमल मेहता—खंड 'ख' का जवाब नहीं मिला है ।

श्री रामकिशोर व्यास—दिया न ।

श्री चांदमल मेहता—सीधी नियुक्तियां की गई उस विषयक जवाब नहीं मिला ।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने पढ़ा था न ।

श्री चांदमल मेहता—जिनके साथ नम्बर भी हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—'ख' का उत्तर मैंने पढ़ा था । श्री मनमोहन कासव, श्री विजय-सिंह जाट वगैरा ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इन अधिकारियों में कोई डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट भी थे जिनको सर्किल इन्स्पेक्टर बना दिया गया और जब उसके बाद इन सर्किल इन्स्पेक्टरों को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया तो उनको भी उसी स्थान पर रखा क्यों नहीं गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—नाम फरमायें तो निवेदन करूं । कौन डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं जिनको रिवर्ट कर दिया गया और दुबारा नहीं बनाया जा सका ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—जैसलमेर के श्री लखसिंह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट थे उनको सर्किल इन्स्पेक्टर बना दिया गया और उसके बाद वे उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में नहीं कि जिनको सर्किल इन्स्पेक्टर से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास—यह पर्टीकुलर इन्फर्मेशन चाही है इसलिए इसकी जानकारी प्राप्त करके ही उत्तर दे सकता हूं ।

श्री चांदमल मेहता—इनको प्रोमोशन देने के लिए काइटेरिया सरकार ने क्या रखा था ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिन लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमन्ड किया था उन्हीं लोगों को बनाया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के रिकमन्ड किये ही कार्यवाहक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसे दो केसेज़ हैं जिनकी अपील सरकार के पास पेन्डिंग थी, उनके अलावा कोई नहीं।

श्री चांदमल मेहता—इस वक्त कितने कार्यवाहक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट काम कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग सवाल है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो सूची माननीय मन्त्री महोदय ने बतलाई उनमें कार्यवाहक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को छोड़ दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने जैसा सवाल किया कि किन किन सर्किल इन्स्पेक्टर्स को प्रोमोशन दिया गया, वही जानकारी मैंने अपने जवाब में दी है।

श्री चांदमल मेहता—इसी के अन्तर्गत कार्यवाहक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट भी आ जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऑफिशियेटिंग के लिए आप अलग से पूछेंगे तो बताया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि कार्यवाहक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट कौन कौन हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ये सभी कार्यवाहक (ऑफिशियेटिंग) हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको ऑफिशियेटिंग करने के लिये आदेश दिये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—कन्फर्म अभी तक नहीं हुए।

श्री चांदमल मेहता—कन्फर्म नहीं होने के कारण क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—शुरू में प्रोवीज़नल ही होते हैं।

प्रश्न संख्या १३

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ट्रेक्टरों की तकाबी हेतु वितरित की गई धन राशि

श्री सरदारसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.7

[श्री सरदारसिंह]

(क) राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी धन राशि ट्रैक्टरों के लिये तकावी देने को स्वीकृत की गई थी ?

(ख) उसमें से किन-किन को, कितनी-कितनी रकम, कितने-कितने ट्रैक्टर खरीदने को डिस्ट्रिक्ट व तहसील वाइज़ दी गई ?

(ग) उपरोक्त रकम में कितनी वसूल हुई तथा कितनी किन-किन में बाकी है ?

(घ) क्या कोई धन-राशि ट्रैक्टर खरीदने के हेतु टौंक डिस्ट्रिक्ट में भी दी गई है ?

(ङ) अगर हां, तो कितनी और किन-किन को ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) १६ लाख रुपये ।

(ख) १६५२-५३, ५३-५४, ५४-५५ और ५५-५६ में जिलेवार व्यक्तियों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये निम्नलिखित रूप से रकम दी गई ।

वर्ष	रकम जो स्वीकृत की गई	व्यक्तियों की संख्या
१६५२. ५३.	४,७६,८०३ रु०	७०
१६५३. ५४.	४,६३,८६६ रु०	६०
१६५४. ५५.	२,३४,७६५ रु०	२७
१६५५. ५६.	१,४२,२६० रु० जनवरी ५६ तक	२१
	१३,४७,७८७ रु०	१७८

(ग) वसूल हुई रकम इस प्रकार है :—

१६५२.५३ ७१२६६ रु०

१६५३.५४ २५,४३० रु०

१६५४.५५ यह आंकड़े इस विभाग में उपलब्ध नहीं है, चूँकि यह कार्य तहसीलों द्वारा किया जाता है ।

तकावी नियमानुसार ऋण ८ सालों में चुकाया जाता है, किश्तों के रूप में वसूल होता है । जब तक सारी किश्तें अदा नहीं की जाती हैं ऋण बकाया समझा जाता है । कुल मिलाकर बाकी रकम इस प्रकार है :—

[श्री रामनिवास मिर्धा]

१९५२.५३	४,०५,५०७ रु०
१९५३.५४	४,६८,४६६ रु०
१९५४.५५ ५६	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) हां।

(ङ) जिला टोंक में कुल ३१,००० रु० निम्नलिखित व्यक्तियों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिये गये जो इस प्रकार हैं :—

१. मोहम्मद रफीक खां	५००० रु०
२. सैयद मोहम्मद याकूब खां	५००० रु०
३. श्रीमती रतन शास्त्री, वनस्थली विद्यापीठ	८००० रु०
४. सरदार मोहम्मद खां	५००० रु०
५. श्री गुरुबख्शसिंह।	८००० रु०

श्री सरदारसिंह—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि गांवड़ी के दलेलसिंह ने, जिसका निजी खलिहान में आग लगने से ट्रैक्टर जल गया था, तकावी के लिये दरखास्त दी थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह एक विशेष प्रश्न है इसकी जानकारी प्राप्त करके ही उत्तर दिया जा सकता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि जिन महानुभावों को ट्रैक्टर्स की खरीद के लिये रुपया दिया गया उसमें उन्होंने ट्रैक्टर नहीं खरीदे और उन रुपयों को दूसरे काम में ले लिया ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके बारे में जांच हो रही है। बहुत कम ऐसे केसेज़ पाये गये हैं जिनमें ऐसा हुआ है कि ट्रैक्टर्स नहीं खरीदे और रुपया दूसरे काम में ले लिया। ऐसे व्यक्तियों से सख्ती के साथ रकम वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब तक ऐसी कितनी मिसालें ध्यान में आई जिनमें ट्रैक्टर्स नहीं खरीदे और रुपया दूसरे काम में ले लिया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—दो-चार मिसालें ध्यान में आई और कलेक्टर को इस बारे में टाइम टू टाइम रिमाइन्ड करते रहते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जो दो-चार मिसालें ध्यान में आई हैं उनके नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—नाम तो मेरे पास नहीं हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट की तहत सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सरकार आइन्दा क्या तजवीज कर रही है कि जो रुपया ट्रैक्टर्स के लिये दिया जाय उससे ट्रैक्टर ही खरीदा जाय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि दो-चार केसेज़ ऐसे ध्यान में आये हैं जिनमें ट्रैक्टर्स नहीं खरीदे ; उसके लिये क्या तजवीज की जा रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सरकार ने इसके लिये यह ऑर्डर्स निकाले हैं कि जो भी रुपया ट्रैक्टर्स के लिये दिया जाय वह उस व्यक्ति को न दिया जाकर उस कम्पनी को दिया जाय जहां से वह ट्रैक्टर खरीदते हैं ; इससे यह गारन्टी हो जायगी कि ट्रैक्टर खरीदा जा रहा है।

श्री सरदारसिंह—क्या यह सही है कि दलेलसिंह के कागजात कलेक्टर ने माननीय मंत्री महोदय के पास फोरवर्ड कर दिये दो साल पहले, किन्तु वे कागजात रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, यह बड़ी मुश्किल हो जाती है जब कि मेन सवाल के विपरीत बातें सप्लीमेन्टरी की तौर पर पूछी जाती हैं, इनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है बिना इनफोरमेशन के।

एक माननीय सदस्य—क्या यह भी सही है कि कइयों ने ट्रैक्टर्स तो पहले खरीद लिये और तकावी उनको बाद में दी गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी जानकारी मुझे नहीं है।

एक माननीय सदस्य—क्या जिनको तकावी के तौर पर रुपया दिया गया है उनमें से कितनों ने पहले ट्रैक्टर खरीद लिये और बाद में रुपया दिया गया ; इनक्वायरी करके बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर आप विशेष प्रश्न पूछेंगे तो बताया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य—जैसा कि अभी आपने बताया कि इनको ट्रैक्टर्स के लिये रुपया दिया गया तो क्या आपने यह जांच की है कि इन्होंने पहले ट्रैक्टर खरीदा और उसके छः महीने बाद इनको रुपये मिले ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आप कोई निश्चित केस बताइये, तो उत्तर दिया जा सकता है ; जनरल तौर पर जांच करना बड़ा मुश्किल है।

श्री सरदारसिंह—जिला टोंक में जो ३१,००० रुपया दिया वह किन-किन सालों में ?

श्री रामनिवास मिर्धा—यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैंरोसिंह—ट्रेक्टर्स के खरीदने के बाद क्या स्थानीय अधिकारी का सर्टिफिकेट लिया जाता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सामान्यतया ऐसा होना चाहिये, मगर कहीं-कहीं नहीं भी हुआ ।

श्री भैंरोसिंह—जिन चार केसेज़ को आपने बताया, ट्रेक्टर्स नहीं खरीदे या उन व्यक्तियों ने उसके लिये स्थानीय अधिकारी से सर्टिफिकेट लिया या नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके बारे में कलेक्टर को लिखा गया है कि वे पुराना रेकॉर्ड देखकर जांच करके बतलावें ।

कुं० श्री जसवंतसिंह—जिन लोगों को ट्रेक्टर्स के लिये तकावी दी गई, उसमें से बहुतों के लिये ऐसा सुनने में आया है कि वह गवर्नमेंट को वापिस रकम नहीं दे रहे हैं, इन्स्टालमेंट पे नहीं कर रहे हैं; क्या यह वाकयी सच है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इन्स्टालमेंन्ट सबसे लिया जाता है । ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसी दरख्वास्त करें कि मै इस समय इन्सटालमेन्ट का रुपया नहीं दे सकता । अमुक अमुक कारणों की वजह से तो रियायत भी की जाती है, लेकिन ऐसे केसेज़ एक्सपेशनल हैं ।

कुं श्री जसवंतसिंह—जो दो चार केसेज़ सरकार के ध्यान में आये हैं उनमें किस-किस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इस संबन्धी डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—जब मंत्री महोदय के पास डिटेल्स नहीं हैं तो वे जवाब कैसे दे सकते हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं वे मेरे क्वेश्चन से बहुत परे के हैं ।

श्री भैंरोसिंह—जिन चार केसेज़ में ट्रेक्टर्स नहीं खरीदे गये क्या उनमें से किसी ने एक भी किश्त जमा कराई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—जब कि माननीय मंत्री के पास नामों की लिस्ट ही नहीं, तो इस बारे में वे कैसे जवाब दे सकते हैं ?

कुं० श्री जसवंतसिंह—तकावी जो ट्रेक्टर्स के लिये दी जाती है, उसमें कुछ शर्तें लिखाई

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

जाती है, एक प्रकार का एग्रीमेंट लिखाया जाता है क्या सब केसेज में ऐसा हुआ है जो शर्त पूरी करवाई जाती है, उसमें हाइपोथेटिकेशन की भी एक शर्त है क्या; इन सबका पालन किया गया है ?

श्री **रामनिवास मिर्धा**—ऐसे एक दो केसेज हो सकते हैं जिसमें हाइपोथेटिकेशन नहीं हुआ हो, पहले का लीगल ड्राफ्ट होता था उसमें भी एक प्रकार की खामी थी। अब हमने लॉ डिपार्टमेंट से नया ड्राफ्ट बनवा लिया है उसके मुताबिक पुराने ट्रेक्टर्स को भी उसमें हम ले रहे हैं।

श्री **भैरोंसिंह**—हाइपोथेटिकेशन की शर्त न लिखाने का क्या कारण है ?

श्री **रामनिवास मिर्धा**—कारण तो यही हो सकता है किसी की गलती हो, लेकिन ऐसे केसेज दो तीन से ज्यादा नहीं हैं।

कुं० श्री जसवंतसिंह—यह गलती तकावी लेने वाले की तरफ से है या किसी अधिकारी की तरफ से ?

श्री **सरदारसिंह**—ट्रेक्टर्स किन किन व्यक्तियों को दिये जाते हैं, क्या इसके लिये डेफीनिट रूल्स हैं ?

श्री **रामनिवास मिर्धा**—इसके लिये डेफीनिट रूल्स हैं, उसके लिये एक फॉर्म होता है जिसमें सब तरह की खाना पूर्ति करनी पड़ती है; काश्त के लिये जमीन कितनी है, खुद काश्त करता है या नहीं, उसके बाद तहसीलदार द्वारा तसदीक होती है।

श्री **अध्यक्ष**—माननीय सदस्य जो मेन क्वेश्चन है उससे दूर जा रहे हैं। The hon'ble Minister is kind enough to reply all sorts of supplementaries.

प्रश्न संख्या १४

जनवरी १९५५ के पश्चात् डाकुओं द्वारा व्यक्तियों का अपहरण

श्री **चांदमल मेहता**—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद राजस्थान में कितने आदमियों का डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया ?

(ख) कितने व्यक्ति पुलिस द्वारा छुड़ाये गये हैं ?

(ग) ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो डाकुओं द्वारा मार दिये गये हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो रुपये देकर छूट कर आये हैं ?

(ङ) कौन कौन व्यक्ति अभी तक लापता हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) ४४ ।

(ख) ६.

(ग) एक भी नहीं ।

(घ) ऐसे आदमियों की ठीक संख्या बताना संभव नहीं है ।

(ङ) ८० ।

श्री चांदमल मेहता— पुलिस द्वारा इतने कम आदमियों को छुड़ाये जाने का क्या कारण है ? क्या पुलिस निष्क्रय रही ?

श्री रामकिशोर व्यास— निष्क्रिय का तो कोई सवाल नही, पुलिस तो काफी सक्रिय रही है ।

श्री चांदमल मेहता— क्या यह सही है कि यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले में काफी अधिक बढ़ी हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास— जी हां, यह तो है ।

श्री चांदमल मेहता— पिछले वर्ष इसी सैशन में यहां यह आश्वासन दिया गया था कि काम करने में अधिक सक्रिय रहेगी, पर यह परिणाम देख कर ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि अवनति ही हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास— प्रगति तो हुई है । कई डाकुओं को मारा गया है ।

श्री कुं० जसवन्तसिंह— पाकिस्तान के बोर्डर पर जैसलमेर पुलिस का एक सिपाही डाकुओं द्वारा पकड़ा गया । डाकुओं ने उसको छोड़ने के बदले में रिजूम मांगी । सवाल उठा सरकार के सामने । सरकार ने रुपया देने से इन्कार किया, पर घर वाले रुपया देकर उसे छुड़ाने को तैयार हुए, पर सरकार ने रुपया नहीं देने दिया । उसका नाम भी मैं बता दूं, चिमनसिंह है । आज क्या वह मार दिया गया या जिन्दा है ? या रिजूम देकर छुड़ा लिया गया है ? अगर नहीं तो घरवाले दे रहे थे, सरकार ने उनको मना क्यों किया ?

श्री रामकिशोर व्यास— आपने यह जानकारी दी है । इसकी जानकारी करके मैं उत्तर दूंगा ।

श्रीचांदमल मेहता— अपहरण की घटनाओं को कम करने की कोई निश्चित योजना है सरकार के पास इस समय ?

श्री रामकिशोर व्यास— जी हां ।

श्री भैरूंसिंह(१६)— सूरजभान को डाकू उठाकर ले गया और उसे ६० हजार रूपया देकर छुडाया गया; उसका सरकार ने क्या किया अब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास— यह बात सही नहीं है । इस बात का मैं कई बार इस सदन में जवाब दे चुका हूं । यह तीन साल पहले की बात है जो आज फिर आप कह रहे हैं ।

श्री भैरूंसिंह (१६)— सूरजभान वापिस आ गया या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास— यह सप्लीमेन्ट्री पैदा नहीं होती ।

श्री चांदमल मेहता— ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो योजना सरकार के पास बताई जाती है यह वही है जो गत वर्ष सरकार के विचाराधीन थी या और कोई योजना सरकार ने तैयार की है ?

श्री रामकिशोर व्यास— इसमें वक्त के अनुसार संशोधन होते रहते हैं ।

प्रश्न संख्या १५

प्रथम पंचवर्षीय योजना में एलोपेथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज खोलने हेतु स्वीकृत ,धनराशि

श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में एलोपेथिक व आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोलने के लिये कितनी धन राशिस्विकृत की गई थी ?

(ख) अब तक जिले और तहसीलवार कितनी कितनी डिस्पेन्सरीज़ खोली गई हैं ?

(ग) क्या टोंक जिले में भी इस हेतु कोई धन राशि स्वीकृत की गई थी ?

(घ) अगर हां, तो अब तक कहां कहां, कितनी कितनी, डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं ?

[श्री सरदार सिंह]

(ङ) क्या तहसील उनियारा और दूणी में भी एलोपैथिक या आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोली गई हैं ?

(च) अगर हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य व चिकित्सा मन्त्री)—(क) कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई ।

(ख) से (च) तक, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न संख्या १६

किशनगढ़ सब डिविजन में सिंचाई हेतु तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धनराशि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ सब डिविजन में सिंचाई के तालाबों की संख्या कितनी है ?

(२) उक्त तालाबों में कितने मरम्मत तलब हैं ?

(३) ५५–५६ के वित्तीय वर्ष में किस किस तालाब की मरम्मत या बड़े कराने के लिये कितना कितना रुपया स्वीकृत हुआ ?

(४) ऐसे कौन से तालाब हैं जिन पर स्वीकृति होते हुए भी १५ फरवरी तक कोई काम शुरू नहीं करायागया ?

(५) १५ फरवरी तक किस किस तालाब पर कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री खेतसिंह (उपमन्त्री)—(१) किशनगढ़ सब डिविज में सिंचाई के तालाबों की संख्या ११६ है ।

(२) उक्त तालाबों में ४२ तालाब मरम्मत तलब हैं ।

(३) फहरिस्त सदन की मेज पर रखी दी गई है ।

(४) ऐसा कोई तालाब नहीं है ।

(५) फहरिस्त सदन की मेज पर रखी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस वर्ष किशनगढ़ सब डिविजन में कोई नया तालाब नहीं बना ?

श्री खेतसिंह—नये तालाब से आपका क्या मतलब है ?

श्री चांदमल मेहता—पिछले वर्ष के सवाल के जवाब में यह कहा गया कि इन तालाबों की संख्या १०६ है और इस वक्त आप बता रहे हैं ११६, तो क्या ये कोई नये तालाब बने हैं या अपने आप कोई नये तालाब बन जाते हैं ?

श्री खेतसिंह—ऐसी बात नहीं है । तालाब तो ज्यादा हैं ११६ से भी, लेकिन पहले जो फहरिस्त थी उसमें कुछ रद्दोबदल करके कुछ ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं ।

एक माननीय सदस्य—यह तो आपके हाथ की बात है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष के बाद जिनकी मरम्मत नहीं हुई और जिनको मरम्मत तलब माना गया उनको भी लिस्ट में से निकाल दिया गया है ?

श्री खेतसिंह—मैंने अर्ज किया है न, कि कुछ हेर—फेर किया गया है, यह इसलिये कि जिनकी मरम्मत पहले जरूरी समझी थी, उसके बाद में यह ध्यान में आया कि उनसे भी कुछ ज्यादा मरम्मत तलब तालाब और हैं ; तो जिनको सबसे ज्यादा जरूरी समझा गया उसी हिसाब से हेर-फेर किया गया ।

श्री चांदमल मेहता—जो पहले मरम्मत तलब माने गये वे अब नहीं रहे, यह कैसे ?

श्री खेतसिंह—जो ज्यादा जरूरी थे उनको पहले लिया गया ।

श्री चांदमल मेहता—लेने न लेने की बात मैं नहीं कहता । मेरा प्रश्न का खण्ड २ साफ है । इसमें यह पूछा गया है कि कितने तालाब मरम्मत तलब हैं ?

श्री खेतसिंह—आपका प्रश्न साफ है तो मेरा उत्तर भी उतना ही साफ है कि पहली लिस्ट के बाद फिर दुबारा जांच की गई तो पता लगा कि पहले ज्यादा बतला दिये गये थे । उतने ज्यादा वास्तव में नहीं होने चाहियें । जिनकी मरम्मत की सख्त जरूरत है उनकी संख्या ४२ ही हैं ।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन कौन से तालाब हैं कि जो मरम्मत तलब अब नहीं रह गये हैं ?

श्री खेतसिंह—वह लिस्ट आपको भेज दी गई है ।

श्री चांदमल मेहता—मौजूदा जांच कौनसे की हुई, यह लिस्ट मेरे पास नहीं है ?

श्री खेतसिंह—पहले प्रश्न का उत्तर दिया उस वक्त वैसी फहरिस्त थी और इस प्रश्न के ऊपर की भी फहरिस्त आपको दी। तो आप इन दोनों फहरिस्तों को मिला लीजिये, आपको उत्तर मिल जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बजट में जिन तालाबों की मरम्मत के लिए धन राशि स्वीकृत हुई, उस स्वीकृति को भी तब्दील कर दिया गया है ?

श्री खेतसिंह—जितनी धनराशि मुकर्रर की गई है, वह आज भी मुकर्रर है और उतनी ही लगाई जा रही है इसमें कोई हेर फेर नहीं किया गया। हां, वर्क्स में चेन्जेज हुई हैं जो मैंने आपसे निवेदन किया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बजट में जिनके लिए स्वीकृत की गई उसमें तब्दील करके कोई नई लिस्ट बनाई गई है ?

श्री खेतसिंह—बजट में नामों से, काम के नामों से स्वीकृति नहीं दी जाती, रुपयों के रूप में स्वीकृति दी जाती है और रुपया उतना का उतना खर्च किया जा रहा है, इसमें कोई हेर-फेर नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—आपके यह ध्यान में लाना चाहता हूँ कि बजट के साथ में कामों की भी लिस्ट होती है, रिपेयर के कामों की भी लिस्ट उसमें है और इसमें कोई कमी नहीं कराई गई। इसलिये मैं जानना चाहूँगा कि इन कामों में तब्दीली करने का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं जरा स्पष्टीकरण कर दूं। मरम्मत के लिए तालाबों के नाम बजट के साथ नहीं रहते हैं पर पिछले बजट में किशनगढ़ के तालाब माइनर इर्रिगेशन वर्क के अन्तर्गत लिये जाने को थे और वे काम किसी वजह से नहीं लिये जा सके क्योंकि एक तो उनका रिटर्न ठीक नहीं था, दूसरा उनका कैचमैन्ट नहीं था। अब नये वर्क में भी एक लिस्ट है जिसमें उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। आपका प्रश्न नोर्मल रिपेयर के बारे में है। उसका जिक्र बजट में नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—आप अगर मेरे प्रश्न को गौर से देख जाते तो आपको मालूम हो जाता कि दोनों ही बातें इसमें हैं।

श्री अध्यक्ष—हेर-फेर हो गया वह तो।

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके लिए तीन केटेगरी हैं :

(१) इम्प्रूवमेंट एण्ड एक्सटेन्शन
(२) मेन्टीनेन्स एण्ड रिपेयर्स
(३) माइनर इर्रिगेशन वर्क।

श्री चांदमल महता—तो फिर जो माइनर इर्रिगेशन वर्क में सम्मिलित हैं उनको नहीं कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके दो कारण हैं : जैसा मैंने अर्ज किया कि एक तो रिटर्न नहीं मिलने का और दूसरा कैचमेन्ट नहीं होने का ।

श्री चांदमल मेहता—यह जांच कब कराई गई थी ?

श्री खेतसिंह—साल भर से चल रही है ।

श्री चांदमल मेहता—यह रुपया स्वीकार होने से कितने दिन बाद इस तरह की जांच की गई थी ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—It is very difficult to say.

श्री चांदमल मेहता—जो तालाब मरम्मत तलब हैं उनकी कब तक मरम्मत कराने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री खेतसिंह—काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जावेगा ।

श्री चांदमल मेहता—कोई अवधि मुकर्रर की जा सकती है ?

श्री खेतसिंह—जो रुपया आता रहता है, खर्च करते जा रहे हैं, डेफीनिट डेट नहीं दी जा सकती ।

प्रश्न संख्या १७

स्थानीय जनता को मूल्य से अस्पताल से दवाईयां देने के कारण जयपुर जिले के कुछ डाक्टरों के विरुद्ध जनता के आपत्ति-पत्र

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) जयपुर जिले में ऐसे कौन २ डाक्टर हैं, जिनके खिलाफ होस्पिटल से कीमत लेकर दवाइयां देने की शिकायतें स्थानीय जनता द्वारा की गई हैं ?

(२) ऐसे कौन २ डाक्टर हैं जिनके खिलाफ दवाइयों के पैसे लेने के संबंध में स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष एफीडेविट पेश हुए हैं ?

(३) उक्त डाक्टरों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) सरकार को एक डाक्टर के बारे में इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ?

(२) इसकी जांच की जा रही है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—यह शिकायत कब पेश हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह सारे कागजात इन्क्वारी के लिए गये हुए हैं। ठीक डेट याद नहीं है, लेकिन थोड़ा अरसा जरूर हुआ है। उनको डाइरेक्ट किया गया है कि जल्दी ही इन्क्वायरी की जाय।

श्री चांदमल मेहता—पिछले डी. एम. एच. ओ. ने कोई कार्यवाही नहीं की, उसके क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह कागजात डी. एम. एच. ओ. के पास हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं कारण जानना चाहता हूँ। यह नहीं जानना चाहता हूं कि कागज किसके पास हैं। एफीडेविट पेश हुआ है कि डाक्टर दवाइयों के पैसे लेता है। ऐसे मामल को पेन्डिग रखने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह जांच हो रही है। डिटेल्स का मामला है। डिटेल्स की जांच हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रकार की शिकायत हुए ६ महीने हो गये और अभी तक कोई व्यक्ति स्पोट पर जांच करने के लिए नहीं पहुँचा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है। डी. एम. एच. एस. से कल ही मालूम हुआ है कि वे खुद जांच कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि माननीय मंत्रीजी के स्वयं के पास इस तरह की शिकायत पेश हुई थी और उसको काफी अर्सा हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने ही कहा था। आपकी ही मांग पर वह किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय के स्वयं के पास इस तरह का प्रार्थना पत्र पेश हुआ था जिसको तीन महीने से अधिक हो चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपका कहना प्रार्थनापत्र से ज्यादा महत्व रखता है। मेरे ख्याल से उसको मैंने इन्क्वायरी के लिए भेज दिया था और जल्दी ही इन्क्वायरी होकर आयेगी।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—क्या डाक्टर साहब सस्पेन्ड हो चुके हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, सस्पेन्ड नहीं हुए हैं।

प्रश्न संख्या १८

सन् १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में राजस्थान के विभिन्न जिलों में वितरित किया गया बीज

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में राजस्थान में किस किस जिले में कितना कितना बीज वितरित किया गया?

(२) उक्त वर्ष में बीज के वितरण पर किस किस जिले में कितना खर्चा हुआ व उसमें तहनख्वाह का खर्चा कितना है?

(३) बीज के वितरण से किस किस जिले में बाढ़ी के रूप में कितनी कितनी आय हुई?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मंत्री)—(१) इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) इसका विवरण भी सदन की मेज पर रखा हुआ है। इस खर्चे में तनख्वाह का खर्चा शामिल नहीं है।

(३) अभी तक रबी की फसल की कटाई न होने से यह सूचना नहीं दी जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट (२) देखिये)

श्री चांदमल मेहता—जो सूची दी गई है उसमें जो खर्चा बताया गया है उसमें कौन २ से खर्चे शामिल हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—उसमें जो कीमत है, बीज खरीदने की और ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा शामिल है।

Page No.20

श्री चांदमल मेहता—यह सवाई माधोपुर में २२२ मन आलू पर जो खर्चा ५१,५००) रु० का बताया गया है इस खर्चे में कौन २ और मदे हो सकती हैं, ट्रान्सपोर्ट और कीमत के अलावा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—उनके अलावा और कोई मद शामिल ही नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—आलू किस रेट पर खरीदे गये हैं और २२२ मन पर ट्रान्सपोर्टेशन किस हिसाब से खर्च किया गया ?

श्री मिर्धा—यह डिटेल्स का प्रश्न है अलग से प्रश्न पूछने पर बता सकता हूँ।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि बीज वितरण नो लोस एण्ड नो प्रोफिट के आधार पर किया जाता है ?

श्री मिर्धा—जी हां, जहां तक हो सके।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि जो खर्चे के आंकड़े दिये गये है उनसे यह पता चलता है कि उनके खर्चे की पूरी जांच नहीं किये जाने की वजह से नो लोस नो प्रोफिट बताया जाता है ?

श्री मिर्धा—यह सही नहीं है।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष जब कि बाड़ी की रेट कम थी तब भी नो लोस और नो प्रोफिट रहा और इस साल जब बाड़ी की रेट बढ़ा दी गई तब भी नो प्रोफिट नो लोस रहा ?

श्री मिर्धा—बाडी का प्रश्न नहीं है।

श्री मेहता—बाड़ी का प्रश्न है। खर्चा कितना हुआ और आवरू कितनी ? वह इसलिए पूछा गया है कि यह देख लें कि नो लोस और नो प्रोफिट किस तरह से है ? पिछले साल जब कि बाड़ी की रेट कम थी तब भी नो लोस नो प्रोफिट था और इस साल बाड़ी की रेट बढा देने पर भी वही, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि खर्चे की जांच हुई है या नहीं ?

श्री मिर्धा—बाड़ी का आपने दे दिया है। बाड़ी कई जगह बढ़ाइ गई है और कई जगह घटाई है; तो जो उसूल नो लोस और नो प्रोफिट का है वह सही आता है।

श्री मेहता—जयपुर जिले में ही क्यों बढाया गया है ? किस जिले में घटाने की कृपा की है ?

श्री मिर्धा—यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६

१६५४.५५ और ५५.५६ में सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ में रोगियों की प्रतिदिन की औसत

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) ५४.५५ के वित्तीय वर्ष में सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ में मरीजों की औसत प्रति दिन कितनी थी ?

(२) ५५.५६ के वित्तीय वर्ष में मरीजों की औसत प्रति दिन कितनी रही ?

(३) ५४.५५ में उक्त डिस्पेन्सरी को कितने मूल्य की दवाइयां दी गई और ५५.५६ में कितनी ?

(४) क्या जो दवाइयां दी गई हैं वे अपर्याप्त हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वास्थ्य मंत्री) (१) १८५।

(२) २०४।

(३) १६५४.५५ में २००० रूपये की दवाइयां दी गई थीं । १६५५.५६ में अभी तक २४०० रूपये से अधिक की दवाइयां दी जा चुकी हैं।

(४) डिस्पेन्सरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर दवाइयों की देय रकम निर्धारित की जाती है ।

श्री मेहता—इस बात का जवाब नहीं मिला कि क्या दवाईयां इस औषधालय के लिए अपर्याप्त हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जवाब दिया कि अपर्याप्त नहीं हैं। डिस्पेन्सरी की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित की जाती हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरी में आवश्यक दवाइयां भी जिनका कि होना बहुत जरूरी है हर समय रहना चाहिए, वह भी वहां नहीं रहती हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले साल २ हजार दिये थे और इस साल २४०० रूपये की। बीमारी ज्यादा बढ़ रही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार बीमारी के अधिक बढ़ने पर अधिक रूपये देने की स्थिति में नहीं है ?

श्री हिम्मतसिंह—यह बीमारी सरकार बढ़ा रही है या अपने आप ही बढ़ जाती है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— यह बीमारी कई तरह की होती है और माननीय सदस्य भी उसके लिए जिम्मेदार हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—यह किशनगढ़ की बीमारी किस तरह की है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ में आज से ६ महीने पहले दवाइयों की मांग की थी कि जितनी दवाइयां दी गई वे बहुत थोड़ी हैं और दवाइयां और दी जायं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दो हजार चार सो की आलरेडी दे चुके हैं । यह कम्पेरिज़न की बात है । सारी डिस्पेंसरीज़ की आवश्यकता को देखते हुए दवाइयां देते हैं । जितना बजट है उतना दिया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—बजट किस आधार पर बनाते हैं ? वहां की आवश्यकता के आधार पर बनाते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अपनी जेब में पैसा होता है उसके हिसाब से बजट बनाते हैं ।

श्रीचांदमल मेहता—क्या जहां बेड्स नहीं हैं वहा दवाईयों के लिए प्रोवीजन आवश्यक नहीं है; जहां केवल आउट डोर पेशेंट्स ही आते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—केवल शहरों की ही डिस्पेन्सरियां नहीं हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय का यह कहना समझा जाय कि आयन्दा शहर के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जवाब दे दिया कि २ हजार चार सौ रूपय दिये हैं और ज्यादा बीमार बढ़ गये तो दवा खत्म हो सकती है ।

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—क्या अरचिन बम्ब की बीमारी किशनगढ़ में ज्यादा है ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि प्रत्येक दिन के प्रत्येक मरीज की दवाइयों का हिसाब लगाया जाय तो एक पैसा भी नहीं पडता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—राजस्थान में जितनी डिस्पेन्सरीज़ हैं किशनगढ को उनसे ज्यादा दी जाती है, उसको काटने की सोचना पड़ेगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय की यही बिचारधारा है कि इस तरह के प्रश्न से उतने घबरा जाते हैं कि काटने का विचार कर रहे हैं ।

(हियर, हियर)

श्री तनसिंह के बन्दी होने की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री तनसिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, दिनांक २ फरवरी, १९५५, के २. ३० बजे प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट, १९५०, की धारा ३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये हैं, एवं वे डिस्ट्रिक्ट जेल, टोंक, में नजरबन्द हैं।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित हैं, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है;

१. श्री उम्मेदसिंह (वि० स० १५६)—दिनांक ५ मार्च, १९५६ से इस सत्र के अन्त तक।

श्री रघुराजसिंह (वि० सं० १२१)—दिनांक ५ मार्च, १९५६ से १२ मार्च, १९५६ तक।

श्री तनसिंह—दिनांक ५ मार्च, १९५६ से उनके बन्दी-मुक्त होने तक।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(**स्वीकृत**)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अ. गत सत्र द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अथवा राजप्रमुख की अनुमति

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)—मैं विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति अथवा राजप्रमुख की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रख रहा हूँ।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई :

The Rajasthan Premises (Control of rent and eviction) Amendment Bill. 1955.

The Rajasthan Poisons Bill, 1955.

The Rajasthan Sale of Motor Spirit Taxation (Amendment) Bill, 1955.

वे विधेयक जिन पर राजप्रमुख की अनुमति प्राप्त हुई :

The Rajasthan Panchayat (Amendment) Bill, 1955.

[श्री सचिव]

The Rajasthan legislative Assembly (Officers and Members emoluments) Amendment Bill. 1955.

The Rajasthan cinemas (Regulation) Amendment Bill, 1955,

The Bhim District Board Validation Bill, 1955.

The Rajasthan Appropriation [No. 4] Bill, 1955.

(आ) अन्तःसत्रकाल के अध्यादेश

श्री अध्यक्ष—Ordinances to be laid.

(क) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (संशोधन) अध्यादेश, १९५६.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (अध्यादेश संख्या १, १९५६) सदन की मेज पर रखता हूँ।

(ख) राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कमटेक्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५६.

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कमटेक्स (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (अध्यादेश संख्या २, १९५६) सदन की मेज पर रखता हूँ।

इ. राजस्थान मोटर वाहन नियमावली, १९५१ के अन्तर्गत गृह विभाग की विज्ञप्ति

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर वेहिकल्स रूल्स, १९५१, में गृह विभाग (२) विज्ञप्ति संख्या-डी. ४४६१ एफ. १०–५–५५ गृह २–५४ एवं डी० ७४९७। एफ १० (२) ६ गृह २।५२ १ क्रमशः दिनांक १३ दिसम्बर, १९५५ व ४ जनवरी १९५६, द्वारा जो संशोधन किये गये हैं उनको सदन की मेज पर रखता हूँ।

ई. राजस्थान भू-धारण विधेयक, १९५५ के अन्तर्गत बनाये गये नियम

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ (एक्ट ३ ऑफ १९५५) के अन्तर्गत बनाये गये नियम सदन की मेज पर रखता हूँ।

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

(क) राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ओफीसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स) एक्ट, १९५२ में और संशोधन करने के विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(ख) राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५६.

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेन्स, १९५० में और संशोधन करने का विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

(ग) राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य में हिन्दू सार्वजनीन धार्मिक तथा पुण्यार्थ प्रन्यासों का नियमन करने तथा उनके प्रशासन हेतु अधिक अच्छी व्यवस्था करने का विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी, अभी कौन सी भाषा बोल गये ?

श्री अध्यक्ष—यह वही भाषा है जिसके लिये सदन की ओर से आग्रह है ।

(घ) राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५६.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(ङ) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६.

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, में राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(च) राजस्थान मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९५६.

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान मोटर विहिकल्स टेक्सेशन (संशोधन) विधेयक. १९५६ को पुरःस्थापित करता हूँ ।

(छ) राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६.

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूँ ।

(ज) राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९५६.

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूँ।

अनुपुरक अनदानों की मांगों (द्वितीय खण्ड) के विवरण की प्रस्तुति

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मै अनुपूरक अनुदानों की मांगों १९५५-५६ के द्वितीय खंड के विवरण को प्रस्तुत करता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ज्यादे रुपये मत मांगियेगा।

श्री मन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—श्री मन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, "कि इस सत्र में सम्वेत् विधान सभा के सदस्य, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने जो एडजोर्नमेंन्ट मोशन दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—That has been rejected.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—रिजेक्ट क्यों हुआ, यह तो पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ मैं कुछ शब्द ऐसे अभिभाषण की जांच करने के लिये जो एक स्टेन्डर्ड हो सकता है उस पर कहना उचित समझूंगा। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि राजप्रमुख द्वारा अभिभाषण जो एक हैड ऑफ दी स्टेट के नाते दिया जाता है, उसका अभिप्राय क्या है ? यह पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस क्यों और किस प्रकार जारी की गई है ? इसका अभिप्राय यह है कि गत वर्ष में जो राज्य ने कार्य किया या राज्य सरकार को बजट द्वारा इस सदन से उनको कार्य संपादन करने के लिये आदेश दिया गया, उस आदेश का किस हद तक पालन किया गया ? यह एक तरह से गत वर्ष की कार्यवाही का रिव्यू, एक तरह से सरकार की इस सदन के सामने रिपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य-संपादन की कि उसने क्या क्या कार्य किये। इसको हम इस रूप में जांचते हैं तो बजट में निर्धारित कार्य सरकार द्वारा पूरा किया गया या नहीं और उसमें किस बात की कमी रही और जो २ पोलिसीज निर्धारित की गई थी उन पर कितने आगे

[श्री गुलाबचन्द कासीवाल]

बढ़े ? आगामी वर्ष के लिये हम बजट द्वारा सरकार को निर्देश देते हैं कि यह कार्य और यह पोलिसी हमको पूरी करनी चाहिये। इस रूप में भी हमको श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण को जांचना है।

हमें यह भी देखना है कि क्या सरकार ने इस वर्ष में कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया है जो बजट द्वारा दिये गये आदेश से परे हों, अथवा ऐसी कोई पोलिसी तो सरकार ने एडोप्ट नहीं की है जो बजट या इस सदन की पोलिसी के विपरित हो। इस रूप में अभिभाषण को देखने पर मैं बिल्कुल निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जो पोलिसी, जो आदेश इस सदन द्वारा सरकार को दिये गये उनका सरकार ने पूर्णत: संपालन किया। (हिअर हिअर)। केवल पालन ही नही किया, बल्कि हमें इसको जांचने के लिए इस तरह देखना है कि जिन पोलिसीज़ को आगे बढ़ाने के बारे में हम जितनी आशा लगाये हुए थे उनको उसी हद तक आगे बढ़ाया या उससे और भी आगे बढ़े। हम जितना अन्दाज लगा रहे थे उतना ही काम इन्होंने किया या इससे भी ज्यादा किया, यह भी हमें देखना चाहिये।

इस वर्ष देखने में दो विशेष बातें थीं; एक तो पंच वर्षीय योजना और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा करना। महत्वपूर्ण बात इस में पंच वर्षीय योजना थी, इसलिये कि यह प्रथम पंचवर्षीय योजना इस सदन के एकत्रित होने से एक वर्ष पूर्व ही चालू हो चुकी थी। इस एक वर्ष में क्या हुआ, यह तो सदन के सामने पहले वर्ष में ही रख दिया गया था। पिछले चार वर्षों में अब तक इस प्रथम योजना में इस सदन के एकत्रित होने के बाद क्या क्या हुआ, यह तो भली भांति ३ वर्षों में विदित होगया कि पहले २ वर्ष इस योजना के लिये साधन जुटाने में ही पूरे हो गये। इन दो वर्षों में कोई काम नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं है, किन्तु मुख्यतः हमारी शक्ति साधन जुटाने में ही और गत वर्ष जो कार्य हुआ उसे मैं तोलने के रूप में नहीं कहना चाहता। लेकिन हमें एक अन्दाजा यह लगाना पड़ेगा वह यह कि ५ वर्षों में जो कार्य पूरा करना था उसका अनुपात एक वर्ष का लगाया जाय तो २० प्रतिशत वर्क इस वर्ष में होना चाहिये था। उसके मुकाबले में आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि केवल २० प्रतिशत ही नहीं बल्कि इस वर्ष ४० परसेन्ट के करीब कार्य हुआ। (हिअर-हिअर)। जब कि सरकार ने कार्य संपादन में इतनी दक्षता से काम लिया है तो कोई कारण नहीं है कि हम उनको धन्यवाद न दें, बल्कि हम कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं कि सरकार ने इतनी दक्षता से काम किया।

राजप्रमुख महोदय ने बहुत सी बातों का उल्लेख किया है। मैं पहले फर्स्ट फाइव इयर प्लान आपके सामने इस विचारसे उपस्थित करना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या कार्य किया। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के लिये शुरू में १५ करोड़ ३१ लाख रुपयों की मंजूरी थी। उसको २ वर्ष बाद ही रिवाइज़ करके २४ करोड़ २३ लाख रुपये कर दिया गया, यानि करीब २४। करोड़ रुपयों का प्लान बनाया गया। यह २४। करोड़ रुपयों की राशि हमारे राज्य द्वारा खर्च करने को थी। इसके अतिरिक्त सेन्टर की मदद से जो जो कार्य थे उन सबको मिलाकर जिनका सम्पादन राज्य सरकार को करना था वह सब मिलाकर ६२ करोड़ ३५.५ लाख रुपयों के कार्य थे। सबसे बड़ी चीज इसमें इर्रिगेशन, पोवर और रोडस की है। इर्रिगेशनव पावर हमारी स्टेट में १३ सौ १४ लाख और

[श्री खुलाबचन्द कासलीवाल]

सेन्टर का १२५ सौ ६५ लाख। श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में हमें प्रतीत होता है कि यह सारा कार्य पूरा ही नहीं किया गया बल्कि दक्षिता से पूरा किया गया। श्रीमन् राजप्रमुखके भाषण को अंत तक पढ़ने से मालूम होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जवाई बांध का कार्य इस समय बहुत थोड़ा रह गया है जो इस वर्ष करीब करीब सम्पूर्ण सा हो गया है। अब इस पर केवल १० लाख रुपयों की लागत का फाटकों का ही काम बाकी रह गया है जो इस वर्ष वर्षा शुरू होने से पहिले पूरा कर दिया जावेगा। यह भी बताया गया है कि चम्बल घाटी योजना में कितना ज्यादा कार्य सम्पादन किया गया है। और यह भी बताया गया कि कितना कार्य पूरा कर दिया गया है। अन्य सिंचाई के साधनों में कालीसिल, मोरेल, जग्गर व बांकली बांधों के काम करीब करीब पूरे हो गये हैं। इसके अलावा पारबती, गुढा आदि के कार्य भी बरसात के पहिले पहिले पूरे किये जाने वाले हैं। यह सब मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्यों के ध्यान में होगा। यह सब मीडियम क्लास इर्रिगेशन है और इसके जरिये से कृषि का कार्य इतना बढ़ जावेगा जिसका एक प्रमाण तो फूड ग्रेन्स के आंकड़ों से ही हमें मिलता है, जो अब तक हुआ है।

सन् ५३-५४ से पहले हम बराबर फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट करते चले आए हैं। लेकिन सन् ५३-५४ का राजस्थान में पहला वर्ष था जब हमने बजाय फूड इम्पोर्ट करने के एक्सपोर्ट किया।

राजस्थान के लोगों का सारा जीवन एग्रीकल्चर पर निर्भर है। यहां ७८ प्रतिशत लोगों का निर्वाह केवल कृषि से ही होता है। कृषि पर इतना विशेष ध्यान देकर सरकार ने इन कार्यों को किया और इसका अभिप्राय यह है कि इससे हमारा जीवन आयन्दा सुख पूर्वक व्यतीत हो सकेगा।

इन कार्यों के अतिरिक्त हमें यह देखना है कि इसके अलावा और क्या क्या कार्य किये। सड़कों के बारे में मुझे दो शब्द कहने हैं। हम जितनी आशा करते थे और हमने जितना लक्ष्य बनाया था कि इतने मील सडकें पंचवर्षीय योजना में बना सकेंगे, उनका अधिकांश अंश हमने गत वर्ष में पूरा किया।

इसके अलावा और और क्या क्या विशेष कार्य किये गये, उन बातों को मैं आपके सामने उपस्थित नहीं करना चाहता लेकिन यह आवश्यक देखना है कि इससे पहले तीन चार साल पहले एक्सटेशन ब्लोक खोले, उसके मुकाबले में १६ विस्तार सेवा खंड अधिक खोले गये हैं। इसके अलावा जो अपराधों की संख्या के आंकड़े हैं उनको देख कर मैं सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि सरकार ने कानून और व्यवस्था की हालत को ठीक करने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा मैं सरकार की इस बात पर भी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि पुलिस के वे कर्मचारी जिनको डाकुओं आदि को मारने में, अपनी सेवा-कार्य करने में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा उनकी फेमिली को जब तक वे कार्य-भार कर सकते थे तब तक उनको पूरी तनख्वाह बतौर पेंशन के रूप में दी जावेगी। सरकार ने यह आज्ञा देकर अपनी उदारता का परिचय दिया है।

एक एग्रीकल्चर कॉलेज और एक वेटरनरी कालेज। एग्रीकल्चर के बारे में, व वेटरनरी के बारे में हमें इतना देखना है कि जब कृषि हमारे देश का प्रधान अंग है तो उसके साथ ही

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

साथ पशुपालन भी एक आवश्यक अंग है। इसमें भी वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त १२ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल व दो कालेज खुल चुके हैं और २५ बहुद्देशीय (मल्टीं पर्पज) हाई स्कूल कायम किये गये। इससे जनता को बहुत सहूलियत मिलेगी।

दूसरी बात हैल्थ की है। सरकार का हैल्थ की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान रहा है। सरकार ने दो बड़े होस्पिटल्स को जो कि उदयपुर और कोटा में थे, उनकी आवश्यकता को देखते हुए ए क्लास का बना दिया है। इसके अलावा ७० नई आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ खोली गई हैं।

राजस्थान में पीने के पानी का बहुत बडा प्रश्न रहता है। इस सदन में भी इस प्रश्न को लेकर कई बार वादविवाद हुए। गत वर्ष पीने के पानी को प्राप्त करने के लिये ७० लाख रुपये खर्च किये गये थे। यह बहुत ही उचित कार्य हुआ। इसके अलावा बहुत से लोग सरकारी सेवाओं से बेकार हो गये थे, राजस्थान बनने और उसके बाद में। उनकी पेंशन का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता था। मुझे इस बात को जान कर बड़ा अफशोस है कि करीब ५ हजार व्यक्तियों के पेंशन के प्रश्न पड़े हुए थे, उनमें से २५०० के करीब गत वर्ष में निपटा दिये। सरकार ने इसमें अपनी कार्य-कुशलता का परिचय दिया। इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को संतोष मिला है। इन बातों के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि अभी सरकार ने जो किया वह हमारे सामने फरमाया। आगे के लिये हमें पहले इस बात को देखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे लिये एक संतोषजनक ही नहीं, बल्कि एक तरह से हमारा अहोभाग्य हैं कि अगले ५ वर्षों में ५५ करोड़ की लागत का सरकार ने प्लानिंग कमीशन द्वारा धन स्वीकृत कराया है। हमारा देश इतना पिछडा हुआ है कि हमको बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है और इससे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि डेलिगेशन ऑफ पॉवर्स उसको खर्च करने का क्योंकि वगैर उसके हम किसी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते।

एक तरह से हमें जो लीगेसी पहिले से मिली थी; इरीगेशन, पावर और सड़कों पर राज्य सरकारों ने जो ध्यान नहीं दिया था हम तो उसका एक ऋण अदा कर रहे हैं। उस ऋण से मुक्त होने के बाद ही आगे कुछ अच्छे कदम उठा सकते हैं।

इस अगली पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी काफी बहुत बड़ी रकम खर्च होने वाली है और जितना अंश बाकी रहता है उसको अच्छी तरह से सोच-समझ कर अलग-अलग हिस्सों में बांट देना कि किस किस कार्य में क्या क्या खर्च किया जाय, तो इनमें विशेषतायें तो मिली हैं।

एक तरफ शिक्षा के प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा के प्रसार पर ध्यान दिये जाने पर सरकार ने संविधान के उन अध्यायों का पालन करने का प्रयास किया है जिसमें यह कहा

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

गया है कि राज्य सरकारों के लिए लाजमी होगा कि वे राज्य में अनिवार्य शिक्षा दें। इन्हीं कदमों से हम आशा कर सकते हैं कि कुछ ही वर्षों में राज्य में अनिवार्य शिक्षा पूर्णतया लागू हो सकेगी।

दूसरी बड़ी बात जो मुझे कहनी है, कुछ वर्षों पहले, बल्कि यह कहना चाहिए कि पांच वर्ष पहले तक यद्यपि कांग्रेस का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त था परन्तु प्रेक्टिकल रूप में वह अजीब सा था, वह है शराबबन्दी। सरकार इस ओर पहला कदम उठा रही है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। यह नितान्त आवश्यक है कि धीरे धीरे हम शराबबन्दी इस राज्य में पूर्णतया लागू करें।

(विरोधी पक्ष के नेता द्वारा "हियर हियर)"

तीसरी बात जो है वह राणा प्रताप सागर बांध के सम्बन्ध में है। अगली पंचवर्षीय योजना में इसको हाथ में लिया गया है। राणा प्रताप सागर बांध बन जाने से हमको विद्युत शक्ति इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी कि उस जगह के आस पास ही नहीं बल्कि जयपुर और जयपुर से भी दूर आगे हमको अपनी इन्डस्ट्रीज़ को फैलाने में, उनको ठीक तरह से सस्ते दामों पर चलाने के लिए सुविधा रहेगी।

इन मोटे कामों को देख कर अगले वर्षों में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव जरूर बताना चाहूँगा। इन सुझावों को रखने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार ने इन विशेष मदों पर ध्यान नहीं दिया है बल्कि मैं तो सरकार का एक तरह से डाइरेक्ट अटेन्शन आकर्षित करने के लिए इनको रखना चाहता हूँ।

सबसे पहली बात है रिसर्च। मुझे यह खेद है कि रिसर्च नाम की चीज सिवाय एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के और कहीं विद्यमान ही नहीं है। बिना रिसर्च के काम कुछ भी नहीं कर सकते और इस विषय में ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। रिसर्च पर अत्यधिक ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है।

दूसरी बात है मेडिकल एक्सपेन्शन। इस सम्बन्ध में इस रूप में ध्यान देना होगा कि जयपुर जैसे शहर में जिसकी आबादी राजस्थान में सबसे ज्यादा है और करीब करीब इस समय चार लाख के आस पास होगी, उस शहर के जो बड़े बड़े वार्ड हैं, तोपखाना हजूरी, घाट दरवाजा, विश्वेश्वरजी, मोदीखाना, तोपखाना देश, ये पांच बड़े बड़े वार्ड हैं; जिनमें से एक एक वार्ड की आबादी राजस्थान के बड़े बड़े शहरों के मुकाबले में है। मुझे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना है कि इन पांच वार्डों में से एक में भी एक डिस्पेन्सरी नहीं है। यह सही है। अभी अभी स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने यह बताया कि उन गांवों की ओर ध्यान देना चाहते हैं जहां बिल्कुल भी किसी तरह के चिकित्सा के साधन उपलब्ध नहीं हैं। यह मानते हुए भी मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सौ आबादी वाले गांव

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

को चिकित्सा के साधन नहीं मिलते हैं तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ५० हजार की आबादी जहां एकत्रित है वहां पर डिस्पेन्सरी भी नहीं खोली जा सकें। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसे स्थानों पर डिस्पेन्सरीज खोलना नितान्त आवश्यक है।

तीसरी बात है इन्डस्ट्रीज। बिना इन्डस्ट्रीज के प्रोत्साहन के हम जीवन-निर्वाह तो कर लेंगे परन्तु यह कहना चाहिए कि वह आराम से नहीं कर सकते। इन्डस्ट्रीज ही एक ऐसा जरिया है जिनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। बेशक यह खेद का विषय है कि इतने अर्से में एक भी बड़ी फैक्टरी राजस्थान में स्थापित नहीं की जा सकी। कोई कारण नहीं है कि जब हमारे पास इतने अच्छे २ कच्चे माल मौजूद हैं, हम एक फैक्टरी भी यहां पर कायम नहीं कर सके। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा कच्चा माल उत्पादित करते हैं, इस देश में हमारा ऊन का उत्पादन बहुत ज्यादा है। कोई कारण नहीं है कि एक बड़ा मिल यहां पर स्थापित नहीं किया जा सके। मुझे संतोष है इस बात से कि सरकार ने हमें यह लक्ष्य कर दिया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में ऊन की मिल चालू कर दी जायगी।

चौथी बात है चमड़े के बारे में। जो पशुओं की संख्या हमारे राज्य में है उसके लिहाज से चमड़े का उत्पादन यहां बहुत होता है। उस चमड़े का यदि हम यहां पर पूरी तरह से उपयोग कर सकेंगे और उससे सामान बनायें तो हमें बहुत कुछ रुपया देश के दूसरे हिस्सों से प्राप्त हो सकता है। यह तो ठीक है, जैसा कि राजप्रमुख ने इस सम्बन्ध में बताया कि इस इन्डस्ट्री की ट्रेनिंग के लिए एक दो स्कूल कहीं इधर उधर खोले जावेंगे। किन्तु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कानपुर इन्डस्ट्रियल सेन्टर किस प्रकार बन सका। क्योंकि वहां पर चमड़े का काम सबसे बड़ी विशेषता का था। उसके बाद और दूसरी इन्डस्ट्रीज उसके साथ साथ उत्पन्न हो गई। हमारे पास कच्चा माल पर्याप्त ही नहीं किन्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और इसीलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि चमड़े की इन्डस्ट्री को यहां प्रोत्साहन दिया जाय।

एक-दो और सुझाव छोटे छोटे हैं इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल। इलेक्ट्रिसिटी (बिजली) का सामान हमारे देश में, इस राज्य में बेहद बढ़ जावेंगे। गांधी सागर बांध से हमको बिजली मिलेगी, राणा प्रताप सागर बांध से हमको बिजली मिलेगी और कई थर्मल स्टेशन्स कायम किये जावेंगे अथवा जो हैं उनकी शक्ति बढ़ाई जावेगी। इन सब के लिए हमें टेक्निशियन्स की आवश्यकता है। एक भी ऐसा स्कूल मेरी जानकारी में तो नहीं है कि जहां लोअर ग्रेड के इलेक्ट्रिकल मिस्त्री की हद तक ट्रेनिंग दी जाती हो। अगर कहीं ट्रेनिंग दी जाती है तो पावर हाउसेज में। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि पावर हाउसेज के साथ साथ खास तौर पर बड़े बड़े पॉवर हाउसेज़ के साथ छोटे स्कूल स्थापित किये जायं जहां इलेक्ट्रिकल मिस्त्री की ट्रेनिंग दी जा सके। हमें इस प्रकार के मिस्त्री खास तौर पर उपलब्ध करने होंगे। यहां नहीं हैं। ओवरसियर के लिए ट्रेनिंग कालेज चालू कर दिया, इससे ओवर सियरों के मिल सकने की सम्भावना हुई है। वरना पहले यह था कि

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

कोई भी काम शुरू करते लेकिन ओवरसियर उपलब्ध नहीं होने से पूरा नहीं हो सकता था चाहे सरकार कितनी ही कोशिश क्यों नहीं करती।

तो इस बिजली के एक्सपेन्शन का लाभ उठाने के लिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि ऐसे मिस्त्रियों की ट्रेनिंग के लिए कुछ स्कूल खोले जांय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार का पूरा ध्यान एग्रीकलचर पर है, इसी तरह से वेटरनरी पर भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रिसर्च पर गत वर्षों में पूरा ध्यान नहीं दिया गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगामी पंच वर्षीय योजना में इस पर पूरा ध्यान दिया जायगा। लेकिन मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि एग्रीकलचर रिसर्च के जरिये हम अपने उत्पादन को और देश को सुख-समृद्धिशाली बना सकते हैं।

एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के बारे में मुझे एक बात अजीब सी मालूम हुई और वह यह कि इसमें वेटरनरी डिपार्टमेंट भी है जिसमें पशु पालन भी होता है लेकिन मैं इस डिपार्टमेन्ट को अफसरों का पालन-पोषण करने वाला डिपार्टमेन्ट मानता हूं। मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार पशुओं का पालन करने वाला डिपार्टमेन्ट कहूं या अफसर-पोषक डिपार्टमेन्ट। एक विशेष बात है इस डिपार्टमेंट में, जो यह कि इसमें एनिमल हसबेन्ड्री ऑफिसर, लाइवस्टोक आफिसर, डेयरी डेवलपमेन्ट ऑफिसर ऐसे न मालूम कितने ऑफिसर इस डिपार्टमेन्ट हैं, दो चार नाम मुझे याद थे वे मैंने आपको बताये............

एक माननीय सदस्य—यह तो एक पिंजरापोल है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—(जारी रखते हुए) असल में तो यह पशुओं का पिंजरापोल है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि यह अफसरों का पिंजरापोल हो।

मेरा यह मानना है कि इस प्रकार राज्य के रुपये से अफसरों का पालन उचित नहीं है।

इसके अलावा मैं एक बात और खास तौर से कहना चाहता हूँ, वह यह कि माइनिंग की तरफ हमारा ध्यान कम रहा है। आज हमारे राजस्थान में माइनिंग की शिक्षा के लिए कोई संस्था नहीं है। उससे यह खास तौर से प्रतीत होता है कि जहां इतना कच्चा माल प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो वहां माइनिंग कालेज का होना नितान्त आवश्यक है। मैं आशा करता हूं, केवल आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार का ध्यान इस बात पर है और बहुत शीघ्र ही माइनिंग का कॉलेज यहां स्थापित किया जायगा। इसके साथ साथ माइनिंग की तरक्की देने के लिए सरकार को अपने यहां कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिये। इसके उत्पादन के साथ साथ हमारा आर्थिक स्तर उठेगा और आर्थिक लाभ भी हो सकेगा।

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

इन दिनों हमारे सामने एक और नयी बात आयी । कुछ दिनों पहले सरकार ने घोषणा की थी कि वे सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्तर को बढ़ा रहे हैं। वही बात परसों हमें राजप्रमुख के भाषण में सुनने को मिली। वेतन स्तर को देखते हुए मुझे इस पर केवल इतना ही कहना है कि आम जनता को वेतन स्तर के बढ़ा देने से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, इससे जनता पर कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी। वेतन स्तर को देखने से यह पता चलता है कि केवल सेक्रेटरीज और हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट्स के वेतनों में विशेष वृद्धि की गई है और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को इस वेतन स्तर से कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी ओर कम ध्यान दिया गया। यह आवश्यक था कि निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती और उनको लाभ दिया जाता। यद्यपि आप यह आवश्यक समझते हों कि बड़े बड़े अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि हो, उनके अलाउन्सेज में वृद्धि हो, यह यद्यपि उचित है किन्तु उनको थोड़े अर्से के लिये रोक दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

मैं सरकार को अन्त में एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि इन गत पांच वर्षों में विशेषकर हमारे प्रदेश में पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ की उन्नति सन्तोष जनक नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम इसके लिए आभार प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां जहां एक्सटेन्शन हुआ उसके लिए। मुझे खेद है कि इसके मुकाबले रेलवे के एक्सपेन्शन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वैसे ही हमारे प्रदेश में पहले से ही रेलवेज की बहुत कमी है साथ ही सेकेन्ड फाइव-ईयर-प्लान में भी जो कुछ हमारे प्रदेश में इसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है वह भी बहुत कम है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे भारत सरकार तक इस सदन की आवाज पहुंचाये कि हमको रेलों की आवश्यकता है। रेलों का विस्तार किया जाना राजस्थान में बहुत आवश्यक है और सरकार को भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये कि इस ओर ध्यान दे। इन सब बातों को देखते हुए, जिनका कि जिक्र मैंने सूक्ष्म रूप से अपने भाषण में किया मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगा, निगेटिव साइड को सोचते हुए भी मैं यह कह सकता हूँ कि जो कुछ कार्य सरकार ने इस अरसे में सम्पादन किये उनकी सराहना न की जानी चाहिये। लेकिन इसके विपरीत जो जो कार्य किये गये हैं उनसे एक मात्र यह बात स्पष्ट होती है कि जितनी दक्षता के साथ और जितनी कार्यकुशलता के साथ इन वर्षों में काम किया गया उसके लिये हम सरकार की सराहना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के लिए, जोकि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया हैं, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मत्ति से पास किया जायगा।

श्री भैरूसिंह खेजड़ला (वि० सं० ११)—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने

[श्री भैरूंसिंह खेजड़ला]

जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मेरे माननीय मित्र ने अपने भाषण में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में जो जो बातें कही थीं उनका समर्थन करते हुए यह बताया कि गत वर्ष में राजस्थान सरकार ने क्या क्या काम किये और आयन्दा सालों के लिये क्या क्या पोग्राम हैं, इसका विवरण उन्होंने बताया । इस सत्र पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि गत वर्ष में सरकार का काम काफी सराहनीय रहा और आयन्दा भविष्य का जो प्रोग्राम है वह भी उन्होंने आपके समक्ष रखा ।उस पोग्राम में मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ ।

जो धन-राशि दूसरी पंच–वर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन द्वारा राजस्थान को मिली है वह काफी है और इससे सदन को सन्तोष भी होना चाहिये । अब सदन के सामने और अपने सामने यह सवाल रहता है कि इस धन का किस तरह से उपयोग किया जावे और इसमें जनता का सहयोग अधिक से अधिक कैसे लिया जावे ?

दूसरी बात श्रीमन् राजप्रमुख महोदय ने एस. आर. सी. के लिए फरमाई । उसके लिए इस सदन के पहले सत्र में एक प्रस्ताव आबू के लिए पास किया गया था और मुझे प्रसन्नता के साथ यह कहना है कि वह प्रस्ताव जो इस सदन में पास हुआ था उसे एस. आर. सी. ने मन्जूर कर लिया है । यही नहीं बल्कि और कुछ दूसरे हिस्से भी अपने साथ मिलने वाले हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता जो मेरे दूसरे मित्रों ने कह दिये हैं, पर उनमें एक-दो मुद्दे जो रह गये हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि कहीं-कहीं वर्षा के अभाव से और कहीं-कहीं अतिवृष्टि से जो एक तकलीफदेह स्थिति पैदा हो गई है और जिससे जो लोग तकलीफ पा रहे हैं उसके लिए इस बजट में एक अच्छी धन-राशि काफी तादाद में रखनी चाहिए ताकि उनको राहत मिले ।

दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता था वह यह है कि जो ये स्केल्स अभी एक अप्रेल, ५६ से लागू होने वाले हैं उसके लिए लोगों में काफी असन्तोष है और वह इस वजह से है कि जो क्लर्क और क्लास फोर एम्प्लोयीज़ हैं उनको जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला । बड़े अफसरों की तनख्वाह कुछ दिन ठहर सकती थी, पर मिडिल क्लास और फोर्थ क्लास एम्प्लोयीज़ जो हैं उनकी हालत इस समय ऐसी खतरनाक है इस महगाई के जमाने में कि उनको राहत बहुत पहले से मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, इसलिये मेरा सुझाव है कि इस बजट में यह भी प्रोवीजन होना चाहिए कि वह राहत उनको इस सदन के समाप्त होने से पहले-पहले मिल जाय ।

हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए जो श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया उसके साथ-साथ मैं यह शब्द और जोड़ देना चाहता हूँ कि राजस्थानी के लिए उन्होंने अपने भाषण में कुछ नहीं

[श्री भैरूंसिंह खेजड़ला]

फरमाया। पहली पंचवर्षीय योजना काल में भी जितनी धन-राशि इसके लिए खर्च होनी चाहिए थी उतनी नहीं की गई और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी कोई अधिक धन-राशि नहीं दी गई है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

एक बात जो मेरे मित्रों ने नहीं कही, मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह बात है भूस्वामी आन्दोलन के बाबत। राजस्थान में जागीर रिजम्पशन एक्ट समझौते के साथ पास किया गया। कानून की दुनिया में यह पहला उदाहरण था कि कोई कानून समझौते के द्वारा लागू किया गया हो। यह बड़ी अच्छी बात थी। कानून के पास होने के बाद कुछ लोगों ने आन्दोलन किया और वह आन्दोलन गत जून में समाप्त हुआ। इस आन्दोलन की समाप्ति पर लोगों में बड़ा भ्रम फैल रहा है। सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि माननीय सदन के नेता ने या गृहमन्त्री ने ऐसा कोई आश्वासन या समझौता नहीं किया है। इस पर भी कुछ हल्कों की तरफ से यह भ्रमपूर्वक प्रचार किया जा रहा है कि यह समझौता हुआ है सरकार से और उसको सरकार नहीं मान रही है, यह कह कर यह दूसरा आन्दोलन शुरू किया गया। जहां तक इस प्रश्न का पोलिटिकल आस्पेक्ट है मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ। अपने को तो इसके आर्थिक पहलू पर विचार करना है और इन भूस्वामियों को रिहैबिलिटेशन एक्ट के तहत जितनी राहत मिलनी चाहिए वह जल्दी से जल्दी उनको पहुँचाने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। मेरी यह राय है और इस राय के साथ मेरा सरकार को यह सुझाव है कि इसके लिए एक अलग से प्रस्ताव यहां लाया जावे। उनको राहत मिलनी चाहिए और वह जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। यह छोटे भूस्वामियों के लिए आर्मी रिट्रेन्चमेन्ट की वजह से और इस जागीर रिजम्पशन एक्ट के पास होने की वजह से इसको एक नेशनल प्रोब्लम समझ कर हल करना चाहिये और इधर इस मामले को सही रूप में उन लोगों को भी सरकार के सामने रखना चाहिये।

रेलवे इत्यादि जो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हैं तो सेन्ट्रल सब्जेक्ट होते हुए भी चूंकि यह हमारे प्रान्त के लोगों के हितों से भी सम्बन्धित हैं तो इस पर हमारे इस सदन की राय भी जाननी चाहिये क्योंकि राजस्थान हिन्दुस्तान में दूसरी नम्बर की सबसे बड़ी स्टेट है एरिया के हिसाब से। ऐसी स्थिति में हमारे यहां यातायात की सुविधा होना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि रेलवे के बजट में कुछ प्रोवीजन और ज्यादा इन्क्लूड करने के लिए इस सदन की मार्फत भी एक प्रस्ताव सुझाव के रूप में हमें सेन्टर को भेजना चाहिये। यह बड़ा आवश्यक है हमारे यातायात की कठिनाइयों और यातायात के पिछड़ेपन को देखते हुए।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का जो मेरे मित्र ने राजप्रमुख को उनके भाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए रक्खा है, समर्थन करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, अभी दो दिन पहले हमने श्रीमन् राज-

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

प्रमुख का अभिभाषण बड़े ध्यान से सुना और अपने-अपने स्थानों पर जाकर जो छपी हुई वितरित स्पीच की कापियाँ हमने पढ़ी तो कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जो भाषण दिया गया था वह कुछ और था और जो कापियां वितरित की गई थीं वे कुछ और थीं।

(हंसी एवं करतल ध्वनि)

अब मेरी यह समझ में नहीं आता कि मैं सरकार की नीति की आलोचना उस अभिभाषण के आधार पर करूं जो कि यहां दिया गया था या कि उस अभिभाषण के आधार पर कि जो कापियों में ही छपकर रह गया।

श्री अध्यक्ष—आंकड़ों में तो फर्क नहीं था।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पर मैं यह मानकर चलता हूँ कि कापियां अधिकृत हैं और इसी के आधार पर मुझे कुछ कहना चाहिये।

एक माननीय सदस्य—अधिकृत नहीं है राजप्रमुख का भाषण।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मालूम तो ऐसा ही होता है क्योंकि दोनों में एकता नहीं है। तो हमने धन्यवाद के प्रस्ताव कर्ता तथा समर्थक से प्रशंसा सुनी। अगर प्रशंसा की जावे तो और भी बातों में प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहूँगा कि जो काम करने की सरकार ने नीति अपनाई है वह नीति कहां तक दुरुस्त रही है और कहां तक राजस्थान के सभी नागरिकों के समान हित में रही है। इस अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्यवाहियां सरकार ने की या जो कारगुजारियां इस सरकार ने दिखाईं या और भी जो कारनामे किये उसकी अगर एक लिस्ट या फहरिश्त बनाई जावे तो सैंकड़ों की संख्या में पहुँच जावे और अगर फिर हर विषय पर कहा जावे तो यह उचित भी नहीं होगा, क्योंकि समय कम है और सदन के सभी सदस्यों को कहने का मौका मिलना चाहिये, कुछ बातें कहने का।

मैं अपने भाषण को सिर्फ तीन मुद्दों पर ही ज्यादा रखूंगा, हालांकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर मेरा मतभेद है और जिस प्रकार की नीति अपनाई गई वे बातें बजट के वक्त या दूसरा मौका मिलेगा वहां उन पर मैं अपने भावों को प्रकट करूंगा।

इन तीन मुद्दों में सर्वप्रथम श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के उस पैरे की आलोचना करना चाहूँगा, सरकार की नीति की कि जहां पर उन्होंने राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनःग्रहण आदि के नाम के अन्तर्गत जो-जो नीतियां अपनाई हैं। श्रीमन् राजप्रमुख ने यह फरमाया है कि यह भूमि-सुधार एक समझौते के साथ हुआ। यह बात कुछ हद तक ठीक है। जो ५ हजार के ऊपर

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

की जागीरें हैं, वहां तक राजस्थान सरकार के साथ और जागीरदारों के प्रतिनिधि या अपने आप मुकर्रर किये हुए प्रतिनिधियों के बीच कुछ बड़े अर्से तक बातचीत चली और बातचीत चलने के बाद में हम लोगों ने यही समझा कि कम से कम आर्थिक खयाल से तो यह ठीक ही होगा कि यह समझौता किया जाय। राजनैतिक विचार से मैं यह मानकर चलता हूं कि आज के युग में कोई जागीर या कोई जमींदार या जागीरदार रहे, यह नामुमकिन सी बात है। ऐसी हालत में जिन जिन व्यक्तियों पर जागीर पुनःग्रहण का असर पड़ेगा, अच्छा हो कि थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता अगर उनको मिले तो कुछ दिनों तक गुजर हो सकेगा। लेकिन पांच हजार के अन्दर के जो जागीरदार हैं उनके लिए यह कहा जाना कि वह भी समझौते से हुआ है तो उसमें थोड़ा भ्रम है। वह भ्रम मैं आज दूर करता हूँ। वह यह है कि, हां कुछ हद तक अगर टेक्निकली देखा जाय तो यह बात ठीक है कि समझौते से ऐसा हुआ, लेकिन समझौता किस हालत में हुआ? मैं संस्कृत या शास्त्र का ज्ञाता या पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा खास तौर से क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष संस्कृत के पंडित हैं कि हमारे आदि शंकराचार्य का अवतार किन कारणों से हुआ और कुछ कार्य करने के लिए उन्हें सन्यास लेने की आवश्यकता हुई। लेकिन अपनी माता के इकलौते बेटे होने के कारण और वह भी बुढ़ापे में उत्पन्न होने की वजह से उनका रजामन्द होना नामुमकिन सी बात थी, तो उन्होंने एक घटना यह रची कि जब वे किसी नदी को पार कर रहे थे तो एक मगरमच्छ उनकी टांग पकड़ कर नदी में घसीट कर ले गया तो उनकी माता रोने लगी। उन्होंने कहा कि माता मुझे इस बात का आश्वासन मिल जाय, सन्यासी होने की आज्ञा देती है तो मेरी जान बच सकती है। तो यह सोचना चाहिए कि इस समय आदि शंकराचार्य की माता के सामने किस प्रकार की समस्या थी? एक तरफ तो उसके बेटे के मरने का डर, यानी अगर वह सन्यास लेने की आज्ञा नहीं देती है तो मगरमच्छ उसको निगल जायगा, दूसरी उसके सामने यह समस्या थी कि उसका प्यारा बेटा बच जाय, लेकिन अगर आज्ञा दे दी तो वह सन्यासी हो जायगा, लेकिन उसने आज्ञा दे दी और उसके प्राण बच गये। इसी तरह से एक डूबते हुए आदमी के सामने यह प्रश्न रखा जाय कि हम डूबते हुए को नहीं बचायेंगे यदि यह काम तुम नहीं करोगे। उसी प्रकार पांच हजार से कम की जागीरों को पुनःग्रहीत करने के लिए जो फरमाया है कि वह उनकी रजामन्दी से, उनकी राय से हुआ था तो मैं कहूंगा कि उनकी हालत शंकराचार्य की माता जैसी और डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए शर्तें रखने जैसी थी। यदि रजामन्दी नहीं दी जाती तो सरकार तुली हुई थी कि वह कानून उपस्थित करेगी। मैं इस सम्बन्ध में एक मिनिट में यह बतलाना चाहता हूं कि पुनःग्रहण की जो बात शुरू में १९५२ से होने लगी थी, वह बात हम लोगों के सामने थी। उस वक्त माननीय श्री टीकारामजी पालीवाल रेवेन्यु मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस विषय को लिया, और एक कॉन्फ्रेन्स बुलाई गई, जिसमें दो जागीरदारों के रिप्रेजेंटेटिव थे, दो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, दो सैन्ट्रल गवर्नमेंट की स्टेट मिनिस्ट्री के रिप्रेजेन्टेटिव थे और राजस्थान सरकार के रिप्रेजेन्टेटिव थे। सबने मिलकर बातचीत की तो उस कॉन्फ्रेन्स में, सैक्रेटेरियेट में जो कान्फ्रेन्स हुई उसमें हम लोगों ने रजामन्दी से इन्कारी दे दी। हम रजामन्द नहीं हुए तो नतीजा यह हुआ कि सरकार ने

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

अपनी ओर से कानून पास कर दिया । वह कानून इतना सख्त था कि जागीरदारों पर अन्याय हो रहा था । यह उदाहरण हमारे सामने था जब कि ५ हजार के भोमियों और भोक्ताओं का सवाल आया । हम जानते थे कि अगर रजामन्दी नहीं दी जायगी तो हाल क्या होगा जैसा कि बड़े जागीरदारों के साथ हुआ था । यह रजामन्दी नहीं कही जा सकती है । इसे अंग्रेजी में "Under the duress" कहते हैं । मजबूत आदमी कमजोर आदमी को दबा ले और जो शर्तें चाहे लगा लेता है । पुलिस में देखते हैं कि पुलिस निरपराध आदमियों से एडमिशन करा लेती है, फिफ्थ डिग्री के मेथड से । तो यह कहना कि रजामन्दी से ५ हजार तक की जागीरों का कार्य हुआ है, ठीक नहीं है । रजामन्दी का कोई कार्य नहीं हो सका है । मैं अर्ज करूंगा कि टेक्निकल्ली यह कहा जा सकता है लेकिन सही मायने में यह रजामन्दी किसी तरह से नहीं मानी जा सकती है ।

हमें मालूम नहीं है कि किन २ जागीरों का पुनर्ग्रहण हुआ है । लेकिन इसमें दिया है कि ४८५५ जागीरों का पुनर्ग्रहण हुआ है । मैं मेरे मित्र माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी सहानुभूति हम लोगों के साथ अवश्य है, यह मैं जानता हूं और जो कुछ वे कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और उसमें हजारों और सैंकड़ों ऑफिसर्स इस कार्य में हैं । उनके जरिये यह कार्य होता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि कहा तो इस वक्त यह आता है कि उनको इन्टेरिम कम्पेन्शेसन बड़ी खुशी से दिया जा रहा है, मैं यह भी कहूंगा कि नीति सरकार की इस विषय में दूसरी ही है । मैं एक उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण में यह कहना चाहूंगा कि उनकी सहानुभूति होते हुए भी कुछ ऑफिसरों की दया से और कुछ इस वर्ग के प्रति प्रेजुडिसेज़ का बायस ऐसा पैदा कर दिया गया है कि जहां सरकार की आज्ञा होते हुए भी नीचे के अफसर बीसियों अड़चनें वहां डालते हैं । बड़े बड़े जागीरदार या जिनका इन्फ्लुएन्स है थोड़ा बहुत, या जो कराने का माद्दा रखते हैं उनको कुछ राहत जरूर मिली है । लेकिन छोटे भोक्ताओं को जो तीन हजार से ज्यादा जेलों में सिद्धान्तों पर जाने को तैयार हो रहे हैं, त्याग करने को तैयार हुए हैं वे क्यों हुए हैं और किसलिए आपके सामने यह करना पड़ा, इसलिए कि उनको बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है । मैं एक केस आपको बतलाता हूँ कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में बरजागसर एक गांव है । वहां का जागीरदार एक २० वर्ष का युवक है । वह स्कूल का स्टुडेन्ट है । वह कुछ नहीं जानता है कि क्या करना है, कैसे फोर्म भरना है और क्या करना है । यदि तहसील में जाय या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में जाय तो कुछ सुनवाई नहीं । वह मेरा एक रिश्तेदार होता था । व्यक्तिगत रूप में मैं किसी काम से किसी के पास जाने का आदि नहीं हूं । यदि किसी संस्था का काम हो या सार्वजनिक काम हो तो एक दफा कह देता हूँ, मरजी उनकी कि मानें या न मानें । लेकिन इस बीच में उसकी हालत बड़ी शोचनीय थी । जब मैट्रिक में पढ़ रहा था उसके पास एक पैसा नहीं था जिससे कि वह पढ़ाई जारी रख सके । मैंने बड़े दुःख के साथ, सैन्ट्रल एडवाइज़री कमेटी जो जागीरदारों की थी उसके सामने और जागीर कमिश्नर साहब के सामने उसकी यह शोचनीय स्थिति रखी और उससे फॉर्म भरवाकर भिजवाया और उसको रुपये लेने की परमिशन

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

मिली। जागीर कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी कि उसको भेज दीजिये, उसको पैसे मिल जायेंगे। लेकिन उसके पास किराये के लिये पैसे नहीं थे- व खाने के लिये पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने उसकी सहायता करके उसको चूरू भेजा और एक वकील साहब को भी उसके साथ भेजा। वहां पहुँचने पर कलेक्टर साहब के दफ्तर से उससे यह पूछा गया कि नेशनल सेविंग्स सार्टिफिकेट कितने रुपयों के खरीदोगे। ऐसा एक ही केस में नहीं हुआ बल्कि कई केसेज़ में यही होता है। जिस शख्सके पास खाने के लिये पैसे नहीं हों, जिसके पास बीकानेर से चूरू जाने के लिये रेल किराये के पैसे नहीं हों उस आदमी से कलेक्टर के दफ्तर वाले पूछते हैं कि कितने रुपयों के सर्टिफिकेट खरीदोगे। क्या इसी के कारण सरकार समझती है कि हमारी नीति सफल है? जब उसने कहा कि सर्टिफिकेट के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वहां पर काम करने वालों ने उससे कहा कि यहां जो काम करते हैं उनको चाय-पानी के लिए कितने रुपये दोगे (शेम शेम)। यह देखिये आपकी नीति कितनी सफल हो रही है। इस सम्बन्ध में उसके साथ जाने वाले वकील की जो चिट्ठी मेरे पास आई वह जागीर कमिश्नर साहब को बताई, तब उन्होंने डांट कर कलेक्टर चूरू को लिखा। वह लड़का एक हफ्ता तक चूरू में तपस्या करके वापिस आ गया। मैं इस बारे में बीकानेर के कमिश्नर श्री कुंजरू साहब से भी मिला। दूसरी बार कमिश्नर साहब के कहने पर मैंने फिर उसे चूरू भेजा। इधर से कमिश्नर साहब ने कलेक्टर को लिखा और उधर से जागीर कमिश्नर साहब की तरफ से जोर पड़ा तब उन्होंने कहा कि इसने हमारी शिकायत की है। खैर किसी तरह से अन्त में तीन महीनों के बाद उसको रुपये मिले। अब रोजाना वह बच्चा कहता है कि मैं भूस्वामी आन्दोलन में भाग लूंगा क्योंकि वहां से जेल में जाऊंगा तो रोटियाँ तो मिलेंगी, भूखों तो नहीं मरना पड़ेगा। ऐसा एक ही केस नहीं है बल्कि सैंकड़ों केसेज़ ऐसे हैं। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी अपने अफसरों के कान ही नहीं मरोड़े बल्कि पूंछ भी मरोड़ें।

श्री भवानी सहाय—यदि उनके पूंछ नहीं हो तो?

डॉ. श्री मंगलसिंह—तो सींग मरोड़ें।

श्री जसवन्तसिंह (जारी)—यदि ऐसी आर्थिक स्थिति में फंसा हुआ कोई आदमी कुछ कार्य करे तो उसको दोष नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि ५० परसेन्ट भूस्वामियों का आन्दोलन इसी कारण से है। चाहे जो नेता उस तरफ बैठे हैं वे इसे स्वार्थ कह सकते हैं लेकिन यदि उनकी पीठ पर लाठी पड़े और उनको भी खाने को नहीं मिले तो वे भी बागी हो जायेंगे। यह उन लोगों के पेट की जबर्दस्त समस्या है। कहा गया है कि बकाया धूम-धड़ाके के साथ वसूल की जा रही है। मैं चेलैंज स्वीकार करने को तैयार हूं। बीकानेर तहसील में इस तरह के मामले हो रहे हैं कि तीन वर्ष से पहले के हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट भी उनको नहीं मानेंगे। ३ साल के पहले की जो बकाया है वह वसूल की जा रही है। आज भी इस सदन में छोटे-मोटे लगभग ३०-४० जागीरदार हैं, उनमें से एक भी हाथ उठाकर यह बतावे कि क्या उनको बकाया का एक भी पैसा मिला है।

श्री मानसिंह महार—मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला है।

श्री जसवन्तसिंह—लेकिन जिसको मिला है वे तो खड़े हों।

जहां तक जागीर पुनर्ग्रहण का सवाल है वहां तक सरकार की नीति फेल हो गई है। किसी को भी राहत नहीं पहुँच पाई है।

दूसरा इससे मिलता जुलता सवाल है जो भाषण से सबंध रखता है। श्रीमन् राजप्रमुख ने एक चलती बोली में, जैसे कि कुछ मामला हो ही नहीं रहा हो थोड़े से शब्दों में यह कह दिया कि राजस्थान में जागीर पुनर्ग्रहण का कार्य एक समझौते के आधार पर शुरू किया गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इस बारे में अशान्ति और प्रेम फैलाने का प्रयत्न किया है जिससे कोई लाभ नहीं होता; लेकिन इस पर कुछ अधिक रोशनी डालना जरूरी है, यह बात क्यों हो रही

(श्री हिम्मतसिंह अटरू,सभापति, पदासीन)

और सरकार की नीति की कटु आलोचना क्यों हो रही है? इतने दिनों तक इस समस्या को चलने देना और उसको हल करने की कोशिश न करना, यह अच्छी सरकार की अच्छी पोलिसी नहीं कही जा सकती। मैं खुद एक छोटा-मोटा एडमिनिस्ट्रेटर रहने की हैसियत से समझता हूं कि शासन करना आसान नहीं है, उनको ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। बड़ी से बड़ी मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन एक तरह से कंप्लेसेन्ट होना, कुछ फिक्र नहीं करना यह जो नीति बरती जा रही है उसकी मैं बिल्कुल सराहना नहीं करता। आज तीन माह से भूस्वामी आन्दोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से उसकी प्रेस्टिज और इज्जत के ख्याल से हमारी इतनी बड़ी सरकार है, कांग्रेस की सरकार का केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी नाम है; इसलिये इन छोटे मोटे भूस्वामियों के आन्दोलन को तो जब चाहेंगे तब कुचल देंगे, उनसे समझौता क्यों किया जाय? यदि यही सरकार का ख्याल है तो बात दूसरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार की कोई अच्छी नीति नहीं है यह मैं पुर जोर शब्दों में कहना चाहता हूं।

मिस्टर चेयरमेन, सर, जहाँ तक भूस्वामियों की माँगों का सवाल है मैं कई दफा हैरान होता हूं कि आखिर वे चाहते क्या हैं? हम भी राजपूत हैं, छोटे मोटे भूस्वामी हैं लेकिन यदि वे यह चाहते हैं कि हमारी जागीर रखी जाय क्योंकि यह हमारा बर्थ राइट है, फंडामेन्टल राइट है तो हमारा मतभेद उनके साथ हो सकता है क्योंकि जमाना इतनी तेजी के साथ बदल रहा है कि जिनके पास जमीन है उनके पास जमीन नहीं रहेगी और पैसे वालों के पास पैसा नहीं रहेगा। मुमकिन है २०-३० वर्ष में रिवोल्युशन हो जाय और मकान वालों के मकान भी छिन जायं और उनके पास कोई अच्छी चीज हो तो वह भी छिन जाय, किसी के पास ५० बीघा जमीन है तो वह भी छिन जाय और किसी की पर्सनल जायदाद पर दूसरे हक कर लेंगे यह मैं कतई मानने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन अभी धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए ठाकुर साहब खेजड़ला ने कहा था कि आप आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिये। भूस्वामियों के पक्ष में सबसे मजबूत पोइन्ट यह है कि उनकी खुद की मिल्कियत ५, २५ या ३० बीघा जमीन जिनको बोकर या दूसरों के जरिये जुतवाकर अपना गुजर चलाते हैं उनसे

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

कैसे छीनी जा सकती है जबकि हजारों रुपये लगाकर जिन्होंने मकान या जायदाद बना ली है उनका कुछ नहीं होता। जो लोग पुलिस या मिलिटरी में नौकरी करते थे उन्होंने अपनी जमीन बोने के लिए दूसरों को दी और बदले में लगान लेने लगे। उनको सरकार ने कानून बनाकर अपनी जमीन से अलग कर दिया और कहा कि तुम भाखरा और चम्बल में जाकर जमीन लो और तुम्हारी जमीन उन्हीं लोगों के पास रहने दो। यह सरासर उनके साथ अन्याय नहीं तो क्या है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं उनसे यह कहूंगा कि यदि बाहर से आने वाले आदमी १० दिन तक उनके मकान में रहकर यह कह दें कि मैं आपके मकान को खाली नहीं करूंगा, आप कहीं और जगह जाकर रहिये, तो उनकी क्या स्थिति होगी। ऐसी परिस्थिति में उनकी जो स्थिति होगी वह स्थिति आज भूस्वामियों की हो रही है। वे कहते हैं कि जब हम पुलिस या फौज में नौकरी करते थे तब मित्र समझ कर भले मनुष्य के लिहाज़ से एक आदमी को बोने के लिये जमीन दी थी, उनसे हम अब अपनी जमीन को वापिस क्यों नहीं ले सकते ? मैं यह कहूंगा कि यह सरासर अन्याय है। यह अन्याय ही नहीं है बल्कि इन भूस्वामियों के हकूकों के बारे में सरकार ने जो नीति अपनाई है वह इस प्रकार की है जैसी कि प्री वार के समय में हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के प्रति अपनाई थी।

हिटलर और कांग्रेस सरकार की पालिसी में भूस्वामियों और छोटे राजपूतों के प्रति जो पोलिसी है उसमें कोई अन्तर नहीं है। अंतर है तो इतना ही है कि हिटलर अपने विरोधियों को खुले आम कत्ल करके भगा देता था, यहां पर आर्थिक Squeezing जैसा अंग्रेजी में कहते है उससे काबू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार से दबाव डाले जावें और उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की करदी जावे कि वे अपने आप अपने बपोती की भूमि छोड कर भाग जावें। यह नौबत मोजूदा छोटे राजपूतों की आ गई है। पुलिस के विभाग में जो राजपूत थे, उनको एक एक कर के निकाल दिया गया, किसी को रिटायर करके, तो किसी को डिसक्वालीफाइड करके तो किसी को यह कह कर कि तुम बुडढे हो गये हो और किसी को यह कहा गया कि तुमको आंखों से दीखता नहीं हालां कि उनको आंखों से दीखता है, फिर भी डाक्टर ने सर्टीफाइ कर दिया कि आखों से दीखता नहीं और उधर मिलेट्री में उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हुई। इतने अच्छे ऑफिसर जिनके पास अंग्रेजों के समय के सर्टीफिकेट, कि ये बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। मगर उनको भी निकाल दिया जाता है। उनका कुसूर यह है कि उन के पास अंग्रेजों के प्रमाण पत्र हैं। वे निकाल दिये गये। किसी को डिग्रेड कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह कि आर्थिक Squeezing के शब्दों में ऐसी स्थिति पैदा करना कि वे अपने आप तंग आकर अपनी जमीन छोड कर भाग जावें। जब आदमी मरता है तो वह सब कुछ करने के लिये तैयार हो जाता है मरता क्या नहीं करता ? आखिरकार किसी चीज़ की हद हो जाती है और जब हद हो जाती है तो लोग वह काम करने लग जाते हैं जिसे मामूली तौर पर नहीं करना चाहिये। यही बात भूस्वामियों के साथ हुई और जब समझौते के प्रश्न की बात आती है, जैसे भैरूसिंहजी ने कहा इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह पत्र भी हम लोगों के पास है जिसको चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री इनकार कर चुके हैं। मगर देखना इस बात को है कि हम इस वक्त पत्र को बाहर निकालें या नहीं। उसका इस वक्त बाहर निकलना वाजिब है या नहीं। उस पत्र को बाहर निकालने में यह भय है कि उसको कहीं गायब ही नहीं कर दिया जावे

[कुं श्री जसवन्तसिंह]

बल्कि ऐसा न हो कि उसको जला दिया जावे। अगर ऐसा हो जावे तो फिर हमारे पास क्या सबूत रह जाता है। आप लोग यह चाहते हैं कि वह पत्र आप के हाथ में किसी प्रकार आजावे। वह पत्र हमारे पास है हम बतावेंगे और मैं उसे उस समय प्रोड्यूस करूंगा जब देख लेंगे कि अब सेफ्टी का समय है और मैं आशा करता हूं कि ईश्वर ने चाहा तो वह समय भी जल्दी ही आ जावेगा। आप भूस्वामियों के साथ जितनी सख्ती करनी चाहें कीजिये। मैं तो यह कहूँगा कि आप इस प्रकार की ज्यादतियाँ करके राजपूत जाति के साथ भला कर रहे हैं क्यों कि राजपूत जाति ऐसे आराम के जीवन में पड़ गई थी जिसकी वजह से डिमोरेलाइज हो गई थी। आप उसमें इस प्रकार व्यवहार करके चेतना और जीवन संचार कर रहे हैं। इस के लिये हम आपके शुक्रगुजार हैं।

मैं यह कहूंगा कि सरकार अगर यह सोचती है कि हम मार-पीट करके, मोटर के नीचे एक दो आदमियों को मार कर इन छोटे भूस्वामियों के सिर अपने घुटनों में झुका देंगे तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकेगा। मैं इस के लिये आपको चैलेंज देने के लिये तैयार हूँ। जितना जुल्म आप करना चाहें उन पर कर लें। अगर आप के यहां की पुलिस में ताकत नहीं हो तो आप उसके लिये सेन्टर से फौज बुला लें। अब यह जाति जाग्रत हो गई है, आप इस को सरेन्डर नहीं करा सकते। अगर आप प्रेम और प्यार से इसको समझावेंगे तो वे भारतीय हैं, राजस्थानी हैं और उनका इस देश के प्रति प्रेम है, अगर आप एक कदम आगे आवेंगे। तो वे चार कदम आगे आवेंगे।मारवाडी में एक कहावत है; कहावत मुझे याद नहीं है किन्तु उस का अर्थ यह है कि आप लठ की तरह कड़े रहेंगे तो हम पत्थर के समान रहेंगे और अगर आप एक डग भी आगे आवेंगे तो हम चार डग आगे आवेंगे। यह हमारा करेक्टर है। अगर मित्रता से जो गल्ती है उसको समझा देंगे तो वे अपनी गल्ती मान जावेंगे मगर आप उनको कुचलने की पोलिसी से कार्य करेंगे; कि हम उनको कुचल देंगे तो यह उचित नहीं होगा, दो चार या पांच शासन की सख्त पोलिसी से मारे जा सकते हैं। यह तो राजपूत जाती की भलाई की बात हैं।

अब मैं माननीय चेअरमेन, यह कहूंगा कि यह हुआ सो हुआ। इनके साथ जो चाहे व्यव्हार कीजिये लेकिन आज-कल जयपुर शहर में क्या हो रहा है ? यहां कोई आर्म्ड केम्प है क्या ? या ये कन्सलटेशन केम्प जर्मनी में हुआ करते थे वे हैं। लाटी लिये पुलिस के कर्मचारी चारों तरफ शहर में नजर आते हैं। हम समझते हैं कि गर्वनमेंन्ट होस्टल में ऐसे सीधे साधे लोग है जिनकी जान पर हमला करने की कोई आशंका नहीं है, मंत्रियों पर तो हमला करने का खतरा हो सकता है। मैं यह कहूँगा कि उनको बचाने के लिये पूरा बन्दोबस्त होना चाहिए। ये लोग कभी कभी कदम बढ़ा सकते हैं। उनके लिये उनके मकानों के पास मशीनगनें होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि उनको भी कोई खतरा नहीं है और यदि है तो मंत्री लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हम लोग बेचारे सीधे सादे हैं, विधान सभाई हैं उनके पीछे चारों तरफ से मिलिट्री और पुलिस कैंप क्यों लगा रखा है मेरे कमरे के सामने पुलिस के बीसों कांन्सटेबल्स बैठे रहते हैं।

एक माननीय सदस्य—आपके कमरे के सामने........

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरे मित्र ने ठीक कहा है। मेरे कमरे के सामने २०-२४ आदमी

[कुं० श्री जसवन्त सिंह]

लाठी लिये पड़े रहते हैं। उन २०-२४ आदमियों में ऐसा प्रतीत होता है कि उन में कोई जान नहीं है, वे सांस भी नहीं लेते, कान भी नहीं हिलाते और आंख भी नहीं हिलाते। चुपचाप पड़े रहते है। कभी कभी तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि चुप चाप उनकी लाटीयां खींच कर भूस्वामियों को दे दी जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप उनको लाठी सप्लाई करने का काम भी करते हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—यहां तक तो हंसी की बात हुई। अब मैं इस संबन्ध में सरकार की जो नीति है, उसके बारे में साफ कहता हूं कि रिप्रेशन (शख्ती) की जो उनकी नीति है उसके लिये तो सरकार और उसका काम जाने लेकिन दूसरी जो नीति है, वह यह कि पिछले दो रोज से जब से श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण होने वाला था, उस दिन से, स्टेशन पर कोई राजपूत या साफा बांधनेवाला उतरे उसको पुलिस लाइन में भेज दिया जावे। क्या यही भारत के संविधान (कांस्टिट्यूशन) की मंशा है कि कोई एक जाति का आदमी हो उसको पकड़ कर पुलिस लाईन में भेज दिया जावे, क्योंकि वह राजपूत है। क्या आपका यही संविधान आज्ञा देता है कि जो राजपूत हैं उसको पकड कर हवालात में ले जाओ ? क्या हमारी वेलफेअर स्टेट के यही माने हैं ? इस संबन्ध में मैं एक उदाहरण दूंगा।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप उसको वेरीफाई कीजिए और खास तौर पर हमारे होम मिनिस्टर साहब करलें जोधपुर के भूतपूर्व फौज के कर्नल थे। मेरे मित्र व्यासजी जोधपुर में कांग्रेसी सरकार के वे मिनिस्टर भी थे और उनको हमारे राजपूतों ने उस समय बॉयकाट किया था। उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या हुआ, उस मिनिस्टर के विरुद्ध क्या हुआ, यह बताऊँगा। वे व्यास जी के सहयोगी थे....

श्री मानसिंह महार—वे व्यासजी की पार्टी में थे, यह आपको मालूम होना चाहिए।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—वे माननीय मित्र के एक सहयोगी थे। परसों किसी कारण से उनका यहां जयपुर में पदार्पण हुआ। उनके सिर पर साफा बंधा हुआ था। उनके नीचे उतरते ही पुलिस का मुखिया सचेत हो जाता है और पूछता है कि आपका नाम ? उन्होंने बतलाया मेरा नाम बहादुरसिंह है। उनका साफा उसने देखा ही था। वह कहता है कि आपके लिए सरकार की तरफ से गाड़ी आयी है और आप सरकार के मेहमान होंगे। उनके साथ एक दूसरा आदमी भी था और उसके भी साफा बंधा हुआ था। दोनों को ले जाकर लौरी में बैठा दिया गया और लौरी में बिठा कर पुलिस लाइन्स ले जाया गया। पुलिस लाइन्स में ले जाने पर कहा कि आप हमारे मेहमान हुए। चूंकि आपका नाम बहादुरसिंह हैं, आप राजपूत हैं और कहीं भू-स्वामी संघ से आपका ताल्लुक हो इसलिए आप सरकार के मेहमान है। उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस के साथ हमदर्दी है, मैं कांग्रेसी हूँ। उन्होंने कहा कि आपका नाम तो बहादुरसिंह है।

(हंसी)

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

दिन भर उनको वहां रोका गया। रात पड़ी। उनके पास बिस्तर नहीं था। फौज में कर्नल रह चुके थे, एक उच्च उनका स्टेन्डर्ड था। रात में जूओं से भरी एक कम्बल दे दी गई। इस पर उन्होंने कहा कि मैं सर्दी में मर सकता हूँ, लेकिन इस कम्बल की मुझे आवश्यकता नहीं। आखिर आपने मुझे रोक क्यों रखा है। उन्होंने फिर कहा कि मेरी यहां काफी जान पहिचान है। मेरे व्यासजी मित्र हैं, नाथूरामजी मिर्धा को जानता हूँ, मथुरादास जी माथुर को जानता हूँ। उन्होंने उनको कहा कि हम किसी को नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं कि आपका नाम बहादुरसिंह हैं और भू-स्वामियों से सम्बन्ध है। अब आप देखिये कि वेलफेयरस्टेट के ये माने हैं और सरकार यह कहती है कि हमारी नीति बहुत अच्छी है। हमारे उधर बैठे हुए सदस्य सरकार की इस प्रकार की नीति की सराहना करेंगे और राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद देंगे लेकिन हम तो इन बातों को देखते हुए इस नीति की सराहना नहीं कर सकते और न ही धन्यवाद दे सकते हैं।

आगे क्या हुआ देखिये। थोड़ी देर में जो दूसरा आदमी था, उसके नाम को लिस्ट में दर्ज करने लगे। बहादुरसिंहजी का नाम दर्ज हो गया। दूसरा आदमी जो था, उसका नाम गोविन्दराम था और वह जाति का था अहीर। जब उन्होंने नाम सुना तो वे चकराये कि भूल से इसको ले आये। उसने कहा कि मैं तो कर्नल साहब के साथ हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नाम तो 'राम' है और इसीलिए जबरदस्ती उस बेचारे को निकाला। उसने फिर कहा कि मैं तो कर्नल साहब के साथ ही आया हूँ और इनके साथ ही रहना चाहता हूँ। उन्होंने फिर कहा चूँकि तुम्हारा नाम "गोविन्दराम" है इसलिये नहीं रह सकते। दिन भर और रात भर बहादुरसिंह जी को, व्यास जी के मित्र होते हुए भी जेल भुगतनी पड़ी। एक कांग्रेसी होते हुए, कांग्रेस से सहयोग रखने वाले होते हुए भी उनको बिना किसी कारण से जेल भुगतनी पड़ी और केवल एक सिंह नाम रखने से ही उनको सजा हुई।

तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मन्त्री जी से और गृह मन्त्री जी से कि अगर आप इसको कुछ भी महत्व नहीं देते हैं और अगर आप यह कह सकते हैं कि ऐसी बातें तो हुआ ही करती हैं और आन्दोलन चला ही करते हैं और ज्यादतियां हुआ ही करती हैं तो ऐसा होगा कि यह आन्दोलन और जोर पकड़ेगा और जो इस आन्दोलन के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं उनको जबरन रखना पड़ेगा और उसके लिए गवर्नमेंट उनको फोर्स करेगी। सरकार की रिप्रेशन की नीति और इस प्रकार से जो निरपराध व्यक्ति हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार की वजह से चूँकि यह अमुक जाति के हैं और जातीयता के लिहाज से जो स्क्वीजिंग किया जाता है और जो बर्ताव किया जाता है तो मैं वह दिन दूर नहीं देख रहा हूं कि कुछ स्वप्न लेकर जो हमारे साथी कांग्रेस में गये थे, वे इस प्रकार से स्क्वीजिंग किया जाना पसन्द नहीं करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, उन साथियों को कि वे अब भी सम्भल जांय तो खुले हाथों से हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वे नहीं सम्भले तो फोर्सिबिली उनको या तो दबना पड़ेगा या फोर्सिबिली वापिस आना पड़ेगा।

(हंसी)

[कु०. श्री जसवन्त सिंह]

अब मैं एक विषय पर, मि० चेयरमेन सर, और कहना चाहूँगा। अगर मेरे माननीय मित्र थोड़ी शान्ति से सुने तो उनकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसमें सैकड़ों बातें बड़े महत्व की हैं और सरकार ने की हैं और उसने कारगुजारी बतायी, उसके लिए मैं कहूँगा कि हर एक पर कहा जाय तो बहुत कहा जा सकता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि उन बातों को दूसरे मित्रों पर छोड़ देता हूं। वैसे चेयरमेन की मुझ पर कृपा होती है और मित्रों की भी कृपा होती है कि वे भी अपना समय दे देते हैं। मैं आपको एक विषय पर ही और कहना चाहूँगा। बड़े महत्व की बात हमें बतायी गई और इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हुए माननीय मित्र कासलीवालजी ने जोर दिया खास तौर पर एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए। इस सम्बन्ध में जो गवर्नमेंट की नीति है, उसने बड़ी अच्छी नीति अपनाई है। उसके लिए दो-चार शब्द आपकी आज्ञा से कहना चाहूँगा। कितने इन्नोसेन्ट शब्दों में ऐसा दिखाया गया है कि यह तो बिलकुल सरसरी तौर पर है कि जोबनेर के कृषि कॉलेज को भी अपने हाथ में ले लिया है और उदयपुर में एक कृषि कॉलेज खोल दिया गया है। ये शब्द बहुत सीधे हैं और जो इस विषय पर जानकारी नहीं रखते हैं, वे सरकार को अवश्य धन्यवाद देंगे। लेकिन दुःख इस बात का है कि इस विषय पर हममें से जो कुछ जानकारी रखते हैं और जानकारी रखने के कारण, सरकार की नीति की सराहना नहीं कर सकते। जयपुर के रहने वालों में मा० श्री कासलीवालजी इससे जानकारी रखते थे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों को इस विषय में जानकारी है। यह तो एक अच्छी बात है कि सरकार ज्यादा मेडिकल कालेज, टेक्निकल कॉलेजेज़, कृषि कॉलेजेज़, वेटरनरी कॉलेजेज़ खोले और सैकड़ों तरह के रिसर्च के सेन्टर्स खोले, जिनकी कि बहुत गुन्जायश है लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार की यह नीति है कि एक अमुक चीज जो कि कई वर्षों से चली आ रही है उसको तोड़ कर, उसका विध्वन्स करके एक नई चीज बनावे ? अगर यही नीति है तो साफ करें। मुझे उसकी नीति समझ में नहीं आयी। जैसी सुविधा होती है उसी माफिक नीति बदल ली जाती है। एक किरड़ नाम का जानवर होता है, वह जब सुभीता होता है तब वह अपना रंग बदल लेता है। ऐसे ही हमारी सरकार करती है। जब सुभीता होता है, वह अपनी नीति में परिवर्तन कर देती है। यह बात समझ में नहीं आयी। बीकानेर में एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। उसको बी० एड० में परिवर्तित करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसका इन्ट्रेस्ट क्लैश हो रहा है उदयपुर के विद्याभवन नाम के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। इधर राज्य की संस्था होते हुए भी उसको नहीं बढ़ाना और तोड़ना और उधर प्राइवेट संस्था को, सोसाइटी को, केन्द्रीय सरकार की सहायता दिलाना। उधर सरकार की यह नीति है और इधर दूसरी नीति है और वह यह है कि एक अच्छी संस्था, विख्यात संस्था जो राजस्थान में ही नहीं किन्तु राजस्थान के आस पास के जो प्रान्त हैं उनमें भी ख्याति प्राप्त संस्था है उस संस्था का नाम है जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज। उस कॉलेज को सन् १६४७ में, करीब नो वर्ष पहले कायम किया गया था जब कि हमारी सरकार को स्वप्न में भी मालूम नहीं था कि वह इस तरह का कॉलेज और जगह खोलेगी और वह कॉलेज कैसा था। उस कॉलेज की स्थापना सन् ४७ में हुई। वहां एग्रीकल्चर में इन्टर की परीक्षा सन् १६४८ में हुई उसका नतीजा ६० प्रतिशत निकला।

[कुं॰ श्री जसवन्तसिंह]

१९५०-५१ में उसका नतीजा ५० प्रतिशत निकला।

१९५२-५३ में उसका नतीजा ८४ प्रतिशत निकला।

१९५३-५४ में ८० प्रतिशत निकला।

१९५४-५५ में ८० प्रतिशत नतीजा रहा।

इस संस्था का बी. एस. सी. (एग्रीकल्चर) का १९५०-५१ का नतीजा शत-प्रतिशत रहा। १९५१-५२ में भी इसका शत-प्रतिशत नतीजा रहा। ५३-५४ में भी सेन्ट-परसेन्ट और ५४-५५ में ८८ प्रतिशत नतीजा रहा। जिस कॉलेज का नतीजा शुरू में इतना अच्छा रहा, यह संस्था ऐसी थी, आज जिसको विध्वन्स करने की नीति अपनाई गई। मैं खास तौर से "विध्वन्स" शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और बार बार मैं इसी शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि यह विध्वन्स की नीति जान-बूझ कर अपनायी गई, बजाय इसके कि इस संस्था को राहत पहुँचाते।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बीकानेर में एक संस्था थी जो सरकारी संस्था थी। उस संस्था को तरक्की न देकर एक प्राइवेट संस्था को फायदा पहुँचाने के लिए इसी प्रकार की नीति अपनायी गई। जिस प्राइवेट संस्था का शत-प्रतिशत रिज़ल्ट रहा या ८८ प्रतिशत रहा वैसा नतीजा आप किसी भी सरकारी कॉलेज का बतलाइये, जहां दो-दो हजार रुपये पाने वाले प्रीन्सिपल हैं, हजार हजार रुपये पाने वाले प्रोफेसर्स हैं, इस प्रकार का नतीजा कभी नहीं ला सकते जो इस प्राइवेट संस्था ने रिज़ल्ट प्राप्त किया।

अब आपके सामने वे कुछ फेक्टस् रखूंगा कि इस संस्था के सम्बन्ध में किस प्रकार की नीति अपनायी गई। फरवरी सन् ५५ में अखबारों में एक खबर निकली कि जोबनेर कॉलेज को वहां से हटा कर ऐसे स्थान पर खोला जाय जहाँ कृषि के लिए साधन ज्यादा हों, जहां प्रकृति की मदद ज्यादा है, ऐसी जगह यानी उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जायगा। मैं यह नहीं कहता कि आप उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज न खोलें। उदयपुर ईश्वर की कृपा से ऐसा स्थान रहा है, जहां के एक एक पत्थर पर यदि सोने की मूर्ति भी बना दी जाय तो थोड़ी है। वहां का त्याग, वहां की वीरता एक २ पत्थर प्रदर्शित करता है।

एक माननीय सदस्य—यह उसी का तो मुआवजा है।

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह (जारी रखते हुए)—यह ठीक है किन्तु एक फलती-फूलती संस्था को खराब करके ऐसे स्थान पर ले जाना जहां पथरीली जमीन है, जहां एक ही प्रकार की

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

सोइल है, जहां वेराइटीज़ ऑफ लेन्ड नहीं मिलती, ऐसे स्थान पर ले जाना कभी भी उन्नित नहीं कहा जा सकता। वैसे यह बात हम सब जानते हैं कि सरकार कोई भी कदम उठाती है, जब तक उसका सामना नहीं किया जाता तब तक वह पीछे नहीं हटती, अगर सामना हो जाय या आन्दोलन शुरू हो जाय तो वहीं ब्रेक लग जाता है। ज्योंही इस प्रकार की पोलिसी जोधनेर कॉलेज के प्रति सरकार ने प्रदर्शित की उधर जोधनेर में इसके खिलाफ आन्दोलन शुरू हो गया, तो सरकार ने यह सोचा कि यह तो गलत कदम उठा लिया गया तो वापिस सरकार ने यह कह दिया कि जोधनेर कॉलेज को हम तोड़ेंगे नहीं और उदयपुर में दूसरा कॉलेज खोलेंगे। इसके बाद में यह होता है कि जोधनेर कॉलेज की इतनी ख्याति हुई कि उस साल उनके पास इतने एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन्स आई कि उनके पास उन सबको लेने के लिए स्थान नहीं था। इसलिए बहुत से एडमिशन्स तो बन्द करने पड़े। जब गवर्नमेंट ने यह देखा कि उनकी जो एस्टेब्लिश्ड पोलिसी थी इस संस्था के बारे में, उसकी हेटी हो रही है तो उन्होंने सोचा कि हम इस जनतन्त्रवाद में खुल्लमखुल्ला तो इसका विरोध नहीं कर सकेंगे तो उन्होंने साम, दाम, दण्ड, भेद जो शासन को चलाने के सिद्धान्त हैं, उनसे काम लेना शुरू किया। उन्होंने यह किया कि इस स्कूल के प्रन्सिपल श्री राठौड़, प्रोफेसर त्रिवेदी और मिसेज़ कुसुम राठौड़ जो प्रिन्सिपल राठौड़ की धर्मपत्नी थी उन पर काबू किया। उन पर कब्जा करके पहले उन तीनों को जोधनेर कॉलेज से हटाकर उदयपुर कॉलेज में ट्रान्सफर कर दिया हालांकि उदयपुर में एक विद्यार्थी भी नहीं था। फिर भी यहां से उनका चुपचाप ट्रान्सफर कर दिया गया और उनको पट्टी पढ़ाई गई। पट्टी पढ़ाने के अलावा एक एडवर्टाइज़मेंट निकाला गया कि उदयपुर में हजारों रुपया पाने वाले प्रिन्सिपल हैं, प्रोफेसर्स हैं और भी वहां जाने वाले विद्यार्थियों को सुविधायें दी जायेंगी। वह वीर भूमि है, महाराणा प्रताप की जन्म भूमि है, जहां मुगलों का मुकाबला किया गया, इन सब प्रलोभनों के बावजूद भी, वहां कोई विद्यार्थी नहीं गया। विद्यार्थी वहां पर ही ज्यादा जाते हैं जहां उनको पढ़ाई की ज्यादा सुविधा होती है। नतीजा यह हुआ कि उस एडवर्टाजमेन्ट से एक भी विद्यार्थी वहां नहीं पहुँचा। अब सरकार को फिक्र यह पड़ी कि राठौड़ साहब को भी वहां पहुँचा दिया, प्रिन्सिपल भी वहां पहुँच गये और उदयपुर में कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया। अब क्या किया जाय ? विद्यार्थी एक भी नहीं पहुँचा। विद्यार्थी वहां जाते हैं जहां उनका भविष्य सुधरने की गुंजाइश हो। तब क्या होता है कि राठौड़ साहब जोधनेर पधारते हैं। वहां के विद्यार्थियों को पट्टी पढ़ाते हैं कि यह कॉलेज तो टूटने वाला है, गवर्नमेंट थोड़े ही दिनों में इसको बन्द करने जा रही है आप लोग वहीं चलें। इस प्रकार वे लड़कों को सिखाने लगे। उधर सरकार ने यह प्रकाशित करवा दिया कि अभी केवल उदयपुर में फर्स्ट ईयर की ही क्लासें खोलेंगे और थर्डईयर की क्लासें नहीं खोलेंगे। यह भी आश्वासन दिया गया था कि जोधनेर कॉलेज को नहीं तोड़ा जायगा। इसके बाद होता यह है कि एक रात्रि को जोधनेर कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेन्ड, थर्ड और फोर्थ ईयर के छात्रों को जब कि सब कॉलेज के छात्र सोये हुये थे, उन लड़कों को लॉरी में बिठा कर रातों रात उदयपुर ले जाया गया, केवल यही नहीं उनके साथ साथ जो कुछ भी इम्पोर्टेन्ट औजार, फर्नीचर था जैसे रेडियो सेट आदि वह भी अपने साथ ले गये। जहां तक मुझे मालूम है वहां ले जाने का किराया भी नहीं लिया गया

[कु'० श्री जसवन्तसिंह]

ऐसा प्रतीत होता है कि रेल का किराया भी सरकार ने दिया या और कहीं से दिलाया गया हो। इस तरह से सब लड़कों को उदयपुर ले जाया गया। अब इस तरह से जोबनेर कॉलेज के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यह तो हमारी सरकार का माना हुआ सिद्धान्त है कि जब तक उसकी किसी नीति के विरोध में आन्दोलन न किया जाय वह उस तरफ ध्यान नहीं देती जैसा कि हमने देखा ऑक्ट्राय ड्यूटी के सिलसिले में, सेल्स टेक्स के सिलसिले में। यह बात साफ हो गई कि सरकार अपने कदम वापिस तब तक नहीं लेती जब तक उसके विरोध में कोई आन्दोलन न हो, नम्रता के साथ यदि कोई पेश आये तो उसकी सुनवाई नहीं होती। मैं हमारे मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की नीति का परित्याग करें........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—आप यह भी स्पष्ट कर दें कि वे विद्यार्थी वापिस जोबनेर कैसे पहुँचे ?

कु'० श्री जसवन्तसिंह—(जारी रखते हुए)—मैं अभी इस बात पर भी आता हूं कि वे वापिस कैसे पहुँचे। जब सरकार की नीति पर आन्दोलन शुरू हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मरेंगे या मारेंगे तो इस तरह से जोबनेर से जयपुर जत्थे के जत्थे आने शुरू हुए, आप चाहे मानें या न मानें, यह निश्चित बात है। इस बात को आपके साथी जो उधर बैठने वाले कांग्रेस के हैं, जो मुख्य मन्त्री भी रह चुके, मन्त्री पद पर भी रह चुके, जिनकी सिद्धान्त रूप से वर्तमान सरकार से नाइत्तफाकी हो, मैं समझता हूँ कि अगर वे निष्पक्ष हो कर बोलने की हिम्मत करेंगे तो वे मेरी बात की ताईद ही करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

जब आन्दोलन शुरू हो गया तब जिस तरह से विद्यार्थियों को लोरी में बिठाकर ले जाया गया, उसी प्रकार उनको वापिस जोबनेर पहुँचा दिया गया। माननीय मुख्य मन्त्री ने अभी पूछा कि किस प्रकार विद्यार्थी वापिस आ गये तो जिस प्रकार लोरी में बिठा कर छिपी तरह से ले जाया गया उसी तरह से उदयपुर से वापिस उनको जोबनेर पहुँचा दिया गया।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ, जोबनेर कॉलेज के साथ साथ बहुत सी और संस्थायें भी थीं। इसके साथ (डेयरी फार्म) पाल्ट्री फार्म, ओरचर्ड और भी दूसरी तरह के फार्म भी थे। मुझे भी जोबनेर रावल साहब के साथ जो मेरे रिश्ते में भी लगते हैं, मित्रता के नाते जोबनेर कालेज देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे मिलकर यह सब जानकारी मैंने प्राप्त की। मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि इस जनतन्त्रवाद में भी क्या ऐसी बातें हो सकती हैं। मैं इस बारे में सरकार की हिम्मत की सराहना जरूर करूँगा, लेकिन उसकी नीति की सराहना मैं कभी नहीं कर सकता।

उनको विध्वंस किया जा रहा है। पिछले साल इस सदन द्वारा ढाई लाख रुपयों की जोबनेर कॉलेज के मकानों के लिए और इक्विपमेंट आदि खरीदने के लिए मन्जूरी

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

दी गई थी। पर वह रकम आज तक उनको नहीं मिली। इधर हमारे वायस चान्सलर साहब जो हमारे रावल जी को कालेज की हालत सुधारने के लिए डराया-धमकाया करते थे कि यह करो वह करो, नहीं तो मैं कॉलेज को यूनिवर्सिटी से डिसअफीलियेट कर दूंगा। वे साहब भी चुप रहे इस ग्रान्ट के न दिये जाने पर। उनकी भी हिम्मत नहीं हुई सरकार को यह कहने की कि यह रकम कॉलेज को क्यों नहीं दी जा रही है। तो उस ढाई लाख रुपयों की रकम में से एक पैसा खर्च नहीं किया गया। इससे सरकार की इस कॉलेज के प्रति क्या नीति है यह जाहिर होती है। इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप उदयपुर के कॉलेज की तरक्की करिये, कौन रोकता है, एक नहीं दस-दस कॉलेज और खोलिये पर जो स्थापित है, उसको तो मत उजाड़िये। हमारे बीकानेर का अस्पताल जयपुर के अस्पताल से कहीं अधिक अच्छा है, पर हम समझते हैं और सरकार भी यह समझती है कि एक चीज की पूर्ति पूरी नहीं हो जावे तब तक दूसरी की तरफ कैसे हाथ डाला जावे। एक की पूर्ति रोक कर दूसरे को बढ़ावा देना, यह कोई शोभा जैसी बात नहीं है। इसी तरह से जोबनेर कॉलेज, जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उसको क्यों आप विध्वंस करने पर तुले हुए हैं, पहले उसकी पूर्ति करिये फिर आप आवश्यकता समझते हों तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा आदि कहीं भी या सब जगह खोलिये। इसके अलावा अगर सरकार दूसरी नीति विध्वंस की अपनाती है तो वाकई में राजस्थान को बुरे दिन देखने होंगे। उदयपुर में कॉलेज खुले इससे हमें कोई नाराजगी नहीं, आप खोलिये, जमीन एक्वायर करिये, किसी को कोई फायदा पहुँचाना है आपको तो खुशी से पहुँचाइये, जो-जो आपको करना है आप करिये, हमें ऐतराज नहीं। पर एक बनी बनाई चीज को पोलिटिकल स्क्वीजिंग या फाइनेन्शियल स्क्वीजिंग की पोलिसी से मिटाने के लिए काम करना चाहें तो यह काम किसी सरकार को शोभा नहीं दे सकता।

मुझे बोलते हुए करीब एक घंटा होने को आया। वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ मुद्दों पर मैंने अपने विचार स्पष्ट किये। आगे और मुद्दों पर मेरे अन्य साथी बोलेंगे। जो कुछ मैंने कहा है वह अपनी निजी जानकारी के आधार पर मैंने कहा है और जितने साधन यह जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे पास थे उनका मैंने उपयोग किया है। तो जिन मुद्दों पर मैंने जिक्र किया उन मुद्दों के प्रति सरकार ने जो नीति अपनाई है, वह बिलकुल गलत है और इसी नीति का वह अनुसरण करेगी तो मैं कहूँगा कि यह बात न तो सरकार के हित की होगी, और न राजस्थान के किसी भी नागरिक के हित की होगी। इस तरह की नीति के कारण मैं यह कह सकता हूँ कि श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण जो कि सरकार की नीति का एक तरह से प्रतीक है कभी भी हमारे द्वारा समर्थन के योग्य नहीं है और समर्थन न करने की वजह से हम राजप्रमुख को किसी प्रकार का धन्यवाद नहीं दे सकते। सरकार अपनी बहुमत की ताकत से इसे भले ही पास कर दे, पर मैं पूरी आशा करता हूँ कि इस विधान सभा के विपक्ष के जितने भी मेरे साथी हैं उनकी फिर भले ही छोटी-मोटी ताकत हो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और कभी भी राजप्रमुख को धन्यवाद नहीं देंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण सदन में हो.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रहा था तब मेरी कल्पना इस सदन के बाहर दौड़ कर बार बार जा रही थी और मुझे खुशी हो रही थी....

श्री भोलानाथ—दौड़ दौड़ कर कहां जा रही थी ? मॉस्को ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मॉस्को नहीं, दिल्ली ।

(हंसी)

और इस बात पर खुशी हो रही थी कि चलो यह आखिरी मौका है कि जब इस सदन में राजप्रमुख का अभिभाषण होने वाला है । जो काम यहां होना चाहिये वह काम दिल्ली वाले कर रहे हैं । यह हिम्मत तो खास करके उधर बैठनेवाले मित्रों को होनी चाहिये पर हुई नहीं, इनकी यह हिम्मत । यह जिम्मा आखीर लिया उन्होंने, जिनमें एक तो हमारे पुराने सिविल सर्वेन्ट हैं श्री पन्निकर, दूसरे एक लिबरल ख्याल के कुंजरू साहब और एक हैं हमारे न्यायाधीश जिनके ऊपर यह जिम्मा पड़ा कि इस दकियानूसी पुराने जमाने की सड़ी गली फेंक देने लायक जो प्रथा है उसका अन्त कर देने की वे सिफारिश करें ।

राजप्रमुख का भाषण वैसे सरकार की नीति के ऐलान के तौर पर होता है और इसलिये मुझे यह ताज्जुब है कि जिस सरकार ने इस भाषण को यहां प्रस्तुत किया उसे इस बात में क्यों खुशी मालूम नहीं हो रही है । कम से कम राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का उल्लेख करते समय यह भी उल्लेख कर देते कि यह आखिरी भाषण राजप्रमुख का होने वाला है, तो मेरा खयाल है कहीं ज्यादा उचित होता । खैर ।

लेकिन जो ऐंग्लो हिन्दी भाषण सुनने को मिला, मैं इसके लिए अधिक उपयुक्त से उपयुक्त शब्द अगर प्रयोग में लूँ तो इसे ऐंग्लो हिन्दी ही कहा जाना चाहिये । वह भाषण सुनते सुनते बीच में उल्लेख आया कि राजस्थान सरकार शिक्षा के लिये बहुत ही प्रयत्नशील है और साल भर में ४ करोड़ रुपया शिक्षा के लिए खर्च करती है तो मैंने सोचा कि इस चार करोड़ रुपयों में से दो रुपया भी खर्च करके राजप्रमुख को भी सिखाने के लिए किसी को ट्यूशन लगा देते तो ४ साल में हिन्दी तो पूरी सीख जाते और ऐंग्लो हिन्दी भाषण यहां होने की नौबत नहीं आती ।

(हंसी)

लेकिन वही भाषण जब छपा हुआ पढ़ा तो बिलकुल साफ छपा हुआ, जैसा होना चाहिये हिन्दी में, वैसा उसे पाया और तब मेरी समझ में आने लगा कि राजस्थान सरकार की नीति के बारे में जो हालात हैं उन हालातों का प्रतिबिम्ब देने के लिए शायद ऐसा किया गया हो क्योंकि हकीकत में तो वह था मिक्स्ड, ऐंग्लो हिन्दी किस्म का लेकिन छप कर जब (प्रतियां) बटती हैं तो बहुत नफीस किस्म की नजर आती हैं और जिसके लिए तारीफ के पुल बांधने की कोशिश की जाती है और यह बात इस भाषण में नजर आई कि जिन चीजों का उल्लेख है वह तो इस तरह से किया गया है कि मानों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

काम अच्छा हो गया है, सन्तोषजनक काम हो गया है पर वह तो केवल लिखने-पढ़ने तक ही सीमित है। हकीकत में अगर जावें तो स्थिति यहां कुछ और ही नजर आवेगी और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन का ध्यान मैं उन चीजों की ओर आकर्षित करूंगा क्योंकि जो धन्यवाद देने के लिये जितने भी मुद्दे हो सकते थे बहुत अच्छे वकील होने के नाते जयपुर की सी कॉन्स्टिट्यूएन्सी से आये हुए मेरे मित्र ने वे सारे मुद्दे यहां प्रस्तुत कर दिये। मैं समझता हूँ कि यह हमारे जिम्मे का काम है अब कि जो धन्यवाद नहीं देना चाहिये, इस सिलसिले में जो काफी मसाला और काफी मुद्दा इस भाषण के ही अन्दर भरा हुआ है उसका मैं उल्लेख करूं।

इस बड़े भाषण में राज्य पुनर्गठन आयोग का जिक्र किया गया है और वह जिक्र इस ढंग से किया गया है कि मेरा ख्याल है कि शायद ही इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक और नोन कमिटल तरीके ईजाद हो पाये हों। राजस्थान इस बारे में सौभाग्यशाली है कि इसका किसी भी भाषा वालों से मतभेद नहीं और जो कुछ राजस्थान को निर्णय करना है, वह आम लोगों के हित को सामने रख कर करना है। क्या निर्णय करना है, कोई इसमें उल्लेख नहीं है। यह सब जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आयोग की सिफारिश आने के बाद देश में एक हवा चली है, जिसकी शुरुआत कहने के लिए तो बंगाल और बिहार के मुख्य मन्त्रियों ने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी शुरुआत दिल्ली में बैठकर कांग्रेस हाई कमान्ड ने की। इतने साल से जो भाषावार प्रान्त रचना का सिद्धात देश में चल रहा था, खुद कांग्रेस ने जिसे कुबूल किया था। इलेक्शन मेनीफेस्टो में जिसके बारे में कॉंग्रेस ने स्पष्ट तौर पर घोषणा की थी कि वे इस सिद्धांत को मानते हैं और इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। इसको छोड़कर खिचड़ी बनाने की प्रणाली शुरू की गई। बंगाल और बिहार से शुरू हुई तो दक्षिण प्रदेश का भी उल्लेख आया और कोई ताज्जुब नहीं कि महीने डेढ़ महीने पहले पश्चिमी प्रदेश का एक बबूला भी उठ खड़ा हुआ था। फूटा कि नहीं फूटा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उठ खड़ा हुआ जरूर। मेरी जहां तक सूचना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के बाद और पिछले ८, १० दिन से अखिल भारतीय कॉंग्रेस के कुछ नुमायन्दे यहां आये और यूनियन के एक—दो मन्त्री महोदय भी यहां आये और उन्होंने लगभग ऐसा तय कर लिया है कि २ अक्तूबर को जब कि अजमेर और राजस्थान के विलय का प्रश्न आयेगा तब राजस्थान की जनता की पीठ के पीछे किसी से जिक्र किये बगैर चुपके चुपके मुख्य मन्त्री दस्तखत करके इस प्रकार से पश्चिमी प्रदेश की घोषणा कर देंगे, ऐसी मेरे पास सूचना है और इस सूचना पर एतबार करूं या न करूं जब मैं यह सोच रहा था कि जब कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का विरोध में एक प्रस्ताव मौजूद है लेकिन जब मैंने राजप्रमुख के अभिभाषण को देखा तो उसने मेरी हिचकिचाहट को दूर कर दिया, कि इसमें ऐसी गुंजायश है। यदि चुपके २ पश्चिमी प्रदेश नाम की यह खिचड़ी पैदा करने की कोई स्थिति सरकार की दृष्टि में नहीं थी तो स्पष्ट कहना था कि यह राजस्थान के हित में नहीं है। पांच-पांच सूबे मिलेंगे।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कहां, महाराष्ट्र और विदर्भ और कहां राजस्थान उत्तर पश्चिमी गंगानगर का इलाका। राजस्थान तो सम्हाले ही नहीं सम्हलता है। यहां के लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसकी उन्नति के बारे में ध्यान नहीं दिया था तो इतने बड़े प्रदेश को इकट्ठा करके, अलग अलग भाषायें बोलने वाले लोगों को इकट्ठा करके, जब कि आज भी राजस्थान में खींचातानी का भय है, हम उस चरम सीमा पर पहुंचेंगे कि देश की एकता नहीं बनेगी। बहुतसों का सिर फुटब्वल होगा। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पास करने के बाद भी राजप्रमुख के अभिभाषण में हिचकिचाहट क्यों? यह देखकर मुझे निश्चय होने लगा है कि निश्चित तौर पर अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के बाद कुछ महानुभावों के आने से कुछ परिवर्तन अवश्य आया है। यदि यह ऐसी बात नहीं है तो जो सदस्य सरकार की तरफ से बोलेंगे तो अपनी स्थिति साफ करेंगे और यदि ऐसी बात है तो मैं एलानिया तौर पर कह देना चाहता हूँ कि इस सदन का बहुमत लेना बहुत मुश्किल होगा। इस सदन के कई माननीय सदस्य हैं वे तो विरोध करेंगे ही, लेकिन ऐसा कदम उठाया गया तो राजस्थान की सड़कों और गलियों में उनका चलना मुश्किल हो जायगा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—Mr. Gadgil speaking.

एक माननीय सदस्य—यह गाडगिल साहब की धमकी है।

श्री गोपीलाल यादव—क्या यह धमकी उचित है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह धमकी नहीं है। यह मैं मित्रों को आने वाली स्थिति के बारे में आगाह कर रहा हूँ।

श्री जयनारायण व्यास—बम्बई का अनुकरण कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बम्बई का अनुकरण तो सारा देश कर रहा है और उसकी सारी जिम्मेवरी ऐसे कपड़े पहनने वाले मि० एस० के० पाटिल पर है।

श्री जयनारायण व्यास—आप ताईद करते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं क्या ताईद कर रहा हूँ। बच्चा २ कर रहा है, लेकिन पड़ोसी का अपशकुन करने के लिए अपनी नाक कटाने का कोई तरीका इजाद नहीं हुआ है।

श्री जयनारायण व्यास—आप कर रहे हैं ईजाद।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान के प्रत्येक आदमी के दिल को टटोला जाय तो पुकार २ कर कहेगा कि यह बने तो, अर्थ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जो बहुत मुश्किल यहां हो रही है और अब जाकर अहमदाबाद में जाकर राजधानी बनाने की बात चल रही है तो मैं यकीन करता हूँ कि यदि रिफ्रेन्डम लिया जाय और उसके खिलाफ ६६ फी सदी मत नहीं पडें तो मैं अपनी बात को वापिस लेने के लिए तैयार हूं। दो चार विरोध करें तो दूसरी बात है। मैं लोगों के दिलों को जानता हूं। मुझमें काबिलियत है। मैं जानता हूं कि उनके दिमाग में क्या हो रहा है ?

श्री गोपीलाल यादव—लेकिन सही बात भी कम्युनिस्ट के मुंह से निकलेगी तो बुरी हो जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह समझने वाले की गलती है, बोलने वाले की नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ।

इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है जिसका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझूंगा। इसी अभिभाषण में जो यह कहा गया कि राजकीय सेवाओं के वेतन दरों के रिवीजन के प्रश्न पर भी सरकार काफी समय से विचार कर रही है।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

....मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार ने नये वेतन दर १ मार्च, १९५६ से लागू करने का निश्चय किया है। वे वेतन दर क्या हैं ? उनका उल्लेख तो अभिभाषण में कुछ नहीं है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह तो सारी दुनिया को मालूम हो चुका है। अखबारों में (वेतन–दर) प्रकाशित हो चुकी है, विभागीय अधिकारियों के पास वह चीज पहुंच चुकी है, और वह एक मिसाल है इस बात की, कि जिसे कहना चाहिए कि सोश्यलिस्टिक पेटर्न के नाम पर जो असमानता लोगों के उपार्जन के साधनों में है, उन असमानताओं को कम करने के बजाय शायद यह पहला मौका है, शायद देश में इस प्रकार की यह पहली मिसाल है कि तनख्वाह के परिवर्तन करने के नाम पर कम तनख्वाह वालों के ग्रेड और कम से कम रखे गये और मोटी तनख्वाह वालों की और मोटी बना दी गई। राजप्रमुख के भाषण पर विवाद करते समय मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हर एक माननीय सदस्य गम्भीरता से इस बात पर विचार करें। यदि तनख्वाह के अन्दर तब्दीली करने की आवश्यकता थी, और मैं मानता हूं थी, क्योंकि एक प्रस्ताव इस सदन में आया था और उस पर आश्वासन भी दिया गया था लेकिन उस आश्वासन का पालन करने का जब मौका आया तो राजस्थान की एक कहावत है और मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। तनख्वाह देने का सरकार का कार्य लगभग उसी प्रकार का है। उसमें कहा गया है, अध्यक्ष महोदय,

दो ईस घटे दो ऊप घटे औ तीन घटे छे पाया
बिचलो झाबक झोल घटे छे, ओ माचो लें रे भाया।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो तनख्वाओं में तरक्की देते समय यह तनख्वाओं में तरक्की रूपी जो मांचा है उसमें न तो इधर का डंडा है और न उधर का है और पाये तीन गायब है और बीच की मूंज भी गायब है, केवल एक पाया लेकर सरकार उनके पास आई कि सोने के लिए मांचा ले लो। इन्होंने किया क्या ? २५ रु० माहवार से जिनकी तनख्वाह चालू होती है उन चपरासियों को आशा बंधी थी कि ५, १० या १५ रुपये तो कम से कम मिलेंगे ही और श्री चिन्तामणि देशमुख ने पार्लियामेंट में आंकड़े पेश किये थे कि आज का इन्डेक्स नम्बर ३४२ पर है। जब कि साढ़े तीन गुना मंहगाई सन् ३९ से आज है तब सोचा गया था कि मंहगाई भत्ते में कुछ इजाफा मिलेगा। उस २५ रुपये की तनख्वाह के ग्रेड को देखें तो २५–१–३५ के बजाय ४० तक का ग्रेड पहुंच गया। अब इससे उनको तसल्ली है कि १०–१५ साल में ४० रुपये तक वे पहुंच जायेंगे और रिटायर होने के बाद में पेन्शन मिलेगी तो डेढ रुपया और ज्यादा मिलेगा। लेकिन अभी जो भूख है उसके लिये क्या ? उनके लिये तसल्ली मानें कि समाजवादी पेटर्न शुरू हो रहा है, उसमें चपरासी के लिये उम्मेद नहीं है। उसमें हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स और आर० ए० एस० वालों का उल्लेख है, जिनकी तनख्वाह १५०-२०० से ऊपर थी उनकी और बढाने की कोशिश की गई है। शिक्षकों को भी देख लीजिये उनकी भी यही हालत है। शिक्षकों के बारे में मैं पूरी तफसील में जिक्र और भी करूंगा लेकिन अभी इतना कहना चाहता हूँ कि आज भी ग्रेड्स चाहे चपरासियों के लिये हों चाहे शिक्षकों के लिये हों, चाहे सेक्रेटेरियेट में काम करने वाले मामूली अहलकारों के लिये हों, उन सब के लिये लगभग नहीं के बराबर तरक्की उनको दी गई है। यदि राजस्थान सरकार की आर्थिक हालत खराब थी और बजट में पैसा नहीं था तो मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में क्या यह सम्भव नहीं था कि १५०-२०० से ऊपर तनख्वाह पाने वाले हैं, उनको रोक कर कहते कि तुम्हारे लिये अभी बजट में गुंजायश नहीं है। २५ रु० पाने वालों का मंहगाई भत्ता और वेतन बढ़ाकर उनको भी १०० के आस पास या नजदीक लाते। लेकिन उनके लिये एक पैसे की भी तरक्की न करके यह कहना कि हमने ग्रेड बढ़ाया है, तरक्की की है, यह सरासर धोखा है। हजारों की तादाद में जो मुलाजिम हैं वे आज जगह जगह पर अपनी आवाज प्रस्तुत कर रहे है। कई तो ऐसे सीगे हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनमें मौजूदा ग्रेड्स में भी कमी की गई है। गवर्नमेन्ट प्रेस के मोनो ऑपरेटर्स की एक मिसाल दूं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट के इन्सपेक्टर्स की दूसरी मिसाल दूं और भी कई मिसालें दी जा सकती हैं, जिनमें मौजूदा ग्रेड्स को कम किया गया है, यह ग्रेड रिवीजन किया जा रहा है। यदि इस प्रकार का ग्रेड रिवीजन करना था, यदि राजस्थान के लगभग ८०,००० सरकारी मुलाजिमां, छोटे बड़े उन सब को किसी प्रकार तनख्वाह की बढोतरी से महरूम करना था तो मेरा कहना है कि झूठे आश्वासन देकर न सदन में कहने की आवश्यकता थी और न राजप्रमुख को अपने भाषण में इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता थी। यदि यह बात आप के सिद्धान्त से ताल्लुक रखती हो और अमृतसर में जिन बातों का ढिंढोरा पीटा गया उनकी पुष्टि करनी थी तो बात दूसरी है। यह उन कर्मचारियों के साथ न केवल अन्याय है बल्कि धोखा है। मैंने जिन बातों का जिक्र किया उनकी बिनाह पर धन्यवाद का पात्र राजप्रमुख या उनकी सरकार को मैं नहीं समझता।

Page No.55

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसी सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के मुलाजिम जो हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा ...

श्री मानसिंह महार—वे आपके बड़ें शुक्रगुजार होंगे ।

श्री अध्यक्ष—I would not permit anything to be said about my office here.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is a very important element involved. Sir.

श्री वेदपाल त्यागी—That is not the oriticism of this office.

श्री अध्यक्ष—But then all the secretarial staff is under the supervision of the speaker. I could thank the hon'ble member for the sympathies that he has got for the members of my staff but then that is not within the scope of discussion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Do I take it, Sir, that the hon'ble speaker's consent has been obtained in revising the pay scales of the Assembly secretariat staff ? That is exactly my ground. I am entitled to criticize an action of the Government which is against law. Even if it concerns any action that is in relation to the legislature, I am entitled and I was referring to that aspect of his question.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—There is one point, Sir, which I could not understand.

मैं कुछ जानना चाहता हूं, जो यह है कि अभी माननीय मित्र जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने जो कुछ कहा उस पर चेयर ने यह फरमाया कि यह असेम्बली डिपार्टमेंट का क्रिटिसिज्म है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वोटेड डिपार्टमेंट है या चार्ज्ड है ? यदि चार्ज्ड है तो भी उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है तो इसका खर्चा तो एसेम्बली द्वारा वोट किया जाता है तो इस डिपार्टमेंट की जो त्रुटियां होंगी उन पर डिस्कशन हो सकता है । चेयर की स्थिति दूसरी है लेकिन डिपार्टमेंट की खामी हो तो उस पर विचार किया जा सकता है । जिसके बारे में वोट हाउस दे सकता है, उसकी आलोचना भी वह कर सकता है, यह कॉमनसेन्स से कह सकता हूं । कायदे का सवाल इसमें पैदा नहीं होता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) मैं सरकार के निर्णय की आलोचना कर रहा था....

श्री अध्यक्ष—Then the hon'ble member is entitled to speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) सरकार के निर्णय का जहां तक विधान सभा में काम करने वालों से ताल्लुक है, वह एक तरह से अन्यायपूर्ण है। मैंने जहां तक कायदे को देखा है और जिस कायदे का उल्लेख राजस्थान राज-पत्र में छपने के कारण कर सकता हूँ, ऐसा मानता हूँ। उसके मुताबिक विधान सभा में काम करने वालों की पे स्केल्स आदि के प्रश्न हिज़ हाईनेस दि राजप्रमुख, अध्यक्ष से बात चीत करके, निर्णय किया करेंगे; ऐसा उल्लेख है। ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आता कि सरकार को अधिकार किसने दिया और सरकार उनके बारे में फैसला करने वाली कौन है। यह उनकी अनाधिकार चेष्टा है। मैं चाहूंगा कि लीडर ऑफ दि हाउस और अध्यक्ष महोदय सफाई कर दें कि विधान सभा के अधिकारों के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ नहीं की जा सकती।

दूसरी बात यह है कि जो निर्णय सरकार ने किया है वह भी बहुत अन्यायपूर्ण मालूम होता है। वे मुलाजिम जिनका ताल्लुक सीधा विधान सभा से है और जो विधान सभा में कार्य करते हैं, उनके लिये भी न सिर्फ बहुत कम ग्रेड रखे हैं बल्कि सारी दुनियां में पार्लियामेंट्स होती हैं उनके रिपोर्टरों का ग्रेड सेक्रेटेरियट के स्टेनोग्राफर्स के ग्रेड्स के मुकाबले में काफी ज्यादा होते हैं, वह भी राजस्थान में नहीं हो रहा है। स्टेनोग्राफर्स को और रिपोटर्स को बराबर कर दिया है। न तो छोटे मुलाजिमों का ही ग्रेड बढ़ा और न रिपोर्टरों का ही और हालांकि मैंने जैसा जिक्र किया कि आगे के मुलाजिमों के लिए मुझे दिलचस्पी नहीं है लेकिन मैं यह बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हूँ कि विधान सभा के आगे के मुलाजिमों का दर्जा सेक्रेटेरियट के मुलाजिमों के दर्जे से कम किया जाय। यदि सेक्रेटेरियट के कोई चीफ सेक्रेटरी हैं तो हमारी विधान सभा के ये चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। इस प्रकार की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण करेंगे कि यह चीज उनकी रजामन्दी से हुई या नहीं?

श्री अध्यक्ष—No, no. Article 187 of the Constitution of India is quite clear; "The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff" That Secretarial staff functions under the Speaker. It is a different matter that the pay scales and other conditions of service are determined by the Speaker in consultation with the Finance Department of the Government but then no pay scale and other allowances could be riased without consultation of the Speaker. The Speaker is not in any legislature questioned by any member of the House or that he should explain his conduct regarding the staff. If the Hon'ble member has any grievance regarding the conduct of the Speaker, regarding the staff or its salary, he could only discuss it by giving notice of a noconfidence motion against the Speaker.

So in order to keep the dignity and prestige of the offi2e this is the convention that pay scales and other matters relating to this secretarial staff are not discussed on the floor of the House. That is why I objected to the Hon'ble member speaking about the secretarial staff and I

[श्री अध्यक्ष]

hope that all the Hon'ble members of the House will co-operate with me in maintaining all the conventions that are followed in other Houses also. It does not in any way mean that the Members are not entitled to speak but then if they want to discuss this thing the procedure is there and that is a very extraordinary procedure which the hon'ble members will have to follow.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सूचना आप महरबानी करके दे दें कि आपकी रजामन्दी से यह कार्य हुआ है क्या ?

श्री अध्यक्ष—(जारी) That is a different matter. I have told the Hon'ble member that he should not insist on this. There are certain traditions which are to be followed in order to keep the dignity and prestige of the office.

If there is a least discontent, I do'nt know; the staff which controls the whole legislature, keeps all the Budget papers and everything, where shall we lead to ? Such sort of gaining cheap popularity amongst the secretarial staff is not desirable.

I assure the House and all the members that so far as the Chair holds the confidence of the House the secretarial staff's emoluments are safe in the hands of the Chair.

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन मैं अर्ज कर रहा था....I wish the Government were also-respecting the law in consulting the Speaker on this vital question because I have definite information that it has not been done. It is not a qestion of gaining cheap popularity. It is hard earned. I am now proceeding to the next, point, Sir.

श्री अध्यक्ष—I would suggest that the hon'ble member bears in mind the limit allotted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप इन्टरप्शन्स बन्द कर दें तो.......

श्री अध्यक्ष—But irrelevant and unauthorized observations should not be made. Please finish your speech within ten minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—१० मिनट ! अब मैं उन दूसरे विषयों का उल्लेख करना चाहूँगा जिनका हवाला बड़े जोर-जोर से इस भाषण में दिया गया है। कहा गया है कि राजस्थान में पॉवर डेवलपमेंट का काम काफी किया जा रहा है। एक तो भाखरा-नांगल योजना में बिजली का नांगल पॉवर वर्क जिसमें बड़े-बड़े पॉवर और लाइन्स लगाई जा रही हैं और दूसरा थर्मल पॉवर स्टेशनों का विकास और ग्रामीण विद्युत योजना। इन दोनों में कार्य हो रहा है। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि कोई छोटे मोटे मुद्दे अगर छोड़ दें तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों योजनाएं जरूर है, लेकिन कार्य होना अभी काफी बाकी है और वह काफी बाकी है यह स्थिति आज है। टर्बाइन्स की कमी है। हकीकत तो यह है कि थर्मल पॉवर स्टेशनों से दो तीन सालों से योजना कागजों में नजर आई लेकिन उसका भी अभी जयपुर में होना अभी चालू है। घंटों अन्धेरा रहता है। राजधानी की यह हालत है। इससे कई गुना बुरी चिन्ताजनक हालत जोधपुर बिजली सप्लाई की है। इसका कारण यह हो सकता है कि या तो मशीनरी पुरानी हो गई है या उसकी देख भाल करने वाले पूरी तरह से उसकी देख भाल नहीं करते हैं, इस कारण से ब्रेक डाउन हो जाता है। आटा पीसने की चक्कियां पॉवर के बिना घंटों बन्द रहती हैं, इसका कोई इलाज नहीं। डेढ़ साल पहले से सुनते थे कि पानीपत से टर्बाइन आई है। मगर उसका क्या हुआ। मैंने यह भी सुना है कि टर्बाइन आ भी रही थी पर हुआ यह कि अचानक २ तारीख को यह निर्णय हुआ कि अभी उस टर्बाइन को कोटा भेज दिया जावे।

मेरे मित्र आंख से सूचना दे रहे हैं कि यह गलत है। अगर गलत हो तो जब आप इसका उत्तर दें, उस समय बता दें कि यह गलत है।

श्री अध्यक्ष—But why should the hon'ble member be disturbed ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I cant resist the temptation of saying something when somebody gives a sign.

तो हकीकत यह है कि आज भी पॉवर हाउस का ताल्लुक है उसमें आम तौर पर गड़बड़ी की हालत है। मैं, इसलिये नहीं कि मैं वहां का रहने वाला हूँ अथवा मैं उस इलाके से आया हूँ, कह रहा हूँ बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते यह कह सकता हूँ कि जोधपुर के बारे में पॉवर की हालत बहुत खराब हैं। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की वह घोषणा कि नया टर्बाइन लगाया जावेगा और ३० लाख वहां पर पाइप लाइन की सफाई जरूर नजर आती है लेकिन वास्तव में होता यह है कि गर्मी में पानी की कठिनाई और १२ महीने मामूली से मामूली काम में बिजली के कारण असुविधा होती है। अब आप ही बतावें कि आपकी कौनसी थर्मल स्कीम आगे बढ़ रही है। अगर आपने कोई नई चीज कायम की हो तो अलग है। फिर कौन से थर्मल पॉवर का सवाल है। मेरे माननीय मित्र, मंत्री महोदय और चीफ मिनिस्टर गौर से सुन लें कि आपके यहां पर पॉवर की हालत इस तरह की है। अभी तो कामोनी का टोवर और भाकरा में टोवर लगाने की स्कीम नहीं आई है, फिर राजप्रमुख के भाषण में इसका उल्टा जिक्र किस बात का।

Page No.59

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बाकी सब चीजों का जिक्र इसमें किया गया है मगर सब होने वाली बातों का जिक्र किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है। आपने कह दिया कि ये फलां-फलां स्कीमें चालू हैं। चालू होने से होता क्या है।

बेकवर्ड क्लासेज् के बारे में व शिड्यूल्ड क्लास के बारे में कहा गया कि ४० प्रतिशत स्थान राजकीय सेवाओं में सुरक्षित किये गये हैं। मगर वास्तव में देखने की बात यह है कि इस समय मौजूदा पर्सेन्टेज नौकरियों में कितना है। आप लिमिट को १० प्रतिशत से २० या २० से ३० और ४० प्रतिशत कर दें लेकिन मौजूदा लोग जो मुलाजमत में है, उसकी असलियत में जाया जावे तो पता लगेगा कि रिजर्वेसन होता रहता है लेकिन लिमिट में नहीं। तो इससे क्या फायदा। मुझे यकीन है कि अगर इस सम्बन्ध में उधर बैठने वालों से पूछा जावे तो वे मेरे इस बात की ताईद करेंगे और इस पर बोलना पसन्द करेंगे और अगर पार्टी ह्विप नहीं लगाया जावे तो वे वोट भी इधर ही देंगे। लेकिन मजबूरी है कि राजप्रमुख के भाषण में ऐसी बातें होनी चाहिये, जो सुहावनी लगे, यथार्थ की बातों को कहने की जरूरत नहीं।

मेवों को बसाने के बारे में जिक्र किया गया, अध्यक्ष महोदय, मेवों को बसाने की स्थिति से भारत सरकार भी सम्बन्धित है। १६ बीघा जमीन उनको देने का निर्णय किया गया और उसमें भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिनका मकान किसी और गांव में है और जमीन किसी दूसरे गांव में और वे बस नहीं रहे हैं, लेकिन उनको बसा दिया गया है।

पुरुषार्थियों के बारे में राजस्थान की ही नहीं लेकिन भारत की पार्लियामेंट के मेम्बर पं० ठाकुरदास भार्गव अभी कुछ महीनों पहले अलवर के एक सम्मेलन में आये और खुद उन्होंने अपनी यह राय जाहिर की कि राजस्थान में पुरुषार्थियों के साथ और खास तौर पर अलवर और भरतपुर में पुरुषार्थी भाइयों को खेती की जमीन अलाट की गई है उनके साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। मैं यह कहूं तो यही कहा जायगा कि यह तो रोज रोज कहते हो परन्तु कांग्रेस के पं० ठाकुरदास भार्गव ने एक सम्मेलन में ऐलान किया चूंकि जमीनें मिल गई इसलिए अब तुम्हारा क्लेम है, उस पर कोई विचार नहीं किया जायगा और जमीन का पैसा और लेंगे। यह नीति उनके साथ बरती जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री भी उसको गौर से सुन लें। भारत सरकार के रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री का फैसला लिखा हुआ मौजूद है कि चूंकि उन्हें जमीनें अलाट कर दी गई हैं इसलिए उनके क्लेम्स पर विचार नहीं किया जा सकता है। यही नहीं उनके क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गये, उनसे इस बिनाह पर कि तुमको जमीन अलॉट की गई है इसलिए तुम से जमीन का पैसा मांग सकते हैं और मांगने जा रहे हैं। लेकिन सुनता कौन है ? राजप्रमुख के भाषण में जोर से कहा गया कि पुरुषार्थियों के लिए इतनी दुकानें बना दीं, उनको बसाने का बहुत कुछ प्रयत्न कर दिया किन्तु यह कहीं नहीं कहते कि वे लोग जिनको जमीनें दी गई हैं और और उन लोगों के जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट करके फिर क्यों उनसे पैसा मांगा जा रहा है और सरकार इसको रोकने के बारे में कोई कदम

Page No.60

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उठाने जा रही है या नहीं। मैं और भी कई बातों का इस प्रकार से उल्लेख करने की स्थिति में हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन चूंकि समय की ओर ध्यान रखना आवश्यक है और और भी कई बार समय आवेगा इसलिए एक दो बातें ही कहना चाहूंगा।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है राजप्रमुख के भाषण के मुताबिक। हकीकत में कोई इन्डस्ट्री अब तक खुल नहीं पाई। अलबत्ता पहले थी वे बन्द जरूर हो गई है। अलवर की कई आइल मिलें बन्द हैं, जोधपुर की ग्लास फैक्ट्री बन्द पड़ी है और जयपुर के पड़ोसी मशहूर किशनगढ़ की मिल भी बंद पड़ी है। साल भर से ज्यादा होगया, लोग बेकार हैं। अभी किशनगढ़ के श्री हीरालालजी पाटनी को ७५ हजार रुपये शायद सरकार ने दिये हैं कि आप मजदूरों को, तनख्वाह के पेटे, जो पैसे बाकी थे वे दिलाना चाहेंगे और मंत्री महोदय इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, उस मिल का प्रबंध चलाने के बारे में बातचीत हुई होगी तो कैसी बातचीत हुई होगी यह स्पष्ट तौर पर साफ नहीं हुआ है। "There are many a Slip between the cup and the lip" सरकार का मैनेजर होगा और मैनेजर के नाम पर लिखा-पढ़ी होगी। दो लाख रुपया श्री हीरालालजी पाटनी को देने के बाद वह सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा और कोई पार्टी फाइनेन्स करेगी और मैनेजर की देख-रेख में मिल चलेगा और कई गोलमाल की तरह कार्यवाही सुनी जा रही है। यह कहां तक सही है, यह तो माननीय मंत्रीजी बता पायेंगे। किशनगढ़ का मिल अभी भी बंद है। इन्डस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत एक महीने का नोटिस देकर सरकार इसको हाथ में ले सकती थी लेकिन साल भर से नहीं लिया। मौजूदा इन्डस्ट्रीज़ की यह हालत है और नई इन्डस्ट्री के डेवलपमेंट का प्रश्न तो दूर रहा। फिर यहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्वे जारी है। कुछ इलाकों में माइनिंग के बारे में सर्वे हुई। कुछ भारत सरकार से बातचीत हुई लेकिन डेवलपमेंट की शुरुआत नहीं हुई। राजप्रमुख के कहने के आधार पर कि डवलपमेंट इन्डस्ट्रीज़ का तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, उसके स्थान पर यह कहा जाय कि बेकारी बढ़ रही है तो और ज्यादा मौजूं चीज़ होगी।

एक चीज़ माइका के बारे में है। माइका के लिए बोर्ड बना दिया। इतना ही कह दूं, अध्यक्ष महोदय, कि चार साल से माइका वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेट्री की नियुक्ति नहीं हुई है। तीन चार एडवर्टाइजमेंट्स भी निकले लेकिन अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई। जो काम कर रहे हैं, उनके भी ऑर्डर्स सेक्रेटेरियेट से अभी नहीं निकले है। माइका वेलफेयर बोर्ड चार साल से बन ही नहीं पाया उसकी इन्डस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए, हाऊसिंग के लिए पिछले साल ५५ लाख रुपया मन्जूर हुआ वह काम सबसे पहले शुरू हुआ, वह फरवरी में शुरू हुआ, बीच मेंफोरेस्ट ने अड़ंगा करके उसको आठ दिन और खटाई में डलवा दिया। जयपुर में भी पूरा नहीं हो पाया। अगर मेरे स्टेटमेंट के बारे में कोई शंका नजर आये तो गाड़ी में बैठकर एम. पी. सी. को चले चलें, हाऊसिंग स्कीम कितनी हुई है उसके नक्शे वहां देख जाइये मन्त्री महोदय और दूसरे लोग। पाली में सबसे एडवान्स में फरवरी में हुआ।

(घंटी)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं यह कहूंगा कि यहां जो बातें हैं, जिनका उल्लेख इसमें किया गया है, आज की वस्तुस्थिति का जो उल्लेख है और आने वाली घटनाओं के बारे में जो जिक्र किया गया है, वह गोल-माल जिक्र किया गया है और यही बात लॉ एण्ड आॅर्डर के बारे में भी है। काफी बातों में लॉ एण्ड आॅर्डर में सुधार हुआ है। लेकिन ऐसी घटनायें हुई हैं जिनका उल्लेख करते तो वे वस्तुस्थिति से मेल नहीं खाती। खास तौर पर अध्यक्ष महोदय, विशेष चीज़ जो है वह राजस्थान और पाकिस्तान के बोर्डर पर जो घटनायें घटित होती हैं। बलवन्तसिंह डाकू था, कुछ साल डाकू रहा उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया बताते हैं। वह नागरिक बन गया और कांग्रेस में काम करने लग गया। फिर एक आदमी को मार कर डाकू बन गया। वह पाकिस्तान के बोर्डर पर लापता है और कुछ दिनों पहले अखबार में खबर आई थी कि सरकार की तरफ है, सच है या झूठ इसको तो मन्त्री महोदय ही बतावेंगे। एक सब इन्सपेक्टर ने कहा कि मिलने आया है और श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी ने उसको भेजा है। नाम पता चाहे तो मुझसे ले लें। १२ दिन तक वह वहां रहा, सारे इलाके में घूमा। आप मुझसे ही क्यों पूछते हैं, आप अपनी पार्टी के आदमी से पूछ लें, इलाके के आदमियों से पूछ लें, बच्चा बच्चा इसकी तसदीक करता है। इलाके के अन्दर इस प्रकार की घटनाओं से आंतक फैल रहा है। मुख्य मंत्रीजी बतावें, साल भर बाद ही वह पाकिस्तान चला गया। मार पिटवा कर हृदय परिवर्तन करवा रहे है। लॉ एण्ड आॅर्डर के बारे में ऐसी बात है कि जिसको छिपाना जरूरी नहीं है और राजप्रमुख का भाषण एक तरह से सप्रेशियो वराई है और ससेशियो फालसाई का उदाहरण है।

एक माननीय सदस्य—यह तो आप रोज ही कहते हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हमेशा तो यह बात कहता नहीं।

अन्त में मैं दो चीजों का और जिक्र करूंगा। एक तो ऐसी बात है कि जिसके विषय में विरोधी दल के नेता ने काफी विस्तार से कह दिया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कौन सी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जोबनेर वाली बात।

श्री अध्यक्ष—और भी आॅर्पोचुनिटी रहेगी मर्दों के बारे में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष—सब ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी से सुन कर शर्म लगने लग गई है कि क्या गलत काम कर रहे हैं।

(विराम)

मेरे मित्र ने जोबनेर कालेज के बारे में सब बात कहदी हैं। उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात पर मैं जरूर जोर देना चाहूँगा जो यह है कि हमें राजस्थान में चार एग्रीकलचर कॉलेज खोलने हैं, आप चारों ही खोल लें और बार बार धन्यवाद लें। लेकिन रोजमर्रा यह इल्जाम हम पर लगाया जाता है कि तुम सेबोटेज करते हो। अध्यक्ष महोदय, सेबोटेज मैं तो कभी करता नहीं लेकिन आज तो नज़र आ रहा है, सरकार अपने खुद के कॉलेज को सेबोटेज कर रही है। यह क्यों ?

एक माननीय सदस्य—आपसे इनको सीखना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर ये मुझसे सीखना शुरू कर देंगे तो बहुत सुधार हो सकता है। इस संस्था के लिये कुछ लाख रुपये भी मन्जूर हुए थे, लेकिन वे खर्च नहीं हो सके। कभी सुनते हैं कि वहां तो जमीन ही नहीं, कभी सुनते हैं कि वहां पानी की सुविधा नहीं। आप यकीन मानिये, यदि आप में से कोई तैरना जानता हो तो वह वहां अच्छी तरह से तैर सकते हैं, अगर तैरना नहीं आता है तो डूबने की भी नौबत आ जायगी। यह मैं खुद देखकर आया हूँ। वहां जमीन भी है, पानी भी है, अलग अलग किस्म की सोइल भी है। सारी प्रकार की सुविधायें भी हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमी भी हो। उस कमी को सुधारने के लिये ही तो सरकार के पास आये हैं, नहीं तो वे सरकार के पास आते क्यों ? वस्तुस्थिति यह है कि इसके लिये दो लाख रुपये के करीब मन्जूर हुए थे। उसमें से केवल ३२ हजार रुपये ही खर्च हुए। इसके लिये यह कहा जाता है कि डॉ० विश्वनाथन ने यह रिपोर्ट पेश कर दी कि जोबनेर माकूल जगह नहीं है, उदयपुर माकूल जगह है। मुझे मालूम नहीं उन्होंने किस किस जगह की सर्वे की और वे कैसे इस नतीजे पर पहुँचे कि जोबनेर तो उपयुक्त स्थान नहीं और उदयपुर ही इसके लिये उपयुक्त स्थान है। कोटा भी उपयुक्त स्थान हो सकता है, बीकानेर भी हो सकता है और सवाई माधोपुर भी है। क्या केवल विश्वनाथन ने उदयपुर के बारे में ही जानकारी प्राप्त की। यही तो कारण है। उनको प्रोम्पट किया गया और इसी वजह से सरकार ने जो चाहा, उनसे रिपोर्ट लिखवा ली।

एक माननीय सदस्य—एक हजार रुपये पेंशन भी तो दे रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पैसे का असर तो होता ही है, जो कि उन पर इसका असर नहीं होना चाहिये। अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। वह यह कि जिसके बारे में सरकार द्वारा जानबूझ कर ढिलाई नजर आ रही है। राजप्रमुख के भाषण में भी उस ढिलाई का प्रदर्शन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हुआ। राजस्थान के बड़े बड़े क्षेत्रों में एग्रेरियन रिफोर्म्स की जो कमी है उसमें सबसे बड़ी खामी है, सीलिंग के तय न होने की। डेढ़ साल से सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट को एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। इस सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट के धीरे धीरे चलने से यहां तक भी नौबत आने वाली है कि इस कमेटी के जो मेम्बरान हैं कहीं उनको ही जवाब तलब न करना पड़ जाय। पिछले सेशन में भी यह कहा गया था कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट तो तैयार हो गई, बिल तैयार नहीं है। लेकिन इस वर्ष राजप्रमुख के अभिभाषण में भी इस महत्वपूर्ण बिल की कमी हमें दिखाई दी, उस अभिभाषण में सीलिंग सम्बन्धी किसी भी कायदे का उल्लेख नहीं। गरीब किसानों पर कर्जा जो बाकी है, वह कर्जा निवारण का कायदा भी आने की बात छः महीनों से चल रही है। राजप्रमुख के भाषण में भी इसका कोई जिक्र नहीं। न मालूम सरकार की नीति में क्या परिवर्तन हो गया, यह तो मुख्य मंत्री ही बता सकते हैं। अभी सेन्टर द्वारा जो इस तरह का कानून पास हुआ है वह कानून विशेष करके ऐसे क्षेत्र के लिये बनाया जाता है, वैसे कर्जा देने के बारे में है, वैसे कानून हमारे यहां पास करने में सरकार को क्या उलझन पैदा होती है, यह मैं नहीं जानता। जहां कृषि के साधनों को बढ़ाने का सवाल है जैसा कि प्लानिंग कमीशन के प्रस्ताव में कहा गया है........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो मिनिट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष—सत्रह मिनिट तो हो गये आपको बोलते बोलते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will stick to two minutes by the word.

जिस बात पर प्लानिंग कमीशन ने जोर दिया, जब तक सीलिंग लागू नहीं होता, तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। इसके बिना बड़े बड़े उद्योग नहीं पनप सकते, स्टील प्लांट आगे नहीं बढ़ पायेंगे। राजस्थान में इसके अलावा और क्या नक्शा हमारे सामने है। इन सब विशेष बातों का राजप्रमुख के भाषण में उल्लेख नहीं होने से मैं तो यह नहीं समझता कि उनको किस बात के लिये धन्यवाद दिया जाय। शिकायत करने के तो कारण हो सकते हैं, धन्यवाद देने के कारण कोई दिखाई नहीं देते। यह उनका आखिरी भाषण है, यह कल्पना करके तो मुझे जरूर सन्तोष हुआ है। आयन्दा वे नहीं आयेंगे, इसके लिये धन्यवाद दूं, इसके लिये मैं कतई तैयार नहीं। इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि राजप्रमुख को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद न दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, यह अच्छा हो कि कुछ

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

समय की अवधि निश्चित कर दी जाय, नहीं तो दूसरे भाषण होने मुश्किल हो जायेंगे। आज हम शाम को भी सेशन कर लें, उसके बाद इस बहस को समाप्त कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य—आज पहला ही दिन है, इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये और शाम को भी नहीं होना चाहिये।

श्री सुखाड़िया—यह बात जब कल सेशन को स्थगित किया गया था उस समय मैंने विरोधी दल के नेता से मिल कर तय कर ली थी कि आज हम एडजोर्न कर दें और कल सुबह और शाम दोनों समय मीटिंग करें। अतः शाम को और कार्यवाही हो जाय, कल रिप्लाई हो जाय और फिर सप्लीमेन्टरी डिमान्ड शुरू कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—We should not waste time in this.

श्री जयनारायण व्यास—माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है मैं उस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राजप्रमुख को इसलिये धन्यवाद देना आवश्यक है, जैसा कि अभी इशारा किया गया, शायद हमको उन्हें फिर धन्यवाद देने का अवसर ही न मिले। यह आखिरी अवसर है। वास्तव में राजप्रमुख महोदय ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार के साथ, सदन के साथ और जनता के साथ व्यवहार रखा; इसलिये उनको धन्यवाद तो देना ही चाहिये।

दूसरे, धन्यवाद हम इसलिये भी देना चाहते हैं कि यह एक रिवाज डाल दिया गया है हिन्दी में भाषण करने का। मेरे परम मित्र जसवन्तसिंह जी ने इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया कि भाषण दो कैसे ; मेरा ऐसा ख्याल है कि भाषण तो दो नहीं थे भाषण तो एक था कुछ शब्दों में जरूर परिवर्तन हो गया। कुछ लोगों की यह शिकायत हो सकती है राजप्रमुख के भाषण में कहीं कहीं अंग्रेजी के वाक्यांश, शब्द और अंक आ जाते थे, यह उनकी लाचारी की हालत है क्योंकि जिस प्रकार का शिक्षण उनका हुआ उसको देखते हुए जिस प्रयास के साथ हिन्दी में भाषण तैयार किया उसमें उनके उत्साह को बढ़ाया जाना चाहिये ताकि राजप्रमुख रहें या न रहें किन्तु आगे जाकर वे हिन्दी बोलना तो सीख गये। हमारे यहां राजा लोगों का शिक्षण जो भी हुआ वह हिन्दी के माध्यम से नहीं होता था, ज्यादातर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हुआ है ; इसलिये उनके लिये हिन्दी का बोलना मुश्किल हो जाता है, फिर भी जिस तरह से राजप्रमुख ने हिन्दी में भाषण देने की कोशिश की उसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहिये, उलाहना नहीं। हिन्दी भाषा राजभाषा होने वाली है और राष्ट्रभाषा जो घोषित भी हो चुकी है उसमें हम थॉट कन्टेन्ट्स को प्रिफरेंस देंगे या शब्दों को, विचारों को कितना महत्व दिया जायगा, शब्दों को कितना ; इस बारे में मैं अपनी राय राष्ट्रभाषा आयोग का सदस्य होने के नाते प्रकट नहीं कर सकता लेकिन जिस तरह से राष्ट्रभाषा के प्रति श्रद्धा

[श्री जयनारायण व्यास]

प्रदर्शित करते हुए इस ओर आगे बढ़े हैं वह हमारे लिये अच्छी बात है। मैं एक लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देकर दो तीन-विषयों पर खास तौर पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

एक विषय है जागीर उन्मूलन के विषय में। विरोधी दल के नेता ने बहुत सीमा तक थोड़े कड़ुवे विचार भी प्रकट किये। मैं इस बात को मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि जागीर उन्मूलन का कार्य हो रहा है या उस कार्य में कोई खामी भी रह जाती तो इसमें यह भावना है कि हम किसी विशेष जाति के यानि राजपूत जाति के लोग हैं या जिसके पीछे 'सिंह' लगा है, किसी तरह से सताना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे खेतसिंह जी मन्त्री मण्डल की बैंचों में नहीं नजर आते।

("हियर हियर" एवं करतल ध्वनि)

श्री भैरूसिंह (१६)—वापिस भी जा रहे हैं वे।

श्री जयनारायण व्यास (जारी)—राजपूत जाति के प्रति सरकार का और कांग्रेस का, मैं कांग्रेस की तरफ से कह सकता हूँ कि उसकी वही नीति है जो दूसरी जातियों के प्रति है। राजपूत हो, चाहे जाट हो, हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, हमारी दृष्टि में सब जातियां एक हैं और कोई भी कार्य जाति के ख्याल से होता है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिये। हो सकता है कि हमारे और आपके द्वारा भी कहीं कोई भूल हो जाय और उस भूल का परिणाम किसी जाति के किसी व्यक्ति के साथ ज्यादती में निकल जाय तो जैसे ही भूल मालूम होगी, कांग्रेस और सरकार भी बेशक उस ज्यादती को हटवाने की कोशिश करेगी, उसी तरह से जिस तरह एक जमाने में जब कि राजपूत कहलाने वाले शासकों द्वारा गलतियां की जाती थीं और उन गलतियों को ठीक कराने के लिए कांग्रेस उनके विरुद्ध भी संघर्ष करती थी राजाओं के जमाने में। एक जमाना था कि जब महाराजा जोधपुर ने, उनके प्रति मेरी अब भी श्रद्धा है, यह तो कर दिया कि सिवाय राजपूत और कायमखानी के और कोई जाति का आदमी फौज में नहीं रहना चाहिये। उस समय इस ज्यादती के खिलाफ बगावत का झन्डा उठाया गया और उसमें कांग्रेस ने पूरा पूरा साथ दिया तो इस तरह से यह समझ में आना चाहिये कि किसी जाति या किसी एक वर्ग के प्रति किसी की तरफ से भी कोई गलती होती है तो बराबर वह गलती और ज्यादती हटाने की कोशिश की जा सकती है। पर ज्यादती वह क्या है और हटाने और हटवाने के तरीके क्या हैं, यह देखना होगा।

मुझे यह अफसोस जरूर है कि विरोधी दल के नेता ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि दर-असल यह भूस्वामी आन्दोलन का तरीका ठीक है या गलत है। मैं खुद तो हैरत में पड़ता हूँ जब पहले-पहल यह अन्दोलन शुरू होता है। मैं बताऊं राजपूत, छोटे राजपूत मेरी सहानुभूति के पात्र हैं। अगर वे कष्ट पाते हैं तो उनके इस कष्ट को बटाने की कोशिश करूंगा, मेरी जितनी मदद हो सकेगी उनको उतनी पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

(करतल ध्वनि)

[श्री जयनारायण व्यास]

पर साथ ही यह बात कभी पसन्द नहीं करूंगा कि कोई भी जाति या वर्ग फिर चाहे वह वर्ग राजपूत जाति का वर्ग हो और छोटे राजपूत ही क्यों न हों कि वे कानून को अपने हाथ में लें, सभ्यता को तलाक दे दें और जो तरीके काम में नहीं लाये जाने चाहिये वे काम में लायें वे। मुझे यह कुछ नहीं पता कि यह आन्दोलन चला क्यों ? मेरे पास कुछ भूस्वामी भी आये। जेल से छूट कर भी आये मैं कहीं बाहर दूर में भी गया तो चिट्ठी भी उन्होंने मुझे भेजी। वे मुझ से सलाह चाहते थे इसमें। मैंने पूछा उनको कि आपका यह आन्दोलन क्यों हो रहा है, पर कोई ठीक उतर नहीं मिलता। पता नहीं लगता है कि यह आन्दोलन किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है ?

यह ठीक है कि उनकी जगीरें छिन गई हैं, यह ठीक है कि इस छीना-झपटी में कुछ तकलीफें भी हुई हों, पर मैं पूछना चाहता हूं कि इससे क्या ये जागीरें कायम रहने दी जावें, आप यह चाहते हैं ? राजाओं ने इस राजस्थान के अन्दर एक स्थायित्व कायम किया था, अपने अपने राज कायम किये थे, पर आज के वक्त इस बिना पर कि उन्होंने यहां स्थायित्व कायम किया, इन राजाओं का रहना सम्भव है ? जागीरदार भी अपने जमाने में बड़े उपयोगी तत्वथे, पर क्या वह उपयोगिता आज के इस युग में कायम रह सकती है ? राजप्रमुख संस्था भी अपने आप में एक समय उपयोगी समझी गई, पर एक समय ठीक समझी गई इसलिये आज भी यह ठीक समझी जावे और ठीक समझी जाकर कायम रक्खी जावे, तो क्या आज यह संस्था कायम रह सकती है ? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पुरानी होने के बाद में और उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाने के बाद में टिक नहीं सकती हैं। तो समय की मांग को देखते हुए हरेक संस्था को, हरेक वर्ग को तैयार हो जाना चाहिये, नवीनता में अपने को ढालने के लिए। अगर नवीनता से घबरावेंगे तो नहीं चलने वाले हैं कोई भी। अगर इस स्थिति में भूस्वामी संघ के इस आन्दोलन का अर्थ यह है कि जो जागीरें थीं वे रहनी ही चाहिये, जितने गांव उनके पास थे वे उनके पास कायम रहने चाहिये, जो उनकी लाग-बागें थी वे कायम रहनी चाहिये, बेगार भी कायम रहनी चाहिये, अगर यह कल्पना है उनकी तो मैं समझता हूं कि यह कल्पना हमारे विरोधी दल के नेता के दिमाग में नहीं होगी, पर अगर यह कल्पना किसी के भी दिमाग में है तो वह निकाल देनी चाहिये उनको। उनको दूसरा तरीका यह भी सोच लेना चाहिये कि यह संस्था, यह परिपाटी, यह सिस्टम कायम नहीं रहने वाला है, अब किसी सूरत में भी। उस संस्था को, उस परिपाटी को हटाने के लिए, मैं खास तौर से विरोधी पक्ष के नेता और अन्य दूसरे महानुभावों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन मसलों को बहुत बुद्धिमानी के साथ हल किया। बड़ी बड़ी जागीरें रिज़्यूम हुई हैं, हो भी रही हैं और साथ ही साथ जगीरदार लोग भी, बड़े बड़ों ने तो अपनी व्यवस्था कर ही रक्खी होगी, अपनी व्यवस्था करने में लगे होंगे। जो छोटे हैं और काफी छोटे हैं, जो अपनी व्यवस्था अपने आप करने की स्थिति में नहीं हैं उन छोटों की भी पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिये, यह बात ठीक है, यहां तक मैं पूरी तरह से सहमत हूं। पर जहां गलत कदम इसके लिए उठाया जाता है वहां समर्थन करने का सवाल मेरे लिये कभी पैदा नहीं हो सकता और इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती।

[श्री जयनारायण व्यास]

उनकी मदद मैं करना चाहता हूँ और इस तरह से करना चाहता हूँ और यह कह कर करना चाहता हूँ कि वे गलत तरीका छोड़ दें। इस आन्दोलन के सिलसिले में यह कह सकता हूँ और बार बार यही सुनता हूँ कि इसका कोई ठीक उद्देश्य नहीं है। एक बार में परबतसर किसी काम से गया। वहां मुझे कहा गया कि मुझसे कुछ भूस्वामी बात करना चाहते हैं। मैंने बातचीत की। मैंने कहा, वापिस क्यों चालू कर दिया, एक बार जब समझौता हो गया तो इसके बाद अगर कोई शिकायत है तो मुख्य मंत्रीजी से मिलो, उनसे बात करो, अगर उनसे आपको सन्तोष नहीं होता है तो कांग्रेस वालों से बात-चीत करो, डेबर भाई तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, उनसे मिलो; पर बातचीत नहीं करते और इस तरह कानून को हाथ में लेकर चलना चाहते हो तो यह क्या बात है ? वही सवाल दुबारा इसलिये कर रहा हूँ कि वे कहते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय ने हमें पहले लिखकर दे दिया था और इसके बाद में हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं उस समझौते के अनुसार। इस पर मैंने कहा वह चिट्ठी मुझे दिखाओ, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको दी बताते हैं। पर वह चिट्ठी भी प्रोडयूस नहीं कर सके। आज कु० जसवन्तसिंह जी यह कह रहे हैं कि चिट्ठी है उनके पास, देते इसलिए नहीं हैं कि चिट्ठी छीन कर ले जावे कोई उनसे, तो कौन चिट्ठी छीन कर ले जा सकता है ? सदन में वह स्पीकर की प्रोपर्टी होती है, कभी कोई यहां से चिट्ठी छीन कर ले जाए, ऐसी स्थिति मैं मानता नहीं हूं।

श्री मानसिंह महार:—सरकार ही क्यों नहीं जवाब दे देती कि ऐसी कोई चिट्ठी दी गई या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास:—(जारी) सरकार तो जवाब उस वक्त दे जब जरुरत हो।

कु० श्री जसवन्तसिंह:—चिट्ठी पेश हो जावेगी।

श्री जयनारायण व्यास:—अच्छी बात है, तब धन्यवाद। तो फिर मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों हुआ और बाद में क्यों बन्द हुआ और फिर क्यों यह आन्दोलन चालू किया गया और दो, चार, छः या आठ-दस कोई उनकी शर्तें हुई, जो पूरी नहीं हुई तो वे उन्हें बतावें; तब बाद में तो कोई सोच भी सकता है, नहीं तो हमारे लिए तो सोचने का कोई विषय नहीं है। आगे हमारे राजप्रमुख महोदय ने यह जाहिर किया था कि ४८५५ जागीरें ले ली गई हैं, जिनकी आय २ करोड के करीब होगी। मैं पूरा समझ नहीं पाया। समझ इसलिये नहीं पाया हूँ कि हमारी जागीरों की जो यह संख्या है वहां मामूली जागीरें ७६३२ हैं और जो चैरिटेबल या धर्मार्थ में दी हुई हैं वे थीं १३४३। अब इनकी आय, मैंने बहुत कोशिश की इनकी आय के आंकडे तलाश करने की, अपनी यहां की लाइब्रेरी में भी तलाश किया, पर मुझे नहीं मिली; इनकी भी रेन्टल की तीन करोड़ और ६४ लाख के करीब की हमको आमदनी मिलती है। तो अब यह ४८५५ जागीरें ले ली गई हैं तो उनकी आमदनी कुछ अधिक होनी चाहिये दो करोड़ से। तो या तो यह आय

[श्री जयनारायण व्यास]

लगान की आय है, जहां तक मेरा ख्याल है। दो करोड़ आय की जागीरें नहीं होंगी। यह रेन्टल इन्कम होगी। मैं समझता हूं, ऐसा ही होगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया:—जी हां, ऐसा ही है। यह रेन्टल इन्कम है।

श्री जयनारायण व्यास:—(जारी) अब ये दो करोड़ की लगान की जागीरें हैं। ५० लाख के ऊपर की तो मेरे हिसाब से जयपुर की हो जाती हैं, जिनमें १५-१५ लाख की तो सीकर, खेतडी, उणियारा रावराजा साहब की जागीरें होंगी, जिनको अपनी जागीरें जाने का अफसोस है या खुशी है, यह मैं तो नहीं कह सकता। रावराजा साहब स्वयं कहें, तो अच्छा है।

(हंसी)

कु० श्री जसवन्तसिंह:—मुआवजा नहीं मिल रहा है। इनको इसके लिए अफसोस नहीं हो रहा है आपको ?

रावराजा श्री सरदारसिंह:—पहले शुरुआत तो हमसे ही हुई थी।

श्री जयनारायण व्यास:—बाकी सात-आठ हजार की होंगी। फिर तो यह एक प्रसन्नता की बात है कि ये जागीरें ले ली गई, और इस बात की प्रसन्नता है कि जागीरदारों ने शान्ति के साथ खासकर बड़ी बड़ी जागीरें दीं क्योंकि इसमें बड़े बड़े जागीरदारों की जागीरें ज्यादातर होंगी। सीकर ७-८ लाख की हो जाय, उनियारा हो जायगी ५-६ लाख की, बिसाऊ हो जायगी, मन्डावा हो जायगी २, ३ लाख की। इस तरह से अच्छी बात है............

श्री सरदारसिंह:—आपकी गाइडेन्स मानकर हमने वालेन्टरी तौर पर जागीरें सम्भलाई, उसका आज परिणाम भुगत रहे हैं।

श्री जयनाराण व्यास:—यह बड़ी खुशी की बात है कि जागीरें ले ली गई हैं और उसके बाद में जागीरदारों के वापिस रिहेबिलिटेशन की कार्यवाही नहीं की गई हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और हमारे राजस्व मंत्री से या मंत्री मंडल के अन्य सदस्यों से निवेदन कर सकता हूँ कि उसकी कार्यवाही की जाय और खास तौर से उनियारा की पहले कर दी जाय।

(हंसी)

श्री जसवन्तसिंह:—व्यास जी महाराज..........

(हंसी)

श्री अध्यक्ष:—When parliamentarians behave like this..........

(अट्टहास)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ओन ए प्वाइन्ट आफ एक्स्प्लेनेशन, सर, सब रामायण पढ़ ली गई और आखिर में पूछा गया कि राम कौन था और सीता कौन थी ? तो हमारा पहला आग्युमेंट तो यही है कि हमने बड़ी खुशी से जागीरें सौंपी और सब कुछ हुआ, लेकिन हमें कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा रहा है, रिहेबिलिटेशन नहीं दिया जा रहा है। जहां कहीं दिया जा रहा है तो वह दूसरी जगह। हमारी सिर्फ यही शिकायत है। उसका हमें अफसोस है।

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ऐसा ख्याल है.......

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपको मिल गया है।

श्री जयनारायण व्यास—विरोधी पक्ष के नेता लंका कान्ड से रामायण शुरू करवाना चाहते हैं। रामायण का पढ़ना समाप्त नहीं हुआ है। रामायण अभी चालू हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—लंका कान्ड तक आने का इरादा तो हो।

श्री जयनारायण व्यास—रामायण में लंका काण्ड तक जाने का इरादा है तथा एकाध काण्ड और बढ़ाने का इरादा है।

मैं यह कह रहा था कि एक बात स्पष्ट हो गई है कि दो लाख की जागीरें हैं वे दो करोड़ के रेन्टल की हैं, दो करोड़ के लगान की जागीरें हैं। दूसरी बात में चाहूँगा कि चाहे राजस्व मंत्री या मुख्य मंत्री जी, जो भी उत्तर दें, वह जरा इतना स्पष्ट कर दें कि अब तक कितनी जागीरों को मुआवजा दे दिया गया है और कितनों को नहीं दिया गया है व कितनों की एप्लीकेशन्स आई हैं। तो माननीय जसवन्तसिंह जी पूछना चाहते हैं उसका जवाब मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको जवाब मिल जायगा कि कितनों को मुआवजा दे दिया गया है और कितनों को नहीं दिया गया है और कितनों की एप्लीकेशन्स आई हैं। मुझे ऐसी सूचना मिली है कि कई जागीरदार भाई अपनी एप्लीकेशन्स, अपने दावे, भी पेश नही कर रहे हैं। अगर दावे पेश नहीं करते हैं तो उनको समझाना चाहिये कि अपने दावे पेश कर दो। यह ठीक है कि आन्दोलन करो या चुपचाप सहायता दो वह अपनी जानें, लेकिन दावे तो पेश करें। दावे पेश नहीं करें और यह कह दें कि कम्पेन्सेशन नहीं मिला, उसमें न सरकार की गलती है और न कांग्रेस की; माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा आपकी मार्फत श्री जसवन्तसिंहजी से।

अब जागीरों के मुतल्लिक दो-तीन बातें और रह जाती हैं। वह भूस्वामी आन्दोलन के सिलसिले को लेकर कह दूं तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। भूस्वामी आन्दोलन का जो मैं अध्ययन कर पाया हूं वह यह है कि हमारे जो राजपूत सरदार हैं उनमें भी दो तरह के मत-भेद चल रहे हैं।

[श्री जयनारायण व्यास]

एक मत भेद तो यह है कि जो भी जागीरों के मामले हैं वे निपटा दिये जाने चाहिए और निपटा दिये जाने चाहिए आपस के समझौते से । यह हो सकता है, जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि यह मत लाचारी से बना लिया है । लाचारी इसलिए नहीं कि कांग्रेस कोई लाचार कर रही है, बल्कि लाचारी इसलिये है कि अब स्थिति ऐसी है कि इसमें सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है । कोई भी कारण हो, लेकिन एक मत ऐसा है कि आपस में समझौता करके जागीरों को समाप्त करें और साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन की कार्यवाही करें । इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालना चाहूँगा ।

दूसरा मत यह है कि जागीरें रहनी चाहिए और वे कायम रहनी चाहिए । इस दूसरे मत के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस विरोधी तत्व हमेशा रहे हैं, साम्प्रदायिक रहे हैं; हिन्दू सभा को ले लीजियेगा, आर.एस.एस. को ले लिजियेगा , जनसंघ को ले लीजियेगा । कई बार जब कि जनरल इलेक्शन्स हुए थे तब यह सब तत्व कांग्रेस के विरोध में थे । आज राजपूत छात्र संघ आर. एस.एस की लाइन्स पर चल रहा है । वह भी उसी ढंग से चल रहा है और ऐसे जो तत्व हैं उनका मैं कोई समर्थन नहीं कर सकता और मैं यह भी चाहूँगा, और यह प्रार्थना करूंगा विरोधी दल के नेता से कि वे ऐसे तत्वों को प्रोत्सा हन न दें, बल्कि जो लोग समझौते के साथ, निपटारा करा देना चाहते हैं उनके हाथों को मजबूत बनाएं । उनसे अनुरोध करना है कि आप इधर बैठ जाओ और उधर बैठ जाओ, यह नहीं करना चाहिए । उनके हाथ मजबूत बनाने की कार्यवाही जो है वह मैं समझता हूँ, सरकार को करनी चाहिए थी । जिस समय भूस्वामी आन्दोलन चला उस समय दांता के ठाकुर साहब भूस्वामी नहीं हैं, उनका एक पत्र भी मुझे जेल से लिखा हुआ मिला था । मुझे अभी उसका उत्तर देना है फिर भी उनका नेतृत्व हो गया । उनका नेतृत्व स्वीकार करना है, वह गलती करना है । ऐसे तत्वों का नेतृत्व स्वीकार करना एक तरह से उनको मजबूत बनाना ही है, बल्कि जो लोग आये हैं हमारे साथ इस खयाल से कि शान्ति के साथ एक प्रश्न का निपटारा हो जाय उनको कमजोर करना है । यह गलती करते जायेंगे तो हम अपने साथियों को कमजोर करेंगे और अपने विरोधियों को मजबूत करेंगे । अगर जान बूझकर ऐसी गलती हो जाय तो उस गलती से कदम हटाना चाहिए, बल्कि जो लोग वायोलेन्स में विश्वास करते हैं, जो लोग हिंसा की कार्यवाही करते है, उनको कतई रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहिए और मजबूती के साथ उनको कह देना चाहिए कि हम आपके काम को रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं । वायोलेन्स का मतलब मैं पत्थर फेंकने या कांच तोड़ने से ही नहीं मानता, वायोलेन्स का मैं व्यापक अर्थ में प्रयोग करता हूँ । अगर कोई गाली देता है, कोई अर्थी जलाता है, हड़ताल करता है, या धरना देता है, उसको भी वायलेन्स कहता हूं । जो संगठन ऐसा करते हैं उनका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ । उन्हें यह चाहिए, विरोधी पक्ष वालों को भी चाहिए, कि मजबूती के साथ इस तरह के तत्व जो हों उनका विरोध करें । अगर उसके बाद में उनकी समझ में सरकार की तरफ से कोई कमी है या कांग्रेस की तरफ से कोई कमी हो तो गोल मेज हो, चपटी मेज हो या लम्बी मेज हैं, उस पर बैठकर बातचीत करें । यह दूसरी बात है कि वह हो सकता है या नहीं हो सकता है । एक तरफ तो कार्यवाही होती रहे गलत-शलत और दूसरी तरफ सिर्फ सरकार को यह

[श्री जयनारायण व्यास]

कह दें कि सिपाही वहां खड़े हो गये। इसमें कोई शक नहीं कि सिपाही जरूर बैठे हैं वहां। मैं समझता हूं कि सरकार ने अच्छा किया विरोधी पक्ष में कि उन्होंने पुलिस का पहरा लगा दिया, इसलिए नहीं कि वह भाग जायेंगे। विरोधी पक्ष के नेता चाहे स्वीकार करें या न करें, उन तत्वों में से हैं जो शान्ति के साथ जागीरों को खत्म करने वाले थे। भावावेश में आकर मुमकिन है कुछ भी कह दिया है। सुखाड़ियाजी की अर्थी जलादी, इसकी हम परवाह नहीं करेंगे लेकिन चूंकि वे विरोधी पक्ष के हैं इसलिए उनको हिफाजत होनी चाहिए। हां, इतनी बात जरूर है कि जैसा कि उनकी बातों से मालूम हुआ है कि यदि उनके कमरे में जाने में दिक्कत होती हो तो ऐसे सिपाही जो खुर्राटे भर रहे हों तो उनकी व्यवस्था दूसरी हो सकती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मुझे कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते।

श्री जयनारायण व्यास—(जारी) मुझे ख्याल है। यह पुरानी प्रथा की प्रतिक्रिया है। पहले स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था और बाहर नहीं निकलने दिया जाता था।

(हंसी)

इस विषय में चर्चा करते हुए एक भाई हरिकृष्ण व्यास ने यह भी कहा और अखबारों में भी निकला कि भूस्वामी आन्दोलन में डाकू बलवन्तसिंह, जिनका पहले हृदय परिवर्तन हो गया था, अब मस्तिष्क परिवर्तन हो गया है इसलिये उनके साथ चले गये हैं, इसका जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि यह बात ठीक है, कॉम्यूनिस्ट तरीके से तो बहुत ठीक है। मैंने पहले कम्युनिस्टों के तरीकों को पढ़ने और समझने की कोशिश की है। रेड ट्रेप और कम्युनिस्टों के अन्य सिद्धान्तों को मैं जानता हूँ। इस बारे में थोड़ी तैयारी होने की कोशिश करनी चाहिये। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि जिस तरह से जागीर प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं उसी प्रकार शान्ति और सुरक्षा के प्रश्न को हल करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि उसकी जड़ में जाया जाय कि शांति की व्यवस्था बिगड़ती क्यों है? यदि कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो उसे सुधारने का तरीका भी हो सकता है। मुझे जेल में रहने का अनुभव है, जो अनुभव कुं० जसवन्तसिंहजी को प्राप्त नहीं होगा। जेल में मुझे चोरों, लफंगों, डाकुओं, खूनियों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अच्छा अवसर मिला। मैं कह सकता हूँ कि जितनी समस्यायें शान्ति और व्यवस्था की है उसके मूल में आर्थिक व्यवस्था है। यदि कुछ तत्व आर्थिक व्यवस्था बिगाड़ दें तो चोरी, डाके के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। यदि मैं इनका पुराना इतिहास पढ़कर सुनाने लगूं तो पता चलेगा कि भील या और जातियां जो ऐसा काम करती हैं पहले राजा थे और बाद में क्रिमिनल ट्राइब्स हो गये थे। इस इतिहास के पीछे क्रिमिनल ट्राइब्स का पता चलता हैं। जो चोर-डाकू हैं उनको बराबर सज़ा देनी चाहिये लेकिन इसके साथ ही साथ उनके बाल बच्चे आगे जाकर चोर, डाकू, बदमाश न बनें इसकी व्यवस्था करना भी सरकार का काम है। यह सोचने का तरीका है। लोगों को बसा देना चाहिये जमीन पर और

[श्री जयनारायण व्यास]

धंधे पर जिससे कि वे अपने खाने पीने की व्यवस्था स्वयं कर सकें और चोरी डाका न करें; ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरा तरीका यह है कि किसी तरह रिहेबिलीटेशन की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये और सिर्फ लाठी रखनी चाहिये। पता नहीं कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या तरीका है? लाठी का या रोटी का। दोनों में से एक अपनाना पड़ेगा। दोनों को भी अपनी अपनी जगह अपनाना पड़ेगा। रोटी देते हुए भी शरारत करें तो लाठी भी देनी पड़ेगी और जिनको लाठी मिलती है बदमाशी के कारण उनको रोटी भी देनी पड़ेगी। सरकार में रद्दोबदल होता है। मुझे खुशी है कि आज भी गृह मंत्री व्यास हैं। मेरा ख्याल है कि रोटी देने का तरीका उनको भी नापसन्द नहीं है। जिस दिन सरकार यह ख्याल करेगी कि यह गलत है तो यदि सरकार अपनी गलती मानेगी तो मैं मान लूंगा कि रोटी का तरीका गलत है। आदमी गलती करता है और गलती करता है तो उसको मानने में भी बहादुरी है, कमजोरी नहीं।

जिनके ऊपर अभी मुकद्दमा चल रहा है उनको आत्म-सर्म्पण करना पड़ता है। क्या बलवन्तसिंह भी उनमें से था। मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जब उसने आत्म-समर्पण किया, उस समय वह क्रिमिनल पेशा था, डकैत था लेकिन मैं इन डिटेल्स में अधिक नहीं जाऊंगा।....

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस पर मर्डर केस था।

श्री जयनारायण व्यास—मुझे मालूम है, मुझ पर और द्वारकादासजी पर भी केस था। कैसे केस होते हैं, यह भी मुझे मालूम है। समर्पण किया उसके बाद में मुझे मालूम हुआ। मैंने बोर्डर देखा है। सरकार के गृह-मंत्रीजी काफी वाकिफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बोर्डर से वाकफियत है; उससे फायदा उठाना चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—लेकिन क्या आप ठीक सलाह देंगे?

श्री रामकिशोर व्यास—वे सरकार को और आप को भी सही राय देते हैं।

श्री जयनारायण व्यास—बोर्डर को पहले समझना चाहिये। हमारा ७०० मील का बोर्डर पाकिस्तान से लगता है। जोधपुर से लेकर बोर्डर जैसलमेर तक चला गया है। इसमें तीन जातियें विशेष रूप से रहती हैं उनमें से एक है राजपूत, दूसरे हैं मुसलमान और तीसरी जाति है हरिजन। हरिजन जाति जिसको बहुत ताकतवाली जाति कहते हैं वह आज नहीं है। आगे जाकर वह ताकतवाली जाति हो सकती है. ऐसी आशा करते हैं और इच्छा भी करते हैं। ये दोनों जातियें मुसलमान और राजपूत ताकत वाले हैं। ये दोनों जातियें पाकिस्तान के इस तरफ भी हैं और

[श्री जयनारायण व्यास]

उस तरफ भी। इन दोनों में विशेष प्रकार के राजपूत इधर हैं। मेरा मतलब सोढा जाति से है। बलवन्तसिंह सोढा नहीं है, चौहान है। मुसलमानों में श्रम और दशक जातियें हैं। दशक जाति प्रत्यक्ष में नहीं किन्तु परोक्ष में जागीरदार है। वैसे प्रत्यक्ष में भी उनमें बड़े जागीरदार हैं। वे कुए बनाते हैं और भेड़ बकरियों का पालन करने का धंधा करते हैं। इस सदन में हादी साहब उनके प्रतिनिधि हैं। दूसरी कौम हरिजन है, उससे भी ये पैसे वसूल करते हैं। दशक जाति के जागीरदार मुसलमान श्रम जाति के लोगों को भी बहुत नहीं समझते थे। यह सोढा राजपूत भी ताकत वाली कौम थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में भाई-भाई की तरह रहते आये हैं और दुश्मन की तरह भी रहते रहे हैं। ये दोनो जातियें बोर्डर पर शान्ति से रहें, यह सरकार की इच्छा थी और मैं समझता हूँ कि अभी भी सरकार की यह इच्छा है कि दोनों के सम्बन्ध अब भी अच्छे रहने चाहिये। जिस समय बलवन्तसिंह फरार था और फरारी से वापिस आया उस समय इन दोनों के अच्छे सम्बन्ध नहीं थे। जो मारे गये हैं उनके बीच में झगड़ा था, जमीन के एक टुकड़े के बारे में झगड़ा था। मैंने व्यक्तिगत प्रभाव से उन दोनों को बुलाया और समझाया कि अब यदि इसमें गलती की है तो मैं उसके लिये सजावार हूँ और यदि अच्छा काम किया है तो मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। मैं चाहता था कि शान्ति का वातावरण चलता रहे; हयात साहब और बलवन्तसिंह के बीच में। शायद हादी साहब जो यहां मौजूद हैं उनको बोलने की इजाजत अध्यक्ष महोदय देंगे। वे ओन दी स्पोट हैं, उनका विचार जान लेना चाहिये। इसके बाद जो कुछ हुआ वह अखबारों में आ चुका है, मैं उस पर राय नहीं देना चाहता। इतना जरूर कहना चाहता हूँ और यदि सच है तो उलाहना देना चाहता हूँ होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सरकार को; जब कि सम्बंध बिगड़ गये और मोहम्मद हादी ने अधिकारियों को कहा कि हयात की तरफ से खून होने का अन्देशा है तो उसके बाद ज्यादा सतर्क रहना चाहिये था। झगड़ा होता है और खून की नौबत भी आ जाती है। पुलिस को इसके लिये एक्शन लेना चाहिये था। ऐक्शन उसको गिरफ्तार करके या किसी दूसरी तरह से लेना चाहिए था। रक्षा के दूसरे साधन भी हैं जो काम में लेने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने इस सम्बन्ध में लापरवाही की और उसके इस प्रकार की लापरवाही के कामो को मैं पसन्द नहीं करता। इसके माने यह नहीं कि अगर एक-आध मामले में गलती करते हैं, आई. जी. पी. काफी काबिल आदमी है, और अगर एक-आध गलती करते हैं तो उसके लिए हमेशा के लिए उनको कन्डेम करना, मेरी पोलिसी में नहीं है। अगर पहले से रिपोर्ट कर दी थी तो जरूर एक्शन लिया जाना चाहिए था। एक तो बोर्डर और दूसरा गंगानगर के एरिया से कहीं से थोड़ी सी बात भी आ जावे तो सावधानी रखनी चाहिए। गंगानगर बोर्डर पर आ जाता है। गंगानगर के इन्टीरियर में भी काफी स्थिति गंभीर हो जाती है। अब यह कह देना कि मस्तिष्क में परिवर्तन हो गया; या तो यह कहना चाहिये कि हम रक्षा की पोलिसी में विश्वास नहीं करते और लाठी में विश्वास करते हैं, लेकिन हम लोग जो शांति में विश्वास रखते हैं शांति के तरीकों से रक्षा होनी चाहिए। अगर कोई गलत कदम हो जावे तो कोई संतोष नहीं होगा, लेकिन गलत कदम को वापिस ले लें। यह नीति है जिसके बारे में पलटने की जरूरत हो, पलट देना चाहिए और जो नीति काम में लानी है लानी चाहिये।

[श्री जयनारायण व्यास]

शांति और व्यवस्था के बारे में मै कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि शांति की व्यवस्था लगातार सुधरती जा रही है। मेरे ध्यान में यह लाने की कोशिश की कि ५३-५४ में या ५३-५४ की सरकार की गलती बताने के लिये यह कहा गया है। मैं विश्वास नहीं करता। ५३-५४ के आंकड़ों पर हम आवेंगे। अगर वास्तव में देखा जाए तो सन् १९४९ से बहुत गड़बड़ी चल रही थी। उसके बाद कुछ लोगों ने सरेन्डर किया और उससे कुछ शांति हुई। शांति तो कायम हुई लेकिन इस शांति में कुछ गड़बडियाँ होने लगी हैं। इसकी तरफ मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस संबन्ध में मैं सेन्टर का भी ध्यान आकर्षित करूंगा, हो क्या रहा है? काफी शांति हो गई मगर एक दल डाकूओं का है उसमें हनुमानसिंह, भंवरसिंह, हरनिया के ठाकुर साहब जो हमारे कु० श्री जसवन्तसिंहजी के पड़ोसी है, वगैरह पाकिस्तान में हैं। ये लोग कभी ४ या ६ महीनों में आ जाते हैं और किसी एक बनिये को उठा कर ले जाते हैं और फिर १० हजार रुपये उससे ले लेते हैं। उनको हम पाकिस्तान में खदेड़ देते हैं। पाकिस्तान ने इस दल को हमें सौंपा नहीं और उन्होंने इस दल का पीछा किया नहीं। अभी मालूम हुआ है कि बलवन्तसिंह भी पाकिस्तान में है। अब तक डाका तो किया या नहीं, लेकिन जहां तक अखबारों से मालूम होता है डाका नहीं किया है। इनको पाकिस्तान वाले शरण दे रहे हैं। यदि ये कच्छ और सिंध या गुजरात में चले गये तो बहुत बड़ी तादाद हो गई है। ये अगर उनकी मदद करते रहे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। यहां के जागीरदारों को अफसोस है कि उनकी जागीरें समाप्त हो गई लेकिन मैं सूचना देना चाहता हूँ..........

कु० श्री जसवन्तसिंह:—हमें किसी प्रकार का अफसोस नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास:—अगर अफसोस नहीं है तो भूस्वामियों के आन्दोलन को वापिस ले लेना चाहिये और कोम्प्रोमाइज़ की बात करनी चाहिये। १२॥ प्रतिशत..........

कु० श्री जसवन्तसिंह:—कोम्प्रोमाइज़ की बात करें किससे?

श्री जयनारायण व्यास:—कम्पेन्शेसन की बात बाद में भी हो सकती है, कौन मना करता है; लेकिन अफसोस तो है ही।

रावराजा श्री सरदारसिंह:—आयन्दा जनरल इलेक्शन के बाद सब को कम्पेन्सेशन मिल जावेगा।

श्री जयनारायण व्यास:—कांग्रेस कम्पेन्सशन जरूर देगी। मैं शांति और व्यवस्था की बात कर रहा था। मैं ज्यादा समय न लेकर कहूँगा।

श्री अध्यक्ष:—अब समय खत्म हो रहा है।

श्री जयनारायण व्यास:—मैं यह अर्ज कर रहा था कि वे लोग अभी तक पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के लोग हमारी मदद कर सकेंगे या नहीं, इसमें मुझे शक है। कहा जाता है कि १६ डाकू जागीरदार बने हुए हैं और यह बहुत संभव है कि राजपूतों में जो अधिकारी हैं उनमें भी उन लोगों के प्रति सहानुभूति हो, ताकि उनका बोर्डर सुरक्षित रहे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जानी चाहिये और सेन्टर पर भी इसके लिये दबाव डालना चाहिये कि हमारे बोर्डर को जो इन्वेड करें, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे। मैं काफी अर्ज कर चुका हूँ।

मैं एक बात बता दूं कि कुछ बातें बुरी लग सकती हैं, जैसे अभी श्री हरिकृष्ण व्यास ने सीलिंग कमेटी के बारे में कहा। मेरे पास बहुत वक्त नहीं है क्योंकि मैं यहां ज्यादा रहता नहीं हूँ, मैं यह कहूँगा कि यह कमेटी तो बहुत पहले थी, इसका काम जल्दी ही खत्म होना चाहिये और अगर वह काम जल्दी समाप्त नहीं होता है तो सारे के सारे अधिकारी लोग ऐसी बातें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो और जिसकी वजह से गलत फहमी फैल सकती है और कांग्रेस और गवर्नमेंट बदनाम हो सकती है। इधर तो हम सीलिंग के बारे में तय करते हैं और उधर चुप-चाप कुछ लोग कहीं पोलो ग्राउन्ड और पब्लिक पार्क खरीद रहे हैं, और मिनिस्टरों को इसका पता ही नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मिनिस्टर खुद अलॉट करके लेते हैं, फिर कैसे उनको पता नहीं रहता?

श्री जयनारायण व्यास:—कई चीजें ऐसी होती है कि मिनिस्टरों को पता नहीं लगता, कई चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में कमिश्नर को पता नहीं लगता। इसलिये सीलिंग को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिये। जागीरों का पुनर्गठन कर लिया गया है और जो रह गई हैं उनको हम कर लेंगे।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वह है मुआवजे के संबन्ध में। इस संबन्ध में कुछ व्यवस्था की गई है। पंत रिपोर्ट में कहा गया है कि खुद काश्त वगैरह कितनी देनी चाहिये। मुआवजे के बारे में एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उसमें सब लोग हैं, उसमें जागीरदार भी हैं, सब कोई हैं। वह कमेटी अपना काम करती होगी लेकिन एक बात सुनने में आई कि उनके अलावा भी कुछ लोग वकील बने हैं जो सहायता करेंगे, जिनको २००) ४००) तनख्वाह मिलेगी। यह मैं ना पसन्द करता हूं। वे नये-नये आदमी हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये। और ऐसे वकील जो बनते हैं उनमें भी बहुत सारे इस अनुभव के हैं कि जिनको कुछ पता भी नहीं है। ये नई पोस्ट क्रियेट करके लोगों में गलत फहमी नहीं होने देना चाहिए कि किसी को फेवर करके निराली ही कोई चीज़ बनायी है। क्यों बनायें? क्या हमारे पास अफसर नहीं हैं? ४०० की एवजी है तो, एस० डी० ओ० को तो मेरे ख्याल से २५० से ही शुरू करते हैं, वह लॉ ग्रेजुएट होता है, तहसीलदार को लगा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों में हमारी बदनामी हो।

[श्री जयनारायण व्यास]

कुछ शिकायतें मेरे पास भी आ रही है। शिकायतें लोग लाते हैं। वैसे मैं यहां बहुत कम रहता हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब यहां आता हूँ तो बहुत सारी चिट्ठियां आ ही जाती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेम्बर हैं उनको २००) और देकर मेम्बर बना दिया गया है। कम्युनिस्ट भाई रिश्वत से इधर उधर पलट जाते हैं, यह मुझे पता नहीं है (हंसी) ऐसा सुनने में आया है कि कम्युनिस्ट भाई को दो सौ रुपया दे दिया गया तो उसने चोला बदल लिया, जो कभी खादी के कपड़ों को पसन्द नहीं करता था उसने खादी पहन ली।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे पहले से ही खादी के समर्थक थे और कम्युनिस्ट नहीं थे, आपकी सूचना के लिए कह दूं।

श्री अध्यक्ष—He has been disowned now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He was never owned. When according to that method there are many who could be owned

("टाइम हो गया है" इस प्रकार की आवाज)

श्री जयनारायण व्यास—तो मैं कहना चाहता था कि....

श्री अध्यक्ष—आप कितना समय और लेंगे।

श्री जयनारायण व्यास—मैं पांच मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा। अगर आप १५ मिनिट देना चाहें तो मैं फिर कन्टीन्यू रखूं।

श्री अध्यक्ष—१५ मिनिट के बजाय पांच मिनिट में ही खत्म कर दीजिये।

("कल बोलिये" इस प्रकार की आवाज)

इतना मैं अध्यक्ष महोदय। विश्वास दिला दूं कि मेरी दो बातें मेरे काम्युनिस्ट साथी की तरह लम्बी नहीं होगी कि जिसमें दो घंटे चले जांय।

श्री अध्यक्ष—कन्टीन्युटी रह जायगी।

श्री संतोषसिंह (कछवाहा)—और सोच लीजिये।

श्री जयनारायण व्यास (जारी)—मेरा ऐसा खयाल है कि मुझे बहुत सोचने की जरूरत

[श्री जयनारायण व्यास]

नहीं है। उम्र से ही सोच लेता हूं और अनुभव से भी सोच लेता हूँ और पार्लियामेन्टरी लाइफ में भी सोचने का मौका मिला, लेकिन फिर भी आपने सलाह दी है उसके लिए धन्यवाद।

(विराम)

यह जो नई पोस्ट क्रियेट करने की पद्धति है, मैं उसका विरोधी हूं और अगर इस प्रकार की पद्धति हो गई है तो उसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उससे लोगों के दिमाग में भावना पैदा होती हैं कि यह चीज़ गलत है और इससे हमारी संस्था के बारे में भी जो भावना है वह गलत हो जाती है। हमने जागीरों को खत्म कर दिया है और अब नई जागीरें नहीं बनाना चाहते। हमारी उपेक्षा से हो जाय तो इस प्रकार की नई जागीरों को हम पैदा नहीं करना चाहते और नहीं होना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता था।

एक चीज़ और मान लें कि इसमें कानूनी सलाह की जरूरत है तो उसके लिए मैंने अर्ज किया था कि एस.डी.ओ की नियुक्ति हो जाय और हमारे पास एडवोकेट जनरल हैं, असिस्टेन्ट हैं।

एक माननीय सदस्य—नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—एडवोकेट जनरल नहीं है, तो कोई चिन्ता की बात नहीं, हो जावेंगे।

(हंसी)

इसका भी जिक्र होना चाहिए था राजप्रमुख के भाषण में कि एडवोकेट जनरल थोड़े दिनों में नियुक्त हो जावेंगे। या कम से कम धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित कर देते।

(हंसी एवं करतलध्वनि)

एडवोकेट्स हैं, वे हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए नये वकीलों को नियुक्त करना मैं उचित नहीं समझता।

कुछ बातें मेवों के बारे में कही गई हैं। यह बात भी मैं दो मिनट में खत्म कर देना चाहता हूँ। मेवों के सिलसिले में पं० जवाहरलाल नेहरू ने, जिस वक्त मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, मेवों को वहां से उखाड दिया गया था उस वक्त मुझे भेजा था पुलिस और मिलीटरी के पेहरे में। मैंने वहां की स्थिति को देखा। मुझे सरकार में दो बार आने का मौका मिला, जब भी मैंने देखा हमारी मशीनरी इतनी पेचीदा है कि हम अब तक उस समस्या को सुलझा नहीं पाये हैं।

[श्री जयनारायण व्यास]

यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि एक लाख मेवों को बसा दिया गया है। वैसे जहां तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मेव गये नहीं थे और न वापिस पाकिस्तान से मेव आये हैं, यदि गये और आगये और गये और नहीं आये तो दूसरी बात है।

श्री गोपीलाल यादव---आये हैं।

श्री जयनारायण व्यास—वे गुडगांव और दिल्ली में गये, वहां से वापिस आ गये। जो बैठे हैं उन्हीं को बसा पावें तो अच्छी बात है। मैं तो इतना ही उत्तर चाहूँगा कि इन एक लाख मेवों को जमीन पर उनके अधिकार मिल गये हैं या नहीं? अगर उनको अधिकार नहीं मिले हैं तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है, आज इस जमीन पर और कल दूसरी जमीन पर मेवों को बसाने के सम्बन्ध में धन्यवाद के लिए मेरे साथी मुहम्मद इब्राहिम पर छोड़ देता हूं।

बहुत लोगों ने कहा और मैं इस बात पर कुछ नहीं कहना चाहता था। यह कहा गया की जोबनेर कॉलेज रहेगा और उदयपुर कॉलेज भी रहेगा। दो और हो जांय तब भी अच्छी बात है। जोबनेर कॉलेज को रखने के बारे में सिन्हा साहब की क्या रिपोर्ट है, वह सामने आँ जाय। बतरा साहब भी गये हैं, वे एक अधिकारी हैं और उन्होंने भी रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि जोबनेर की जमीन राजस्थान की दृष्टि से आइडियल जमीन है। ७५ प्रतिशत जैसी राजस्थान में है उसको बताया गया है। मैं भी वहाँ गया हूँ। मेरे परम मित्र हैं और उन्होंने कहा कि भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर असंतुष्ट व्यक्ति गये थे। मुझे असंतुष्ट व्यक्ति इन्वेटेड कोमाज में रख दीजिये। मैंने वहा देखा। मैंने पूछा कि विश्वनाथन साहब बांध के पास गये या नहीं। पता चला कि गये। उन्होंने वहां दो हजार बीघा जमीन देखी थी। कॉलेज के पास जमीन है वह अच्छी है। एक फ्लो मालूम हुआ। कॉलेज को रखना चाहते हैं। सेकिन्ड ईयर के लड़के चले गये और फर्स्ट इयर के वहां हैं। सेकिंड ईयर के लड़कों में हृदय परिवर्तन हो गया और फर्स्ट इयर के लड़कों में नहीं हुआ, यह समझ में नहीं आया। जब सेकिन्ड ईयर के लड़कों के हृदय परिवर्तित हो गये और वे वहां से चले गये तो फिर फर्स्ट ईयर वाले भी सेकिंड ईयर में आवेंगे व चले जावेंगे और इस हालत में एक कॉलेज के टूटने की संभावना हो सकती है। यह कैसे हुआ है, मुख्य मंत्री जी से अर्ज करूंगा। इसको तोड़े नहीं। सेन्टर से पैसा आये उसका कैसा निपटारा होना चाहिए यह वे सोचें, काम चलना चाहिए, यही मैं अर्ज करूंगा। मैं समझता हूँ कि समय ज्यादा हो गया है, और अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने समय ज्यादा ले लिया।

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही आज सायंकाल चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही १२.४० पर दिनांक ७.३.५६ के सायंकाल चार बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—७ मार्च, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १.

(कृपया प्रश्न संख्या १६ का उत्तर देखिये)

Statement of sanction to estimate for tanks in Kishangarh sec. for the year 1955-56.

S. N,	Name of Work	Amount
	18--Other Revenue Expenditure financed from Ordinary Revenues.	
	b--Extension and Improvements.	
1.	Improvements to bund Madan Sagar, Didwara	Rs. 8,100/-
2.	Improvements to bund Sukh Sagar	Rs. 8,340/-
3.	Improvements to bund Umed Sagar	Rs. 7,350/-
4.	Improvements to bund Madan Sagar, Ankodia	Rs. 8,555/-
5.	Fixing iron sluice in tank Khatolai	}
6.	Fixing iron sluice gate in tank Jubli Sagar	} Rs. 24,700/-
7.	-d- -do- Jai Sagar	}
		Rs. 57,045/-
	c-Maintenance and Repairs.	
1.	Fixing sluices of Madan Sagar Didwara	Rs. 3,444/-
2.	Guarding and Maintenance tanks and canals in Sarwar Section.	Rs. 3,800/-
3.	Annual and repairs and maintenance to Gopal Sagar	Rs. 725/-
4.	-do- -do- Moti Sagar	Rs. 780/-
5.	-do- -do- Ganesh Sagar	Rs. 1,350/-
6.	-do- -do- Ana Sagar	Rs. 1,025/-
7,	Fixing sluice gate in tank Madan Sagar at Sursura	Rs. 1,620/-
8.	-do- -do- Kodia	Rs. 2,420/-
9.	-do- -do- Surkheli No. 6 Named Motipura wali	Rs. 2,420/-
10.	-do- -do- Surkheli No. 5 named malwali	Rs. 2,420/-
11.	-do- -do Surkheli No. 4 named Parzad	Rs. 2,420/-
12.	Fixing sluice gate in tank Lamba	Rs. 1,620/-
13.	Repairs to Supply Cut Dhobigata Tank	Rs. 1,060/-
14.	Fixing sluice gate at Umed Sagar	Rs. 3,240/-
15.	-do- -do- Bijai Sagar Lambia	Rs. 4,860/-
16.	Annual Repairs and maintenance to Hanuman Sagar	Rs. 1,200/-
17.	-do- -do- Jharjoli Tank	Rs. 700/-

S.N.	Name of Works.	Amount.
18.	-do- -do- Surasuri	Rs. 1,175/-
19.	Guarding and mtce. in tanks and canals Kishangarh Zone	Rs. 840/-
20.	-do- -do- Didwara Zone	840/-
21.	-do- -do- Bandersinderi	840/-
22.	-do- -do- Kutchil Zone	720/-
23.	Guarding mtce. tanks and canals Arain Zore	840/-
24.	-do- -do Ankodia Zone	840/-
25.	-do- -do- Kadia Zone	840/-
26.	-do- -do- Sursura	840/-
27.	Fixing datas and Khirkas in tanks of Kishangarh Section	Rs. 800/-
28.	Repairs to first culvert Bandersinderi	650/-
29.	Repairs to tanks and canals in Sarowar Sect. (Madan Sarowar Bund and canal)	3,020/-
30.	Urgent Repairs to Naya Sagar Borara	1,086/-
31,	Annual Repairs and maintenance Bala Sagar	880/-
32.	-do- -do- -do-Sur Sagar	880/-
33.	-do- -do- -do-Govind Sagar	1145/-
34.	Repairs to first canal tank Lamba	1670/-
35.	-do- Second -do- -do-	220/-
36.	Silt clearence and Naka Bandi of canal Indoliwali of tank Madan Sagar Didwara	900/-
37.	Silt clearance and Naka Bandi Parzad canal of tank Madan Sagar Didwara	890/-
38,	Annual Repairs and maintenance to kanwarpada	1010/-
39,	Urgent Repairs to rain cuts and breaches Govind Sagar at Sarwar	690/-
40.	Urgent Repairs to rain cuts and breaches Bankey Sagar	1080/-
41,	Urgent Repairs to Naya Sagar Birla	690/-
42,	Urgent Repairs to Bhawani Sagar at Sarwar	265/-
43.	Urgent Repairs to Ajagara Canal (Taj Sarowar)	1290/-
44,	Silt clearance and Naka Bandi of canal khatolaiwai tank khatolaiwai at Bandersinderi	900/-
45.	Silt clearance and Naka Bandi of canal kherdawali tank khatolai at Bandersinderi	900/-
46.	Silt clearance and Naka Bandi of second canal tank Sukh Sagar	780/-
47.	Silt clearance and Naka Bandi of first canal Sukh Sagar	740/-
48.	Repairs to second culvert near Dak Banglow Bandersinderi	525/-
49.	Repairs to bridge over Nallah near D. B. Bandersinderi	1400/-
50.	Repairs to canal culvert at Bandersinderi on cart track from	

S.N.	Name of Works.	Amount.
	Bandersinderi to Didwara	790/-
51.	Urgent Repairs to cuts and breaches to canal Sindoor Sagar	1010/-
52.	Silt clearance and Naka Bandi of canal chandrawati tank Madan Sagar Didwara	850/-
53,	Silt clearance and Naka Bandi of Parzad canal Jai Sagar	880/-
54,	Silt clearance and Naka Bandi of Bambool waii canal of Jai Sagar	900/-
55.	Silt clearance ar.d Naka Bandi of Nchrawai canal Umed Sagar	910/-
56-	Silt clearance and Naka Bandi of Main canal Umed Sagar	870/-
57.	Making cement gauges in tanks of Sarwar	480/-
	Total RS.	71,920/-

68-Construction of Irrigation Navigation, Embankment and drainage Works 2-Unproductive A -Works.

1.	Raising and Recondtioning Bund Sindoor Sagar	22,926/-
	B-works	
1,	Gaj Sagar	15,000/-
2.	Taj Sarowar	10,000/-
3.	Gobind Sagar Supply cut	2,800/-
4.	Madan Sarowar	10,000/-
		RS. 37,800/-

Statement of expenditure incurred on different tanks under Kishangarh Sub-Division during 1955-56 upto 15th Eeb., 1956.

S. No.	Name of work.	Amount
	18-Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenues- b-Extension and improvements.	
1.	Improvements to Madan Sagar Deedwara.	2,792/-
2.	Improvements to Sukh Sagar.	4,866/-
3.	Improvements to Umed Sagar.	4,906/-
4.	Improvements to Madan Sagar, Ankodia.	3,998/-
5.	Fixing sluice gate in tank Khatolai.	1,327/-
6.	Fixing sluice gate in tank Jubli Sagar.	2,705/-
7.	Fixing sluice gate in tank Jai Sagar.	1,306/-
8.	Fixing sluice gate in tank Jai Sagar, Deedwara.	1,410/-
	Total	23,310/-

S.N.	Name of Works.	Amount.
C–Maintenance and repairs.		
1.	Fixing sluice gate Madan Sagar, Deedwara.	4,483/-
2.	Guarding tanks and canals in Sarwar section.	3,293/-
3.	Annual repairs and mainteuance to Gopal Sagar.	477/-
4.	—do— Moti Sagar.	574/-
5.	—dc— Ganesh Sagar.	1,051/-
6.	—do— Ana Sagar.	780/-
7.	Fixing Sluice gate tank Madan Sagar at Sursura.	836/-
8.	—do— Kodia.	1,106/-
9.	—do— Surkheli No. 6 named Motipura wali.	1,030/-
10.	—dc— Surkheli No. 5 named Malwali.	1,055/-
11.	—do— Surkheli No. 4 named Parzad.	1,026/-
12.	—Pc— Tank Lamba.	1,051/-
13.	Repairs to supply cut Dhobi Ghata.	978/-
14.	Fixing sluice gate at Umed Sagar, Bandersinderi.	1,904/-
15.	—do— Vijai Sagar, Lambia.	2,836/-
16.	Annual repairs and maintenance to Hanuman Sagar.	1,132/-
17.	—do— Jharjohli.	545/-
18.	—dc— Surasuri.	475/-
19.	Guarding and maintenance tanks and canals Kishangarh.	556/-
20.	—dc— Deedwara Zone.	419/-
21.	Guarding and maintenance of tanks and canals in Bandarsenri.	332/-
22.	—do— Kucchil.	434/-
23.	—do— Arain Zone.	679/-
24.	—do— Akodia Zone.	518/-
25.	—do— Dadia Zone.	298/-
26.	—dc— Sursura Zone.	574/-
27.	Fixing datas and khirkas in Kishangarh Section.	448/-
28.	Repairs to first culvert Bandersinderi.	532/-
29.	Repairs to tanks and canals In Sarwar Section (Madan Sarowar Band and canal)	1,408/-
30.	Urgent repairs to naya sagar Borara.	1,086/-
31.	Annual repairs and maintenancc to Bala Sagar.	285/-
32.	—dc— Sur Sagar.	335/-
33.	—do— Govind Sagar.	792/-
34.	Repairs to canal first if Lamba.	401/-
35.	Repairs to canal Second Lamba.	115/-
36.	Silt clearance and Naka bandi of canal Indoli bali tanks Madan Sagar Deedwara.	472/-

S.N.	Name. of Works.	Amount.
37.	Silt clearance and Naka bandi of Parzad canal cf tank Madan Sagar Deedwara.	574/-
38.	Annual repairs and maintenance to tank Kanwarpara.	552/-
39.	Urgent repairs to rain cuts and breach to Govind Sagar.	247/-
40.	Urgent repairs to rain cuts and breach to Banke Sagar.	519/-
41.	Urgent repairs to Naya Sagar Birla.	342/-
42.	Urgent repairs to Bhawani Sagar at Sarwar.	144/-
43.	Urgent repairs to Ajgara canal (Taj Sarowar)	560/-
44.	Silt clearance and Naka bandi of canal Khatolai wali (Khatolai)	607/-
45.	—do— Kherda wali (Khatolai)	755/-
46.	—do— 2 canal Sukh Sagar.	465/-
47.	—do— 1 canal Sukh Sagar.	603/-
48.	Repairs to 2nd culvert Dak Bungalow Bandersinderi.	505/-
49.	Repairs to canal culvert Bandersinderi on cart tract fron Bandrsinderi to Deedwara.	694/-
50.	Urgent repairs to cuts and breaches to canal Sindur Sagar.	997/-
51.	Repairs to bridge over nallah dak bungalow Bandirsunderi.	1,303/-
52.	Silt clearance and Naka bandi of Chanderwati canal Madan Sagar Deedwara,	Works have been started and are nearing completion. No payments have yet been made.
53.	Silt clearance and Naka bandi of canal Parzad Jai Sagar.	
54.	Silt clearance and Naka bandi of BanboolWali Jai Sagar.	
55.	Silt clearance and Naka bandi Nohra wali, Umed Sagar.	
56.	Silt clearance and Naka bandi Main canal, Umed Sagar.	
	Total	43,183/-

68-Construction of Irrigation, Navigation, embankment and drainage works 2-Unproductive,

A-Irrigation works.

1.	Raising and re-conditioning bunds Sindoor Sagar.	3,303/-

B-Irrigation works.

1.	Gaz Sagar.	Work in progress.
2.	Taj Sarowar.	—do—
3.	Govind Sagar supply cut.	Work in hand.
4.	Madan Sarowar,	Work is in progress.

Page No.84

(परिशिष्ट २)

(कृपया प्रश्न संख्या १८ का उत्तर देखिये)

सन् १९५५-५६ के द्वितीय वर्ष में जो बीज वितरित किये गये तथा जो इस सम्बन्ध में खर्चा हुआ उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रश्न संख्या	जिला	बीज वितरण किये गये वजन मन में			खर्चा जो हुआ		
		गेहूँ	चना	आलू	रु०	आ०	पा०
१.	भीलवाड़ा	२,६२५	०	०	३७,४८७	२	०
२.	सवाई माधोपुर		०	२२२	५१,५००	०	०
३.	अलवर	४,६३३	०	८०	५९,९२५	९	६
४.	कोटा	१५,००२	०	१३०	२,१५,०००	०	०
५.	पाली	३०,२४३	०	२४०	३,१३,८९७	८	०
६,	जोधपुर	८,२९१	४००	१००	१,२१,०००	०	०
७.	गंगानगर	१९,७४६	१५०	०	३,७५,०००	०	०
८.	सिरोही	२,२४२	०	०	२७,०००	०	०
९.	जालोर	८,६७८	०	०	४५,०००	०	०
१०,	नागौर	१४,००९	३०७४	१२०	२,१८,७०६	६	०
११,	बूंदी	३,३७०	०	२०	१,२६,०९७	११	०
१२.	झालावाड़	३,५९०	०	१४०	२०,०००	०	०
१३.	चित्तौड़	३,९२२	०	१७६	३२,०००	०	०
१४.	उदयपुर	३,७२३	०	१००	९४,२००	०	०
१५.	जयपुर	४,५००	०	३०६	२,३९,०००	०	०
१६.	भरतपुर	१२,८५२	०	५०	२,१३,९००	०	०
१७.	टोंक	२,३६९	०	०	२२,०००	०	०
१८.	बांसवाड़ा	१२१	०	३००	१४,०००	०	०
		१,५०,६२१	३६२४	१९८४	२२,२५,७२४	४	६

राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ बैठक, बुधवार, दिनांक ७ मार्च, सन् १९५६ ई०

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सायं ४ बज कर १० मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, ...

(एक सदस्य के बोलने के लिए खड़े होने पर श्री कुम्भाराम द्वारा चुप्पी साध लेने पर)

श्री अध्यक्ष—बोलिये न रुक क्यों गये ?

श्री कुम्भाराम आर्य—उनको कोई आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—उनको कोई आपत्ति नहीं, जब मैं कह देता हूँ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं राजप्रमुख महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस भाषण में दो बातें सुन पाया। कुछ सदस्यों ने इसको बहुत खराब बतलाया और कुछ ने बहुत अच्छा। इन दोनों बातों को सुनकर मुझे रामायण की एक चौपाई याद आ गई कि "जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी," जिन लोगों का दिमाग पहले से बना हुआ है करीब करीब उसी तरह की बातें उन्होंने यहां प्रकट कीं।

हम जो इस सभा में बैठे हैं, एक इस प्रकार का आचरण लेकर आये हैं, कि हम हंस की प्रवृत्ति से चलेंगे तो हमारा समाज जो है वह असलियत हमसे पा सकेगा और इस प्रवृत्ति को छोड़कर चलेंगे और इससे अलग हो जाते हैं तो फिर हम असलियत से दूर चले जाते हैं, फिर समाज को हमसे असलियत नहीं मिल पायेगी। इसलिये जितने भी हम सदस्य यहां पर हैं उन्हें हंस की तरह से, इसमें से 'दूध का दूध और पानी का पानी' अलग अलग निकाल लेना चाहिये। यह

[श्री कुम्भाराम आर्य]

जो भाषण है उसमें जितनी अच्छाई है उसको अच्छाई के रूप में अगर प्रकट कर देने के बाद यह कह देते हैं कि इतनी अच्छाई के बाद इसमें इतनी सी कमजोरी रह गई है, तो यह व्यवहारिकता की बात हो जाती है। पर यह सब नहीं कह कर बुराई ही बुराई करना है, तो उचित प्रतीत नहीं होता।

मैं यह देखता हूँ कि बोलने वाले सदस्यों में से भूस्वामियों की बात कहकर बहुत बड़ी बात कही गई। यह आन्दोलन जो है यह कोई समस्या नहीं है। यह बिना समस्या की एक पेचीदगी है और यह तब तक नहीं सुलझायी जा सकती जब तक कि जागीरदारी समस्या को हम पूर्णतया समाप्त नहीं कर देते। जागीरदारी समस्या को समाप्त करने की बात को हम एक सिद्धान्त के रूप में मान चुके हैं और इसको खत्म करने के लिये जितनी तेजी से हमें चाहिये था उतनी तेजी से अगर काम करते तो ये समस्यायें पैदा नहीं होतीं। सरकार इसे कुछ तो उदारता से, कुछ सुस्ती से और कुछ दयालुता से हल करने के रास्ते को अपनाकर चल रही है। इसी कारण ये लोग सरकार के सामने बार बार उलझनें खड़ी करते हैं। तो सरकार की कुछ उदारता और दयालुता का यह परिणाम हुआ कि इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल्ली पूरा होने में देर हो रही है। अगर सरकार इस आपरेशन को जल्दी से कर देती तो यह जागीरदारों की समस्या नहीं रह जाती, केवल रोटी का प्रश्न रह जाता। पर इसमें सरकार की दयालुता ने थोड़ी देर की है। जब बड़े बड़े जागीरदारों की जागीरें ली गई तभी इन छोटे छोटे जागीरदारों की भी जागीरें ले ली जातीं, तो यह झगड़ा नहीं रहता। फिर अजीब सी बात यह है कि जब भूस्वामी संघ वालों से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या जागीरें कायम रखना चाहते हैं जो कि आज समय की मांग के बिल्कुल विपरीत है तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। पर छापे में पीछे से कहते हैं कि हमें हमारी ये मांगें मनवानी हैं। इस पर पूछा जाता है कि इसका मतलब, तो यह है कि आप अपनी जागीरें रखना चाहते हैं, जो होने वाला नहीं तो आप (आन्दोलन वाले) अपनी कौनसी बात सरकार से मनवाना चाहते हैं, यह पूछा जावे तो कोई जवाब नहीं।

इस प्रश्न पर बोलते हुए विपक्ष के नेता ने कहा है कि राजपूत जाति जाग्रत हो गई है। हमें खुशी है कि वह इस बात को कहने लग गये कि राजपूत जाति जाग्रत हो गई। पर जहां कौम जाग्रत हुई उसे होश भी रखना चाहिये। जोश में होश नहीं रखेगी कोई कौम तो फिर लाभ के बजाय हानि की तरफ वह पहुंच जावेगी। अगर उनके कहने के मुताबिक और वास्तव में कौम जाग्रत हुई है, तो जिस तरह से आज समय की मांग है समाजवाद की रचना को लेकर चलने वाली बनना चाहिए, इसको लेकर कोई कौम आगे बढ़ेगी तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं, पर जागीरदारी का नाम लेकर आगे आने की इच्छा रखते है जो आगे बढने के बजाय वे पीछे रहेंगे, क्योंकि समय की मांग आज दूसरी है। आन्दोलन से न उनका लाभ होने वाला है न समाज का ही। इसलिये इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो पेचीदगी बढ़ी है, जिसके पीछे कोई सिद्धान्त की बात नहीं है उसे हमें मिल-जुल कर सुलझाना चहिये। इसको और उलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। अगर हमारे दिमाग राहे रास्त बनेगें तो यह कोई समस्या नहीं है, जिसको सुलझाने में हमें कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़े

[श्री कुम्भाराम आर्य]

और फिर अकेले राजपूतों का ही इसमें सवाल नहीं है। इन जागीरदारों में सभी आते हैं, राजपूत पुरोहित, ब्राह्मण, और भी बहुत से जिन जिन को जागीरें मिली हैं, वे सभी हैं। एक शब्द को लेकर एक जाति विशेष को लेकर, ज्यादा पुकार पुकार कर कहने से कोई लाभ नहीं होता। फिर आज का जमाना तो संगठन का है, हाथ की पांचों उगलियों को इकट्ठा करके हाथ को शक्तिशाली बना सकते हैं पर कोई यह कहे कि हमें पांचों उगलियों से मतलब नहीं, हम तो एक अंगुली को ही इतना मजबूत बना लेंगे कि उसको अगर मोड़ा जाय तो वह टेढी नहीं हो सकेगी, तो इससे काम नहीं चलेगा। वह अकेली अंगुली शक्तिशाली कभी नहीं बन सकेगी। तो हमें मिलकर चलना है, देश को चलाने के लिए, हमारे समाज को चलाने के लिए और खुद को भी चलाने के लिए। अगर इस बात को देख कर हम चलते हैं तो इस जागीरदारी प्रथा को हल करने में कोई समय नहीं लगेगा। हमारी सरकार ने अब तक उनके साथ उदारता और दयालुता से काम लिया है। उदारता इस मामले में कि बहुत धीरे धीरे उनके साथ समझौते का रुख अपना कर इस जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का सरकार का सदा से इरादा रहा है और दयालुता इस मामले में कि जिस तरह से उनको सहूलियत रही है उसी तरह से टाइम देते रहे हैं। सबसे पहले बड़ी बड़ी जागीरों को ही लिया और फिर छोटी जागीरों को लिया और इसमें भी ऐसा नहीं कि किसी की बात नहीं सुनी हो और आज भी सरकार इस बात के लिए तैयार है। किसी को भी शिकायत हो तो करे। पर यह कह देना कि राजपूत जाति को दबाने के लिए सरकार तुली हुई है, इसके लिए, मैं समझ सकता हूं कि यह राजनैतिक स्लोगन हो सकता है।

पर मूल बात तो केवल इतनी ही है, कि जागीरें जल्दी ही समाप्त हो जानी चाहिए और इन लोगों को समाज में एडजस्ट करने के लिए छोटी से छोटी सुविधा कैसे मिले, इसके लिए सरकार से इन्हें कोऑपरेशन करना चाहिए। इसमें राजपूत जाति का भला है, इसमें पूरे समाज का भला है। इसके विपरीत आचरण करके चलते हैं, उसमें न राजपूत जाति का भला है और न समाज का।

एक भाई ने यह भी प्रश्न किया था कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि राजस्थान है जैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन अमृतसर से आने के बाद दिमाग कमजोर हो गया है, ऐसा लगता है। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि अमृतसर जाने के बाद दिमाग कमजोर नहीं होता है। सिक्खों का ऐसा विश्वास है कि जो अमृतसर जाकर वहां का कड़ा और परसादी चख लेगा वह कभी कमजोर नहीं रहेगा। वहां जाकर जो हमने फैसला किया है, उससे वह समझना चाहिए कि उससे कमजोरी आ गई है, बल्कि और भी ज्यादा मजबूती आई है। राजस्थान राजस्थानियों का है।....

श्री मानसिंह महार—आप भी अमृतसर गये थे? अखबारों में ऐसा था, कि नहीं गये।

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां, गया था।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट को ऐसा समझकर नहीं चलना चाहिए कि कुछ कमजोरी है, कुछ शंका है कि राजस्थान का क्या होने वाला है। हमारे दिमाग बहुत साफ हैं। हम

[श्री कुम्भाराम आर्य]

एक एकीकरण से नहीं अनेकों एकीकरण से निकल कर आये हैं। पहले एक छोटा सा मत्स्य बना। उसके बाद में छोटा राजस्थान बना और उसके बाद बड़ा राजस्थान बना। हमने देश के लिए कई बार त्याग किया, कई बार कानूनों को मिलाया है, समाज को मिलाया है, कई बार रियासतों को मिलाया है। एक नहीं, १६ रियासतों का एकीकरण किया है। राजस्थान वालों को कोई यह नहीं कह सकता कि राजस्थान वाले इस काम में प्रगतिशील नहीं हैं। इसके बाद भी यदि देश के लिए यह सवाल पैदा हो जाता है, कि बड़े युनिट रहें और बड़े युनिट में देश का हित है तो हम रूढ़िवादी बनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही साथ यह स्पष्ट है कि हम आंखों के अन्धे नहीं हैं कि किसी के कहने पर ही चले जायेंगे। शरीर के टुकड़े होने से पहले, इस सूबे की एक इंच भी भूमि अपने लोगों की मर्जी के बिना अलग नहीं होने वाली है। राजस्थान का एक एक आदमी कह सकता है कि हम सिर देते आये हैं, खून देते आये हैं, उसके, उनके देश का टुकड़ा कौन कर सकता है? आबू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, उससे कितनी चेतना आई थी कि उन्हें आबू वापिस देना पड़ा, राजी खुशी से देना पड़ा। राजस्थान का कोई भी आदमी या राजस्थान का हमारा नेता कोई ऐसा नहीं है कि जो चुपचाप राजस्थान को किसी को दे दे? चीफ मिनिस्टर जयपुर और अजमेर दोनों बैठकर दस्तखत कर देंगे। यह बात कहने में सरल है फिर करने में नहीं। जिसको हमने नेता चुना उसके बारे में यह राय रखें कि वह चुपके से दस्तखत कर देगा, उचित नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वह मर्द आदमी है। इसलिए हमें यह समझकर चलना है कि हमारे राजस्थान की किस्मत का फैसला हम करेंगे। जो कुछ करेंगे वह उसके हित में करेंगे। कोई मांग ले जाय, कोई फुसला कर ले जाय, राजस्थान को इस तरह से हम से छीन ले, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं।

इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात कही थी। वह थी एक बलवन्तसिंह डाकू के बारे में। उसके बारे में मैं बहुत थोड़ा नम्र निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उसने एक आदमी का खून किया, दो का खून किया। यह एक अलग बात है कि वह कातिल था। कातिल होने के बाद वह अपना मन बदल लेगा, प्रायश्चित कर लेगा। उसने प्रायश्चित किया है और उस प्रायश्चित में एक मनुष्य का सिर गया है और कुछ गया नहीं है। लेकिन उसके बारे में लोग इस तरह की राय रखते हैं कि वह मारा नहीं गया है, चला गया है। किन्हीं लोगों को बदनाम करने के लिए उसको कहना चाहते हैं कि बलवन्तसिंह ने मार दिया है। इस तरह की बातें हाउस में नहीं होनी चाहिए। पर इस तरीके को बहुत गलत समझता हूँ।

श्री मानसिंह महार—क्या डाकुओं के बारे में हाउस में नहीं बोलना चाहिए, अध्यक्ष महोदय?

श्री कुम्भाराम—बोलना चाहिए, लेकिन जो मैं कहता हूँ, वह सुनना भी चाहिए आपको।

श्री जयनारायण व्यास—यह नहीं कहा कि वह मारा नहीं गया है।

श्री कुम्भाराम—साहब, बहुतों ने कहा है कि शायद हयात नहीं मारा गया, छुप गया है।

श्री जयनारायण व्यास—इस सदन में कहा गया है कि हयात मारा गया है, हयात मारा गया है।

श्री कुम्भाराम—इसके लिए आप ताईद करते हैं तो धन्यवाद। वह मारा गया है, लेकिन वह काम ऐसा था जो निहायत काबिले एतराज कहा जा सकता है। राजस्थान के अन्दर एक स्थान ऐसा भी बना दिया गया है कि वहां जाते ही सब माफ हो जाते हैं। कितना ही बड़ा डाका मार लें, पर सब कुछ करने के बाद कितने ही आदमियों को कत्ल कर दे, फिर सब माफ एक छोटे से गांव सांकड़े में अपराधी किसी प्रकार पहुँच जाये, वहां तक पुलिस के हाथ नहीं आये। तो इस तरह का जो आचरण है वह समाज और देश के लिए हितकर नहीं है, यह बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने जानबूझ कर एक अपराधी को माफ किया, उसका नतीजा यह हुआ कि एक इन्सान का सिर और उतरा है। आज वह पाकिस्तान में बैठ कर इस बात की तैयारी कर रहा है कि फिर कोई ऐसी हरकत करे। उसके साथ ऐसी बातें सुनने को आई हैं कि पुलिस का अफसर गिरफ्तार करने को गया तो उसने कहा कि इसको फिर हाजिर किया जायगा। एक बार एक चीफ मिनिस्टर के सामने हाजिर किया गया, अब के दूसरे चीफ मिनिस्टर के सामने हाजिर किया जायगा। मैं नहीं मानता कि हाजिर हो सकेगा या गिरफ्तार हो सकेगा या हमारे साथ, पुलिस वालों के साथ एक दो हाथ करेगा। इस प्रकार की बातें हमारे अफसर करते हैं, तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए और इसको उदाहरण रखकर रोक-थाम होनी चाहिए। इस तरह से गिरफ्तार करने वाले अफसर लगाते रहे तो वह गिरफ्तार होगा या नहीं, वह अलग बात है; लेकिन हवा बिगड़ जायगी। यह कहा गया है कि आई० जी० पी० थोड़ा ध्यान रख लेते तो यह खून नहीं होता। आई० जी० पी० पर यह बात डालना उचित नहीं लगता। जब बड़ों का आशीर्वाद मिल जाय तो विचारा कुछ भी नहीं कर सकता है। जब बड़े बड़े लोग उसको अभयदान दे दें तो एक बार आई० जी० पी० को, उसको भी सोचना पड़ता है और उसी सोचने में उस तरह के दिमाग बनने का मौका मिला कि एक दूसरे आदमी को उसने कत्ल कर दिया। इसके लिए यह कहें कि अफसर ने अपनी ड्यूटी अदा करने में सुस्ती की, ड्यूटी अदा करने में लापरवाही की, यह वाजिब बात नहीं है। हम लोगों ने जानबूझ कर गलती की, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसने एक बेगुनाह इन्सान को कत्ल कर दिया। तो हम जितने भी जिम्मेवर आदमी हैं उनको इस तरह के काम से नफरत करनी चाहिए और ऐसे खतरनाक अपराधियों को क्षमा नहीं करना चाहिए।

इसी तरह से इस अभिभाषण के बारे में, शिक्षा के बारे में कहा है, इसी तरह से पुलिस के बारे में कहा है। इसी तरह से जागीरों के उन्मूलन के बारे में एक स्थान रखा है, उसके बारे में कहा है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो विरोध के लिए कही गई हैं अगर हमें तारीफ नहीं करनी है तो न सही, अकारण विरोध से क्या लाभ? हो सकता है, जितना हम करते हैं उसकी ताईद मिलनी चाहिए। जितना नहीं करते हैं उतनों के लिए मांग होनी चाहिए। इस प्रकार का आचरण हम बना लें तो अधिक सुन्दर रहे। एक मित्र ने कहा था कि कर्जदारी के बारे में कानून आने वाला था लेकिन

[श्री कुम्भाराम आर्य]

वह नहीं आ रहा है। यह बड़ी वाजिब बात थी। इस बात पर हाउस को ध्यान देना चाहिए। इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए था और इसकी आवश्यकता महसूस करनी चाहिए थी कि गरीब आदमी इस चीज से बहुत दबा हुआ है। कर्जे से छूट नहीं दिलाते हैं तो सोशलिस्टिक पेटर्न जो हम बनाने जा रहे हैं, वह क्या पता कब बनेगा लेकिन उसका कचूमर बोहरा पहले ही निकाल देगा। इस तरह की बातें कहनी चाहिए थीं। जिससे सरकार का ध्यान आवश्यकता की तरफ जा सके। पूरा भाषण हम ध्यान से देखें तो दिखाई देगा कि हम राजनैतिक तौर से आगे बढ़े हैं, सामाजिक तौर से आगे बढ़े हैं और आर्थिक तौर से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी दृष्टि से मैं समझता हूँ कि यह अभिभाषण धन्यवाद के योग्य है और हम सब लोगों को इस पर धन्यवाद देना चाहिए।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख ने बड़ी कृपा की कि वे इस मर्तबा और अन्तिम मर्तबा अपना अभिभाषण देने के लिए पधारे और इस दृष्टि से वे धन्यवाद के पात्र हैं।

एक माननीय सदस्य—अन्तिम कैसे कह दिया?

श्री चांदमल मेहता—राजप्रमुख के रूप में।

धन्यवाद के साथ साथ मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने आम तौर पर चालू वर्ष में जो जो कार्य हुए हैं उन पर और आयन्दा वर्ष में आगे काम किये जाने वाले हैं उनके संबंध में कुछ चर्चा की है। जो कार्य चालू वर्ष में हुए हैं उन पर आम तौर पर संतोष प्रकट किया है। मैं जिन विषयों की चर्चा इसमें की गई है उन पर बाद में आऊंगा। पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय की ओर श्रीमन् राजप्रमुख का ध्यान नहीं गया है और वह महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे प्रान्त के निवासियों का चरित्र दिनों दिन गिरता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चरित्र के बारे में किसी वर्ग या किसी समाज को हम ले लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेगे कि हमारा अधःपतन होता जा रहा है। यदि किसी व्यापारी को देखें तो उस व्यापारी के दिमाग में यह कामना होगी कि उसे पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए उसने अगर घी में वेजीटेबिल घी मिला दिया तो कोई अपराध नहीं। अगर कोई दूसरी चीज़ में मिलावट की जाय तो वह हर तरह से आगे बढ़ता है। आयकर में चोरी करने के बारे में तो आम तौर पर यह कहा जायगा कि शायद ही कोई बिरला व्यापारी बचेगा जो कि आयकर की चोरी नहीं करता हो। यदि किसी बड़े उद्योगपति को लें तो हमको यह पता चलेगा कि उद्योगपतियों के सामने एक ही दृष्टिकोण है कि किस तरह मजदूरों का शोषण किया जाय और किस तरह अधिक से अधिक धन कमाया जाय। इसी तरह से यदि हम मजदूरों को देखें, तो उनके दिमाग में यही बात आयगी कि अधिक से अधिक वेतन की मांग किस तरह से की जाय और मुकर्रर टाइम में पूरा काम नहीं किया जाय। उत्पादन की ओर उनको ध्यान नहीं देना है। यदि खेतों पर काम करने वाले मजदूरों को देखा जाय तो वह सोचेंगे कि मालिक यदि खेत पर मौजूद

[श्री चांदमल मेहता]

नहीं है तो पूरा काम नहीं किया जाय और यदि मौका लग जाय और बन पड़े तो घर जाते समय खेत में से कुछ चीज उठा ले जाय। एक बड़ा किसान यह सोचता है कि किस तरह से छोटे किसान की जमीन पर कब्जा किया जाय, यही नहीं बल्कि बन सके तो चरागाह ही हड़प लिया जाय और इससे भी आगे बढ़ा जा सके तो रास्ते की जमीन भी हड़प ली जाय। यह है हमारे यहां आम लोगों के चरित्र की हालत।

इससे भी आगे बढ़कर यदि आज हम हमारे यहां के शासन की ओर देखें तो शासन में भ्रष्टाचार का मामला अधिक जोर पर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, किसी भी विभाग को देख लीजिये उस में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी अफसर या अधिकारी इस भ्रष्टाचार से नहीं बचा है। यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार से बचा भी तो उसको उच्च अधिकारियों की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ेगा चाहे वह स्वयं भ्रष्टाचार से बचा हो। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस शासन में नियुक्तियों, तरक्कियों और तबादलों का ताल्लुक है वहां तक मैंने प्रत्येक तबादले, नियुक्ति और प्रमोशन को बहुत गहराई से देखा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नियुक्ति या तरक्की योग्यता के आधार पर या ईमानदारी के आधार पर नहीं होती। वह इस आधार पर होती है कि किन किन के लिये सर्वोच्च अधिकारियों का इशारा है या उनके इशारे पर तत्परता से काम करने की क्षमता है या नहीं, चाहे वह काम उचित हो या अनुचित हो। किसी उसूल या सिद्धान्त के आधार पर कभी तरक्की या नियुक्ति करने का मौका आता है तो अव्वल तो उसूल के आधार पर मौका ही नहीं देते और कभी देते हैं तो उसूल को इच्छानुसार तब्दील कर दिया जाता है। न जाने कितनी बार काइटेरियाज़ तब्दील किये गये। प्रमोशन्स के बारे में कहां कहां गड़बड़ियें हुई हैं, उनके बारे में मौका आने पर एक एक बात पर चर्चा करूंगा लेकिन अभी तो यही कहूंगा कि इस तरह से जो चरित्र में गिरावट आई है वह खास तौर से चिन्ता का विषय है। चाहे दूसरी बातों में हम कितने ही आगे बढ़े हैं लेकिन यदि चरित्र में आगे नहीं बढे हैं तो कुछ नहीं बढ़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है ?

"If wealth is lost, nothing is lost:

"If health is lost, something is lost: but

"If charactar is lost. everything is lost"

यदि चरित्र गिर गया है तो फिर यह मानना चाहिये कि जो बातें इस कहावत में बताई हैं, वे सच हैं। यदि चरित्र गिर गया है तो इस कहावत के माफिक यह मानना चाहिये कि हमने सब कुछ खो दिया। इसको कैसे रोका जाय ? यह भयंकर बीमारी हमारे यहां बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम हो, इस दिशा में हमें सोचना है। यह जो ढांचा है वह हमारे सर्वोच्च पदाधिकारियों और नेताओं पर आधारित है। महात्मा गांधी जब अपनी ओर से एक आवाज उठाते थे उस पर तहलका मच जाता था, लोग उस पर आचरण करते थे। आज भी पंडित नेहरू जो बात कहते हैं उस पर न केवल हिन्दुस्थान में ही अमल किया जाता है बल्कि सारी दुनिया उस पर चलने की सोचती है लेकिन

[श्री चांदमल मेहता]

आज राजस्थान के सर्वोच्च नेताओं के कहने पर कितना असर पड़ता है, यह देखने की बात है। जहां पर कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, उसका असर होता है। जैसा कहते हैं वैसा ही यदि आचरण करते हैं तो उसका बहुत कुछ असर पड़ता है। यदि आम भ्रष्टाचार को बन्द करने का सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता तो कहने से फायदा नहीं। आज जहां तक हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स से मुझे मिलने का मौका मिला है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वे जो कुछ कर दें वह सही है, उनके लिये कोई अपराध नहीं है। उनको मजबूर भी नहीं किया जा सकता कि आपको इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। मैं इस अनुमान पर गया कि असिस्टेन्ट सैटलमेन्ट के ओहदे पर आर. ए. एस., आई. ए एस. तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मौजूद हैं। आज ऊंचे अफसरों की यह हालत है तो हरेक यह सोचेगा कि राजस्थान में अपना स्थान सुरक्षित रखना है तो जैसा ऊपर से आदेश मिले उस पर चलना चाहिये, चाहे आत्मा माने या न माने। तो मैं यह कहूँगा कि अधिकारियों का चरित्र निर्माण करना है तो उसकी जिम्मेदारी सर्वोच्च अधिकारियों पर है। उनको यह सोचना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, उनको यह भी सोचना होगा कि आदर्श चरित्र का निर्माण करना है जिससे कि जनता पर और राज्य-अधिकारियों पर भी असर पड़े। यदि किसी काम के लिये एक सर्वोच्च अधिकारी की तरफ से किसी अफसर के पास टेलीफोन जाता है कि फलां काम करना है तो उस अधिकारी को आगे भी गड़बड़ियां करने के लिये हिम्मत हो जाती है। वह सोचता है कि सर्वोच्च अधिकारी गड़बड़ करा सकते हैं तो मुझे भी गड़बड़ करने के लिये छूट है। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ पोस्टों पर सिलेक्शन करने के लिये इम्तहान हुए थे, सिंचाई विभाग में माफिज की पोस्ट के लिये इम्तहान हुए थे। यह एक मामूली बात है इसमें ज्यादा दिलचस्पी की बात नहीं है कि वह आगे आती। इसके लिये लिखित टेस्ट था, इन्टरव्यू नहीं था। इस टेस्ट में एक ऐसा आदमी पास हो जाता है जो दस्तखत करना भी नहीं जानता, लेकिन उसके पेपर की कॉपी दूसरे आदमी द्वारा लिखी गई। जो आदमी दस्तखत करना भी नहीं जानता वह आदमी तीन घंटों तक क्या लिख सकता है। इसके विपरीत जो आदमी काफी पढ़ा लिखा और समझदार है लेकिन उसके लिये टेलीफोन करने वाले कोई नहीं थे और न उसने कुछ खर्च ही किया इसलिये ऐसे आदमी को कैसे लिया जाता, लेकिन जिसकी कोपी दूसरों ने लिखी उनको चान्स दिया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अच्छा यह हो कि उनका नाम और पता भी दे दें।

श्री चांदमल मेहता—मैं दे दूंगा। उसी ओर बढ़ रहा हूँ।

एक माफिज को १४५ नंबरों से पास किया जाता है और दूसरे को १६५ नंबर आने पर भी फेल किया जाता है। जब यह मांग की जाती है कि उनके नम्बर बताये जायं तो नहीं बताये जाते। मैं सोचता हूँ कि आज के भाषण के बाद वे नम्बर भी तब्दील कर दिये जायेंगे लेकिन जो लिखना नहीं जानता है, उसकी कोपी कैसे तब्दील की जा सकती है।

अगर उनको अपनी नौकरी कायम रखनी है तो टेलीफोन को माने और अगर उनको अपनी नौकरी कायम नहीं रखनी हो तो कायदे के अनुसार चलें। इसके अलावा मैं एक दूसरी

[श्री चांदमल मेहता]

बात कहना चहता हूँ। कल एक दूसरा एग्जामिशेन होने वाला था। मैं पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ; उसके अनुसार कुछ यू. डी. सी. जयपुर जिले के लेने के लिये थे। कल या परसों इन्टरव्यू होने वाला था। उसके लिये चार या पांच ऑफिसर नियुक्त थे। उन ऑफिसरों के पास इतने टेलिफोन आये कि वे परेशान हो गये कि क्या करना चाहिये। आखिरकार नतीजा क्या हुआ। जिनको लेना था वह तय तो पहले ही हो गया था और जिनके पहले के दो-दो, तीन-तीन साल के रिप्रेजेन्टेशन थे वे सब रद्द कर दिये गये और नये रिप्रेजेन्टेशन लिये गये। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा और खास तौर से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस का मतलब है सच्चा और ईमानदार होना। हर कांग्रेसी को देश के प्रति ईमानदार और सच्चा होना चाहिये। सच्चाई और ईमानदारी कांग्रेस वालों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि कांग्रेसी को इमानदार होना चाहिये। आज आप हमारे राज्य में सच्चाई और इमानदारी कायम कर दीजिये जिससे आने वाली पब्लिक याद रखे कि कांग्रेस की हुकूमत ने जो पहले कहा था वही पूरा करके दिखाया।

अब मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप खास तौर से उनके नाम बताइये और यू. डी. सी. के इम्तिहान की बात कह रहे हैं, उनमें नाम बतावें।

श्री चांदमल मेहता—नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। समय कम है, बाद में बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष—चार मिनट और हैं।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि रूपनगर में दो साल पहले सेटलमेंट हुआ था। इसके बने हुए सिद्धांत हैं, पहले की बात थी कि जो जमीन खरीद करता था उसको पट्टा मिलता था, और उन्हीं को पर्चे मिले और जिनके पट्टे नहीं मिले हुए थे उनको पर्चे भी नहीं मिले। उनको बिला नाम के पट्टे मिलते रहे। लेकिन इस साल सरकार की उन पर विशेष कृपा हुई और उनसे तिगुना हासिल सरकार ने वसूल किया। जब इस तरफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया कि यह कैसे किया जा रहा है; उन्होंने कलेक्टर जयपुर को टेलीफोन किया। हम लोग कलेक्टर जयपुर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैंने बन्द कर दिया है। मगर वास्तव में हुआ क्या ? वह बन्द नहीं किया गया, लेकिन ज्यादा तेजी से वसूल किया गया। कुड़कियें जारी हुई। मैंने कहा कि क्या मैंने इस मामले को उठाया है, इसलिये कह दिया कि आर्डर दे दिया। फिर हम डिप्टी मिनिस्टर के पास पहुंचे और कहा कि आपके हुक्म को कलेक्टर आदि नहीं

[श्री चांदमल मेहता]

मानते, यह बात क्या है ? उन्होंने कलेक्टर को कहा और कहा कि मैं रूपनगर जा रहा हुं मगर बाद में पता लगा कि इसके लिये कुछ नहीं किया गया और वहां पर प्रत्येक किसान से तिगुना हासिल वसूल किया गया। आखिरकार यह मामला क्या है इस तहसील ने ऐसा कौन सा कुसूर किया है, कौन सी गल्ती की थी जिसका उनको एक सामुहिक रूप से दंड भोगना पड़ रहा है। अगर गल्ती की हो तो किसी एक किसान ने की होगी। एक, दो, ५, १०, ५० किसानों का अपराध हो सकता है लेकिन इस तहसील में रहने वाले सारे के सारे किसान अपराधी नहीं हो सकते।

(समय—समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में अवश्य विचार किया जाना चाहिये और मैं माननीय मन्त्री महोदय से और खास कर राजस्व मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस मामले को सीरियसली लें और इसकी जांच करावें और देखें कि इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है ?

एक दूसरी महत्वपूर्ण जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस वर्ष फसल का नुकसान हुआ और मैं यह मानता हूं कि जहां नुकसान हुआ है वहां लोगों को छूट मिलनी चाहिये और मिली हैं लेकिन किशनगढ के दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोगों की पैरवी सबसे अधिक मैं ही करता हूं, इसलिये उनको छूट का कोई मौका नहीं मिला। इस मामले के लिये परबतसर से जहां पर फसल का नुकसान हुआ है, मैं जाकर आया हूं पता लगा है कि उनको छूट नहीं हुई। इस मामले को मैंने माननीय राजस्व मन्त्री के पास रखा कि इसकी जांच कराई जावे। अगर वास्तव में नुकसान नहीं हुआ है तो छूट की कोई जरूरत नहीं और वास्तव में नुकसान हुआ है तो छूट दी जावे और अगर छूट नहीं करते हैं तो अगले समय तक के लिये सस्पेन्ड कर दिया जावे। इस पर उन्होंने कहा कि यह अधिकार मुझे नहीं है, यह अधिकार केबिनेट को हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर मन्त्री के पास पहुंचने के बाद भी अगर यह उत्तर मिलता है कि उनको अधिकार नहीं है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अधिकारहीन मन्त्री को समाप्त कर दिया जावे क्योंकि अधिकारहीन मन्त्री से राज्य को नुकसान के अलावा कोई बात नहीं। ये दो बातें निवेदन करने के बाद........

श्री अध्यक्ष—बजट पर कहियेगा, समय हो गया है।

श्री चांदमल मेहता—दो-तीन मिनिट बोलूंगा और खास तौर से उद्योग के बारे में कहूंगा। राजस्थान उद्योग के सम्बन्ध में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, लेकिन जहां तक राजप्रमुख के भाषण में बताया गया है कि कितनी उन्नति की है ; मैं यह कहूंगा कि अगर इसकी असलियत में जाते हैं तो मालूम होगा, कि प्रगति इस सम्बन्ध में आगे की ओर हुई है या पीछे की ओर। मैं यह कहूंगा इस सम्बन्ध में राजस्थान आगे के बजाय पीछे की ओर बढ़ा है। मैं यह कहूंगा कि कोई

[श्री चांदमल मेहता]

भी नया उद्योग चालू नहीं किया गया। जो पहले था वह भी खत्म होने वाला है और जो किशनगढ़ में पहले मिल थी वह भी समाप्त हो रही है। मैंने इस प्रश्न को एक बार नहीं अनेक बार उठाया मगर जो उद्योग मन्त्री ने कहा वह आश्वासन मात्र हो सकता है। इस तरह की चीज राजप्रमुख के भाषण में नहीं होनी चाहिये थी कि किसी काम को करें नहीं और कह दें कि किया। अगर किशनगढ़ की मिल बन्द होने के बाद में मजदूरों की संवेदना प्रकट करते तो उनको संतोष होता लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला गया।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्जा दिया जाता है उसमें वह जिस अनुपात से दिया जाना चाहिये था सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। जितना रुपया मंजूर हुआ था वह मंजूर होने के बाद में नहीं मिला। इस सम्बन्ध में पिछले अधिवेशन में प्रश्न उठाया गया तो माननीय उद्योग मन्त्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को जल्दी रुपया मिले मगर मिला नहीं। किशनगढ़ के बारे में चार महीने पहले बड़ी तत्परता इस सम्बन्ध में दिखाई गई, टेलिफोन किये गये; मगर खेद का विषय है कि राजस्थान की मशीनरी इस प्रकार की है कि इसमें चाहे कोई काम किया जावे.......

(घंटी)

चाहे कुछ भी किया जावे, तेजी से काम होना बहुत मुश्किल है। समय खत्म होने वाला है। इसलिए अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है, मेरे दिमाग में यह नहीं, कि मुझे किसी प्रकार से किसी की आलोचना करनी है; मैं यह मानता हूं कि मैं घर का आदमी हूं। अगर कोई कमी हो तो उसको खास तौर से अर्ज करूं। इसलिए जो मैंने निवेदन किया है वह आलोचना की दृष्टि से नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो खामियें हैं, उनको पूरा करने के लिए आपका ध्यान आकर्षित किया है और मुझे आशा है कि इसको मेरे साथी लोग दूसरी लाइट में नहीं लेंगे और जो कमियां हैं उनको दूर करने के बारे में पूरी कोशिश करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष महोदय,........

श्री मोहम्मद हादी—अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष—श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों हमने श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण सुना और सुनने के बाद ज्योंही मैं सदन के बाहर गया, एक मित्र ने पूछा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है। केवल टालने की गरज से मैंने उनको जवाब दिया कि मैं वकील हूं और वकील सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते और आज जब विरोधी दल के नेता ने यह फरमाया कि सदन में पढ़े गये भाषण और जो भाषण की कॉपियां छपी हुई मिलीं, उन दोनों में फर्क है; मुझे यह

[श्री चन्दनमल वैद]

महसूस हुआ कि अनजाने में मुझसे यह कितनी सही बात कही गई। भाषण पढ़ने में और छप कर उसकी कॉपियां दीं, दोनों में फर्क है। मुझे नहीं मालूम कि विरोधी दल के नेता जो फरमा रहे थे वह सही है, किन्तु जब यह बात कही गई है तो सदन के नेता इस बात पर प्रकाश डालें। यह जो गम्भीर चार्ज हमारे विरोधी दल के नेता ने लगाया है उसका स्पष्टीकरण करें कि सचमुच यह बात सही है। जो बातें यहां कही गई हैं, जो भाषण यहां पढ़ा गया है और जो भाषण की प्रतियां मिली हैं उनमें फर्क है; क्या सचमुच? अगर फर्क है तो मैं समझता हूं कि सदन का यह एक अपमान है और यह एक मामूली बात नहीं है, बल्कि गम्भीर बात है और गम्भीर रूप से ही इस पर विचार किया जाना चाहिए और उसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख का यह आखिरी भाषण था और मैं समझता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख के आखिरी भाषण पर आखिरी वाद-विवाद कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस आखिरी वाद-विवाद में टाइम ज्यादा ले लें; अगर समय का अतिक्रमण हो जाय तो आप ख्याल न करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने सबसे पहली बात यह कही कि देश में समाजवादी आधार पर रचना हो और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। यह बहुत ठीक बात है। कांग्रेस के आवडी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया था और जब जब कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, इसको दुहराते रहते हैं। पिछले वर्ष हमारे वित्त मन्त्री ने भी यह बात कही और परसों श्रीमन् राजप्रमुख ने भी यह बात कही और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि सुनी-सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिये, आज जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, मैं निवेदन करूं कि उसको देखकर इसकी पुष्टि करना चाहिए।

थोड़े दिनों पहले नये पे स्केल्स इश्यू किये गये हैं और श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में १ मार्च से उन पे स्केल्स को लागू करने की घोषणा की है। पे स्केल्स की पूरी नकल विधान सभा के सदस्यों को नहीं मिली है, लेकिन हमने अखबारों में पढ़ा है उससे जो पता चला है वह यह है कि जो तनख्वाहें २५. १. ३० पर अभी खतम होती हैं वे अब ४० पर खतम होंगी। साइकिल सवार, महतर और दूसरे निम्न सूची में आने वाले कर्मचारी, जिनके लिए हमारे बड़े बड़े अफसर शुरू से ही करते आ रहे हैं, वाकई उन्होंने उनके ऊपर बड़ी महरबानी फरमा कर के, कृपा करके, खावन्दी फरमा करके दस रुपया तक बढ़ा दिया है जब कि दूसरी तरफ अफसरों की तनख्वाहों में जिनको २०००) मिलता था उनको २५००), जिनको ७००) था उनको ६००) और जो ७००) पर समाप्त होने वाले थे उनको १०००), यही नहीं बल्कि उसके साथ स्पेशल ये भी, जहां ७५ थी वहां १२५ और १५०; इस तरह से उनको १ मार्च से ५० और ७५) रु० की तरक्की मिल जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि कौनसी समाजवादी रचना में इस प्रकार की व्यवस्था है? यह कौनसी

Page No.97

[श्री चन्दनमल वैद]

समाजवादी रचना है ? एक तरफ तो बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाहों में और काफी बढ़ोतरी हो और जो छोटी छोटी तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी तनख्वाहों में पांच सात रुपये की ही वृद्धि हो। यह तो केवल एक भुलावा देना चाहते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आया कि बड़ों को और बड़ा बनाना और केवल छोटों को उसी रूप में रखना, क्या यह समाजवादी रचना का उद्देश्य है ? एक तरफ तो अफसरों की मोटरों में और चमक आवे और दूसरे जो गरीब कमचारी हैं उनको फटे कपड़े भी मोहइया न हो, बड़े बड़े अफसरों के बूटों पर एक और चमक आवे और गरीब कर्मचारी का चूल्हा जल रहा है उसकी आग को भी बुझाना चाहते हैं और इस पर भी यह कहना चाहते हैं कि समाजवादी रचना कायम करना चाहते हैं, समाजवादी रचना की ओर अग्रसर हो रहे हैं ! माफ कीजिये ऐसा समाजवादी समाज हमको नही चाहिये। ऐसा सामाजवादी समाज का आपका आइडिया है। इस प्रकार के समाजवादी समाज के मनसूबों को बन्द कीजिए और समाजवादी समाज की रचना का जो उद्देश्य है, वह लागू कीजिये।

(विपक्ष द्वारा "हीयर, हीयर")

यह समाजवादी समाज की रचना नहीं, जनता को एक भुलावे में डालना है, बड़े बड़े अफसरों को खुश करने के लिए उनकी तनख्वाहों को बढ़ाना है। गरीब आदमी की तनख्वाहों में वृद्धि नहीं करना और उनके और अफसरों के बीच में इतना फर्क रखना, यह समाजवादी ढांचा नहीं कहा जा सकता। जो पे स्केल्स बनाई गई हैं और जिनको लागू किया जाने वाला है अगर उसको समाजवादी रचना की ओर समाज को लेजाने वाली बताते हैं अथवा उसको संतोषप्रद बताते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विधान सभा की एक कमेटी बनाई जावे और आप अपनी मर्जी माफिक जिनको कि आप नोमिनेट करना चाहें एक कमेटी बनाई जाय और वह जो फैसला कर दे वह सही न्याय संगत हो, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह कभी हो नहीं सकता कि ये पे स्केल्स न्याय संगत ठहराए जावें। विधान सभा के ६० प्रतिशत सदस्य कहते हैं कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। उन बड़े बड़े अफसरों के हाथों में पे स्केल्स बनाने के माने यह हुए कि दूसरे ने टेलिफोन पर एक दूसरे को धन्यवाद दिया और छोटे कर्मचारियों के सीनों पर से गुजरते हुए मोटरों में बैठ कर फक फक चले गये। क्या यही समाजवादी रचना है ? इस पर फिर से गौर करना चाहिए और अगर गौर नहीं करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कर्मचारियों में असंतोष की भावना फैलेगी जिनको सम्हालना मुश्किल हो जायगा।

माननीय अध्यक्ष, बिजली के बारे में भी श्रीमन् राजप्रमुख ने बहुत सी बातें कहीं; कई थर्मल प्लान्ट है और बढाये जावेंगे, राजस्थान में बिजली भाखरा से और आवेगी और बाद में बिजली प्रचुर मात्रा में मिलने लगेगी मेरे साम्यवादी मित्र ने फरमाया कि जोधपुर में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है और एक दूसरे मित्र ने जो श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश कर रहे थे कहा कि जयपुर में बिजली की व्यवस्था ठीक नही है। बिजली लग्जरी,

[श्री चन्दनमल वैद]

कम्फर्ट और नेसेसिटी इन तीन चीजों को पूरा करती है। जयपुर में बिजली ज्यादा कम्फर्ट और लग्जरी को पूरा करती है और जोधपुर में भी यही काम करती है, वहां भी कम्फर्ट और लग्जरी को पूरा करती है। लेकिन बीकानेर में बिजली कम्फर्ट और लग्जरी को नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी को पूरा करती है। बीकानेर के बिजली घर से एक बीकानेर को ही नहीं किन्तु आस पास के १५,२० शहरों को उससे बिजली मिलती है। वह नापासर, डूंगरगढ़, रतनगढ़, राजलदेशर, चुरू, सरदारशहर, सुजानगढ, मोमसर, और न मालूम कितने ही ऐसे शहर हैं जिनको केवल बीकानेर के बिजली घर से बिजली मिलती है और वह बिजली वहां पर कम्फर्ट और लग्जरी के लिए नहीं, किन्तु नेसेसिटी के लिए है। उनके द्वारा पीने का पानी मिलता है और चक्की द्वारा आटा मिलता है। बीकानेर बिजली घर की गड़बड़ी के कारण चक्कियों से आटा पिसने और कुओं से पानी निकालना बन्द होने लगा। मैं बहुत नम्रता के साथ और बहुत आजीजी के साथ सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे लग्जरी और कम्फर्ट का ध्यान देने के साथ बिजली की जहां नेसेसिटी है इस ओर भी अवश्य ध्यान दें। जिस बिजली से जनता की आवश्यक जरूरियात पूरी होती है उसकी ओर तो ध्यान देना ही चाहिये। जहां बिजली से पानी मिलता है और आटे की चक्कियों को पावर मिलता है, उस ओर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

मैं समझता हूं आज बिजली विभाग एक सुयोग्य और इमानदार व्यक्ति के हाथ में आया है और साथ में हमें इस बात की खुशी है कि वे माननीय मंत्री बीकानेर से आने वाले हैं। मैं उनसे जरूर यह आशा करूंगा जो गत छः सालों से जिस प्रकार बीकानेर के बिजली घर में अव्यवस्था रही है, उस गड़बड़ को जरूर बन्द करेंगे और उसको सुधारने की ओर ध्यान देंगे।

नेशनल एक्सटेन्शन सरविस के बारे में भी राजप्रमुख के अभिभाषण में उल्लेख है कि गत वर्ष से इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। सरदार शहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं, पिछली दो अक्टूबर को सरदार शहर कोन्स्टीट्यूएन्सी के एक गांव गोमासर, रामसीसर में नेशनल एक्सटेशन ब्लाक खोला गया। कम से कम एम. एल. ए. होने के नाते इस ब्लाक के खोलने की सूचना मुझे भी मिलनी चाहिये थी, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई। अगर सूचना नहीं देकर भी आप कोई काम करते हैं तो यह आपकी महरबानी है। पिछली २ अक्टूबर को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक खोला गया; मैंने सोचा वह बहुत अच्छा काम करता होगा बहुत सुन्दर काम इस ब्लाक के तहत में होता होगा। मैं १५ दिन पहले रामसीसर गांव गया जहाँ एन. सी ब्लाक खोला गया, इसे खुले हुए करीब पांच महीने का अरसा हो गया; मैंने जब वहाँ के गांव वालों को यह पूछा कि इस ब्लाक से तो आपके यहां काफी कार्य होता होगा तो मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतने लम्बे अरसे में भी वहां एक भी कार्य नहीं हुआ। गांव वाले यह भी कह रहे थे कि जिस दिन इस ब्लॉक का उद्घाटन हुआ उस दिन बाहर से बिजली रोशनी के हन्डे मगांए गए और भी दूसरा सामान विलायत आदि भी लाया गया; उसके लिये जो २००,३०० रुपया खर्च हुआ वह भी गांव वालों से वसूल किया जा रहा है। तहसीलदार वहां के गांव वालों पर जोर डाल रहे हैं कि तुम पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे घर की चीजें नीलाम करके पैसा वसूल किया

[श्री चन्दनमल वैद]

जायगा। मैं केवल यह बात इसलिये कह रहा हूँ कि वहां मेरी जो दयनीय स्थिति हुई उसको मैं प्रगट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब सदस्यों के guardian हैं और उस नाते आपसे केवल अपनी दयनीय स्थिति की जो मेरी वहां हुई उसका जिक्र कर रहा हूं, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं क्योंकि जिस काम में मुझे ऐसोसियेट ही नहीं किया गया मैं उसमें टांग क्यों अड़ाऊँ ?

जोबनेर कॉलेज का भी श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में उल्लेख था। मैं नहीं कह सकता कि राजस्थान में जो एक प्रकार की नई प्रवृत्ति कैसे चल पड़ी, उसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ ? कोशिश यह की जाती है, एक जगह कोई संस्था चल रही हो उसके गुण और अवगुण को न देखते हुए उसको बन्द करने की चेष्टा की जाती है और दूसरी जगह खोलने की चेष्टा की जाती है। इस तरह का अनुभव हम लोगों को भी हुआ, गांधी विद्या मन्दिर में जब बी. एड. की क्लास हम खोलना चाहते थे तो इसके लिये सैन्ट्रल गवर्नमेंट से कुछ एड मिली थी और वह इस संस्था को मिलने वाली थी किन्तु उसको न मिले इस तरह की कोशिस सैन्टर में कार्य करने वाले एक मुख्य व्यक्ति ने की, लेकिन केन्द्रीय सरकार उनके भुलावे में नहीं आई और गांधी विद्या मन्दिर में बी. एड. की क्लास खोली जा सकी। इसी तरह से यह भी मालूम होता है ऐसी ही बात जोबनेर कालेज के सिलसिले में है। यह हम नहीं कहते कि आप दूसरी जगह कालेज न खोलें लेकिन हमारा तो यही कहना है कि एक जगह जो कालेज चल रही है उसको बन्द न किया जाय उसका गला न घोंटा जाय। आप उदयपुर में भी खोलिये, बांसवाड़ा में खोलिये, प्रतापगढ़ में खोलिये, डूंगरपुर में खोलिये हमें कोई एतराज नहीं लेकिन जो जोबनेर कालेज पहले से चल रहा है, उसको तो बन्द न करिये। यह कालेज जो बहुत अरसे से चल रहा है जिसके पीछे किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा श्रम और पैसा लगा है जिसने अपनी सारी जायदाद इस कालेज को अर्पित कर दी है, आप इसको भी बनाये रखिये दूसरी जगह भी खोलिये। इसके लिए यह भी कहा जाता है, डा० विश्वनाथन् ने एक रिपोर्ट दी है उसमें यह लिखा है कि उदयपुर मौजू जगह है और जोबनेर मौजू जगह नहीं है। इसके अलावा एक और एक्सपर्ट ने जिनका नाम जे. सी. लूथर है उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि जोबनेर हर तरह से कृषि कालेज के लिये उपयुक्त स्थान है। डा० विश्वनाथन की क्या योग्यता है, मैं नहीं कह सकता किन्तु मि. जे. सी. लूथर के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है उनकी योग्यता के विषय में मालूम हुआ है वे लायलपुर और बनारस एग्रीकलचर कालेज में कई साल प्रिन्सिपल रह चुके हैं, इन्डियन एग्रीकलचर सरविस के आदमी हैं, बहुत योग्य प्रभावशाली और विद्वान आदमी हैं। एक तो एक्सपर्ट यह कहता है कि जोबनेर हर तरह से कृषि कालेज के लिये उपयुक्त स्थान है। मैं, माननीय अध्यक्ष, यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें राजस्थान की उन्नति हर दिशा में करनी है आप दूसरी जगह भी कालेज खोलिये और जो चल रही है उसको भी चालू रखिये। हमें राजस्थान के हर हिस्से को उन्नत करना है। आप ऐसी प्रवृत्ति क्यों डालते हैं जिससे लोगों को अविश्वास हो, दूसरे लोगों को अविश्वास करने का मौका ही क्यों देते हैं।

स्टेट रिओरगेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में साम्यवादी सदस्य ने थोड़ा सा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार भाषावार प्रान्त रचना की बात कही थी और

[श्री चन्दनमल वैद]

आज वह उससे मुकर रही है, बंगाल और बिहार का विलय कर रही है। माननीय अध्यक्ष, ठीक है, एक बार किसी समय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि भाषावार प्रान्त बनने चाहिये। लेकिन आज समय बदल गया। उस बात को बीते काफी अरसा हो गया उसके बाद तो दुनियां बहुत आगे बढ़ चुकी, आइटम बम और हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। एक दफा कांग्रेस ने डोमीनियन स्टेट्स का भी प्रस्ताव पास किया था, किन्तु क्या बाद में पूर्ण आजादी का प्रस्ताव नहीं कर सकी? क्या आजादी का प्रस्ताव आया और वह मिली भी। जब एक बार भाषावार प्रान्त रचना की बात कही गई तो बाद में यह भी हो सकता है कि दो-तीन भाषाओं को मिलाकर एक प्रान्त को रचना की जाय। राजस्थान में कौनसी भाषा है, जिसके आधार पर आप प्रांत बनाना चाहते हो? हर जगह दूसरी दूसरी भाषा है, बंगाल में केवल बंगाली और बिहार में बिहारी। राजस्थान का ऐसा कौनसा हिस्सा है जहां हिन्दी भाषा नहीं समझी जाती है। मैं यह नहीं कहता कि एस. आर. सी. ने जो रिपोर्ट राजस्थान के बारे में दी है उसको चेन्ज करें। लेकिन अगर देश की बहबूदी के लिये, देश के हित के लिए अगर बड़े प्रान्तों की रचना ठीक हो तो हमें भी क्यों न उसमें शामिल होना चाहिए। देश हित, प्रान्त हित के ऊपर है। हमारा देश हित सर्वोपरि होना चाहिये। मैं नहीं समझता कि राजस्थान के अन्य प्रान्त से मिलने से राजस्थान की हेटी होगी, इसलिये हम बड़े प्रान्त की रचना से इन्कार करदें। यह सही दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। साम्यवादी सदस्य ने यह भी धमकी दी कि अगर ऐसा किया गया तो गलियां निकलना बन्द हो जायगा। माननीय अध्यक्ष, यह तो उनका वही पुराना नारा है, जो पहले वे दिया करते थे। उन्हीं के इस नारे के कारण बम्बई में उपद्रव हुआ, कलकत्ते में उपद्रव हुआ, उड़ीसा में उपद्रव हुए। हो सकता है जयपुर में भी वे करादें। वे छोटे मोटे दंगे फिसाद करा सकते हैं लेकिन दुनियां जो प्रगति की ओर जाने वाली है वह तो इन छोटे मोटे दंगों से उस प्रगति को तो रोक नहीं सकते।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, एक और ज्वलंत समस्या हमारे सामने आई है और वह है भूस्वामी आन्दोलन के सिलसिले में। इसके बारे में इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं। मैं भूस्वामी आन्दोलन को एक ले मैन की हैसियत के आदमी की तरह समझता हूं। इसलिये जितने भी ले मैन है उनके मन में जो धीरे धीरे, यह जो सारा वातावरण फैल रहा है उसके इफेक्ट से कोई भी वंचित नहीं रह पाया है। इसका असर मेरे पर भी पडा। मैं मानता हूँ कि जो आन्दोलन चल रहा है वह एक बिल्कुल गलत रूप है, आज उनका नारा है उसे देखते हुए यह यह कभी नहीं कहा जा सकता, यह नारा किसी भी आन्दोलन को सफल नहीं बना सकता हैं। दूसरी तरफ मैं यह भी मानता हूं कि भूस्वामी भी हमारे यहां के निवासी है, यह भी एक वर्ग है, यह भी एक सेक्शन है, । उस सेक्शन की भावनाओं को न समझना और न समझने की कोशिश करना भी एक गलत दृष्टिकोण है, इतने दिनों से जो आन्दोलन चल रहा है हजारों आदमी जेलों में जा रहे हैं क्या राजस्थान सरकार ने यह समझने की कोशीश की है कि ये हजारों आदमी जेलों में क्यों जा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? क्या उनको जेल जाने का शोक चढ़ आया है या इस के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक चीज है। आज के चेन्जिग आर्डर में आज वे देख रहे हैं

[श्री चंदनमल वैद]

कि न आज हमारा राजनीति में स्थान है न आर्थिक व्यवस्था में और और न हमारा सामाजिक व्यवस्था में ही स्थान है। तो क्या हम मर जायं, यह भावना आज उनमें व्याप्त है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं और साथ ही सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे भूस्वामियों की स्थिति समझें और उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिये।

यही नहीं कि आन्दोलन हो रहा है, पर हजारों आदमी जेलों में जा रहे हैं। इसके लिए यह सोचते रहना कि जाने दो, अपना क्या नुकसान है इससे तो अव्यवस्था बढ़ रही है। कम से कम इसके लिए मैं तो यह सोचता हूं कि इसकी तह में एक आर्थिक कारण जरुर है। इसको हल करने की जल्दी कोशिश करनी चाहिये। अभी एक जागीरदार महोदय मुझसे मिले। उन्होंने कहा, मैं अन्तरिम मुआवजे के लिये जयपुर आया था और श्री लक्ष्मीलालजी जोशी ने महरबानी करके मेरे कागजात बना दिये, फिर मैं उन कागजों को लेकर कलक्टर के पास गया। जोशीजी ने आॅर्डर दिया था कि इतनी रकम दे दी जावे पर कलक्टर ने देने से इन्कार किया। अब फिर जोशीजी के पास आया हूँ, वे दिल्ली या उदयपुर के दौरे पर गये हुए हैं, आवेंगे तब मिलूँगा। इससे मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिये ये तो बड़े जागीरदार थे, आने जाने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते थे, दस बीस बार अपने घर और जयपुर के बीच चक्कर भी लगा सकेंगे; पर जो छोटे जागीरदार हैं जिनका मुआवजा दो सो, चार सो, पांच सो रुपय का कुल का है, उसके साथ अगर ऐसी बीते तो उसका तो कचूमर निकल गया, जो कुछ मुआवजा आप उन्हें दे रहे हैं इस तरह से तो उसमें से एक बडा कमीशन वैसे ही कट जाता है। इस तरह से बार बार अगर उन्हें तंग किया जाता है तो इससे दिलों में एक टीस पैदा होती है, उनके दिलों में भी गुस्सा पैदा होता है, दूसरे लोगों को भी हैरानी पैदा होती है सरकार के इस तरह के रवैये पर। सरकार को अगर मुआवजा नहीं देना है तो वैसे कह दे, पर इस तरह से तंग करने का क्या मतलब ? इसलिये निवेदन करूंगा कि हमको किसी के पेट पर लात मारना है तो उतनी तेजी से मत मारिये कि उसको इतना बड़ा जोश आ जाये कि आपकी टांग तोड़ दे, जागीरदारी उन्मूल होकर रहेगी, पर साथ ही मानवता भी हमारे में आनी चाहिये कि ठीक तरह से उन्हें बसावें। दूसरी जगह से आये शरणार्थियों को जब हमने बसाया है तो हमारे यहां के इन उखड़े हुए हमारे ही आज दिन तक रहे साथियों को हम जल्दी से जल्दी बसाएं और उनकी समस्या भी मानवता के ढंग से हल करें, ताकि उनको भी यह महसूस हो सके कि खाने-पीने और पहनने की वस्तुओं को प्राप्त करने का उनका भी हक है। ये दो-चार शब्द कह कर अध्यक्ष महोदय आपकी घंटी का खयाल करके मैं अपने स्थान पर बैठता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए सदन के समक्ष चन्द शब्द पेश करूंगा ?

श्रीमन् राजप्रमुख ने जो सदन के समक्ष, अध्यक्ष महोदय; अभिभाषण दिया है उसके द्वारा जिस सरकारी नीति का उल्लेख किया गया है उसका हमें गर्व होना चाहिये और सबसे बडी गर्व की बात तो यह है कि हमारी सरकार ने एक साल के अरसे के अन्दर भ्रष्टाचार को ऐसा जड़ से नष्ट

[श्री मानसिंह महार]

कर दिया है कि उन्होंने यह समझा है, कि इस अभिभाषण में अब इस भ्रष्टाचार का जिक्र करना भी इस सरकार की एक तौहीन है। तो इससे बढ़कर मुबारिकबाद की बात नहीं हो सकती। मुझे बहुत खुशी है अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है यानि नष्ट कर दिया है कि अब कोई जरुरत ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के लिए हमारी सरकार इतनी सतर्क है कि जितनी दुनिया की कोई सरकार नहीं हो सकती है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय।

यह एक अद्भुत सरकार है जिसने भ्रष्टाचार विरोधी एक कमेटी बनाई। ६ महीने तक उसके रूल्स सरकार ने नहीं बनाये। वह अफसर बैठा बैठा तनख्वाह लेता रहा, पर काम कुछ नहीं किया, क्या करता रूल्स नदारद थे ६ महीने तक? मैंने कुछ मद्दों पर पिछली दफा इस सदन में कहा था कि इस तरह की बात होनी चाहिये, उस पर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया जो कि भ्रष्टाचार विरोधी मन्त्री भी हैं और मीठे स्वर में कहा कि इस पर कार्यवाही करेंगे, परन्तु यहां से जाने के बाद ऐसी लम्बी नींद में पौढ़े हैं कि उसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया है।

तो सबसे बड़ी मुबारकबाद फिर देना चाहता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ से आंखें मूंदकर सरकारी अफसरों को प्रोत्साहन दिया है कि चारों तरफ से खाओ-पीओ, लूटो और मौज करो। पहला जो धन्यवाद देना चाहता हूँ वह यह है कि भ्रष्टाचार जैसी बुरी चीज का उन्होंने जिक्र तक नहीं कराया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जिस पर हमारी सरकार को फिक्र होनी चाहिये, वह यह है कि इस पुलिस राज की काबलियत का नमूना कल जिस समय राजप्रमुख यहां तशरीफ लाये उस दिन, कल दिन भर, परसों शाम को जयपुर नगर में नजर आया; वह हमारी सरकार की एफीशियेन्सी का दूसरा नमूना था। उसके लिये भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। इसके लिए हमारे मन्त्रीजी को गर्व से सिर उठाना चाहिये। इस एफीशियेन्सी ने तो सामन्तशाही को क्या प्रताप के जमाने की सामन्तशाही को भी मात किया। जयपुर नगर में कोई भी नागरिक अगर वह किसी गांव की तरफ से आया और सिर पर साफा रखा हुआ आया, तो बिना किसी कारण के पकड़ कर कोतवाली में या माणकचौक थाने में या पुलिस लाइन में डाल दिया गया। शक्ति का ऐसा दुरुपयोग आज के युग में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के किसी प्रान्त में, यहां तक कि बम्बई शहर में भी जहां कि हजारों मार दिये गये, वहां भी नहीं हुआ होगा। ऐसी बात नहीं हो सकती कि बिना किसी वजह से, कोई वजह नहीं, कोई कसूर नहीं, केवल इसके सिर पर साफा बान्धा हुआ है और वह कोतवाली में बन्द कर दिया हो; कोई वजह नहीं जिससे १४४ धारा लगाई जावे। यहां भूस्वामी आन्दोलन को चलते तीन महीने हो गये। किसी दिन किसी प्रकार गडबडी नहीं हुई। एक सीधी सादी बात उन्होंने कही कि हम ५ तारीख को अपना सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन शब्द के नाम पर ही धारा १४४ लगा दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात से हम लोगों को बड़ा दुख होता है और खास कर इस तबके लोगों को जो कि उन

[श्री मानसिंह महार]

भूस्वामियों से कुछ दूर हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ। कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं, हमारे पास कि कई राजपूत लोग अपने मुआवजे के लिए आये, अपने कैसेज के लिए आये अपनी लडकियों वगैरह को लेकर भी आये और उन निरपराधों को सिर्फ इस अपराध पर उनका नाम सिंह पर था वे राजपूत थे और सिर पर साफा बान्ध रखा था उनको पकड पकड कर कोतवाली में डाल दिया गया। मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं समझता हूं। यह जो लक्षण हैं इससे जाहिर होता है कि हमारी सरकार किधर जा रही है। ये लक्षण अच्छे नहीं प्रतीत होते। ये लक्षण एक साल पहले से प्रतीत होने लग गये हैं कि हमारे प्रान्त में कुछ होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, भूस्वामी आन्दोलन के बारे में तो मैं बहुत थोड़ा निवेदन करूंगा कि मैं मानता हूँ कि भूस्वामी आन्दोलन नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम भी भूस्वामियों को नहीं समझा सके हैं। हमारी सरकार उनके लिए क्या कर रही है, पर दूसरी तरफ यह भी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार भी चेष्टा नहीं करती। सरकार को भी यह चाहिए कि झूठी प्रेस्टिज के सवाल में नहीं उलझे। सरकार यह सोचती है कि हम क्यों उनसे बात करें उनकी कोई डिमान्ड नही है। मैं यह कहता हूं कि जिस आन्दोलन में हजारों आदमी जेल जाते हैं उस आन्दोलन को केवल यह कह कर कि बेकार का आन्दोलन है, यह सरासर गलत बात है। मैं किसी भी सूरत में इसे बेकार का आन्दोलन नहीं मानता। मैं मेरे मित्रों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जयपुर शहर में खड़े होकर बेकार के लिए हजार तो क्या सौ आदमियों को भी जेल जाने के लिए तैयार तो करके देखिये। यह आन्दोलन बेकार नहीं है। यह लोगों के पेट का सवाल है, उनकी रोटी का सवाल है। अपनी रोटी के लिए एक जगह इकट्ठे होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोटी दिलवाइये हमें। उनकी सबसे बड़ी समस्या है रोटी और वह रोटी आपके पास से, भूखे होने के नाते नहीं, बल्कि इस नाते मांगते हैं कि आप उनकी जो बहुत दिनों की चीज है उसे छीन रहे हैं और उसके बाद वे आपसे रोटी मांग रहे है तो सरकार को उनकी रोटी की समस्या का हल बहुत जरूरी है, करना है। हम ध्यान नहीं देंगे इसकी तरफ, तो यह गलत चीज होगी।

दूसरी बात यह है, कि हड़ताल करना, गाली देना, अर्थी जलाना यह बहुत नाजायज चीज है। इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको जड़ में अगर हम जायेंगे; तो भूस्वामी यह काम कभी नहीं जानते थे। इन्होंने सात जन्म में भी हड़ताल और अर्थी जलाना नहीं सीखा था। इसकी जिम्मेवारी इन्हीं (कांग्रेस सदस्यों) पर है। इन्हीं लोगों ने यह गैरकानूनी चीज सिखाई है। जो कुछ उन्होंने किया है वे उसका अनुकरण कर रहे हैं तो इनको नाराज नहीं होना चाहिए। हमको उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। हमको अपने दिन देखने चहिए, सन् ४२ के बाद, में, जिसमें यह काम करके हम किस प्रगति पर पहुँचे हैं।

श्री भैरूसिंह—(वि० सं० १६) आप भी ४२ में गये थे जेल में।

श्री मानसिंह महार—मैं भी गया था इन्दौर में।

[श्री मानसिंह महार]

हमारा अनुकरण जब वे कर रहे हैं तो हमको नाराज नहीं होना चाहिए। मगर उस वक्त मजिस्ट्रेट लोग ऐसे आज के जमाने की तरह से पट्टा बांध कर चलते थे तो बहुत मुमकिन था कि, बहुत कम आदमी दिखाई देते, लेकिन ये लोग इन भावनाओं की कद्र करते थे। लेकिन देखना यह है कि आप हम इन भावनाओं को बड़ी बेरहमी से कुचलना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि यह बात नहीं होनी चाहिए।

इस सिलसिले में एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि भूस्वामी आन्दोलन गलत है। कोई कहता है कि क्या है ? मैं आपको इसकी प्रत्यक्ष मिसाल देना चाहता हूँ कि इस सदन के अन्दर ५० कम से कम राजपूत आज मौजूद हैं जो एम० एल० ए० हैं। लेकिन उन लोगों को आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी जाति के लिए किसी खास काम के लिए सामुहिक रूप से कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपनी जिन्दगी में कोई सामूहिक काम किया है तो वह यह कि २२-२३ आदमी उठकर इधर से उधर आ गये। सामूहिक काम तो उन्होंने यह किया, उसका नतीजा, अध्यक्ष महोदय, वह मिला है कि या तो मैं जानता हूँ या मेरे भाई जानते हैं कि किस तरह से जूतियां खा रहे हैं, किस तरह से उनके कलेजे में छुरियां चलाई जा रही हैं, फिर भी बैठे हैं। यह प्रत्यक्ष बात है। अगर उनको सही तरीके से धर्मियां पूछा जाय तो वे मंजूर करेंगे।

श्री भैरूसिंह—(वि. सं. २१६) आपका एडमिशन नहीं हुआ है।

श्री मानसिंह महार—हालांकि मुझे एडमिट नहीं किया है तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं।

(हंसी)

तो अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कह रहा था वह यह है कि राजपूतों के लिए सरकार जो पक्षपात कर रही है, अन्याय कर रही है, वह बहुत ही अन्याय की चीज है। सरकार कहती है कि जो राजपूत हैं, उनके साथ वह दुश्मनी नहीं करती है। तो राजस्थान की आर. ए. एस. लिस्ट को ले लीजिये। अध्यक्ष महोदय, अगर आप फरमायेंगे तो १०, ५ नाम पढ़कर बताऊंगा और मिसाल दूंगा कि किस तरह से राजपूतों को सर्विस में नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आर. ए. एस. की लिस्ट में सबसे पहले श्री चन्द्रपाल सिंह हैं। 'सिंह' लग गया, चूंकि वह राजपूत हैं तो उनके साथ ऐसा किया गया है कि वे लेन्ट सरविसेज पर राजप्रमुख के यहां हैं। दूसरे श्री जीवराज सिंहजी हैं जिन्हें एक बेकार के महकमे में ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—श्री चन्द्रपालसिंहजी कब गये ?

श्री महार—कब गये। आपकी सरकार में नहीं गये। मैं शुरू से कह रहा हूँ।

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष, दूसरे नम्बर पर हमारे श्री जीवराज सिंहजी हैं, जो बेचारे धमार्थ में सड़ रहे हैं। अब चले चलिये, फिर आयेंगे श्री अजीतसिंह जी। उनका आठवां नम्बर है। तो उनको

[श्री मानसिंह महार]

भी पहले तो एक ऐसा थर्ड क्लास डिपार्टमेन्ट दिया था। अब उनको एडिशनल कमिश्नर, जो कि पोस्ट में पोस्ट नहीं है, वहां डाल रखा है। इसके बाद चलिये, अध्यक्ष महोदय, श्री अभयसिंह। उनको जरा अच्छी पोस्ट इसलिये है कि वह मेवाड़ के हैं। (हंसी) इसके बाद और आगे आप चलेंगे तो आप यह देखेंगे कि श्री मनोहरसिंह। उनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन इसलिये मिला है कि वह भी उधर के हैं। उसके बाद आगे चलिये, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अध्यक्ष महोदय। कोई रह न जाय, यही देखता हूँ। श्री श्यामकरन सिंह। उनको जो फुटबॉल बनाया गया है वह सारा सदन जानता है। फिर चलिये आगे श्री प्रतापसिंह हैं। उनकी जो दुर्दशा हुई है यह सब जानते हैं। श्री रणवीरसिंह, यह पहले से जमे हुए हैं। इतने पढ़े होते हुए भी, इतने सीनियर होते हुए भी वहां के वहीं धरे हैं। तबादले की कुछ पूछिये मत। यह एक श्री मुकुन्दसिंह आ गये। तो किस्मत से आइ. ए. एस. में आ गये और उन्हें इससे छुटकारा मिल गया। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ आदमियों के नाम दिये हैं। अब दूसरी ओर चलेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, आप देखिये जो इम्पार्टेन्ट पोस्ट्स और प्रमोशन्स दिये गये हैं वह देखिये। तो यह कुछ नाम थोड़े से बतला देता हूँ। श्री जगन्नाथसिंह मेहता, श्री डूंगरसिंह मेहता, श्री इन्द्रसिंह मेहता, श्री हिम्मतसिंह गलूंडिया। तो इस प्रकार इतने मेहताओं के नाम आ जाते हैं। तो इस तरह से मेवाड़ से आने वाले हैं उनको आसमान पर पहुँचा दिया जा रहा है। हालांकि जो मैं कहता हूँ वह सत्य है। मैं किसी तरह का मखौल नहीं करता हूँ। मैं मुख्य मंत्रीजी को अपने हृदय का हाल बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बिगाड़ दिया है। जयपुर की सरविसेज को दो-तीन बार नुकसान हो चुका है और उदयपुर की सरविसेज को दो-तीन बार फायदा हो चुका है, तीसरी बार फायदा दे रहे हैं। जयपुर और जोधपुर वाले पिस रहे हैं। यह अन्याय है। यह नाकाबिले बर्दाश्त है। जब उदयपुर रियासत फोर्मर राजस्थान में मर्ज हुई तो उस समय इन सब को अन्धाधुन्ध प्रमोशन मिला। यह कहा जायगा कि महाराणा साहब ने कर दिया। हम क्या करें? उस समय भी हमारे मुख्य मन्त्रीजी वहां मिनिस्ट्री में थे फोर्मर राजस्थान में। जब इस राजस्थान में वह मर्ज किया गया तो उस समय भी उदयपुर वालों को जिस तरह तरक्की दी गई वह यह है कि उदयपुर के तहसीलदार जितने हैं वह एस. डी. ओ. हो गये हैं और जो एस. डी. ओ. थे वहां वह जूनियर हो गये। यह फेक्ट है। कोई तहकीकात करना चाहें तो आप कहें कि तहकीकात कराने को तैयार हूँ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं पांच नाम जानना चाहूँगा जहां तहसीलदारों को एस. डी. ओ. बनाया गया हो।

श्री मानसिंह महार—उदयपुर में तहसीलदार नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां एस. डी. ओज़ नहीं थे। वहां जितने तहसीलदार वगैरह काम करने वाले आदमी थे वे मर्जर के समय एस. डी. ओज़ बना दिये गये।....

श्री सुखाड़िया —जी नहीं, तहसीलदार वहां थे।

श्री मानसिंह मद्दार—मैं बोल रहा हूँ, तो कल बता दूंगा। गलत नहीं कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ इसलिए अडिग हूँ। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, हम लोग दुखी होते हैं। अगर यही रवैया इस सरकार का चला तो कम से कम जयपुर के मंत्रियों को हमें यह कहना पड़ेगा कि वे कुर्सियां छोड़ दें। जयपुर वाले दुखी हों और आप आराम करते रहें, यह सरासर अन्याय है।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास—कुर्सियां छोड़ने वाले नहीं हैं।

श्री मानसिंह मद्दार—कुर्सियां छुड़वाने वाले बुरे होते हैं, कइयों की छुड़वा दी हैं। आप इस भरोसे नहीं रहें। कोई भी चिपक महादेव नहीं हो सकता। (हंसी) जयपुर वाले पहले भी दो-तीन मंत्री कुर्सियां छोड़ चुके हैं। इसलिए जयपुर वालों को डर होना चाहिए और जयपुर वालों का भला करना चाहिए, वह बहुत नुकसान उठा चुके हैं।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे तबके की बात कह रहा हूँ जो बेचारे बोल नहीं सकते। अब इस अभिभाषण के अन्दर खास चीज जो मैंने देखी वह यह है कि "सचिवालय के कार्य में और भी अधिक प्रगति लाने के लिए एक नई शाखा 'आर्गेनाइजेशन एन्ड मेथड्स' कायम की गई है।" यह इसलिए किया गया है कि सेक्रेटेरियेट के काम में अधिक प्रगति लाई जाय। लेकिन इसके ऊपर जो अफसर नियुक्त किए गये हैं वह एक ऐसे आदमी को नियुक्त किया गया है जिनके विरुद्ध आर. ए. एस. एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया है कि यह बहुत जूनीयर आदमी है और यह ऐसे इम्पार्टेन्ट काम करने के लायक नहीं हैं। लेकिन वह कुछ आदमियों की कृपा में हैं। वह ऐसे आदमी हैं कि जिनके लिए कुछ आदमी चाहते हैं कि उनको लाभ दिया जाय। वह आई. ए. एस. का जूनीयर आदमी है लेकिन उन्होंने सेक्रेटेरियट में ऐसा सिप्पा जमा लिया है कि वे अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट में कई दिनों से जमे हैं। ऐसी हालत में ऐसा महत्वपूर्ण काम उनको सौंपा जाय, तो एफिसियेन्सी बढ़ने के बजाय इनएफिशियेन्सी ही बढ़ेगी। मुख्य मन्त्री जी किसी सीनियर ऑफिसर को ऐसे काम में लगायेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

तीसरी बात मैं आर. ए. एस. के ग्रेड के बारे में निवेदन करूंगा। इस बारे में विस्तृत विवरण तो बजट के समय प्रस्तुत करूंगा लेकिन इस समय यह कहूँगा कि आर. ए. एस. का जो ग्रेड रिवाइज किया गया है वह बहुत ही अनुचित किया गया है। उनकी सरविसेज और सीनियोरिटी को देखकर आई.ए.एस. के मुकाबिले में उनको क्या मिलना चाहिये, यह न देखकर, उनको जो कुछ दिया गया है वह बहुत कम है।

(समय समाप्ति सूचना घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कम समय दिया गया है। अभिभाषण पर यह मेरा आखिरी स्पीच है।

एक माननीय सदस्य—अगले चुनाव में क्या होगा?

श्री मानसिंह महार—अगले चुनाव में मैं शायद ही आऊंगा।

आर. ए. एस. की जो पे स्केल्स रखी गई हैं उनसे उन गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया गया है। यह अन्याय इसलिये किया गया है कि आर. ए. एस. में पहुँच वाले जो लोग थे वे तो सभी आर. ए. एस. में आ गये। अब आर. ए. एस. वाले चाहे कुए में जावें, उनको चिन्ता नहीं है। इसी तरह से जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज् हैं, वे इतने दिन समझते थे कि वे आर. ए. एस. वालों से नीचे हैं लेकिन सेक्रेटेरियेट में अपना सिप्पा जमाकर, "हुक्म, बड़ो हुक्म" करके उन्होंने अपना ऐसा सिप्पा जमाया कि आर. ए. एस. से भी अच्छे हो गये। डिप्टी सेक्रेटरीज् में प्रोमोशन भी आर. ए. एस. वालों में से ३ आदमियों का किया जायगा और असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज् में से दो आदमियों को प्रोमोशन मिलेगा। १५ असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज में से तो २ डिप्टी सेक्रेटरीज् बनेंगे और ३५० आर. ए. एस. अफसरों में से ३ आदमी बन सकेंगे। यह कितना अन्याय है ? मिनिस्टरों के जो प्राइवेट सेक्रेटरीज् थे उनमें से दो को तो डिप्टी सेक्रेटरी बनने का चान्स मिल गया और तीसरे अलवर के एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको मिल जायगा, ऐसा सुना हैं। केवल सुना ही नहीं हैं बल्कि जल्दी ही सामने आयगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। वह ऐसा अन्याय है जो समाजवादी ढांचे में नहीं बैठता; वह यह है कि गरीब चपरासियों और पुलिस के सिपाहियों को आपने कुछ नहीं दिया। मैं आशा करता था कि राजस्थान सरकार घमंड के साथ कहेगी कि हमारे यहां कोई भी सिपाही ऐसा नहीं होगा जिसको ५०) रु० से कम वेतन मिलता हो। मैं यह भी आशा करता था कि ५० से ७५ तक जल्दी ही छलांग मार सकेंगे। आपको इससे क्या हर्जा होता ? घाटा तो राजस्थान में हमेशा पड़ता है। इधर उधर लगाते हैं तो क्या अपनी जेब में आ जायगा। इन गरीब सिपाहियों को जो दिन भर डंडा लेकर धूप में दौड़-धूप करते हैं और गरीब चपरासी जो लेफ्ट राइट करते हुये मिनिस्टरों के आगे पीछे घूमते हैं, उनको कुछ नहीं दिया गया। उनकी भी कमजोरी है कि उन्होंने मिनिस्टरों को इसके लिये मजबूर नहीं किया। हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि उनके कमरे के आगे सोते रहते हैं। हमें इससे बड़ा दुःख होता है। यह शोभा की बात नहीं है। राजस्व मन्त्री जी मुस्करा रहे हैं। यह मुस्कराने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है। इस पर आंसू टपकाने चाहिये और रोना चाहिये। यह बात कहते हुये मेरा चित्त भर आता है। हमारे भूतपूर्व डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की, लेकिन वे भी जब ऑफिस में थे तब उन्होंने भी उनके लिये कुछ नहीं किया, इसलिये उनकी भी सहानुभूति प्राप्त नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ज्यादा बात तो बजट के समय कहूंगा क्योंकि उस समय मुझे बहुत समय मिलेगा, लेकिन राजप्रमुख महोदय ने अपने एड्रेस के लिये रोमन हिन्दी में बोले उनकी भावना की कद्र करनी चाहिये। एंग्लो इंगलिश या कुछ शब्द कहें एंग्लो हिन्दी में उन्होंने जो कुछ कहा, उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिये। वे हिन्दी में अच्छी तरह नहीं बोल सकते इसलिये उन्होंने जो कष्ट उठाया उनको भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिये हिन्दी में बोले, इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने एक नमूना पेश किया है जिसके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं। ये सब बातें होते हुए भी मैं उनके अभिभाषण की तारीफ करता हूं। इस अभिभाषण

[श्री मानसिंह महार]

के समय छोटे चपरासियों और पुलिस के सिपाहियों को नहीं के बराबर तरक्की दी जाय, जिस अभिभाषण के समय राजस्थान विधान सभा और उसके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा हो, जिस अभिभाषण के समय राजस्थान के लोगों में अफसोस हो, जिस अभिभाषण के समय राजस्थान तरक्की पर न पहुँचा हो, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात भूल गया हूँ, भूस्वामियों के आन्दोलन के बारे में बात कही जा रही है। इस बारे में अध्यक्ष महोदय जिस दिन सुना कि राजपूतों में से भी एक उपमंत्री नियुक्त किया गया है तो मेरी बोटी बोटी खिल गई। मैं मानता हूँ कि वे उप मंत्रीजी हम में से किसी के भी वोट के अधिकारी न भी हों, चाहे ९९ परसेन्ट राजपूत उनको वोट न भी दें, फिर भी रोगड़ों की जाति के तो वे हैं। । उनकी जब उदास मुद्रा मैंने देखी तो मैंने कहा, भाई खेतजी उदास क्यों हो, तो उन्होंने कहा कि आदेश आ रहा है कि कुर्सी छोड़ो; तो मैंने कहा कि हमारी किस्मत ही फूटी। (हंसी) ऐसी परिस्थिति में हम राजप्रमुख को धन्यवाद क्यों नहीं दें।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह बोलेंगे।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, आज मेरी तबियत खराब है। यह वाद-विवाद तो कल भी चलेगा इसलिये मुझे कल बोलने की इजाज़त दें।

श्री अध्यक्ष—Once called, you lose the right.

श्री चन्दनमल वैद—He has temperature at persent.

श्री अध्यक्ष—We are going to close the debate today.

श्री भैरूसिंह—मैं फिर निवेदन करूंगा कि मुझे कल बोलने की इजाज़त दी जाय।

श्री अध्यक्ष—बजट के समय बोल लीजिये। Now or never.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर सदन में काफी चर्चा हो रही हैं और मैं जहां तक समझ पाया हूँ, आज की चर्चा का मुख्य विषय राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्तर को बढ़ाया, उसके संबंध में और भूस्वामियों का जो आन्दोलन चल रहा है, उस संबंध में सभी सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं, उसमें थोड़ा भाग लिया है। आज इस चीज़ से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान में शान्ति की व्यवस्था बनी रहे, इस चीज से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान सुखी रहे, देश में शान्ति की व्यवस्था बनी रहे और राजस्थान में दुखियों का दुःख दूर हो। यदि इसके बीच का कोई रास्ता नहीं निकला तो यह निश्चय है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि समूचे देश में अशान्ति का वातावरण बन सकता है। राजस्थान में भूस्वामी संघ का आन्दोलन इस बात का सूचक है कि जागीर पुनर्ग्रहण सफल नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने, जिनका राजपूत जाति से संबंध है,

[श्री भैंरूसिंह]

उन्होंने इस बात की ताईद की थी कि जागीर प्रथा समाप्त की जाय। उनमें से आज भी कोई नहीं कहता कि जागीर प्रथा कायम रखी जाय। आज भी सब की मांग है कि जागीर प्रथा समाप्त हो।

यह भी देखा जाना चाहिये कि जिस जागीर प्रथा को आप साफ करने जा रहे हैं उसके कारण से जितने लोग बेकार और बेघरबार और बेरोजगार होते हैं उन लोगों को भी किसी प्रकार से बसाया जावे और उनका प्रबन्ध किया जावे। भूस्वामी संघ का आन्दोलन जिस समय शुरू हुआ उस समय सब लोगों के सामने यही एक समस्या थी कि जागीरें समाप्त होने वाली हैं, उसके बाद में जो मिलने वाला है वह मिल सकेगा या नहीं और उसी बात को लेकर आन्दोलन किया गया। उसमें १५०० आदमियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भूस्वामी संघ और सरकार में समझौता हुआ। उस समझौते को कराने में सदन के अच्छे अच्छे व्यक्तियों ने भाग लिया और वह समझौता कराया। इसके फलस्वरूप एक रिहेबिलिटेशन बोर्ड का निर्माण हुआ और गजट में नोटिफिकेशन शाया कराया। लेकिन बदकिस्मती थी कि इस बात को जानने के लिए इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा कि कोई इस सम्बन्ध में समझौता हुआ या नहीं, और मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ और उसके तहत राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने दूसरे रोज होम मिनिस्टर के कथन की पुष्टि की। जब भूस्वामियों को इस बात का पता लगा और समझौता कराने वालों को भी पता चला तो उन्होंने किसी तरह से रिहेबिलिटेशन बोर्ड से अपना हाथ अलग किया। आज भी सरकार इस बात से इन्कार कर रही है, लेकिन मैं आज भी सरकार को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का समझौता हुआ है और मैं उस समझौते की फोटो, आज तो नहीं कल आपके सामने रखूंगा। मैंने उस समझौते को अपनी आंखों से देखा है। उसमें ६ शर्तें हैं और उसके नीचे मुख्य मन्त्रीजी के दस्तखत हैं। उस समझौते पर दस्तखत होते हुए भी, वे यह कह सकते हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ और फिर यह सरकार यह कहे कि जनता की नुमायन्दों की सरकार है! उनको इस पर शक हुआ और सत्याग्रह शुरू हुआ और होना ही चाहिये था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि जो मैंने जवाब दिया था उसको स्पष्ट तौर से समझा गया होता तो इस बहस की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा था कि समझौते जैसी बात भी हुई, कुछ लोग बीच में पड़े थे, इस चीज से पहले भी इन्कार नहीं किया गया था और वह चीज आज भी प्रोसीडिंग्ज़ में मौजूद है और बीच में जो लोग पड़े थे उनके बीच की सब चीज है। अगर भूस्वामियों और मेरे बीच की लिखा-पढ़ी आप पेश करेंगे तो मैं आपका आभारी हूंगा।

श्री भैंरूसिंह—मैं फिर कहूंगा कि उन्होंने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ। मगर मैंने समझौते की ६ शर्तों को देखा है, वे लिखी हुई हैं और उनके दस्तखत हैं। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि अगर वे सदन की प्रोसीडिंग्ज देखना चाहें तो देख सकते हैं और पढ़ कर देख लें। मैंने

[श्री भैंरूसिंह]

उस समय पूछा था कि कोई लिखित समझौता हुआ या नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि कोई नहीं हुआ। यह सब जानते हैं कि क्षत्रिय महा सभा के लोग बीच में पड़े थे क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा चाहा था। उनके और सरकार के बीच कोई झगड़ा नहीं था और जहां लड़ाई का कोई कारण नहीं हो वहां समझौता करना कैसा ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं उत्तर बताता हूं जो दिया गया था। कई व्यक्तियों ने बीच में बात-चीत की थी और उनके नाम देना ठीक नहीं। उसके बाद मैंने कहा था कि समझौते का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन भू-स्वामी संघ की तरफ से पुनर्संस्थापन के विषय में विचार करने को एक कमेटी का निर्माण करने की बात रखी गई थी, उसे सिर्फ सरकार ने स्वीकार किया है। इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आता। जो बीच में थे, बात-चीत हुई लेकिन भू-स्वामी संघ के साथ कोई समझौता नहीं हुआ।

श्री **भैरूसिंह**—समझौता क्या होता है ?

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे। अगर एक आदमी किसी की तरफ से बात करता है और सरकार उसको मान लेती है तो फिर वह समझौता नहीं तो क्या होगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैंने जो पहले बात कही उस पर मैं अभी कायम हूं। मैं यह कह रहा हूं कि पहले भी मैंने यह कहा था। अब सदन में यह कहा जा रहा है कि सदन में कोई बात-चीत नहीं हुई, मैं यह कह रहा हूं कि बात-चीत हुई और वह स्वीकार की गई। बीच में बात-चीत हुई, बीच में कुछ व्यक्ति आते थे। कहा कि अगर इस बात का अन्त होता है तो सरकार स्वीकार करती है। जब हम मान लेते हैं तो लिख कर देने का कोई प्रश्न नहीं। एक खाली कागज था उस पर दस्तखत किये हुए मेरे जरूर मिल सकते हैं। जहां शर्तें तय की जाती है........

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री **भैरूसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, इस झगड़े की बुनियाद उसी दिन से शुरू हुई। उन्होंने इस समझौते की असलियत को इनकार किया। इसलिए उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि वे इस समझौते के अस्तित्व को कायम रखें और सरकार को इस समझौते पर कायम रहने के लिए बाध्य करें और इसीलिए सत्याग्रह शुरू किया गया है। अगर आप यह कहदें कि इसकी पाबन्दी हो रही है और उस समझौते को समझौते के रूप में मंजूर करते हैं तो इस प्रकार का यह सत्याग्रह नहीं चलता। यह सत्याग्रह चीफ मिनिस्टर और गृह मन्त्री के यह कहने के कारण ही हुआ है और यह जो स्थिति बनी है वह उनके इस समझौते को इन्कार करने के कारण ही बनी है। अगर आज भी वे इन ६ बातों को स्पष्ट कह दें कि यह क्षत्रिय महासभा के द्वारा भू-स्वामियों के बीच समझौता हुआ है तो कल ही भू-स्वामियों के समझौते की बात मिलेगी, सत्याग्रह समाप्त हो जावेगा।

[श्री भैरूसिंह]

उनकी सरकार को समझौते को मंजूर करने की मांग है आपको उसे मंजूर करना पड़ेगा। यह तो हुई समझौते की बात। समझौता हुआ, खैर समझौता कोई चीज है। उसके कारण भू-स्वामियों का भला ही हो जावेगा।

जागीर रिजम्पशन एक्ट बना और उनको कम्पेन्शेशन देने की बात की ओर कहा कि इसके लिये सत्याग्रह हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि जितने भी ये सत्याग्रही हैं उनके पास एक हजार से कम की जागीरें हैं और अभी तक एक हजार से नीचे की जागीरें समाप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने कोई इस प्रकार की मांग नहीं रखी कि उनकी जागीरें रखी जावें। जागीरें उनके पास हैं, आप उनको लें। इसलिये यह कहना कि जागीरों को कायम रखने के लिये आन्दोलन किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। वे लोग मांग करते है कि जागीरें हमारी खत्म करो और जो जागीरें खत्म करने से बेरोजगारी होती है उसको दूर किया जावे क्योंकि उसको दूर करने का कार्य भी सरकार का है। आपने १८ गुना मुआवजे की बात कही, उनमें से किसी को गंगानगर में भूमि देने को बात कही है। अभी राजस्थान का नया टीनेन्सी एक्ट बना है सरकार उसमें स्पष्ट रूप से उनके लिए कुछ नियम बना दे। जिनके पास जीवन का उपाय नहीं होगा वे क्या करेंगे। वे वही करेंगे जो नहीं करना चाहिये। जागीरें तो खत्म हो गई। आज हजारों आदमी ऐसे हैं जो नौकरी पाने के लिये फिरते हैं।

सीकर के कर्मचारियों को मिली, खेतड़ी के कर्मचारियों को मिली। लेकिन जो छोटे २ जागीरदार हैं और जिनके जो कर्मचारी हैं और जो बीस-बीस, तीस-तीस साल से उनके कार्यकर्ता हैं वे आज तक बैठे हैं और उनके बाल बच्चे और वे भूख का सामना करते हैं एक एक जागीर के पांच-पांच छः-छः व्यक्ति बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम धन्धा नहीं और सरकार उनको कोई मदद नहीं देती, न उनको नौकरी में ही शुमार करती है। यह कहा गया कि कोई क्वालिफिकेशन होगी तो हम नौकरी देंगे, सर्विस रेकर्ड होगा तो नौकरी देंगे, अगर रूल्स होंगे तो उनका भी इन्टीग्रेशन होगा। छोटे भूस्वामी के पास तीन चार कर्मचारी होते हैं, छोटी जागीर होती है, उनके पास कहां उनकी सर्विस का रेकार्ड हो सकता है, उनके पास क्या रूल्स हो सकते हैं जिससे वे साबित कर सकें कि अमुक व्यक्ति इतने अर्से से हमारी जागीर में नौकर है, अमुक आदमी इतने अर्से से हमारे यहां काम कर रहा है। अगर कोई भी सरकार मानवता रखती है, अगर कोई भी सरकार मानवता को समझती है, अगर मानवता में उसका विश्वास है तो ऐसे बेरोजगार कर्मचारियों को दर दर के भिखारी न बनने दे और उनको पेट भरने के लिये धन्धा दे, नौकरी दे, मदद दे। इधर जागीरों के एम्प्लोइज़ बेकार हुए, इधर जागीरें चली गई, जागीरदारी चली गयी। छोटी २ जागीरें होते हुए भी जागीरदारों ने उनको अपनाया, वे उनको परवरिश के रूप में दिया करते थे। जागीरों के जो पेन्शन होल्डर्स हैं आज उनकी क्या हालत है, क्या आपने कभी उनकी हालत देखने का प्रयत्न किया है? सिक्योरिटी के रूप में, जागीरों के रूप में उन पेन्शन होल्डर्स को जो कुछ मिलता था उसको अब प्राप्त करने के लिये उनको कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, इस जाने और आने की इस प्रकार की साइकल बनी हुई है कि १२ वर्षों में जो उनको पेन्शन मिलने वाली है उतनी रकम उस जाने और आने के बीच में ही पूरी हो जाती है और

[श्री भैंरुसिंह]

इसके बावजूद भी उसको तय कराने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेन्शन के कागजात को तय कराना मुश्किल, उनको कोई धन्धा देना नहीं और जो जागीरें ली गई उनका इन्टेरिम कम्पेन्सेशन इस समय मिलना मुश्किल, तो फिर भू-स्वामी करे तो क्या करे? वे क्या करेंगे? सत्याग्रह ही करेंगे। सत्याग्रह को कोई यह कहे कि यह तो राजपूतों का सत्याग्रह है, साम्प्रदायिक लोगों का सत्याग्रह है, कोई यह कहे कि इसका नेता जाट है, कोई कहे कि राजपूत है, कोई कहे कि फलां जाट है, नेता भी जाट हो सकता है, साम्प्रदायिक हो सकता है, जाति विशेष का हो सकता है लेकिन इस आन्दोलन का नेता तो भूख है, रोटी है। रोटी उस आदमी को दे दीजिये सारा का सारा सत्याग्रह बन्द हो जायगा और पुलिस द्वारा स्टेशन पर भू-स्वामियों को गिरफ्तार करने से उनको प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत रखने से, २।। साल की सजा देकर और सजा के साथ साथ जुर्माना करने से और जुर्माना की अदम अदायगी में, जब कि ६-७ महीने की सजा एक्सटेन्ड कर सकते हैं किन्तु राजस्थान की न्यायप्रिय सरकारने कानून बनाया है कि वह पांच सौ रुपये तक का जुर्माना कर सकती है और अगर जुर्माना न दे तो उसका ऊंट पकड़ लाओ, औरतों के जेवर ले आओ, कितने ही भू-स्वामियों के ऊंट नीलाम कर दिये गये, मैं आपको इस विषय में बता सकता हूँ। मैंने इस विषय में कलेक्टर से बातचीत की और उनको कहा कि क्या आपको इससे सन्तोष है, आप भू-स्वामियों को छोड़ दीजिये, राजस्थान में जो परिस्थिति पैदा हो गई है सरकार की नीति के कारण जिससे भूखे भूस्वामियों के बच्चे बिल-बिला रहे हैं, यदि इसके साथ और ज्यादा ज्यादती की गई तो भूखी जनता भी इनके साथ होगी और उस हालत में सरकार को दबना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि भू-स्वामी बात नहीं करना चाहते या उनके सामने कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न है; लेकिन अगर सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह दूसरी बात है। अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी सोचें कि उनको उनसे कोई डर हो, अगर उनको उन भूस्वामियों का डर हो तो मैं उन के साथ चलता हूँ, मैं उनके सामने हजारों भू—स्वामियों को खड़ा करूंगा; वे उनको विश्वास दिला दें कि मैं तुम्हारी बातों को मंजूर करने लिए तैयार हूँ; तो यह आन्दोलन समाप्त हो सकता है। लेकिन इस प्रकार का वातावरण नहीं है। सरकार में दूसरी बातें चल रही हैं। सरकार में विद्वेष की भावना है। जब सारे के सारे राजपूत ओपोजिशन में थे और अब यह मामला आगे चलता गया तो एक विद्वेष की भावना बनती रहेगी और उसका कारण उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने जागीरदारों को खत्म किया। यह बात उस वक्त खत्म हो गई और आज वे ही उस सरकार के सदस्य बन गये।

आज जागीरदारी को खत्म करना, लैंड रिफॉर्म्स करना ही सरकार की प्रगतिशीलता की निशानी कही जाती है, लेकिन जागीरदारियों के समाप्त होने पर भी सरकार जो प्रगतिशीलता का ढिंढोरा पीटती है वह राजपूतों के बारे में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जमींदारी के विषय में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। धोलपुर, भरतपुर और गंगानगर में जो बिसवेदारी, जमींदारी है उसके विषय में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। गंगानगर के लिए १९३४ में कानून बना और इस असेम्बली में कानून बना कि 'जमींदारी' शब्द को हटा दिया जाय और यह हटाया गया। इसके लिए अलग कानून बनावेंगे, यह कहा गया

[श्री भैंरूसिंह]

कि बिस्वेदारी और जमींदारी की समाप्ति के लिए नया कानून ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य के पास कि कौन २ से बिल सदन में आने वाले हैं, उसमें जमींदारी के एबोलिशन के सम्बन्ध में कानून पेश होने में है लेकिन राजप्रमुख के भाषण में दिये गये इस असेम्बली में पेश होने वाले बिल्स के सम्बन्ध में जब देखता हूँ तो उसमें इसका कहीं जिक्र भी नहीं। यह सरकार राजपूतों के सम्बन्ध में इस प्रकार के लैंड रिफोर्म्स के कानून को पास कर सकती है लेकिन जमींदारी और बिस्वेदारी को समाप्त करने के रिफार्म्स के कानून सरकार पेश नहीं कर सकती, इसका क्या कारण है ? इसका कारण है गंगानगर का प्रभुत्व। गंगानगर के हाथ में अच्छे अच्छे कांग्रेस के लोगों की चोटी है और जब तक यह होगा तब तक जमींदारी खत्म नहीं कर सकेंगे और ऐसी सूरत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा बिस्वेदारी और जमींदारी को जल्दी से जल्दी समाप्त करके राजपूतों के साथ जो लैंड रिफोर्म्स की पोलिसी है वही लैंड रिफोर्म्स की पोलिसी दूसरे लोगों के साथ भी लागू की जाय; यह न होना चाहिए कि राजपूतों के साथ तो दूसरी पोलिसी लैंड रिफोर्म्स की हो और दूसरे लोगों के साथ दूसरी पोलिसी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राजपूतों के साथ यह अन्याय है।

राजप्रमुख के भाषण में इस बात का संकेत किया गया उपाध्यक्ष महोदय, कि जिन २ लोगों की जागीरें रिज्यूम हो रही हैं उनकी जो बकाया है वह हम वसूल कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री को बकाया का केस बताऊं, जिससे कि वे अच्छी तरह से परिचित हैं, उनके अधिकारी परिचित हैं, वर्तमान रेवेन्यू मिनिस्टर अच्छी तरह से उससे परिचित हैं और वह है सीकर डिस्ट्रिक्ट में रानोली का। इस केस को तीन साल पहले ही निपटाया जाना था, लेकिन आज तक नहीं निपटा है।

(घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो समय नहीं हुआ है।

("तीन मिनिट और हैं अभी" इस प्रकार की आवाज)

एक समझौता हुआ ६० हजार रुपयों की बकाया का। पहले हुआ ५२ में और बाद में सन् ५४ में हुआ ३२,८००) में। यह समझौता हुआ दोनों पार्टीज में। एडीशनल चीफ सेक्रेटरी भगवतसिंहजी, सरदार हरलालसिंहजी मध्यस्थ बने। माननीय मंत्री के सामने आया।

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है।

श्री भैंरूसिंह—समय हो गया है तो माननीय उपाध्यक्ष मैं बोलूंगा। मुझे और समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--१५ मिनिट दिये गये हैं सब को।

श्री भैरूसिंह--१५ मिनिट में तो पूरा नहीं हो सकता। आपत्ति न हो तो और समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--संक्षेप में कह लीजिये।

श्री भोपालसिंह--मेरा समय इन्हें दे दिया जाय।

श्री भैरूंसिंह--तो इस तरह से एक समझौता हुआ ३२,८००) में। उस समझौते को रख दिया गया। यह सन् ५४ में हुआ और उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर के कितने ही ऑर्डर्स हो गये, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स हो गये, रानोली के रिप्रेजेन्टेटिव्ज सरकार के पास, मिनिस्टरों के पास, अधिकारियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि वसूली नहीं हो रही है और मिनिस्टर कहते हैं कि हम हैरान हैं कि पुराना लगान वसूल क्यों नहीं होता है। कलेक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि लगान वसूल हो रहा है, कार्यवाही जारी है। लेकिन ५२ से चलता हुआ आज सन् ५६ है, यह लगान वसूल नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि एक मामूली से आदमी ने चुनौती दे रखी है और उसके परिणाम स्वरूप यह वसूली नहीं होती है। यदि जागीरदार में कोई तकावी की रकम बाकी होती अथवा भूस्वामी नेता का जुर्माना होता तो उसका माल कुर्क करके भी वसूल कर लिया जाता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं काश्तकारों से चन्दा इकट्ठा करके ३२ हजार ८०० में से १६ हजार रुपया ले लिया, नेताओं में उसको बांट दिया, नेताओं ने हजम कर लिया और मुगालता देकर सरकार को वसूली नहीं करने देते हैं। इन नेताओं के चक्कर से छुट्टी दिलाकर, लोगों को राहत देना है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स वसूल नहीं करते, तो आप उनको आदेश दीजिये।

स्वयं कलेक्टर ने यह कहा था, लगान वसूल क्यों नहीं किया जाता। जब रेवेन्यू बोर्ड का हुक्म हो गया। लेकिन उसका एक्जीयूशन बन्द हो गया। यह बात नहीं कि लगान वसूल ही नहीं हुआ, लगान करीब १६ हजार रूपये का वसूल भी हो चुका है, लेकिन यह रूपया नेता लोग हड़प करके बैठे हैं। वे आज चुनौती दे रहे हैं कि आप उनसे किस तरह से रूपया वसूल करते हैं।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा एक और चीज की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भूस्वामियों के लिये कहा जाता है कि यह तो एक जाति का आन्दोलन है, हम जातिवाद को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। भूस्वामियों के लिये यह कहा जा रहा है कि जातिवाद के आधार पर होने वाला कोई भी संगठन नहीं होना चाहिये लेकिन इस प्रकार की बातें करने वाला व्यक्ति यह नहीं देखते कि आज की वर्तमान सरकार में एक ही जाति का बहुमत है, एक ही जाति का बोलबाला है वह है जाट जाति का बोलबाला। आज इसी कारण राजपूत जाति को यह सोचना पड़ रहा है कि जब सरकार में जाटों का बहुमत है, जाट किसी तरह से हथकन्डे अपना कर जमीन पर काबू किये हुए हैं और जब तक उनकी यह प्रवृत्ति रहेगी राजपूत लोग अपने भलाई की किसी प्रकार भी कल्पना नहीं कर सकते। मैं इस बारे में सेट एक्जाम्पल्स आपके सामने बजट पर बोलते हुए पेश करूंगा। जो सरकार जातिवाद की समाप्ति चाहती है, वह सरकार यह नहीं देखती कि आज उसका संचालन किस आधार पर हो रहा है।

Page No.115

[श्री भैंरूसिंह]

इसके साथ साथ मैं कुछ शान्ति और व्यवस्था के संबन्ध में भी जिक्र करना चाहूँगा। राजप्रमुख ने अपने भाषण में बताया है कि राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यहां एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है उस सरहद पर आजकल डाके बहुत पड़ रहे हैं, लोगों की जान और माल का अपहरण किया जाता है और यहां तक कि कई लोगों को भगा कर ले जाया जाता है। मैं अभी करीब एक माह पहले बीकानेर गया था और बीकानेर के कई व्यक्तियों से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने इसके साथ बोर्ड इलाके का दौरा भी किया था। वहां मुझे पता चला कि यहां एक योजना बद्ध काम चल रहा है। पाकिस्तान से मिला हुआ जितना भी राजस्थान का बोर्डर है उस बोर्डर पर जैसा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा, सोडा राजपूत आबाद हैं यह तीन चार साल पहले की बात है। लेकिन आजकल जितने भी सोडा राजपूत वहां आबाद थे वे वहां से चले गये है। आज उधर क्या हो रहा है ? पाकिस्तान से जितने भी मुसलमान आये हैं वे वहां बस गये हैं। मुझे मुसलमानों से किसी प्रकार की नफरत नहीं लेकिन जब मैं मुसलमानों में एन्टी नेशनल फीलिंग्स देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इस लिये मैं सरकार को सजग करना चाहता हूँ कि जो हिन्दू पाकिस्तान की सरहद पर आबाद थे वे धीरे धीरे बीकानेर और जोधपुर के इलाके की ओर आगे बढ रहे हैं। आज हम क्या देखते हैं कि बोर्डर पर जो भी डाके होते हैं और जो डाकू डाका डालते हैं उनको पाकिस्तान में शरण मिलती है, उनका मकसद ही यही है कि हिन्दुस्तान के बोर्डर पर रहने वाले लोगों को लूटा जाय और वह माल पाकिस्तान ले जाया जाय और उन हिन्दुओं में डर पैदा करके उसको गैर आबाद किया जाय। आज जो हिन्दू वहां से हट कर बीकानेर और जोधपुर की तरफ बढ रहे हैं उनकी जगह पाकिस्तान मुसलमान आ आकर बस रहे हैं और उधर भी पाकिस्तान के मुसलमान बसे हुए हैं इस तरह से एक योजना-बद्ध मुसलमानों को बोर्डर पर बसाने का प्रोग्राम चल रहा है।

१६ फरवरी को पाकिस्तान से इस प्रकार की इत्तला आई है कि पीर पगारो यहां आये थे और उन्होंने अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन सब को मिलने का निमन्त्रण दिया था। १६ फरवरी को राजस्थान कांग्रेस के एक अच्छे नेता कुछ व्यक्तियों को साथ में लेकर पाकिस्तान गये और उनको ७४ हजार रुपया भेंट किया। आप इस बात की जांच करवा सकते हैं, सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्रान्च वाले यह सूचना मंगवा सकते हैं, उनके पास इसकी सारी रिपोर्ट है, वह देख लें और यह पता लगायें कि कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे गये और कितने व्यक्तियों ने पीर पगारो से भेंट की और उनको कितना रुपया भेंट दिया और किस प्रकार लोगों को बहका कर पैसा जमा किया गया। आज वहां की पुलिस निष्क्रिय है और उनसे मिली हुई है। जो लोग १६ तारीख को गये थे उसकी बाकासर थाने में इत्तला आई है। वहां पर जो आर० ए० सी० का कैम्प था उसने रात को वहां से इत्तला दी, उन्होंने कहा कि जितने भी गश्त करने वाले आदमी हैं उनको मना करदो। इस तरह से वे आदमी चोरी चोरी अन्दर गये। अगर आप इस रहस्य की जांच करेंगे तो एक नहीं अनेकों रहस्य आपके सामने आयेंगे। अगर हमारी सरकार इस तरह इसको रोकने में असमर्थ है तो उसको दूसरे लोगों से मदद लेनी चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि हम साम्प्रदायिकता को पनपने देना नहीं

Page No.116

[श्री भैरूंसिंह]

चाहते लेकिन जिन लोगों में एन्टी नेशनल फीलिंग हो, जिसके कारण भारतवर्ष को नुकसान होने वाला हो तो वैसी सूरत में हम लोगों का कर्तव्य है कि हम सरकार को इन बातों से आगाह करदें। आप सी० आई० डी० के कागजात मंगाकर देखिये और जो लोग इस प्रकार बोर्डर पर हरकतें करते हैं उनको सजा दीजिये। किस तरह से रुपया इकट्ठा किया गया, इसकी भी जांच कीजिये और साथ साथ जैसा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने बताया था कि जिन लोगों को पाकिस्तान में शरण मिलती है यह एक ताज्जुब की बात है कि उसके लिये हमारी सरकार कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रही है। आज वहां पाकिस्तान में जो डाकू जाते हैं आर्म्स और एम्युनिशन्स दे दी जाती है, और भी उनको अन्य सुविधायें दी जाती हैं ताकि वे गरीबों को लूटें और वे लूट का माल पाकिस्तान में लाकर देदें। राजस्थान सरकार यदि खुद कुछ नहीं कर सकती तो उसको अन्य लोगों की मदद लेनी चाहिये। लोक सभा में माननीय प्रधान मंत्री ने यह कह दिया था कि इस संबन्ध में राजस्थान सरकार प्रबन्ध कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान के डाकू पाकिस्तान में बराबर शरण पा रहे हैं; तो यह हमारी सरकार के लिये शर्म की चीज हैं

(घन्टी)

मुझे पांच मिनिट और दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

इतना सब कुछ कहने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार इसलिये माननीय राजप्रमुख को बधाई दे सकता हूं कि उन्होंने राष्ट्रभाषा में अपना भाषण पढ़ा। कुछ सदस्यों को इस बात का एतराज था कि उनकी भाषा ठीक नहीं थी, सुन्दर नहीं थी, भाषा में ओझ नहीं था, माधुर्य नहीं था। इन बातों का अभाव होते हुये भी ठीक ढंग से यदि देखा जाय तो ऐसा पता लगता है कि राष्ट्रभाषा के प्रति उनको प्रेम था, राष्ट्रभाषा को अपना कर उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है; मैं इस बात के लिये बधाई उनको देता हूं। बाकी जितनी भी सरकार की पोलिसी उन्होंने बताई वे पालिसीज़ ऐसी नहीं हैं जिसके लिये बधाई दी जा सके, उसके लिये बधाई देने को मेरा दिल नहीं चाहता। इन शब्दों से साथ में प्रार्थना करता हूं कि इन बातों के लिये राजप्रमुख को धन्यवाद न दें।

राजा श्री मानसिंह–

Mr. Deputy Speaker, Sir, Without objecting to the motion of thanks, I feel my duty, Sir, to point out certain shortcomings in the Address. It has been mentioned in His Highness the Rajpramukh's Address that the question of ceilings of agricultural land holdings is under the active consideration of the Government. Concerning this and other matters I should like to say a few words.

With the introduction of adult franchise there is no doubt, Sir, that, howsoever accepted by the urban and rural population, this is not liked by

[राजा श्री मानसिंह]

certain groups and sections of the people very much. No doubt, with this ceiling of agricultural land holdings the earning of the small farmers will be equalised amongst themselves, but at the same time it will remain a fact, Sir, that the farmers will not be in a position to participate in the general elections without the support of the capitalists who will exploit them for their own ends. There is, Sir, no need of ceiling of agricultural land in Rajasthan. That may be ideal for certain parts of the country and it may be necessary there. But it is not so here. Pushing my own point, I should like to give a few figures.

The total area of Rajasthan is 7,96,89,842 acres, whereas the population is 1,52,96,797. Of these figures, the total area under cultivation is 2,86,49,732 acres and the uncultivated area in Rajasthan at present is 3,10,40,871 acres. Of this cultivated land, Sir, 2,21,892 cultivators at present cultivate their own land and 24,95,703 cultivate other land. If the land which is lying fallow and uncultivated shall be distributed by the Government amongst landless tenants, I feel that there is no need whatsoever in Rajasthan to have ceilings. Even in addition to this, the Government is levying agricultural income-tax. They propose to increase the land revenue and irrigation charges also, and to levy other taxes on particular crops also which will further trouble the farmers, so that they will not be able to participate in the Panchayat or District elections without the support of the capitalists. Here, Sir, I have to mention that although the District Board Act has been passed, the elections are postponed from time and time again and I feel that the aim of these policies is to hit the rural people hard.

Among the other things which I wish to mention here, Sir, is mainly the Bharatpur District, though I am sure there may be similar trouble in other Districts of Rajasthan. The manner in which the Municipalities and District Board have been functioning in Bharatpur District have been far from satisfactory.

In spite of major mal-practices having been brought to the notice of the Government no heed has been paid. This, Sir, I feel is the weakness of the Government and I feel also that no heed has been paid because in most of these cases the fault is of the Government Departments, It is not enough to let these matters be by-passed by saying that municipal elections are to be held shortly and it will improve matters. This policy will not make our country great today or tomorrow. I hope, Sir, Government will take this

[राजा श्री मानसिंह]

matter seriously and bring the culprits to books to ensure that mal-practices are not committed in future.

I should like to comment, Sir, the Government which has chosen Bharatpur City as one of the cities included in the low income group housing scheme. Government, Sir, has allotted substantial amounts to be given out in the form of loans to the peeple. However, Sir, I am sorry to note that no provision has been made whatsoever to plan suitable colonies, city improvement, drainage, water works and other amenities. Thousands of rupees are being spent haphazadly. The further irony of the whole scheme, Sir. is that part of a loan has not been given even upto date i. e. 7th March, whereas the Government has given orders that the houses will be completed by the 31st March 1956. I would like to know how the people are expected th complete the houses within this period when the loans to them have not been paid.

A word I would like to say about the efficiency of the administration in the District. I am sorry to point out, Sir, that the Disrrict administration has failed to handle in a befitting manner a petty village dispute which has now taken the shape of an ugly agitation. As a result of the agitation, Sir, many people have been handicapped and are suffering from hardships, and the Goverment, Sir, has been put to greatest pains. I feel, Sir, that Government prestige is interpreted in a most crude manner. In the democracy the 'Government is of the people, by the people and for the people. As such, Sir, I would hope that the Government will do its best to redress the legitimate evils of the people.

Finally, Sir, I would like to say a word about justice. After independence the people hoped that justice will be cheaper and quicker. In Rajasthan, Sir, even the God is denied quick and cheap justice. In the case of the Shiv Bihariji Maharaj, a verdict has been given by eminent Shastris that according to the Shastras, the celebrated image of Bihariji Maharaj should not be removed. But even, Sir, the Government is reluctant in carrying out this verdict.and doing the right. This matter, Sir, has now been pending for 8 months, I hope, Sir, that the Government will certainly expedite this matter.

There are many other points, Sir, which I wanted to say in regard to the difficulties of the people of Bharatpur. But these will be brought out during the debate on the Budget.

श्री सोहनलाल भटनार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैं यह मानता हूं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति में खामिया हो सकती हैं उसी तरह से शासन में भी हो सकती हैं, परन्तु हमें देखना यह है कि और चीजों को मद्देनज़र रखते हुये गतवर्ष का शासन कैसा रहा है और हमारा जो गन्तव्य स्थान है उसकी तरफ हमारी क्या प्रगति रही है, अगर इस तरफ हमारी प्रगति संतोषजनक है तो इसके अलावा जो थोड़ी बहुत खामियां रह भी गई हैं तो उनकी ओर सरकार का ध्यान खींचें और उनको दूर करने की कोशिश करें।

इस दृष्टि से गतवर्ष के शासनकाल को विहंगम दृष्टि से हम देखें तो संतोष होता है कि हम समाजवादी ढंग के समाज की ओर जरूर प्रगति कर रहे हैं और इसके लिये सब से बड़ी सन्तोष की बात यह है कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है और समाज में भी विषमता का विघटन हुआ है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में गतवर्ष काफी प्रगति हुई। दूसरी बात भूमि सुधार सम्बन्धी नीति निर्धारित की गई और सड़क निर्माण, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के काम जिस ठीक ढंग से चलाये गये उससे भी संतोष होता है। मैं यह मान सकता हूं कि दूसरी जो बात थी, इस तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना हमें सिद्धान्ततः और आगे ले जायगी, और हमें जो गन्तव्य स्थान हमारा है उस निर्दिष्ट स्थान पर ले जायगी। उसके लिए सरकार ने जो तसल्ली के कार्य किये हैं उनके लिए वह बधाई की पात्र है। दूसरी कई रियासतों के अन्दर, दूसरे प्रदेशों ने जो २ प्लान पेश किये हैं उनमें काफी कटौती हुई, लेकिन हमारी सरकार ने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का ढांचा पेश किया है उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बनिस्पत काफी ज्यादा रकम मिली है। इसके साथ साथ फर्टीलाइज़र प्लान्ट के लिये सरकार ने जो कदम रखा, जो नीति रखी है, उसके लिये भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट की है, और खुशी की बात है कि ट्यूनिंग ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कदम उठाया गया है। प्रजातन्त्र के ढांचे में रियासतों का एकीकरण हुआ है। उसके साथ गड़बड़ियां उत्पन्न हुई हैं, उनको ठीक तौर से करने के लिए काफीसमय लगेगा हम देखते हैं कि सरकार का इरादा है कि जो शासन चल रहा है, उसके अन्दर कई खराबियां हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार कितनी प्रयत्नशील है। उसकी मुख्य और बड़ी बात विकेन्द्रीकरण है। इसके लिये कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एस. डी. ओज., तहसीलदारों को काफी पावर्स दिये हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की गई। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सका है। सरकार ने बहुत से नियम बनाये हैं। मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हुआ है। लेकिन यह बात जरूर है कि सरकार सतर्क है, इसकी ओर प्रयत्नशील है।

साथ ही साथ एक बात के लिए, इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने काफी जोर के साथ कही, वह जोधनेर कालेज के लिए व प्रादेशिक भावनाओं के लिए कहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इसकी जड़ में उतरा जाय तो इसके पीछे राजनैतिक स्टन्ट के अलावा कुछ नहीं है। जिस प्रकार जयपुर में मेडिकल कालेज, जोधपुर में इन्जीनियरिंग कालेज खोला गया है, वह सारे राजस्थान के लिए होगा। राजस्थान के सारे निवासी उसमें खुशी मनाते हैं। इसके साथ ही अगली पंचवर्षीय

[श्री सोहनलाल भटनागर

योजना में ७५ लाख रुपये उन्नति के लिए खर्च किये जायेंगे। इसकी हरेक को खुशी है। इसी तरह बीकानेर में वेटरनरी कालेज खोला गया है। इसलिए खुशी है कि वह बिलकुल बीकानेर के लिए ही नहीं, बल्कि सारे राजस्थान के लिए है। हमारे मुख्य मंत्रीजी जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के अन्दर कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। यह एक राजनैतिक स्टन्ट के तौर पर उठाया गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री विश्वनाथन् जो कि भारत सरकार के कृषि संबंधी एडवाइज़र हैं, वह मद्रास गवर्नमेंट के डाइरेक्टर भी रह चुके हैं, वे वैसे बड़े ही उच्च दर्जे के व्यक्ति हैं। उनसे भी राय ली गई थी। उसके साथ ही वहां के क्लेम को देखा जाय तो उदयपुर का क्लेम हरेक तरह से ठीक ठहरता है। इस तरह से ब्लाक हो जाय। वहां काफी अच्छे साधन है। अब तो यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि सरकार ने दोनों कृषि कालेजों को रखने के लिए सोच लिया है। वह नीति प्रतिपादित करती है। कुछ माननीय सदस्यों की राय है कि उदयपुर का जो कालेज है, वह बन्द कर दिया जाय तभी जोबनेर के कालेज की प्रगति हो सकती है, तो इसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। उसमें कई कालेज खुल सकते हैं। यू. पी. में कई कालेज, कृषि कालेज हो सकते हैं, तो राजस्थान में २ कालेज रहें तो क्या बात हो सकती है। यह जो संकीर्ण भावना है, एक राजनैतिक स्टन्ट है, उसको दूर करें और विस्तृत विचारधारा को अपनाएं और सही दृष्टि से देखें। एक बात यह भी कही गयी एक माननीय सदस्य के द्वारा कि वहां का प्रिन्सीपल कई लड़कों को बहका कर लेगया और लड़के वापिस आ गये। मैं निवेदन करूंगा कि लड़के ऐसे छोटे नहीं थे कि बहका कर ले जाये जा सकते थे या उनके मां बाप इजाजत दे देते कि यहां भर्ती न हो और वहां भर्ती हो। लेकिन यदि शहर के अन्दर शिक्षा का ठीक इन्तजाम हो और वहां कोई जाना चाहेगा तो यह नहीं हो सकता, कि मुख्य मंत्री वहां के रहने वाले हैं, वहां से आये हुए हैं, इसलिए वहां के कालेज को बन्द कर दिया जाय और पहले जो चल रहा है, उसी को चलाया जाय। तो मैं संक्षेप में यही निवेदन करूंगा कि हमारी जो यह विचारधारा है, उसको विस्तृत बनाया जाय।

उसके बाद भूस्वामियों के बारे में कई विचारधाराएं रखी गयीं, और सबसे पहली विचार धारा यह है कि उनकी रोटी का सवाल है। रोटी दीजिये, एक हजार से नीचे के कई जागीरदार हैं। ५० रु०, १०० व २०० रु० के भी हैं। जब जागीरें मौजूद थीं, तो जागीरों से ही केवल उनका गुजारा नहीं होता था। उनको दूसरे कार्य भी करने पड़ते थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने काफी मुआवजा दिया है। मैं तो यही कहूंगा, कि १८ वर्ष तक छोटे जागीरदारों की जागीरें कायम रखी हैं। ऐसी सूरत में जो रोटी का प्रश्न था, वह उस समय नहीं हुआ तो जो आम लोग बेकार हैं, तो उनके साथ उनका प्रश्न जुड़ा हुआ है। उस चीज़ को मैं मान सकता हूं कि भारत में और इस प्रदेश में और कई दूसरे लोग हैं, जिनका गुज़ारा पूरा नहीं होता है। उनके स्तर पर वे लोग हैं, तो उनके मुताबिक स्तर पर आजायेंगे, तो उनका भी उसी तरह से प्रबन्ध हो सकता है। क्योंकि उनकी ५० रु० की जागीर गई है, इसलिए पहला हक उनका हो और केवल उनकी रोटी का प्रबन्ध किया जाय, यह कहां तक वाजिब हो सकता है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

इसलिए इसके साथ कुछ बातें आपके समक्ष और सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर बिजली में बहुत ही कम प्रगति हुई है। पंजाब और यू. पी. को देखते हैं तो वहां पर कई कस्बों में यहां तक कि गांवों में विद्युतिकरण हो चुका है। लेकिन हमें देखकर अफसोस होता है कि राजस्थान के अन्दर विद्युत की कोई प्रगति नहीं हुई। यहां तो बड़े बड़े जो कस्बे हैं जिनमें अभी तक बिजली लगी है। मैं मानता हूँ, और आशा करता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो यह कमी है, उसकी पूर्ति की जायगी।

इसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है, उसमें उद्योगों की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसको हम देखते हैं तो यह ज्ञात होता है तो उद्योगों के विकास के लिए कोई खास इसके अन्दर फल मिलने वाला हो वह नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से जो बेकारी की समस्या है वह बनी रहेगी। मैंने सदन के अन्दर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जावर माइन्स जो कि देश की सबसे बड़ी जिन्क की खान है उसमें स्मेल्टिंग प्लान्ट के लिए, वहां सरकार सोचे। उसको अगर सरकार लगाये तो कम से कम १० हजार व्यक्तियों को वहां रोटी मिल सकती है। लेकिन इस अभिभाषण के अन्दर उसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसको देखकर मुझे दुःख हुआ है।

बाद में एक और निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके विकास के लिए काफी काम किया जा रहा में। मैं मानता हूँ कि इसके लिए काफी रकम मिल रही है। यह भी कहा गया है कि भूमि की समस्या के लिये भूमिहीनों को भूमि दी जा रही है, लेकिन इसकी असलियत को देखते हैं तो वह बिल्कुल ही विपरीत है। एक दो वर्ष पूर्व जो वहां कमिश्नर थे उन्होंने यह आज्ञा जारी कर दी कि भूमि नहीं दी जाय। जो जो जमीन काबिले काश्त है, उनके नक्शे कमिश्नरी में जायँ और नक्शे पास होकर आयें तभी वह भूमि जो है, वह भूमिहीन किसानों को दी जाय। एक तरफ हमारी सरकार ने यह नियम लागू करने के लिये ३ दिसम्बर, १९५४ को निकाला था कि भूमि के एलाटमेंट्स के जो रूल्स हैं, उनकी पाबन्दी की जाय। एक गांव में जो भूमिहीन हैं उसको उसी गांव में जमीन दी जाय या उस गांव के ५ मील की रेडियस में रहने वाले जो भूमिहीन हों उनको भूमि दी जाय। लेकिन जब हम असलियत देखते हैं तो बहुत दुःख होता है जागीरदार जो दूर दूर के रहने वाले हैं, उनको भूमि दी जा रही है। उसके बारे में भूमिहीनों के लिए जो रियायतें निकली हैं उनकी अवहेलना को जा रही है। जो उनकी मांग है उसकी पूर्ति न करके जागीरदारों को प्राथमिकता दी जाती है। भूमि सम्बन्धी जो नियम हैं, उनकी अवहेलना की जाती है। उदयपुर जिले में भूमि की कमी बहुत कुछ है। भूमि पर प्रेशर काफी है। थोड़ी बहुत जमीन बची हुई है वह भी जागीरदारों को दी जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भूमिहीनों को हर तरफ से दबाया जा रहा है। पहले पड़त जमीन को ठीक करके भूमि मिल सकती थी लेकिन हमारे जागीर कमिश्नर साहब ने उसको ऐसी आज्ञा भेजी कि पहले जो भूमि पड़ी हुई थी जिसको वे एलाट कर सकते थे, यह आर्डर पास कर दिया कि नक्शे बन कर नहीं आये, काश्त की भूमि नहीं दी जाय। इससे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है।

[श्री सोहनलाल भटनागर]

तीसरी बात वाटर रेट्स के बारे में, यह निवेदन करना चाहूँगा कि पहले ४ रु०, ५ रु० एकड़ सिंचाई की दर ली जाती थी लेकिन वह अब १०, १२ रु० एकड़ कर दी गई है। इससे बड़ा असन्तोष फैल रहा है। बारानी जमीन में तो जहां कुए से जमीन की सिंचाई होती है वहां जिसमें ७, ८ रु० बीघा जो बीघोड़ी लगी हुई है, उनसे वही रेट ली जायगी तो जो जमीन बारानी हैं उसमें ऐसा करने से वह कम से कम १३ रु० या एक एकड़ के २५ रु० के करीब वसूल करेंगे तो यह भार किसानों के ऊपर बहुत भारी होगा। इसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि इस तौर पर उधार किया जाय कि कम से कम जो पीवत लगान लगी हुई है, उसको माफ किया जाय।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—सदर महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के एड्रेस पर काफी बहस मुबाइसा हो चुका है। मैं श्रीमन् राजप्रमुख को एड्रेस पर मुबारकबाद देता हुआ अपने इलाके की तकलीफात सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले श्री बलवन्तसिंह का केस हाउस में लिया गया। मैं बलवन्तसिंह के मामले के मुतलिक सदन को थोडी जानकारी देना चाहता हूं। बलवन्तसिंह एक खूंख्वार डकैत है, जिस का हाल कुछ तो आपने सुना ही होगा। बलवन्तसिंह ने कुछ अर्से पहले बाखासर गांव में ४ कांग्रेस वर्कर्स चेतनदास, मनूमल और उनके दो और साथियों को कत्ल कर दिया था। उनका कत्ल इस बिनाह पर कर दिया गया था कि उन कांग्रेस वर्कर्स ने बलवन्तसिंह और उनकी पार्टी की, गवर्नमेन्ट के सामने शिकायतें की थीं और गवर्नमेन्ट ने उस पर तवज्जेह वाकफ कर दिया, लेकिन पुलिस के मुलाजिमान ने जो कुछ कार्यवाही की उससे वह बलवन्तसिंह को इसलिए पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। आखिर उन चार आदमियों को बाखासर में कत्ल कर दिया गया और उसके बाद बलवन्तसिंह मय अपनी पार्टी के १७ आदमियों के फरार हो गया और ऐसा मालूम होता था कि वह पाकिस्तान चला गया। उसके बाद सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई कि डाकुओं को सरेन्डर करवाया जाय, राजस्थान में शायद काफी डाकुओं ने सरेन्डर किया। उस जमाने में बलवन्तसिंह ने भी मय अपनी पार्टी के अपने आपको सरेन्डर कर दिया। सरेन्डर होने के बाद जो उसके खिलाफ मुकद्दमात थे उन सब में वह डिस्चार्ज हो गया जिसका वहां की जनता पर बहुत बुरा असर पड़ा और लोग यह समझने लगे कि हकूमत उसके हाथ में है और उसने जबर्दस्ती करनी शुरू की। किसी आदमी से उसने कहा कि ५०० रू. दो और किसी से कहा १००० रू. दो। लोगों ने उससे डर कर जितने रूपये उसने मांगे उतने उसको दिये। उसने किसी से ऊंट लिया तो किसी से घोड़ा। उसकी शिकायत लेकर गांवों के कई लोग मेरे पास आये। मोहम्मद हयात एक कांग्रेस वर्कर था। वह भी मेरे पास आया और कहने लगा कि बलवन्तसिंह का जुर्म बढ़ गया है, वह लोगो को बहुत तंग करता हैं इसलिये उसके लिये कुछ होना चाहिये। मुहम्मद हयात ७. ६. ५५ को मेरे पास आया। हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और ५ वरकों में लिखकर उसके खिलाफ शिकायत पेश की गई। उनसे यह कहा गया कि मुहम्मद हयात की जान खतरे में है। पहले भी उनके द्वारा चार आदमी मारे गये हैं, उस पर कुछ नहीं किया गया इसलिये अब सख्त एक्शन लीजिये, नहीं तो वह मारा जायगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि तुमको इमदाद मिलेगी। उसके बाद हम लोग होम मिनिस्टर साहब से भी मिले। फिर तारीख १०. १०. ५५ को

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

हम आई. जी. पी. साहब से भी मिले उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया और कहा कि मैं पूरी जांच करूंगा, तुम्हारा पूरा इन्तजाम होगा। उसके बाद क्या होता है कि आई.जी.पी. साहब ने पुलिस के एक अफसर को इन्क्वायरी के लिये नियुक्त किया। वह अफसर वहां जाता है और बलवन्तसिंह के यहां ही जाकर ठहरता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ इस तरह की शिकायत है। नतीजा यह हुआ कि जो सीक्रेट्स थीं वह आउट हो गईं और मुझे कहलाया गया कि चार दिन में हम तुम को भी मार डालेंगे। तारीख ११.११.५५ को मुहम्मद हयात और उसके साथी बैल, घोड़े लेकर बम्बई प्रांत को जा रहे थे। वे भंवातरा के पास रड़का नामक स्थान पर पहुँचे, वहां पर ४ बजे के लगभग बलवन्तसिंह मय अपनी पार्टी १२ आदमियों के आया और कहा कि हमारा तुम क्या कर लोगे, मैं तुम्हारे गोली लगाकर बताता हूं कि तुम्हें कौन बचा सकता है। तुम्हारे सदर हादी को बोल देना कि वह बच कर, संभल कर रहे। यह कह कर बलवन्तसिंह ने मुहम्मद हयात को गोली मार दी व उस की लाश उनके घोड़े और असबाब लेकर पाकिस्तान में भाग गये। हयात मारा गया, तब थाने में रिपोर्ट की। रात को, तो वहां से कौन तहकीकात करने जाता? जब रिपोर्ट लेकर बाखासर आदमी गये तो वहां के थानेदार कहते हैं कि पुलिस स्टेशन भंवातरा का हलका है इसलिये मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बाखासर थानेदार ने कुछ नहीं किया, तब मेरे पास वहां से आदमी आया। मैं एस.पी. साहब से मिला तो एस.पी. साहब कहते हैं कि मेरी क्या जरूरत है डिप्टी साहब को ले जाइये। डिप्टी साहब मुझसे भी गये बीते दुबले पतले आदमी थे। दो तीन रोज बाद एस.पी. साहब मेरे साथ गये, मौका देखा। फिर मैंने कहा, बाखासर चलें। तो एस.पी. साहब ने कहा बाखासर चलने की क्या जरूरत है सांचोर चलें और देखें क्या होता है। वे सांचोर गये और सांचोर से वापिस चले गये और उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं आई.जी.पी. साहब से मिला और उनको सब हालात बताये और कहा कि जब तक पूरा कंट्रोल नहीं किया जायगा, मामला बढ़ जायगा, मैंने कहा, मेरी जान भी खतरे में हैं। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने भी काफी बंदोबस्त किया और आई.जी.पी. साहब ने हमारे गांव में पुलिस की चौकी लगाई। अभी जो इन्तजाम लगाया है, वह ठीक है। लेकिन यह जरूर हो रहा है कि वहां के कुछ बदमाश लोग ऐसे हैं जो उसको सामान और शराब छिपे रूप से पहुँचाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सरकार ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की हैं। इसका नतीजा और भी ज्यादा खराब होगा।

अभी भैरूसिंहजी साहब ने यह फरमाया था कि पीर पागारू आये थे और कांग्रेस वर्कर उनसे मिले, लेकिन मैं कहूँगा कि यह बिल्कुल झूठी बात है, सरासर उन्होंने गलत फरमाया। पीर पेगारू आये होंगे तो पाकिस्तान से आये होंगे। हमारे कांग्रेस वर्कर्स में से न कोई गया और न उनसे कोई बात हुई। यह झूठा इलजाम लगाना है। एक मुसलमान जो बोर्डर पर रहता है, उस पर चार्ज लगाना आसान हैं। मैं मुसीबतज़दा आदमी हूँ। मेरे साथी कांग्रेस के वर्कर है। लेकिन यह इलजाम लगाया जाता है कि यह पाकिस्तान का जासूस है जो वहां पर खबरें देता है। पाकिस्तान की यदि यह हालत होती और हमारे साथ उनकी हमदर्दी होती तो क्या हयात को मारकर बलवन्तसिंह को पनाह मिल जाती। आज वे बलवन्तसिंह को पनाह दे रहे है और वह वहां पर खुल्लमखुल्ला घूम रहा है।

(श्री मोहम्मद अब्दुल हादी)

अब सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि सरकार जगह जगह पर डेवलपमेन्ट के काम कर रही है और जगह जगह पर नये नये काम खुल रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा ईलाका रेगिस्तान का इलाका हैं। हमारे यहां लोगों को खाने पीने को भी पूरा नहीं मिलता है इसलिये हम यह चाहते है कि कम से कम हमारे यहां भी जान माल की हिफाजत की जाय, मुझे उम्मीद है कि हमारी तरफ भी सरकार का ध्यान अवश्य जायगा।

श्री बद्रीलाल—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने जो भाषण दिया उस पर जयपुर से आने वाले साथी ने धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान सरकार ने इस साल में काफी काम किया है। काफी सडकें बनवाई और काफी तालाब बनाये, काफी भवन बनवाये और काफी बांध बनवाये हैं। सरकार ने खूब पैसा लुटाया है, इसमें शक नहीं लेकिन प्रश्न यह है कि यह सब खर्च हुआ कहां पर ? मैं यह कहूंगा कि बड़े लोगों को बड़े दिल रखने चाहिए और बडे लोग बड़े दिल रखते हैं। जो लोग दूसरी रियासतों से आये हैं वे राजस्थानी होने का दावा रखते हैं वे यह कहते है कि हम राजस्थान के ही नहीं लेकिन भारतवर्ष के हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जिस क्षेत्र से वे आये हैं उसी क्षेत्र की भावना उनमें उपलब्ध होती है। हालत यह है कि पुरानी रियासतों से जो छोटी थी वहां से आने वाले भी बहुत ज्यादा छोटे होंगे और बडी रियासतों से आने वाले बहुत बड़े होंगे। मगर वे इस बात को भूल गये हैं कि जिन २२ राज्यों से मिल कर राजस्थान बना है और जिस वक्त बना था उस समय छोटी व बडी रियासतों के सब बराबर अधिकार थे। यह नहीं था कि एक छोटी रियासत है,वह बडी रियासत के मातहत थी। जब राजस्थान बना और राजस्थान में सब के तरक्की के काम शुरू हुए, किये। कानून बने वे सारे राजस्थान के लिये बने, उनका पालन सब करें। अगर कोई टैक्स लगे तो वह छोटी बड़ी सभी रियासतों को भी देना पड़े और हमको भी देना पड़े वह इसलिये कि हम राजस्थान के हैं। चाहे हम पहले किसी भी रियासत के थे। काम हुआ तो बडी रियासतों में होगा जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, ये पांच हैं और इससे आगे अगर कुछ किसी का नम्बर आता है तो अलवर और भरतपुर का आता है। इन रियासतों के बडे बड़े नेता जो सौभाग्य से मंत्री मंडल में आये, उन्होंने भी उनको बचा लिया और किसी तरह से फायदा उठा लिया लेकिन हम जो छोटी रियासतों वाले थे, बाकी रह गये। वहां पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वे ऐसी रियासतें रह गई जहां पर उनको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टस का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वहां आप जाकर देखें तो आपको मालूम होगा, माननीय मंत्री महोदय तो सब जानते हैं मगर फिर भी मैं अर्ज कर दूं कि वहां कि क्या दशा हो रही है। आपकी उस तरफ कोई तवज्जह नहीं है। वे कौन कौन सी रियासतें हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके मारफत सदन को बता देना चाहता हूं। वह है प्रतापगढ, कुशलगढ शाहपुरा, सिरोही और धौलपुर। मैं राजस्थान से पूरा वाकिफ हूं। वहां पर क्या हो रहा है ? कोई मंत्री वहां पर जाकर देख ले। सडकें बनी और

[श्री बद्रीलाल]

डाम्बर की बनी और वे वहां बनी जहां के लोग जानते नहीं कि सडकें किसे कहते हैं और हमारे यहां मैटल रोड थी उनकी मरम्मत तक नहीं की गई। कई जगह बडे बडे स्कूल बने मगर हमारे यहां पुराने स्कूल थे। वहां पर कई वर्षों से व्हाईट वाशिंग भी नहीं हुआ। सन् १६४८ में हम फारमर राजस्थान में मिले, वहां पर बहुत सी तहसीलें, होस्पिटल और स्कूलें ऐसी हैं उनका व्हाईट वाशिंग ८ वर्षों में अभी तक नहीं हुआ है। मिनिस्टर कनसर्न से लिख कर प्रार्थना की गई, चीफ मिनिस्टर साहब को कहा और लिख लिख कर भेजा लेकिन कोई तवज्जोह नहीं दी गई।

जिस समय वार्ड बने थे। उस समय आप पधारे थे। उस समय आपने कहा था कि १० हजार पब्लिक कन्ट्रीब्यूट करे। उस समय १० हजार रुपये मुश्किल से मिले। अगर हम १५ हजार रुपये इकट्ठे कर सकते तो १५ हजार रुपये मिलते। हमारे यहां स्कूलों के कमरे अधूरे पड़े हैं और जब आप (श्री भोलानाथ की तरफ संबोधित करते हुए) मिनिस्टर थे उस समय आपको याद दिलाया उस समय आप शिक्षा मंत्री थे। आप वहां पर तशरीफ लाये थे और शिक्षा विभाग और पी. डब्लू. डी. के मंत्री थे। एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रिन्टेन्डिग इंजीनियर, एसिस्टेन्ट इंजीनियर बड़े कमरे देखने आये थे और मैंने आपके सामने कम्पलेन्ट की, कि अलवर में डाम्बर की सडकें बन रही हैं और यहां पर जो सड़कें बनी हुई थी वे भी उखड़ रही हैं। आपको मकान बताये कि इनमें व्हाइट वाशिंग भी नहीं हुआ है, आप अब तशरीफ लाये हैं। आपके सामने शिकायत की थी। उस वक्त हमारे यहां एसिस्टेन्ट इंजीनियर का हैड क्वार्टर था। हमने आपसे शिकायत की कि यह देखिये गवर्नमेंट बिल्डिंग्ज की यह की यह दशा हो रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां से एसिस्टेन्ट इंजीनियर का हैड क्वार्टर भी उठा दिया गया। ओवरसियर ही रह गया। इसलिये शिकायत करना भी खतरे से खाली नहीं है। आपने फरमाया कि यह होना चाहिये और वह होना चाहिये मगर हुआ यह कि जब प्रथम पंच वर्षीय योजना में हमारे यहां प्रतापगढ़ से एक सड़क २४ मील मैटल रोड और ग्रेवड रोड कहीं कच्ची और कहीं पक्की बनने को थी। पांच वर्ष तो पूरे होने आये और वह २४ मील सड़क जो बननी थी उस में से २ मील सड़क अभी तक बन पाई है। अब मैं यह अर्ज करूं कि ५ वर्ष में २ मील सड़क बन पाई है तो २४ मील सड़क को इस हिसाब से बनने में कितना समय लग जावेगा और जब तक ये सड़क बनेगी हम लोग दुनिया से चले जावेंगे।

ये सड़कें आदि क्यों नहीं बनती हैं? कारण यह है कि कहीं तो योजना पूरी हुई नहीं और कहीं छोड़ कर दूसरी जगह काम कर दिया गया और कहीं योजना में काम नहीं था वहां पर काम हो ही गया, इसका क्या कारण है। यह क्षेत्रीय भावना है। मिनिस्टरों के पास, जिसके पास डिपार्टमेन्ट होता है और बदलता रहता है, वे अपने चुनाव क्षेत्रों की परवाह करते हैं, जो मिनिस्टर के कृपा पात्र होते हैं या जो मिनिस्टर बनने में मदद करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में काम होता है। यह दृष्टिकोण नहीं है कि सारा राजस्थान हमारा है और उसके हर अंग में काम होना चाहिए। अगर यह दृष्टिकोण रख कर काम करें तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि कहीं भी अगर काम

[श्री बद्रीलाल]

हो रहा है तो चूंकि राजस्थान हमारा घर है, हम खुश हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन यह उनके सोचने की बात है ।

मैं अर्ज करूं, आपसे कि इस साल औषधालय खोले । काफी औषधालय खोले हैं हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है । हम विशाल राजस्थान में इसलिये आये थे कि हमारी उन्नति होगी, बड़े राज्य में उन्नति होगी । जो कानून यहां बनते हैं और लागू होते हैं, उनको पूरा करते हैं, जो टेक्सेज़ होते हैं, उनको अदा करते हैं और जब कि हम को हाईकोर्ट के लिये दो फर्लांग जाना पड़ता था अब तीन सौ, चार सौ मील दूर जाना पड़ता है और यदि महकमा खास का काम होता है तो तीन सौ मील दूर आना पड़ता है । जो कानून कायदे यहां से लागू होते हैं उनकी पाबन्दी करनी ही होती है लेकिन जो टेक्स-पेयर हैं, उनको क्या रिटर्न मिलता है ? काफी औषधालय इस साल खोले लेकिन इस इलाके में एक भी औषधालय नहीं खोला गया । हमारे वहां काफी तादाद में भील रहते हैं वे हमसे आशा करते हैं कि उनके लिये कुछ दवा दारू का का इन्तजाम करावें । वे क्या कहते हैं, 'कै राखे राम, कै राखे गांव के' । जहां बुखार हुआ; खांसी हुई डाक्टर लगा लेते हैं । चिकित्सा में इतनी तरक्की कर रहे हैं और एक तरफ जहां हजारों आदमी रहते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि ये डाक्टर हैं या वैद्यगीरी करते हैं, उनके कभी तो जाकर दर्शन करलें । मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से मिला था और उनसे अर्ज भी की थी और उन्होंने कृपा करके एक औषधालय के लिये फरमाया था । उन्होंने कहा था कि फलां गांव में खोल देंगे । जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो मैंने सोचा कि जब औषधालय आने वाला है तो मैं ही पहले से जाकर क्यों नहीं वाह वाही लूटूं कि मैं तुम्हारे लिये औषधालय मंजूर कराके आया हूं । अब करीब ही औषधालय आने वाला है मैंने वहां कहा । इसलिये भाइयो ! मकान का इन्तजाम करना है और वैद्यजी को ठीक रखना है । लेकिन जब औषधालयों की लिस्ट निकली तो उस गांव का नाम नदारद था । लोगों ने पूछा कि वैद्यजी कब आवेंगे । मुझे बड़ी परेशानी हुई । फिर मैंने कहा कि दो तीन महीने में वे आ जावेंगे । औषधालय खुल जावेगा । स्वास्थ्य मंत्री यही हैं । अगर उसमें कोई गलतफहमी हो तो फरमा देवें और विश्वास दिला दें कि और औषधालय खोलें तो मुझे मत भूल जाना ।

(हंसी)

दूसरी एक बात और अर्ज करना है मुझे कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के मौके दिये लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिपार्टमेंट ही जरूर हमारे यहां हैं । जैसे डिस्ट्रिक्ट मैडीकल एन्ड हैल्थ ऑफिसर के हैडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट जज का हैडक्वार्टर । डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मकान बनाने के लिए हर साल बजट में रकम कायम होती है, लेकिन वह चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के झगड़े के बीच में ही लेप्स हो जाती है । प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज के लिये बिल्डिंग नहीं बनाना और चित्तौड़ भी शिफ्ट नहीं करना यह चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के बीच तनाजा चल रहा है । अब मैं अर्ज करूं कि कहां रखना चाहिये उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बांसवाड़ा में नहीं और चित्तौड़ है और चूंकि प्रतापगढ़ बीच में पड़ता है इसलिये प्रतापगढ़ ही मौंजू जगह है । प्रतापगढ़ पुरानी रियासत का हैडक्वार्टर भी है और बीच में

[श्री बद्रीलाल]

होने पर भी बिल्डिंग बनाने के काम को क्यों टाला जा रहा है समझ में नहीं आता और न मालूम कब तक टालते रहेंगे। इसलिये वहां के लोगों में काफी असंतोष है।

यह मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत काम प्रतापगढ़ प्रोपर में हुआ है। हम अहसान फरामोश नहीं है। यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि वह चाहे छोटी रियासत होते हुये भी इन आठ सालों में कितनी तरक्की कर लेती उतनी राजस्थान सरकार वहां नहीं कर सकी है। बिगाड़ा ज्यादा और बनाया कम। गरज कि हम कमी में रहे। मेरी बदकिस्मती है कि इस वक्त मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं है।

(घन्टी)

लेकिन उनके साथियों से उम्मीद करूं कि वे मेरी यह आवाज उन तक पहुँचा दें, उनकी बड़ी कृपा होगी।

श्री मन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण यहां दिया है, उसके लिये तो धन्यवाद देना ही है इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मैं इधर बैठने वालों में से हूँ और यह आखरी भाषण भी है, क्योंकि मैं आयन्दा आऊं या नहीं आऊं।

सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसको पास किया जाय। इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री मती यशोदादेवी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय...........

श्री मोहम्मद इब्राहीम—उपाध्यक्ष महोदय........

श्री मोहम्मद इब्राहिम—सदर मुहतरम, राजप्रमुख के एड्रेस पर काफी बहस हो चुकी है। बहुत से मेम्बरान ने अपनी अपनी राय जाहिर की है, इस एड्रेस पर। हर मामले पर बहुत से मेम्बरान ने अपनी राय का इजहार किया है। शरणार्थी और मेवों के मुतल्लिक भी राजप्रमुख के एड्रेस में जिक्र है। जहाँ तक आबाद करने का ताल्लुक है शरणार्थी भाइयों को भी बसाया है और कुछ मेवों को भी जमीनें मिली हैं। मगर उसके साथ के साथ मैं यह भी अर्ज कर दूं कि बहुत से शरणार्थी भाई ऐसे हैं जिनको जमीनें नहीं मिली हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी क्लेम ले लिया और अभी अलवर जिले में ऐसे कई आदमी पकड़े गये हैं जिनके पास चार-चार सौ बीघा के फरजी क्लेम थे और १२ हजार फरजी क्लेम बीघा तकरीबन ऐसी जमीनें वापिस ली। एक तरफ तो ऐसे शरणार्थी भाइ हैं जो स्टेशन के पास फतहजंग के गुम्बद में पड़े हैं। ६० के करीब खानदान खानाबदोश हैं जिनको एक कोठरी भी नहीं मिली है। उनके पास इतना किराया भी नहीं है कि वे दिल्ली पहुँच सकें

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

या जयपुर आ सकते हों। इतना तो जरूर होता है कि जब मिनिस्टर साहबान का वहां दौरा होता है और रौनक अफरोज होते हैं, तो वह शरनारथी हाजिर होकर अर्जियां देते हैं, अर्जियां ले लेते हैं, लेकिन वे अर्जियां मिनिस्टर साहब से खो जाती हैं, पता नहीं चलता और ज्यादा से ज्यादा परेशान होते हैं। यह तो शरणार्थियों की लम्बी चौड़ी तफसील है। उनको कर्ज दिये जाते हैं, पम्पिंग सैट उनको दिये गये वे किस तरह से दिये गये, यह तो लम्बी चौड़ी तफसील है जिसको मेरे दूसरे भाई अलवर, भरतपुर, गंगानगर से आये हैं वे बतलावेंगे। मैं तो खास तौर पर मेवों के लिए गुजारिश करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जो हिन्दुस्तान के ही नहीं, दुनियां के नेता थे। उन्होंने इस काम को शुरू किया। हमारी सारी कौम इस एहसान को नहीं भूल सकती और महात्मा गांधी ने हम पर एहसान किया और अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन महात्मा गांधी की जो निशानी है और जो असली निशानी है वह विनोबाजी हैं, जिनके दिल में कल्पना है, तड़फन है, वे हजारों मील दूर होते हुए भी हर वक्त पंडितजी से खतोकिताबत करते रहते हैं और उनको हर वक्त मेवों का ध्यान रहता है। आपने तकरीरें उनकी पढ़ी होंगी। उन्होंने मेवात का लम्बा-चौड़ा एक महीने का दौरा किया। उन्होंने कहा मेव इस इलाके के ऐसे काश्तकार हैं जो मैंने किसी दूसरी जगह नहीं देखे और इसको जितनी जमीन से मोहब्बत है, काश्तकार को जितनी जमीन से मोहब्बत हैं उतनी किसी से नहीं। आषाढ़ के महीने में मौत हो जाय तो और अगर आषाढ़ के महीने में तभी वारिश हो जाय तो वह पहले बीज की फिक्र करेगा और बाद में मुरदे के मौत के कफन दफन की बाद में फिक्र करेगा।

ऐसी हालत में, जो मेवों के साथ जो अन्याय हो रहा हैं, जुल्म हो रहा है, वह नाकाबिले बयान है। कहा यह जाता है कि एक लाख मेव बसा दिये गये, जब इस प्रकार का बयान पार्लियामेंट में एक जिम्मेदार मिनिस्टर ने दिया तो वहां हमदर्दे इन्सानियत एक पारलियामेंट के मेम्बर ने यह सवाल किया कि कहां बसा दिये गये, तो कहा गया कि ८ हजार मेव तो जिला गुड़गांवा में बसाया गया है। वे मेव जुलाई सन् ४८ में पाकिस्तान से वापिस आ गये थे, जब कि परमिट का सिस्टम चालू भी नहीं हुआ था, उनको हुकूमते पंजाब ने बसा दिया, अपनी जमीन पर मकानों पर सही तरीके से उनको बसा दिया।

राजस्थान में कोई भी मेव पाकिस्तान से वापिस नहीं आया, सबके सब मेव यहीं के रहने वाले थे। जिन्होंने मेवों का नक्शा देखा, जिला गुड़गांवा में रहे या तो राजस्थान के किसी हिस्से में जरूर रहे। जब विनोबा भावे जी मेवात इलाके में आये, सन् ४६ के अन्दर, उनके कहने से जरूर कुछ मेव लोग बस गये जिनको जमीन मिली। लेकिन अब जो यह कहा जाता है कि एक लाख को बसा दिया गया तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उजाड़े कितने गये? उनसे सन् ५४ में, कितनों से जमीनें छीनी गई? जिन मेवों को सन् ४६ में जमीन दी गई उसके साथ साथ उनको हक़्के मिल्कियत नहीं दिये गये बल्कि हक़्के काश्तकारी दिये गये। आज जिस तरीके से मेव सताये जा रहे हैं जैसे उनकी और कोई देखने वाला ही नहीं। जब ऐसी बातें मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान में हिन्दुस्तान आईन लागू है या नहीं। राजस्थान में रिहेबीलिटेशन, कस्टोडियन का काला कानून,

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

लागू है। मालूम ऐसा होता है राजस्थान असेम्बली में उनके लिये कोई बोलने वाला ही नहीं हो, इन काले कानूनों से आज वहां के मेव बुरी तरह से पीसे जा रहे हैं। क्या हिन्दुस्तान के आ न में यह बात है कि किसी तरह से लोगों को परेशान किया जाय। शरणार्थियों की खिदमत की जाय, उनके लिये सोने के महल बनाये जायें, इस पर हमें कोई एतराज नहीं मगर एक तरफ शरणार्थी आते हैं, उनको तकाबी देते हैं, उनके लिये नये-नये मार्केट बनादी, हजारों नये-नये शहर और कस्बे आबाद कर दिये हैं लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री और रिहैबीलिटेशन मिनिस्टर को राजस्थान के मेवों के साथ हमदर्दी नहीं। आज मेवों की हालत यह है कि आज उनके पास रहने के लिये झोंपड़ी तक नहीं। मैं आपको ऐसे गांव बता सकता हूँ, जहां मेव लोग बाहर पड़े हैं और उनके मकानों पर शरणार्थियों का कब्जा है या लोकलों का कब्जा है, वे अपने कुए से पानी नहीं पी सकते। अकाता सीकरी, भुनार करमुकाये गांव सतवाड़ी दोवन वाड़ी वगैरा है। जब स्पीकर साहब वहां तशरीफ लाये थे तो हमने सीकरी गांवमें मेवन की हालत दिखला दी थी अगर मेवों को आबाद कर उनको हुकूक मिल्कियत के हुकूक दिये जाते तो हम यह मानते कि मेवों को बसाया जा रहा है लेकिन इसके साथ साथ हिटलरशाही कानून हमारे लिये अलग से शाया होते हैं और ऑफिसरों को खुफिया हुक्म जारी हो जाता है कि मेवों से इनकी जमीनें छीन ली जाये। मेवों के पास अपनी खुदकाश्त जमीनें हमेशा रहें। सन् ४८ में जिनको आबाद करने के लिये जमीन दी गई वह भी सन् ५४ में उनसे छीन ली गई। इस तरह से २५ हजार बीघा सिर्फ वगैर तहसील जमीन छीनी गई। पहाड़ी तहसील में ५ हजार बीघा यह जमीन छीनी गई, सात हजार बीघा कामां तहसील में छीनी गई।

२२ फरवरी को एक मेव ने एक जगह से लकड़ी काट ली तो क्या हुआ, उसको थानेदार ने जेल में ठूंस दिया। पुलिस की ज्यादती की तो इन्तहा ही नहीं। उस मेव को कहा गया, जिसने स्कूल के लिये लकड़ी काटी थी, इसमें लकड़ी की कस्टोडियन है तुम लकड़ी काट नहीं सकते, अपनी स्कूल के लिये कोई लकड़ी काट नहीं सकते। हुकूक मिल्कियत हमारे लिये कुछ नहीं। मैं इस तरह की एक नहीं, सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। मुझे मालूम नहीं हमारे रिहैबीलिटेशन मिनिस्टर इस मामले में क्या करते हैं, मालूम नहीं वे न मालूम किस तरह से चुप बैठे हुए हैं। जिस वख्त चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया हुए, उस समय उन्होंने हमें बहुत कुछ उम्मीदें दिलाई, न मालूम वे उम्मीदें कब पूरी होंगी। जब हमने उनको कहा कि गुड़गांवा में जिस प्रकार मेवों को बसाया गया वैसा यहां भी किया जाय। उन्होंने हमें यह कहा कि जो काम पंजाब हुकूमत ने पांच साल पहले किया उसको हमें आज करने में क्या एतराज हो सकता है। जहां तक कलेक्टर को रिपोर्ट का सवाल है, उससे मुझे जानकारी है, बहुत बेहतरीन रिपोर्ट दी है। पंजाब में जो काम आज से पांच साल पहले मुकम्मल हो चुका है लेकिन वह राजस्थान में आज पांच साल के बाद भी शुरू नहीं हुआ है। जो कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है न मालूम यह कहां पड़ी है। आज गरीब मेव के दफा १६ के सर्टिफिकेटों के बंडल के बंडल पड़े हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे रिहैबीलिटेशन मिनिस्टर क्यों न एकएक दरखास्त पर गौर करते हैं? और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। मगर वे सब दरख्वास्तें बन्द करके रख रखी हैं। जो लोग आबाद नहीं हुए हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको दूसरी जगह

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

जमीन दी जा रही है जो हिन्दुतान के विधान के खिलाफ है। पांडुचेरी को हमने आजाद कराया, गोआ का मसला हमारे सामने है जिस पर ४०० वर्षों से पुर्तगीज का कब्जा रहा है, आज हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा यह चाहता हैं कि पुर्तगीज को हटाया जाय और वे हटकर रहेंगे, तो फिर मेवों की जमीन जिस पर गवर्नमेंट ने ८ साल से नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया, उसको क्यों न हटाया जाय, जब कि हमारा हिन्दुस्तान का विधान इसकी तस्दीक करता है। जो कोई भी कहता है, यह हिन्दुस्तान के विधान की खिलाफत करता है। मैंने बार-बार चीफ मिनिस्टर को कहा कि यह महकमा ऐसे मिनिस्टर की दिया जाय जो इस काम को समझे, यह हर एक मेम्बर को शिकायत थी, लेकिन उदयपुर की ताकत ज्यादा होने से वह महकमा हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर ने जंगलात का महकमा एक जिम्मेदार मिनिस्टर को दे दिया। मेरा यह कहना है कि यह महकमा काबिल और पढ़े लिखे आदमी को दिया जाय।

आज मेवों की हालत यह है कि न उनके पास रहने के लिये झोंपड़ी है न वे अपने कुओं से पानी ही भर सकते हैं, ऐसे एक नहीं हजारों मेव मकानों से महरूम कर दिये गये। ऐसा मालूम होता है राजस्थान के अलवर और भरतपुर में शायद भारत का आईन लागू ही नहीं हो। कई ऐसे मकान हैं जो लोकल लोगों के कब्जे में हैं। न मालूम राजाओं ने किस भावना से मेवों को निकाला। आज हमें रिहेबीलिटेशन मिनिस्टर भी पनाह नहीं दे रहे हैं। आज उन लोगों की सी हालत हो रही है, लालाजी की दुकान और नानाजी की फाजिहा जमीनें पट्टे पर है वह हरिजनों को दे दी गई। रिहेबीलिटेशन मिनिस्टर ने खुफिया सरकुलर जारी कर दिया, पट्टे पर दी हुई जमीन नहीं छुड़ाई जा सकती। जब इस तरह से उनकी जमीन जो जबरदस्ती छीन कर दूसरों को दे दी गई, वह जब इस तरह मेवों को जमीन नहीं दी जा सकती तो क्या मेव आसमान में जाकर बसेंगे या दरिया में जाकर बहेंगे।

मैं चीफ मिनिस्टर महोदय को बड़ी अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जिन लोगों की जमीन सरकारी रेकर्ड में दर्ज है, वह उनको क्यों नहीं दिलाई जाती ? यह उनका हक है यह हमारा हिन्दुस्तान का आइन भी यही कहता है। जिस विधान की सारी दुनिया में वाह वाही हो रही है जिसके कारण हमारा सिर ऊंचा है। वहां हमारे साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। पुलिस की ज्यादती की तो इन्तहा ही नहीं एक लकड़ी काटने के जुर्म में, एक मेव को जेल में ठूंस दिया गया। मैं चीफ मिनिस्टर से बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा यह कोई प्रोपेगन्डा के लिये मैंने स्पीज नहीं दी हमको आपसे मोहब्बत है, प्रेम है, हम यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरों को जो हक हासिल है वह हमें भी मिले। जिस तरह से हिन्दुस्तान के हर शख्श को जो हकूक हासिल हैं वह राजस्थान में रहने वाले मेव को भी मिले। यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। किसी जगह जुल्म होता है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिये, आपको उनके दुख दर्द को दूर करने के लिये बेचैन रहना चाहिये। मैं सदरे मोहतरम के जरिये आपसे दरखास्त करूंगा कि मेवों को कोई दूसरी जमीन की जरूरत नहीं जो उनके नाम सरकारी कागजों में मौजूद है, वही दे दीजिये। एक तरफ शरणार्थी भाई के साथ यह

[श्री मोहम्मद इब्राहिम]

रियायत है कि उसे हलफिया बयान देने पर ही लाखों का क्लेम मन्जूर किया जाता है, दूसरी तरफ एक मेव को हिन्दुस्तान में अपने रहने का, अपने मकान, जमीन जायदाद का सुबूत देना पड़ता है और वह देता है, डिप्टी कमिश्नर और कलक्टर के सुबूत देता है पर उसको भी नहीं माना जाता। यह कहां का इन्साफ है। इन्साफ तो यह है कि जिस तरह शरणार्थी को हलफ नामे पर सब कुछ मिल जाता है, उसी तरह से उसे भी मिलना चाहिये।

(घंटी)

वह आपसे ज्यादा नहीं मांगता। अपना रहने का मकान और जमीन और मस्जिद मांगता है। तो हलफिया बयान पर उसे जमीन मिलनी चाहिये, हिन्दू मुसलमान की गवाहियां भी लेना चाहें तो वे भी लेनी चाहिये। मेवों का मसला ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आने वाला हो। सदरे मोहतरम के जरिये से मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह कहूँगा कि इसके लिए एक हाऊस कमेटी बना दी जावे जो इन मामलों को निपटा दे। पांच बीघा जमीन के लिए कहा जाता है। पर जो काश्तकार है, जमींदार है वह चाहे राजपूत हो, अहीर हो, जाट हो या गूजर हो सब जानते हैं कि एक काश्तकार को किन किन चीजों की जरूरत है। बैल, हल और लकड़ी की जरूरत होती है। जितनी कम से कम, उतनी जमीन घर और बैल दीजिये। हमें करोड़ों रुपये नहीं चाहिये कोई लम्बा चौड़ा मार्केट वगैरह नहीं बनाना चाहते। एक टूटा-फूटा अपना झोंपड़ा और अपनी जमीन और मस्जिद चाहते हैं जो हिन्दुस्तान का विधान हमें देता रहा है, जो आप भी चाहते हैं। इसलिये मैं गुजारिश यही करूंगा कि हमें इतना तो दिलाया जाय।

मेरे कानों में यह भी चीज आई है कि रिहैबेलीटेशन मिनिस्टर मेवों की जमीन के मामले को इस साल और टाला चाहते हैं फिर तो इलेक्शन आ जावेगा तो यह हमारे लिए एक खतरे की बात है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की इन नादिरशाहियों से हमें बचाइये। जो हिन्दुस्तान का विधान है और जो कानून है उसको हमारे पर लागू करिये। उनके हम पाबन्द हैं, वफादार हैं। पर ये जो रोजाना सरकुलर निकलते हैं और हमें सताते हैं, बेगुनाह सताते हैं, इससे राहत दिलाइये। अगर कोई और कौम होती तो इतने जुलम सहकर तो खुदकशी करके मर जाती या आपके बंगलों पर सत्याग्रह करती।

तो इन अलफाज के साथ मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इन बातों पर उसी तरह से गौर करिये जिस तरह से कि किसी मजलूम की दरख्वास्त पर गौर किया जाता है और मैं समझता हूँ कि आप हमारे इस मामले में काफी दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप पर भी अब कोई न मालूम कहीं से दबाव पड़ जावे तो इसका मुझे पता नहीं। पर जब आप वादा कर चुके है तो फिर इस मामले को ठीक कराइये हमारे मकानों पर और हमारी जमीनों और मस्जिदों पर हमें हक दिलवाइये। इसके बाद तो हम हमारे हिन्दू भाइयों से कर्जा लेकर शानदार खेती करके आपको दिखावेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिये।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय अध्यक्ष राजप्रमुख के भाषण पर कल से मैं सुन रही हूं और अपनी बुद्धि के अनुसार उसको जितना से समझ सकी हूं, उस पर से मैं यह महसूस करती हूं कि राजप्रमुख का भाषण बिल्कुल बोगस और निरर्थक साबित हुआ है।

इसमें रखने के नाम पर हमारे राजप्रमुख महोदय ने सबसे पहले नये समाजवाद के निर्माण की बात रक्खी है, जिसे वास्तव में यहां की सरकार ने उस समाजवाद के नमूने को यहां की जनता को दिखा दिया है। वह क्या है? दो वर्ष से मैं भी देख रही हूँ कि राजस्थान में सबसे अधिक तरक्की किस चीज की हुई और उसमें यह नया समाजवाद कहां तक पनप सका है। पहले तो हर ६ महीने में मिनिस्टर की अदल बदल होती रही और इसमें सरकार के आदमी व्यस्त रहे। इस अर्से में जनता के दुखों को भूल गये। सिवा दिल्ली और जयपुर की दौड़ के उनका और किसी भी तरफ ध्यान नहीं रहा। इसका सुबुत है आपके सामने कि सरकार की ही तरफ के आदमी जितना सरकार के खिलाफ इस बार बोले हैं उतना वे आज से पहले कभी नहीं बोले। तो सरकार के कामों से असन्तोष सरकार के अपने सदस्यों को भी है। फिर नये समाज का निर्माण किस तरह से हुआ यह और आप देख लें। एक प्रान्त से कम से कम चार चार मिनिस्टर और चार से ज्यादा पांच हैं। पुराने आदमी भी कहते रहे हैं कि पंच परमेश्वर के बराबर होते हैं। भगवान का भी वे आदमी मुकाबला कर सकते हैं। पर आज तो बारह बारह तेरह तेरह मिनिस्टर हो जाते हैं तब भी यह नये समाजवाद का नक्शा जनता के सामने रक्खा जाता है। यह वेतन की समस्या बहुत बड़ी हमारे सामने उपस्थित हो गई। अगर सही समाजवाद की तमन्ना रखने वाले मिनिस्टर इसमें होते तो अधिक से अधिक ५०० सौ रुपया से ज्यादा वेतन नहीं लेते और ऐसी स्थिति असेम्बली के माननीय सदस्य भी आगे बढ़कर कह सकते थे कि हमारी तनखा के २०० में से १५० कर दो तो यह बड़ी बात नहीं होती। इसी तरह से नया समाजवाद राजस्थान में आ सकता है। अगर ऐसा वे करते और नीचे की तनखा वालों की तनखा बढ़ाते और बड़े बड़े तनखा पाने वाले हैं उनको पांचसौ से अधिक नहीं देते उनकी तनखा कम कर देते तो यह समाजवादी ढंग की बात लाने की होती और तब कुछ समझ में बात आती। पर नहीं, इतने दिन केवल बकवास हुई और जब काम करने का वक्त आया तो कुछ नहीं। गरीब चपराशियों को छोटे छोटे क्लर्कों को तो; शोषण करके नीचे ही रक्खा और उनका शोषण जो करते थे, उन अफसरों को सरकार ने बढ़ाया है।

फिर एक बात मैं और कहती हूँ कि वास्तव में जो समाजवाद आवेगा और उस समय जिस नये समाजवाद का निर्माण होगा उसमें कलक्टर का नाम नहीं होगा। सबसे पहले कलक्टर का खात्मा किया जावेगा कलक्टर एक राजाशाही दिमाग का आदमी है। अंग्रेजों के जमाने में इसने अंग्रेजों के तलुए चाटते हुए उनका शासन चलाया, उनका राज रहा, तब राजाओं के शासनकाल में उन्होंने राजाओं की गुलामी करते हुए उनका राज चलाया। आज हमारे नये राजा कायम हुए जिनको जनता ने चुनकर भेजा, जो कहने के लिए जनतन्त्र का नाम और जनहित का नाम लेते हैं और जो समाजवाद का भी नारा लगाते हैं पर राजतन्त्र पनपाते हैं, जिनके साये में राजतन्त्र पनपता है तो इन्हीं कलक्टरों के कारनामों पर यह सब पनपते हैं। आदमी बदलते रहे, शासक बदलते रहे, पर दिमाग इन कलक्टरों का वही का वही रहा।

[श्रीमती यशोदा देवी]

तो यह है हमारे नये समाज के निर्माण की तस्वीर। इस तस्वीर को हमें बदलना होगा और सही तस्वीर सामने लानी होगी।

दूसरी बात देखने की कोशिश की कि उसमें महिलाओं का कहीं कोई जिक्र है या नहीं। पिछली साल के भाषण में भी महिलाओं के लिए कोई उल्लेख नहीं था। यह मैंने जरूर सुना कि किसी मन्त्री महोदय ने जोधपुर में कोई समाज कल्याण केन्द्र का उद्घाटन किया, कोई कोटा में गया, कोई जयपुर में गया, मुझे कहीं पर कोई अच्छा काम होता हो, उससे द्वेष नहीं है। पर वास्तव में महिलाओं को जो शिक्षा दी जानी चाहिये उसका नितान्त अभाव रहा है। हमारे राजस्थान में उन वीर महिलाओं में पूरा पूरा काम करने की जरूरत है जो देश की रक्षा के लिए समय पर मौजूद रहीं और जिन्होंने देश के हित के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दिया है। आज आप देखिये भील महिलाओं को जिनका इतिहास में भी उल्लेख है। जब जब शासन पर, देश पर, और किसी दुश्मन ने आक्रमण किया तो इन महिलाओं ने, इन वीर महिलाओं ने बराबर पुरुषों का साथ दिया और अपने प्राण उत्सर्ग किये। तो वहां आज उस क्षेत्र के लिए वे चाहते नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष, ५ हजार भील महिलाओं के दस्तखत करवाकर यहां भेजा। आज भील क्षेत्र में कहीं पर आदिवासी महिलायें ऐसी नहीं हैं। हमारे मन्त्री महोदय बतायेंगे अगर आप डूंगरपुर, बांसवाड़े में हो, मगर वहां की महिलाओं में वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता है। तो पूरे भील इलाके में बोर्डिंग खोल दिये जायं तो भी सरकार का खर्चा कम होगा और वास्तविक शिक्षा भील बालिकाओं को मिलेगी और देश का भला होगा।

दूसरे, माननीय अध्यक्ष, पुलिस का जहां तक सवाल है, तो पुलिस का भी इसमें लिखा है। उसकी तारीफ की है। माननीय अध्यक्ष, एक डाकू को पकड़ लेना या एक चोर को पकड़ लेना और जेल में डालना ही, एक पुलिस का सिद्धान्त है। आज आप देखते हैं इस पुरुष जाति में भुखमरी, वेश्यावृत्ति और भ्रष्टाचार जोरों से बढ़ रहा है और इसका यही कारण है कि छोटे कर्मचारियों को कहीं जगह नहीं मिल रही है। उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। आज विधवाओं के लिये सरकार ने कहां केन्द्र खोल रखे हैं? जहां कि वे अपना भरण-पोषण कर सके, अपना निर्वाह कर सके। आज हजारों प्रूफ आपके सामने सदन में पेश कर सकती हूँ और उन महिलाओं को पेश कर सकती हूँ अगर सरकार इसकी कोशिश करे कि कितनी महिलायें नौकरी की कोशिश में जाती हैं। जिस डिपार्टमेंट में वे कोशिश करती हैं, या तो वे वहां अपना सतीत्व लुटाकर ही नौकरी पायेंगी या रिश्वत देंगी तभी उनको नौकरी मिलेगी। यदि वह सरकार है तो निकम्मी सरकार है, हिंजड़ी सरकार है, जिसके राज्य में रात दिन महिलाओं का सतीत्व नष्ट होता है। जो कि वैश्यावृत्ति नहीं रोक सकती है, जो कि शराब बन्दी नहीं लागू कर सकती है तो वह क्या उन्नति करेगी? रात दिन, माननीय अध्यक्ष, यह हो रहा है कि आज जयपुर में चार औरतों का सतीत्व लूटा गया तो १० का कोटा में। पुलिस यदि कहीं पर इन दुष्टों को काबू में कर पकड़ा देती तो आज हमारे दिल में यह चोट नहीं लगती।

[श्रीमती यशोदा देवी]

अब मैं पुलिस का एक और उदाहरण आपके सामने देती हूँ कि अगस्त के महीने की बात है, उस वक्त मैं इन्दौर अस्पताल में थी, मुझे तार मिला कि वहां भील महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उस वक्त मैं वहां तो पहुँचने में असमर्थ थी पर खाट पर पड़े २ मैंने पुलिस के खिलाफ वक्तव्य दिया जो आपने पढ़ा होगा कि १३ महिलाओं का राजस्थान की पुलिस ने मध्यभारत में घुस कर सतीत्व लूटा और एक दिन और एक रात उन महिलाओं को रखा और उनके साथ वह, वह जुल्म किये जिन्हें यहां कहने में लाज आती है। उस स्टेटमेंट की ओर यहां से किसी अधिकारी या डी. आई. जी. वगैरह का ध्यान गया या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने बाद में देखा नहीं। मैंने विरोध किया था पुलिस की ओर जांच करने के लिए किसको भेजा, एक तहसीलदार को। एक सिपाही गया और एक तहसीलदार गया वहां। वहां के स्थायी कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा और तहसीलदार साहब पूछते हैं उन महिलाओं से जाकर। मैं गई तभी मेरे सामने बात करते हुए उन महिलाओं को शर्म आगई ऐसी बात की थी उन महिलाओं के साथ उन्होंने तो तहसीलदार साहब के सामने वे कैसे बयान देतीं। तो तहसीलदार साहब के बयानों को सुन कर यहां के पुलिस वालों ने सही मान लिया। अगर हमारी सरकार, हमारे मुख्य मन्त्री जी, इसके ऊपर ध्यान दें तो मैं आज भी कहती हूँ अगर मेरा विश्वास नहीं हो तो आप अपनी पार्टी के किसी भी ईमानदार आदमी को वहां भेज दें और यदि डी. आई. जी. वहां तलाश करेंगे तो वह सही चीज मिलेगी। अभी मैं आई हूँ ८ दिन पहले उन औरतों से मिल कर। यह है पुलिस की तारीफ। यह है एक नये समाज का निर्माण। समाजवाद का ढोल पीटने से, समाजवाद का नारा लगाने से, माननीय अध्यक्ष, समाजवाद नहीं आयेगा। समाजवाद के लिये हमारे मन्त्री महोदयों को भी त्याग करना पड़ेगा। समाजवाद के लिये उन्हें सन्यास लेना पड़ेगा, कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगी, तो समाजवाद आ सकता है। न तो समाजवाद की ऊपर से वर्षा हो सकती है और न समाजवाद नीचे से पैदा हो सकता है।

अब, माननीय अध्यक्ष, तकावी के ऊपर दो मिनट कुछ कहना चाहती हूँ। बार २ एक चीज कहने में मुझे भी शर्म आती है। मैं अभी आज तीन महीने से एक २ गांव में, जहां तक पहुँच सकी हूँ, जहां तक मैं उन लोगों से मिल सकी हूँ मैंने जांच की है। यह मैं नहीं कहती कि सरकार ने आदिवासियों के लिये कितना रुपया मंजूर किया है। वास्तव में उन्होंने रुपये मंजूर किये हैं। मगर सरकार आज खुद बदनाम होती है। सरकार के सामने जो हम प्रूफ रखते हैं तो उसके कारणों की जांच करके सही जड़ को पकड़ेंगे तो सरकार में कोई खराबी नहीं है, लेकिन चाहे वह सरकार का आदमी हो या किसी अन्य पार्टी का आदमी हो, अगर उसका कसूर है तो उसको दंड देने का सरकार का हक है। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि चोरी पकड़ी गई और वह कांग्रेस का चार आना सदस्य भी हुआ तो उसकी चोरी को दबाने की कोशिश करेंगे। उसका नतीजा है, माननीय अध्यक्ष, कि यह फोड़ा आज उधर से फूटता जा रहा है। अगर उसको वहीं का वहीं पकड़ लेते तो आज यह चीज सामने नहीं आती। जितना पैसा तकावी के लिये मन्जूर हुआ और सड़कों के लिये मंजूर हुआ तो आज वह तकावी किस आदमी को मिल रही है? उसमें बड़ा भारी पक्षपात हो रहा है। वहां के पटवारी के मुंह से सुना और सरपंच के मुंह से सुना कि क्या पार्टी बाजी कर रहे हैं। माननीय

[श्रीमती यशोदा देवी]

अध्यक्ष, तकावी के कागज साल भर से मंजूर होकर चले गये। वह फार्म १०८ रु० का एक तालाब का मैंने अभी सरपंच की फाइल में से निकलवाया और उनसे पूछा गया तो उनसे जब जवाब नहीं मिला, तो मैं गइ उसको लेकर तहसीलदार साहब कुशलगढ़ के सामने। वहां पटवारी साहब भी मौजूद थे, गिरदावर साहब भी मौजूद थे। मैंने पूछा कि हमको यह पैसा क्यों नहीं मिला तो कहा कि सरपंच साहब ने एक कापी दी है कांग्रेस का मेम्बर बनाने की और जो कांग्रेस का मेम्बर बन जायगा तो उसको पैसा मिल जायगा। जब तक तुम्हारे सिर पर लाल टोपी है तब तक पैसा नहीं मिल सकता है। एक आदमी की बात नहीं मानी लेकिन पटवारी ने कहा, सरपंच ने कहा तो मैं पटवारी साहब को पकड़ कर ले गई तहसीलदार साहब के पास, तो उन्हें मंजूर करना पड़ा कि मेरी ही गलती है तो मैं ही इसको करूंगा। सरपंच साहब वहां पहुँचे नहीं थे। माननीय अध्यक्ष, एक तरफ राजप्रमुख नये समाज का निर्माण करने के लिए कहते हैं कि सब पार्टियों को सहयोग करना पड़ेगा और दूसरी तरफ वह लाल टोपी और सफेद टोपी में डिफरेन्स रखते हैं। उनकी बात मैं नहीं मानती, लेकिन यहां हमारे सदन में जो बुजुर्ग हैं, उनके भी मुंह से सुन लिया। १५ वर्ष से हमारे कार्यकर्ता पुराने किसान और बहुत अच्छे वर्कर हैं। कुशलगढ़ तहसील के उनके एक मित्र को वहां के एक सरपंच ने दलाल बनाया कि इनको कांग्रेस का मेम्बर बना लो तो इनका यहां से गढ़ टूट जायगा। वे वहां गये और उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ५० रुपये आप मुझे दे दोगे तो मेरी जिन्दगी निकलने वाली नहीं है। जिस काम के लिए मैं १५ वर्ष से मर रहा हूँ वह कैसे पूरा होगा? भाखरा और चम्बल नहरों का पानी उस इलाके में पहुँच नहीं सकता। आज वहां की जनता पानी के लिये तड़फ तड़फ कर मर रही है। गरमी के दिनों में वहां की क्या हालत होती होगी, उसका अन्दाजा आप लगाइये। आठ आठ दिनों तक वहां के लोगों को स्नान करने को पानी नहीं मिलता। ऐसी जगह में हमें समाजवाद के ढोल पीटना सिनेमा की रीलें दिखाना कोई माने नहीं रखता। वहां पर जो आदिवासी लोग पड़े हैं उनको इन चीजों से कोई फायदा नहीं हो सकता। मैं यह मानती हूँ कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार के छोटे छोटे आदेश नहीं दिये होंगे फिर भी ये छोटी छोटी चीजें सरकार को बदनाम करने में काफी हैं। इसके जरिये आप भ्रष्टाचार की जांच करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जायगा क्यों कि मैं तो भले ही विरोधी पक्ष की हूँ। कितने ही सदस्य कहते हैं कि एक विरोधी पक्ष का आदमी होगा तो क्या करेगा? लेकिन मैं कहती हूँ कि एक आदमी सब कुछ कर सकता है। नमूना आपके सामने है। एक आदमी देश को बरबाद कर सकता है और एक आदमी देश को बचा सकता है। उत्थान कर सकता है, जिन्ना और गांधी जी की मिसाल आपके सामने है। अब आप बतलाइये एक आदमी क्या नहीं कर सकता। यहां एक आदमी का ही सवाल नहीं है। यदि कुरसी पर आप ही बैठे रहना चाहते है तो बैठे रहिये हम आपको नेता की तरह ही मानेंगे पर आप को पक्ष पात छोड़ना पड़ेगा यदि सेवा के लिए जुट जायेंगे तो लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न ढोल पीटने की ही आवश्यकता होगी।

आप के यहां समाजवाद का निर्माण हो रहा है। यह कब से हो रहा है? आन्ध्र में चुनाव का अवसर आया, उस दिन से समाजवाद का ढोल पीटा जाने लगा। अब आम चुनाव

[श्रीमती यशोदा देवी]

आने वाले हैं। अब तो आप और भी ढोल पीटेंगे पर क्या जनता आपको वोट देगी। हमें ईमानदारी से काम करना है। दिखावे का काम नहीं करना है। आदिवासी एरिया में दाइयें आज भी काम नहीं कर सकतीं और माताऐं पीडा से कराह कराह कर मर रही हैं, इसलिये कि उनकी सहायता पहुँचाने का साधन नहीं है एक तरफ तो आप पशुओं तक के सुधार की बात करते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्र का भार जिन नवयुवकों के कंधों पर आयगा वे पैदा होते ही इस तरह तरह तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है।

आदिवासी क्षेत्र में शराब बंद करना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनिट और बोलने की आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—पुनरावृत्ति नहीं करिये।

श्रीमती यशोदा देवी—शराब बंदी के बारे में बहुत पहले प्रार्थना की गई थी। वह क्षेत्र, एक भूखा क्षेत्र है। दूसरी चीज यह है कि उनके सामने छोटे छोटे उद्योग धंधे नहीं है। वहां पर जो जंगल हैं, उसे भी सरकार दूसरों को ठेके पर देती है। उनके लिए दूसरा कोई साधन नहीं है जीवन निर्वाह का। ऐसी हालत में इस शराब खोरी ने वहां के लोगों की हालत और भी शोचनीय करदी है। पूरे राजस्थान में शराब को बंद नहीं कर सकें तो कम से कम इस क्षेत्र में तो जरूर बन्द करिये।

श्री अध्यक्ष—आप बजट के समय कहिये ये सारी बातें।

श्रीमती यशोदा देवी—मेरा कहने का मतलब यह है, कि आदिवासियों में शराब बन्द करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि दहेज प्रथा विवाह के समय, एक बहुत बुरी प्रथा है। इस प्रथा को बन्द करने के लिए इस सदन में एक बिल लाया गया था लेकिन दुर्भाग्य की बात हैं कि उस बिल को रखने वाले हमारे साथी अब नहीं रहे और कोई इस पर ध्यान दे, और कोई सदस्य इस बिल को फिर से रखे तो बहुत भारी सर का बोझ हलका होगा। राजप्रमुख महोदय, के भाषण पर काफी कहा जा चुका है। मैं राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध करती हूँ।

श्री अध्यक्ष—Literature meant for M. L. A's. is ready for distribution in the Notice Office. Members may please take delivery of the same before departure.

एक माननीय सदस्य—हिन्दी में फरमाइये।

श्री अध्यक्ष—कुछ साहित्य है माननीय सदस्यों के लिए जिसे यहां से जाते समय या सावकाश हो तो पहले नोटिस ऑफिस से ले लें।

रावत श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिये, विचार प्रस्तुत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। यह भाषण जब उन्होंने कृपा करके हिंदी में दिया तो यह आशा हुई थी कि उसमें ऐसा मेटर भी आयेगा जो धन्यवाद के योग्य होगा। हमारी यह आशा निराशा में परिणत हो गई। भाषण वैसा ही हुआ जैसा हर साल हुआ करता है। इस भाषण में पहले सरकार ने गत वर्ष क्या किया और आयंन्दा क्या करने की योजना बनाई है जिससे कि जन हितकारी या लोक हितकारी राज्य बनाने की ओर कदम रखा जा सके। यह चीज मुझे राजप्रमुख के भाषण में कहीं भी नजर नहीं आई। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण के अन्तिम भाग में यह शब्द कहे, "मेरी कामना है कि राजस्थान को हर ओर आगे बढ़ाने के कामों में आपको पूरी सफलता मिले।" श्रीमन् राजप्रमुख ने यह आशा व्यक्त की और हर वक्त ये ही विचार सदन के सदस्य वाद विवाद के दौरान में सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन सरकार उनकी कितनी कदर करती है यह सरकार के विचारने का विषय है। यहां हर अधिवेशन में प्रस्ताव लाते हैं लेकिन सरकार की ओर से कुछ नहीं होता, इसी का नतीजा यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के सिलसिले में धन्यवाद देने के लिये तैयार नहीं हैं और अभी जो भाषण हुए उनमें इधर बैठने वाले सदस्यों ने जो विशेष बातें कहीं उनसे यह सिद्ध होता है कि कोई ऐसी बात नहीं है उनके भाषण में जिससे वे धन्यवाद के अधिकारी हों।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में सोशलिस्टिक पेटर्न का सबसे पहले जिक्र किया। सोशलिस्टिक पेटर्न के निस्बत हमारे जोधपुर से आने वाले साथी ने जो कुछ कहा उससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमारी सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न को कायम करने में कहां तक तैयार हुई है? तनख्वाओं को लीजिये इससे छोटे कर्मचारियों को बहुत कम फायदा हुआ है।....

श्री अध्यक्ष—पुनरावृत्ति क्यों करते हैं? जो बात कई सदस्यों ने कह दी उसको बार-बार कहने में तथ्य नहीं है।

रावत श्री शम्भूसिंह—राजप्रमुख ने जो-जो बातें कहीं हैं उन पर कई सदस्यों ने कहा है, फिर ओरिजिनल रह ही क्या जायगा?

श्री अध्यक्ष—बहुत बातें रह जाती हैं। This is an infliction on the House. Same arguments over and over again.

रावत श्री शम्भूसिंह (जारी)—जहां असमानता हो वहां सोशलिस्टिक पेटर्न में एडजस्ट होने वाली बात नहीं है। हम हमारे राष्ट्र को सोशलिस्ट राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, लेकिन जहां कैपिटेलि-

[रावत श्री शम्भूसिंह]

स्टिक राष्ट्र हैं वहां भी कर्मचारियों की तनख्वाओं में इतना अन्तर नहीं है जितना हमारे राष्ट्र में है। छोटी आमदनी वालों की तनख्वाह और ज्यादा आमदनी वालों की तनख्वाह में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये और सोशलिस्टिक पेटर्न में यह जरूरी बात है कि दोनों में इतना ज्यादा अन्तर न हो।

इसके बाद श्रीमन् राजप्रमुख ने जागीर पुनर्ग्रहण और भूस्वामी आन्दोलन पर विचार व्यक्त किये। मेरी समझ में नहीं आता कि जागीर पुनर्ग्रहण के बारे में बार-बार यह कहा जाता है कि यह एक उचित कदम उटाया गया है, लेकिन मैं इसमें कोई तथ्य नहीं देखता।

यदि इसको नेशनलाइज़ेशन ऑफ लैंड कहा जावे तो भी हमें यह देखना है। हमारे यहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका नेशनलाइज़ेशन किया जाना बहुत जरूरी है; उनको नहीं किया जा रहा है तो फिर सिर्फ जमीनों का नेशनलाइजेशन करना इतना जरूरी क्यों हो गया है? जब हम मिलों को प्राइवेट सेक्टर में ही रख रहे हैं तो जमीन को नेशनलाइजेशन क्यों किया जा रहा है। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में मिलों और फैक्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर में रख रहे हैं और इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड नहीं करने जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को कायम करने जा रहे हैं, तो फिर जो-जो प्राइवेट प्रोपरटीज हैं, उनको नेशनलाइजेशन करके छीनने का सरकार क्या हक रखती है? श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में फरमाया कि निजी क्षेत्र में ३ सीमेन्ट फैक्ट्री, १ प्लैंट का कारखाना, १ ऊनी मिल व शक्कर की फैक्ट्री कायम करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है और वे कायम की जावेंगी, इतनी और बढ़ा दी जावेगी। मैं यह निवेदन करूँगा कि कम से कम अब तो इन्डस्ट्रीज़ सरकारी लगनी चाहियें और उनका भी नेशनलाइज़ेशन होना चाहिये।

मेरे कहने का तात्पर्य यह हैं कि राष्ट्रीयकरण की नीति से भी जागीर रिजम्पशन ठीक नहीं कहा जा सकता और प्राइवेट सेक्टर को तो कांग्रेस ने खुलम-खुल्ला मान ही लिया हैं।

इसके अलावा भूस्वामियों पर जो जुल्म हो रहा है वह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है। भू-स्वामी आन्दोलन एक आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर पैदा हुआ है और वह उनके रीहेबिलिटेशन का उचित प्रबन्ध न करने के कारण व उनको संपत्ति से वंचित करने के कारण पैदा हुआ है। उनको बसाने का उचित इन्तजाम करने के बजाय उनको जेलों में बन्द कर देना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है और आज तो यह हालत हो रही है कि जयपुर नगर में बाहर से जो यात्री आते हैं उनकी पुलिस तलाशी लेती है और पकड़ कर जबरदस्ती थाने में ले जाती है और उनको तंग किया जाता है। इस प्रकार की अशान्ति यहां पर चल रही है, इससे जनता में बड़ा रोष फैल गया है और पब्लिक समझ नहीं पाई है कि यह जागीर पुनर्ग्रहण क्यों किया जा रहा है। वे किसान आखिर हैरान है कि जागीर पुनर्ग्रहण से हमारा कैसे हित हो सकता है। जागीर पुनर्ग्रहण करके जागीरें सरकार खुद ले रही है। यदि वही जमीन सरकार न लेकर किसानों को दे दी जाती तो यह माना जाता कि उनको फायदा होता लेकिन किसानों को वह जमीन न दी जाकर वह सरकार के हाथ में रहती है इससे किसानों का क्या हित होता है?

[रावत श्री शम्भूसिंह]

इसके अलावा श्रीमन् राजप्रमुख ने शिक्षा पर प्रकाश डाला और चर्चा की और बताया कि और हाई स्कूल खोले जा रहे हैं। मगर ये आवश्यकतानुसार नहीं खोले जा रहे हैं। जहां से हाई स्कूल खोलने की मांग आ रही है वहां की पब्लिक से रूपया मांगा जाता है कि इतना रुपया देवें तब हाई स्कूल खोला जाता है। क्या कल्याणकारी राज्य का यही कर्तव्य है कि वे पब्लिक को शिक्षा अपने पास से न दें, स्कूलें स्वयं न खोलें।

इसी प्रकार पशुओं में बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत बडी संख्या में पशु खत्म हो गये हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि श्रीमन् राजप्रमुख ने जो विचार प्रकट किये हैं वे उनके बंगले की तरफ बैठने वाले मित्रों की तरफ से संतोषजनक कहे जा सकते हैं जो हमारी दृष्टि से वाजिब नहीं है और इस वजह से उनको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जिन बातों का इस स्पीच में जिक्र हुआ है उनके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि गंगानगर जिले में, नहरी क्षेत्र में बहुत सी सरकारी भूमि है और १।६ हिस्सा लगान का कायम करने के बाद वहां के काश्तकारों को जमीन से वंचित कर दिया जिसके पूर्व वे लोग सरकारी भूमि पर अपनी आजीविका निर्भर करते थे लेकिन सरकार ने उस भूमि को तकसीम करते समय इस प्रकार का रवैया अख्तयार किया जिससे वे जमीन से वंचित रह जावें, हर साल वहां जमीन का एलॉटमेंट अक्टूबर के महीने में किया जाता था और जमीनें एक या दो साल के लिये दी जाती थीं, लेकिन अब सरकार ने परमानेन्ट बेसिस पर एलॉटमेंट कर दिया जावे, ऐसा तय किया। सरकार को यह महसूस हुआ कि वहां पर ज्यादा पंजाबी बसते हैं, वे किसी प्रकार की छेड़ छाड़ न कर दें, इसलिये उनको किसी तरह से वहां से उजाड़ना चाहिये। इस नीति पर चलते हुए सरकार ने तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिये और जो जमीन, जमीन के मालिक से खरीदना चाहता है उसको खरीदने की मंजूरी नहीं दी। जब पहले बीकानेर स्टेट थी उस समय नोटिफिकेशन १०८ में यह था कि जो चक थी उस गांव में अलग अलग प्रकार के लोगों के गांव थे, कहीं मुसलमानों के गांव थे और कहीं हिन्दुओं के और कहीं सिक्खों के गांव थे। उस समय यह चीज थी कि सिक्ख के गांव में अगर कोई सिक्ख जमीन खरीदनी चाहता था तो उसको मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी, अगर कोई हिन्दू के गांव में हिन्दू जमीन खरीदना चाहता था तो खरीद सकता था, उसको मंजूरी की जरूरत नहीं थी और उसी प्रकार मुसलमान के गांव में मुसलमान जमीन खरीद सकता था। लेकिन कोई हिन्दू सिक्ख के गांव में या मुसलमान हिन्दु के गांव में नहीं खरीद सकता था। यह नोटिफिकेशन १०८ था। लेकिन वह १६५० में बिल्कुल खत्म हो गया, इस पर कोई अमल नहीं हुआ और लोगों ने जमीन बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद राजस्थान सरकार ने यह लगा दिया कि हर आदमी को जमीन के लिये मंजूरी लेनी होगी। नतीजा क्या हुआ कि वे लोग जिनके पास जमीने हैं उनको खरीदने की इजाजत दे दी जाती है और जो भूमि हीन हैं उसको जमीन खरीदने की मंजूरी नहीं दी जाती है, उनका खास कारण वहां से पंजाबियों को बाहर निकालना है। उन्होंने बोर्डर एरिया के लिये १० मील के अन्दर भूमि हीन

[श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु]

किसानों को जमीन नहीं दी जाए, ऐसी आज्ञा दे दी है और १० मील के एरिया में ५ तहसीलें आ जाती है जिसमें जो लोग मिलते हैं वे पंजाबी हैं। ये तहसीलें पदमपुर, गंगानगर, रायसिंह नगर आदि हैं। इसमें सारी जमीन आ जाती है। सिर्फ पदमपुर रह जाता है। १० मील के साथ यह पाबन्दी लगाई गई कि भूमिहीन किसान भाकड़ा में जमीन नहीं खरीद सकते। इस प्रकार के रूल्स बना दिये दिये कि भाकरा एरिया या पदमपुर जो इस १० मील में जमीन आती है वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं।

यह कानून बना दिया गया है और इस तरह से वहां के भूमिहीन काश्तकारों को आज जमीन से महरूम करके यह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उनको वहां से निकाल दिया जाय।

पिछले साल डेढ़ साल पहले एक एजीटेशन हुआ था जिसको आबियाना आन्दोलन कहते हैं। उस आन्दोलन में कौन लोग थे ? उस आन्दोलन में वे ही लोग थे जिनकी जमीन छीन ली गई थी और जिनको अब तक जमीन नहीं दी गई है। जैसे एक हरिजन हैं, अगर उसकी जमीन ली गई तो उस जमीन का १२-१२ हजार रुपया लगा दिया, जब कि वे पिछले साल उस पर काश्त करते रहे थे। इसलिए भी मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

इस भाषण में पंचायतों के चुनावों का भी जिक्र नहीं किया गया है। पंचायतों का चुनाव गंगानगर में किस तरह से किये गये ? जो लोग हाजिर नहीं थे उन लोगों का नाम लिख लिया गया, जो लोग चुनाव में कभी खड़े नहीं हुए थे वे लोग पंच और सरपंच हो गये और जो लोग मौके पर हट गये थे उनको चुनाव में जिता दिया गया। यह इस भाषण में लिखते तो जरूर पता लगता।

गंगानगर में बसने वाले लोग ज्यादातर पंजाबी हैं। जो सर्विस में हैं वे किसी तरह से टोलों के टोलों में दफ्तरों से निकाले जा रहे हैं और गंगानगर से दूर दूर उनको भेजा जा रहा है क्योंकि वे पंजाबी लोग हैं और कभी पंजाब से आये थे। तो उन सब की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि हमें बसना है तो बसेंगे। हम भारत के रहने वाले हैं और भारत में ही बसेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार की गंगानगर में पंजाबियों को बसाने की जो पोलिसी है उसमें परिवर्तन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग बसना चाहते हैं और सर्विस क्लास में रहने वालों के साथ जो आज कुछ हो रहा है उस पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए।

श्री छतरसिंह—अध्यक्ष महोदय, राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—आप पहली बार ही बोल रहे हैं।

श्री छतरसिंह (जारी)—राजप्रमुख ने सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए

[श्री छत्तरसिंह]

हिन्दी में भाषण दिया है उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा लेकिन जो सरकार की नीति बतायी है उसके लिए कभी धन्ययाद नहीं देना चाहता।

राजप्रमुख ने लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में जो बताया है कि इस वर्ष में कम अपराधों की संख्या १७,७८२ रही है जब कि १९५४ में १९,५५३ व १९५३ में २२,०५४ थी। यह कमी डकैती, चोरियां और लूट मार में हुई है। उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि डकैतियों में अलबत्ता १९५३ के बजाय १९५५ में कमी जरूर हुई है लेकिन इन असनाय में नये नये डाके ज्यादा पड़े हैं और खास तौर पर जसवन्तपुरा तहसील से। बानिया और एक (अश्रव्य) डाकू ने पिछले साल में जो आतंक फैलाया है वह शोचनीय है। उसने कई आदमियों को गोली से मारा है, कईयों को घायल किया है और बहुत सा माल लूट ले जाता है लेकिन अब तक पुलिस उनको पकड़ने में या मारने में नाकामयाब रही है।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके मार्फत गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर खास तौर पर आर. ए. सी. का केम्प खोलें और वहां के लोगों की और उनके मालो असबाब की हिफाजत करें।

मुझे खुशी होती है यह कहते हुए कि मेरे गांव के एक काश्तकार सरूप ने कुख्यात डाकू तेजा को बड़ी अक्लबन्दी से पकड़ा था। लेकिन मुझे दुख है साथ में इस बात का कि उसको पाली जाना-आना पडा और उसको खर्चे का और इनाम का एक भी रुपया नहीं दिया गया और चार बन्दूक इनाम में दी गई थी वह भी पाली पुलिस द्वारा ले ली गई। मैं आपके द्वारा माननीय होम मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि उनका जो खर्चा हुआ है और जो बन्दूक उसको दी गई थी, वह उसको देखने के लिए नहीं दी गई थी वह वास्तव में हिफाजत के लिये दी गई थी, वह उसको वापिस मिलना चाहिए।

(घंटी)

मैं थोड़ा सा ही और बोलूंगा। चोरी के मामले में और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—बिल्स की डिमान्ड के वक्त कह दीजिये। जनरल पोलिसी के ऊपर कहना चाहें तो कहें।

श्री छतरसिंह—मेरे माननीय मित्र श्री एच. के व्यास ने सीलिंग के लिए जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूं कि सीलिंग एक जमीन की ही नहीं होनी चाहिए और वह धान और धरती दोनों पर होनी चाहिए ताकि समाजवाद पूरा हो सके।

श्री अध्यक्ष—सारे मतलब की बात कह दी आपने।

(हंसी)

श्री छतरसिंह—भूस्वामी संघ के आन्दोलन के बारे में बहुत सी चर्चायें आज सदन में हुई हैं, उसके लिए में निवेदन करना चाहता हूं। भूस्वामियों की जो मांग है वह वाजिब माग है उसको चीफ मिनिस्टर महोदय को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आज वे शान्तिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे है और उस पर भी लाठी चार्ज हुए हैं, भंयकर सर्दी में उनको जंगलों में छोडा जाता है, जिससे उनको निमोनिया हो जाता है, उनके ऊपर मोटरें चलाई जाती हैं, मारे जाते हैं। सत्याग्रहियों के प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है उसका नमूना यही देखा है। सत्याग्रह बहुत से हुए हैं और होते हैं। जिनकी आज सरकार है, कांग्रेस की जो गवर्नमेंन्ट है उन्होंने भी सत्याग्रह किये थे लेकिन उनके प्रति इस प्रकार के अत्याचार नहीं किये गये जैसे कि हमारी गवर्नमेंन्ट कर रही है। इसलिए मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि वे सहानुभूति के साथ उनकी मांगों पर विचार करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—८॥ बजे तक रखें।

एक माननीय सदस्य—८ बजे तक ही रखिये।

श्री कस्तूरचन्द—कल का टाइम और बढ़ा दीजिये।

श्री भोपालसिंह—इसके लिए और एक दिन कर दिया जाय। नहीं तो यह तो बडा मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष—श्री नाथूरामजी।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बडा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए १५ मिनिट दिये। मैं माननीय सदस्यों को....

श्री अध्यक्ष—९ बजे तक बैठे।

("नहीं साहब, नहीं साहब" इस प्रकार की आवाजें)

श्री त्रिवेणी श्याम—कल रख लीजिये।

(साधारण कोलाहल के पश्चात्)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय सदस्यों को अर्ज करूंगा कि माननीय अध्यक्ष ने मुझे इजाजत दी है बोलने के लिए। आप मुझे सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसके बारे में बहुत से सदस्यों ने कई तरह की बातें कही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा—

माननीय अध्यक्ष, मैं उस दृष्टिकोण का जो कि राजप्रमुख के भाषण में प्रदर्शित किया गया है, मैं उस नीति का पूरा समर्थन करता हूँ। राजप्रमुख महोदय ने हमें जिन कार्यों की ओर संकेत दिया है, उनके भाषण को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी महसूस करता हूँ कि पिछले एक साल और सवा साल से जो काम करने की पद्धति हमारे इस प्रान्त में चली है वास्तव में वह सराहनीय पद्धति है। इस पद्धति के अनुसार कार्य करने से अब हमें कुछ पता चलने लगा है कि हम समाजवाद समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी घोषणा आज से दो साल पहले हमारे देश में इसी कांग्रेस संस्था ने की थी। इस भाषण में अगर हम गौर से देखें तो हमें यह महसूस होता है कि आज के दिन हम शिक्षा पर ४ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जिस समय राजस्थान प्रान्त बना था, सन् ४८ में उनमें जो अलग अलग रियासतें थी, उन सब में डेढ़ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च होता है; आज राजस्थान में उससे ढाई करोड़ रुपया अधिक हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इससे टेक्नीकल एज्युकेशन आदि ट्रेनिंग की हमने अपने प्रान्त में वृद्धि की है।

पंचवर्षीय योजना में 'पिछले पांच वर्षों की अलग अलग मद में जो रकमें थी, पिछले डेढ़-दो सालों में, उसका काफी अंश हम खर्च कर पाये हैं। राजस्थान में एज्युकेशन की वृद्धि पर, एग्रीकलचर के डेवलपमेन्ट पर पिछले दो सालों में भिन्न भिन्न सीगों में हम ठीक प्रकार से खर्च कर पाये है। इर्रीगेशन के काम भी बहुत ज्यादा तादाद में हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ खामी रही है तो वह सिर्फ बिजली घर के महकमे में कमी रही है। इस महकमे में वास्तव में जितना काम होना चाहिए वह नहीं हो पाया है, इसके लिये कई दिक्कतें भी थीं। सामान का न मिलना, यह भी बड़ी भारी दिक्कत थी। इससे भी हम जितना रुपया खर्च करना चाहते थे, वह नहीं कर पाये। इस प्रकार की डिफीकल्टी की वजह से, ठीक व्यवस्था न होने की वजह से पूर्णतया इसमें पैसा खर्च नहीं कर सके। बाकी सड़कों के मामले में जो रकम खर्च करनी थी उससे भी ज्यादा ५० लाख रुपया हम खर्च कर चुके। जिस प्रकार हमने रुपया खर्च किया है, अलग अलग मदों में उसका नक्शा हमें राजप्रमुख के भाषण में देखने को मिला है। केन्द्र राजस्थान को कितनी रकम दे रहा है, उसका भी नक्शा इसमें है। लगभग डेढ़ अरब रुपया आने वाले पांच वर्षों में हमें खर्च करना है। वास्तव में उन कामों के जरिये ही हम हमारे अलग अलग इलाकों में समाजवादी ढांचा ला सकते हैं। जिन लोगों ने इस सदन में इस भाषण पर, अलग अलग दृष्टिकोण अपने अपने रखे, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने अपना दृष्टिकोण रखा, उन्होंने, मुझे ऐसा मालूम हुआ है या तो उन्होंने इस भाषण को पढ़ने की चेष्टा नहीं की या समझने की कोशिश ही नहीं की। इसी बहाने उनको कुछ बातें कहनी थीं जो वे कह गये। उन्होंने कई बातें ऐसी कहीं जो सही दिमाग से सोचा जाय तो इस समाजवादी ढांचे में कतई फिट होने वाली ही नहीं है। उन लोगों के भाषण से पता चलता था कि वे सही दिमाग से आलोचना नहीं कर रहे हैं। फिर भी वादों में और अन्य चीजों में ऐसे बंधे हुए हैं कि उन्हें यह कहने को बाध्य होना पड़ा।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

माननीय अध्यक्ष, विरोधी पक्ष के नेता के भाषण को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। जिस तरीके से उन्होंने भूस्वामियों के प्रश्न को उठाया कि यह आन्दोलन पिछले तीन महीनों से चल रहा है और सरकार को इनकी जहां समस्या को सुलझाने की ओर ध्यान देना चाहिए था, वह भी नहीं दिया जा रहा है, इसी से आन्दोलन लम्बा होता जा रहा है और उन्होंने इस आन्दोलन को भूस्वामियों का आर्थिक आन्दोलन भी बताया; माननीय अध्यक्ष, उनकी मांगें क्या हैं, उनके सम्बन्ध में जितने भी सदन में भाषण हुए, किसी ने भी यह बताने की कोशिश नहीं की। वास्तव में उनका आर्थिक प्रोब्लम है क्या? जहां एक ओर तो उनके आर्थिक प्रोबलम का जिक्र किया जा रहा है, दूसरी ओर उनकी स्पष्ट मांग क्या है, उसका कोई जिक्र तक नहीं। उनके नेता कौन हैं, आन्दोलन कौन चला रहे हैं, इन सब बातों का किसी के भी भाषण से पता नहीं चल पाया। विरोधी दल के नेता ने कहा कि स्क्वीजिंग की जो पोलिसी राजपूतों के खिलाफ बरती जा रही है उसी की वजह से राजपूतों में असन्तोष है। स्क्वीजिंग की पोलिसी यह थी कि पहले ५ हजार तक की जागीरों को समाप्त करने का समझौता था, उसके खिलाफ ५ हजार से नीचे की भी जागीरों को समाप्त कर दिया गया, राजपूत लोग इस बात को नहीं मानते। माननीय अध्यक्ष, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस समय समझौता किया गया था, क्या उस समय जो राजपूतों के नुमायन्दे शामिल हुए उस समय उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम पांच हजार से नीचे वाली जागीरों की नुमायन्दी नहीं करते। उनके नुमायन्दे अमुक अमुक आदमी हैं, उनको शामिल किया जाय, तभी पक्का समझौता हो सकता है। समझौता करके ही कानून बना और कानून कितना लिबरल बनाया गया कि जागीरदारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, उनके लिये ज्यादा से ज्यादा रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट मंजूर की। उसके बाद यह कहना कि हम तो पांच हजार की नीचे वाली जागीरों के नुमायन्दे नहीं थे, यह कोई शोभा की बात नहीं। अगर वे उसी समय कहते कि पांच हजार से नीचे की जागीरों के लिये अलग से डील होने चाहिए तो फिर भी ठीक बात थी। आज उनका नारा है कि पांच हजार से नीचे की जागीरों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से कहकर जान-बूझ कर लोगों को भड़काया जा रहा है। आज के जमाने को देखते हुए यह निश्चित बात है कि जागीरें किसी की भी कायम नहीं रह सकतीं। हो सकता है इनकी कुछ आर्थिक समस्या हो, उस समस्या को सुलझाने में क्या इस प्रकार के आन्दोलन से उनको रोटी मिल जायगी? क्या आज केवल उनके ही सामने रोटी की समस्या है, आज हमारे प्रान्त में, हर कोने में, हर गांव में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बिचारे रात-दिन परिश्रम करते हैं, चौबीसों घंटों काम करते हैं; फिर भी एक समय का खाना नहीं मिलता; यदि किसी को एक समय का खाना मिलता है तो दूसरे समय का नहीं। यह केवल भूस्वामियों का ही नहीं, किसी एक कौम का ही नहीं बल्कि तमाम लोगों की आर्थिक समस्या है। माननीय अध्यक्ष, आज जो पांच हजार से नीचे की जागीरें खत्म हो रही हैं उनके लिये ५०० रुपया सालाना मुआवजा मिलेगा। इतनी आमदनी मुआवजे के रूप में पन्द्रह साल तक चालू रहेगी, इसके उपरान्त भी यह कहा जा रहा है कि उनकी आर्थिक समस्या बाकी रह जायगी। यह आन्दोलन जो चलाया जा रहा है वह बहुत गलतफहमी का आन्दोलन है और कुछ लोगों ने अपनी नेतागीरी चालू रखने के लिये यह चला रखा है। वे नेता बाहर तो आना नहीं चाहते, अन्दर ही

[श्री नाथूराम मिर्धा]

अन्दर गुप्त रहकर सही मायने में गुप्त आन्दोलन चला रहे हैं। जो बहुत से गांवों में बैठे हुए गरीब राजपूतों को, जो किसान हैं उनको बहका कर कि तुम आन्दोलन करोगे तो तुम्हें तुम्हारी जागीरें मिल जायंगीं, उसके पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये बहका कर उन गरीब राजपूतों को आगे कर रखा है और वे ही लोग हजारों की तादाद में जेलों में जा रहे हैं और वे आदमी जो बहका कर दूसरों को जेलों में भिजवा रहे हैं, वे घरों में बैठे हैं और अपने को ज्यादा मुआवजा मिल जाय, इस प्रकार अपना फायदा करने के लिये लम्बी-लम्बी दलीलें देकर आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों को बहका कर इस प्रकार का अन्दोलन करवाने से वास्तव में उनका कोई भला होने वाला नहीं हैं, इस तरह की गलतफहमी में डाल कर इस आन्दोलन को गलत रास्ते पर चलाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि एक तरह से राजस्थान सरकार ने समझौता किया था। ऐसी बात नहीं है। बात असल में यह हुई कि बरसात का दिन नजदीक था, उसने सोचा अब कोई जेलों में जाने को तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि हम बीच में पड़ते हैं और चार-पांच बातें लिखकर कोई समझौते का नाम कर लिया।

इसके बाद जब देखा कि ऊनाले का मोका आया, लोग निकम्मे बैठे रहते हैं वहां उन्होंने फिर आन्दोलन शुरु कर दिया। गावों से लोगों को जबर्दस्ती से उठाकर ले आते है और फिर जेलों में जाने के लिए आगे कर देते हैं। वे भी सोचते हैं और उनको कहा भी इसी तरह से जाता है कि चलो बैठे बैठे निकम्मे क्या करेंगे, जेलों में सरकार के रोठे ठोकेंगे और आराम से रहेंगे। उनको इसके अलावा वास्तव में कुछ नहीं मालूम कि यह आन्दोलन है क्या बला ? उनको यह भी कहकर बहकाया जाता है कि इससे तुम्हारी जागीरें कायम रह जावेंगी। उधर वे जेलों में रोटे ठोकते हैं और इधर ये लीडर लोग स्पीचें ठोकते रहते हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने यही किया, पर उस समय तो लोगों के समझ में बात आई नहीं थी, पर अब तो लोग सब उसको समझ गये हैं। अगर ये लीडर सही उद्देश्य से चलेंगे तो हरेक उनकी कद्र करेगा, नहीं तो उनकी कलई खुलेगी। अब तो लोग न राजपूत के नाम से चलने वाले हैं, न जाट के नाम से बरगलाये जा सकते हैं और न किसी और कौम के नाम से। सही दिशा में लोग अब सोचने लग गये हैं। नये सामाजवादी ढांचे में सच्चाई और ईमानदारी से अगर समाज को बढ़ाना है और इसके लिए कोई कोशिश करता है तो वह तो कामयाब हो सकेगा, नहीं तो अब इन बरसाती लीडरों की नहीं चलने वाली है। तो यहां सदन में भी हमें ऐसे भाषण नहीं देकर, हमारे भाइयों को समझाने की कोशिश करनी चाहिये जो बड़े भोले है, वे -पढ-लिखे हैं। जिस समस्या को गलत दृष्टिकोण से यहां लाकर रक्खा गया है उसका कोई सही हल निकलने वाला नहीं है इस तरह से।

इसके अलावा लॉ एण्ड आर्डर के बारे में भी बातें कहीं गई। पाकिस्तान के बोर्डर के मामले को और बलवन्तसिंह के नाम को लेकर कहा गया कि लॉ और आर्डर की समस्या को हल करने के लिए दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, यह भी रोटी से पैदा होता है यह कहा जाता है। इसका

[श्री नाथूराम मिर्धा]

मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में ५० प्रतिशत लोगों को, जिनको कि एक वक्त रोटी नसीब होती है, तो क्या वे सब डाकू हो जावें एक दृष्टिकोण यह है ।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि कानूनी कार्यवाही बराबर की जावे । अगर जो आदमी अपनी रोटी की समस्या के लिए डाकू बन कर उसको हल करना चाहे और फिर उससे नीजात चाहे तो यह मेरे दिमाग में तो ठीक नहीं बैठता । उसके साथ मेरे हिसाब से तो कानूनी कार्यवाही ही होनी चाहिये । इसके विपरीत एक एक्सपेरीमेन्ट किया गया । बलवन्तसिंह को किसी तरह से सरेन्डर कराया । पर बाद में क्या हुआ, यह हम सब जानते हैं । तो मेरे ख्याल से तो इन लोगों के साथ कोई कानूनी रियायत नहीं करनी चाहिये । डाकू लोगों के साथ वही वर्ताव होना चाहिये जो कि कानून में लिखा है । इसी को मैं उचित मानता हूँ । इसी से इस समस्या का हल होना है । वारदातें भी इसको जब से सरकार अमल में ला रही है, कम होती जा रही हैं । फिर ज्यों ज्यों समय आवेगा, समाज में जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी, त्यों त्यों ये डाकू कम होते जावेंगे ।

मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी थीं पर समय कम है, इसलिए इन्हीं बातों को कहकर राजप्रमुख को जो धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—We now adjourn for tomorrow at 8.30 A. M.

सदन की कार्यवाही रात्रि के ८ बजकर १५ मिनिट पर अगले दिन प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक—६ मार्च, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।